सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का राज्य सरकार के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

उत्तर प्रदेश सरकार

प्रतिवेदन संख्या 3 – वर्ष 2023

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का
राज्य सरकार के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

उत्तर प्रदेश सरकार

प्रतिवेदन संख्या 3 – वर्ष 2023

विषय सूची

विवरण	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
प्राक्कथन		**v**
कार्यकारी सार		**vii**
अध्याय I विहंगावलोकन		
राज्य की रूपरेखा	1.1	**1**
राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार और दृष्टिकोण	1.2	**3**
प्रतिवेदन की संरचना	1.3	**3**
शासकीय लेखे की संरचना और बजटीय प्रक्रियाओं का विहंगावलोकन	1.4	**4**
राजकोषीय अवशेष : घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की उपलब्धि	1.5	**9**
लेखापरीक्षा जांचोपरांत घाटा और कुल ऋण	1.6	**14**
अध्याय II राज्य के वित्त		
राज्य के प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में मुख्य परिवर्तन	2.1	**17**
निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग	2.2	**17**
राज्य के संसाधन	2.3	**19**
राजस्व प्राप्तियाँ	2.4	**19**
पूंजीगत प्राप्तियाँ	2.5	**28**
संसाधन जुटाने में राज्य का प्रदर्शन	2.6	**29**
संसाधनों का अनुप्रयोग	2.7	**29**
लोक लेखा	2.8	**44**
ऋण प्रबन्धन	2.9	**49**
नकद अवशेष का प्रबन्धन	2.10	**58**
निष्कर्ष	2.11	**61**
संस्तुतियाँ	2.12	**62**
अध्याय III बजटीय प्रबन्धन		
बजट प्रक्रिया	3.1	**63**
बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा पर टिप्पणियाँ	3.2	**66**

विवरण	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर टिप्पणियाँ	3.3	**70**
निष्कर्ष	3.4	**77**
संस्तुतियाँ	3.5	**77**
अध्याय IV लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग परम्परायें		
राज्य की संचित निधि या लोक लेखे से बाहर रखी गयी निधियाँ	4.1	**79**
राज्य के स्वामित्व वाले पीएसयू/प्राधिकरणों के माध्यम से प्राप्त गैर–बजट ऋण को संचित निधि में जमा नहीं किया जाना	4.2	**82**
परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना में अनुन्मोचित देनदारियाँ	4.3	**84**
उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि	4.4	**85**
राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियों को केन्द्रीय योजनाओं की निधियों का अन्तरण	4.5	**87**
उपभोग प्रमाणपत्रों के प्रेषण में विलम्ब	4.6	**87**
संक्षिप्त आकस्मिक बिल	4.7	**89**
वैयक्तिक जमा खाता	4.8	**90**
लघु शीर्ष 800 का अविवेकपूर्ण प्रयोग	4.9	**91**
बहुप्रयोजनीय मानक मदः '42–अन्य व्यय' के अन्तर्गत व्यय	4.10	**93**
प्रमुख उचन्त एवं प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत बकाया अवशेष	4.11	**95**
ऋण और अग्रिम के प्रतिकूल अवशेष	4.12	**96**
विभागीय आंकड़ों का मिलान न किया जाना	4.13	**96**
स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के लेखाओं/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुत किया जाना	4.14	**98**
विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के प्रोफार्मा लेखे	4.15	**99**
दुर्विनियोजन, हानि, चोरी, आदि के लम्बित मामले	4.16	**99**
निष्कर्ष	4.17	**100**
संस्तुतियाँ	4.18	**101**
अध्याय V राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम		
परिचय	5.1	**103**
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश एवं बजटीय सहायता	5.2	**104**

विवरण	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं का प्रस्तुत किया जाना	5.3	**109**
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निवल मूल्य का क्षरण	5.4	**113**
विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम) के बकाये	5.5	**115**
राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्यवाही	5.6	**116**
निष्कर्ष	5.7	**116**
संस्तुतियाँ	5.8	**117**
परिशिष्टियाँ		
विवरण	**परिशिष्ट**	**पृष्ठ**
उत्तर प्रदेश राज्य के सामान्य ऑकड़ें	1.1	**119**
राज्य सरकार के वित्त में समयबद्ध ऑकड़ें	2.1	**120**
2017–22 की अवधि में स्वयं का कर/करेतर राजस्व का संग्रह	2.2	**122**
31 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक निजी सहभागिता पर आधारित पूर्ण/क्रियान्वयनाधीन परियोजनाओं का विवरण	2.3	**123**
वर्ष 2021–22 के दौरान आरक्षित निधियों का विवरण	2.4	**126**
वर्ष 2021–22 के दौरान एकमुश्त बजटीय प्रावधान	3.1	**128**
2021–22 बजट अभिलेख में केन्द्रीय/केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के वित्त पोषण पद्धति (केन्द्रांश/राज्यांश/वित्तीय संस्थायें) का उल्लेख नहीं किया जाना।	3.2	**132**
उन प्रकरणों का विवरण जहाँ केन्द्रीय योजनाओं/केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में वित्त पोषण प्रतिरूप में कुल केन्द्रांश और राज्यांश 100 प्रतिशत से अधिक/कम या अन्य वित्तीय संस्थान/अनुदानकर्ता के वित्त पोषण अंश का उल्लेख नहीं है	3.3	**133**
वर्ष 2021–22 के दौरान प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड़ से अधिक बचत वाली अनुदानें	3.4	**134**
अनुदानें जिनमें विगत पाँच वर्षों (2017–22) में लगातार बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक थी	3.5	**138**
योजनाएं जिनके लिये मूल प्रावधानों का उपयोग नहीं किया जा सका	3.6	**140**
अनावश्यक पुनर्विनियोग	3.7	**142**

परिशिष्टियाँ		
विवरण	परिशिष्ट	पृष्ठ
योजनायें जिनके लिए मूल प्रावधानों का उपयोग नहीं किया जा सका	3.8	**149**
उन योजनाओं का विवरण जिनसे मूल प्रावधानों को अन्य योजनाओं में पुनर्विनियोजित किया गया	3.9	**165**
विभिन्न स्वायत्त निकायों और प्राधिकरणों के लेखे के अन्तिमीकरण के लम्बित होने का विवरण	4.1	**168**
विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के लेखाओं के अन्तिमीकरण की स्थिति	4.2	**171**
पीएसयू (2019–20 तक अथवा उसके पश्चात् प्रस्तुत किये गये उनके लेखों की) 31 मार्च 2022 को पूँजी एवं बकाया ऋण की स्थिति का विवरण	5.1	**172**
पी0एस0यू0 से सम्बन्धित तीन वर्ष अथवा अधिक (बकाया लेखे अथवा निष्क्रिय/परि–समापन के अन्तर्गत थे अथवा प्रथम लेखे नहीं प्राप्त हुये थे) की 31 मार्च 2022 को पूँजी एवं बकाया ऋणों की स्थिति को दर्शाते विवरण	5.2	**178**
उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं के मध्य 31 मार्च 2022 को पूँजी, ऋण एवं प्रत्याभूतियों के अन्तर को दर्शाती हुई विवरणी	5.3	**191**
राज्य सार्वजनिक क्षेत्रों के विभिन्न उपक्रमों द्वारा लेखों के अन्तिमीकरण में लम्बित रहने का विवरण	5.4	**200**
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जिनके लेखे अवधि के दौरान बकाया थे, उनमें राज्य सरकार के निवेश की स्थिति दर्शाने वाले विवरण	5.5	**205**
पदों की व्याख्या	-	**213**
प्रथमाक्षरी	-	**215**

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत किए जाने हेतु तैयार किया गया है।

2. इस प्रतिवेदन का अध्याय I प्रतिवेदन के आधार एवं दृष्टिकोण तथा अन्तर्निहित आँकड़ों का वर्णन करता है एवं शासकीय लेखे की संरचना, बजटीय प्रक्रियाओं, प्रमुख सूचकांकों के सूक्ष्म राजकोषीय विश्लेषण एवं घाटे/अधिशेष सहित राज्य की राजकोषीय स्थिति का विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।

3. इस प्रतिवेदन का अध्याय II राज्य के वित्त का व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करता है तथा विगत वर्ष की तुलना में प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों, 2017–18 से 2021–22 की अवधि के दौरान समग्र प्रवृत्तियों, राज्य के ऋण की वस्तुस्थिति एवं राज्य के वित्त लेखे पर आधारित लोक लेखे के प्रमुख संव्यवहारों का विश्लेषण करता है।

4. इस प्रतिवेदन का अध्याय III राज्य के विनियोग लेखे पर आधारित है एवं राज्य सरकार के विनियोग एवं आवंटन प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है तथा बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलन पर विवरण प्रस्तुत करता है।

5. इस प्रतिवेदन का अध्याय IV राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत लेखाओं की गुणवत्ता एवं निर्धारित वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों के अनुपालन किए जाने की स्थिति पर व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।

6. इस प्रतिवेदन का अध्याय V राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में निवेश, पीएसयू को बजटीय सहायता, पीएसयू/अकार्यरत पीएसयू के लेखाओं के प्रस्तुतीकरण एवं पीएसयू के निवल मूल्य के क्षरण पर चर्चा करता है।

7. विभिन्न विभागों के निष्पादन लेखापरीक्षा एवं संव्यवहारों की लेखापरीक्षा के निष्कर्षों एवं सांविधिक निगमों, बोर्डों एवं सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा से उत्पन्न आपत्तियों पर प्रतिवेदन तथा राजस्व प्राप्तियों के लेखापरीक्षा आपत्तियों से युक्त प्रतिवेदन अलग से प्रस्तुत किये जाते हैं।

लेखापरीक्षा कार्य भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप संपादित किया गया है।

कार्यकारी सार

उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) के वित्त पर यह प्रतिवेदन वर्ष 2021–22 के दौरान राज्य के वित्तीय प्रदर्शन का आकलन करने और वित्तीय आँकड़ों के लेखापरीक्षा विश्लेषण पर आधारित आगतों को राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत करने का प्रयोजन रखता है। इस विश्लेषण को उचित परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व व बजट प्रबंधन (यूपीएफआरबीएम) अधिनियम, 2004, चौदहवें एवं पंद्रहवें वित्त आयोग के प्रतिवेदनों तथा वर्ष 2021–22 के बजट अनुमानों में परिकल्पित लक्ष्यों के मध्य एक वृहद तुलनात्मक अध्ययन का प्रयास किया गया है। इस प्रतिवेदन को पाँच अध्यायों में विभाजित किया गया है:

अध्याय I प्रदेश के वित्त का एक नजर में विहंगावलोकन है।

अध्याय II वित्त लेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित है और 31 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार की राजकोषीय स्थिति का मूल्यांकन करता है। यह ब्याज भुगतान, वेतन और मजदूरी, पेंशन, पूंजीगत व्यय और ऋण प्रबंधन पर व्यय के रुझानों की अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

अध्याय III विनियोग लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है एवं इसमें अनुदानवार विनियोगों तथा सेवादायी विभागों द्वारा जिस प्रकार आवंटित संसाधनों का प्रबंधन किया गया है, उसका विवरण प्रस्तुत करता है।

अध्याय IV उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न रिपोर्टिंग आवश्यकताओं एवं वित्तीय नियमों के अनुपालन की वस्तु सूची है।

अध्याय V में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में निवेश, पीएसयू को बजटीय सहायता, पीएसयू द्वारा लेखाओं को प्रस्तुत करने की स्थिति, गैर–कार्यात्मक पीएसयू और पीएसयू के निवल मूल्य के क्षरण पर चर्चा की गई है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

राज्य की राजकोषीय स्थिति

वर्ष 2021–22 में उत्तर प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में वर्ष 2020–21 के (-)3.04 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि के सापेक्ष 13.02 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आर्थिक स्थिति में सुधार से राज्य के स्व–कर राजस्व में वृद्धि हुई और केंद्रीय करों शुल्कों में हिस्सेदारी बढ़ी जिससे राज्य के राजकोषीय मापदंडों पर सहवर्ती प्रभाव पड़ा। पिछले वर्ष के ₹ 2,367.13 करोड़ के राजस्व घाटे की तुलना में राज्य का राजस्व अधिशेष ₹ 33,430.06 करोड़ था। वर्ष 2021–22 के दौरान राजकोषीय घाटा भी पिछले वर्ष के ₹ 54,622.11 करोड़ रुपये से घटकर ₹ 39,286.42 करोड़ रुपये रह गया।

वर्ष 2021–22 में राज्य का राजकोषीय घाटा, पिछले वर्ष की जीएसडीपी के 3.31 प्रतिशत की तुलना में 2.11 प्रतिशत पर निहित रहा। वर्ष 2021–22 के दौरान कुल बकाया ऋण का जीएसडीपी से अनुपात (32.14 प्रतिशत) भी पिछले वर्ष (33.91 प्रतिशत) से कम था।

वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) क्षतिपूर्ति राज्य सरकार का राजस्व है। वर्ष 2021–22 के दौरान ₹ 8,299.42 करोड़ की जीएसटी क्षतिपूर्ति राजस्व प्राप्तियों के रूप में प्राप्त करने के अतिरिक्त, राज्य सरकार को भारत सरकार से जीएसटी क्षतिपूर्ति कोष में अपर्याप्त अवशेष के कारण जीएसटी क्षतिपूर्ति कमी के बदले ₹ 8,139.94 करोड़ की ऋण प्राप्तियाँ (बैक–टू–बैक ऋण) भी प्राप्त हुई। इस ऋण का ऋणशोधन जीएसटी क्षतिपूर्ति कोष में उपकर के संग्रह से किया जाएगा एवं इस प्रकार, अदायगी के दायित्व को राज्य के अन्य संसाधनों से पूरा नहीं किया जाएगा। इस व्यवस्था के कारण वर्ष

2021–22 के दौरान ₹ 33,430.06 करोड़ के राजस्व अधिशेष एवं ₹ 39,286.42 करोड़ के राजकोषीय घाटे को जीएसटी क्षतिपूर्ति के बदले ₹ 8,139.94 करोड़ की ऋण प्राप्तियों के संयोजन के साथ पढ़ा जाना चाहिये।

(प्रस्तर 1.1.1, 1.4.1 और 1.5)

निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग

वर्ष 2021–22 के दौरान ₹ 3,71,011 करोड़ की राजस्व प्राप्तियों में स्वयं का कर राजस्व (₹ 1,47,368 करोड़), करेतर राजस्व (₹ 11,436 करोड़), केन्द्रीय करों और शुल्कों का अंश (₹ 1,60,358 करोड़) और भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान (₹ 51,849 करोड़) सम्मिलित है। स्वयं के कर राजस्व में 20.92 प्रतिशत, करेतर राजस्व में 55.01 प्रतिशत, भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान में 40.52 प्रतिशत की कमी के कारण राज्य की राजस्व प्राप्तियां 2021–22 के बजट अनुमान से 11.31 प्रतिशत कम रही, यद्यपि केन्द्रीय करों का अंतरण 34.31 प्रतिशत अधिक था।

विगत वर्ष 2020–21 की तुलना में राज्य ने 2021–22 के दौरान स्वयं के कर राजस्व में 22.91 प्रतिशत की समग्र वृद्धि थी, जिसका मुख्य कारण राज्य वस्तु और सेवा कर, राज्य आबकारी, बिक्री पर कर, व्यापार आदि, स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क, वाहनों पर कर की प्राप्तियों में वृद्धि के कारण था। वर्ष 2021–22 के दौरान राज्य का स्वयं का कर राजस्व उछाल 1.76 था, जो राज्य की अर्थव्यवस्था पर कोविड–19 के प्रतिकूल प्रभाव के बाद अर्थव्यवस्था में सुधार का संकेत था। जिसके कारण वर्ष 2020–21 के दौरान जीएसडीपी की ऋणात्मक विकास दर के साथ–साथ स्वयं के कर राजस्व में भी कमी आई थी।

वर्ष 2021–22 के दौरान, भारत सरकार से अंतरण (करों में अंश तथा सहायता अनुदान) 29.05 प्रतिशत अधिक (₹ 47,774 करोड़) था और यह राज्य की राजस्व प्राप्तियों का 57.20 प्रतिशत था। वर्ष 2020–21 की तुलना में केंद्रीय करों और शुल्कों के अन्तर्गत राज्यांश प्राप्तियों में ₹ 53,671 करोड़ (50.31 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। तथापि, भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2021–22 में 10.21 प्रतिशत (₹ 5,897 करोड़) कम था।

(प्रस्तर 2.3.1, 2.4.1, 2.4.2.1, 2.4.3, 2.4.3.1 एवं 2.4.3.2)

राजस्व व्यय (₹ 3,37,581 करोड़) कुल व्यय का प्रमुख घटक बना रहा। तथापि, इसका अंश वर्ष 2017–18 में 86.77 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2021–22 में 82.09 प्रतिशत हो गया। वेतन, मजदूरी, पेंशन और ब्याज भुगतान पर प्रतिबद्ध व्यय (₹ 2,02,126 करोड़) जो राजस्व प्राप्तियों का 54.48 प्रतिशत और राजस्व व्यय का 59.87 प्रतिशत था। राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य अनुदानग्राही संस्थाओं का वर्ष 2021–22 के दौरान सहायता अनुदान के रूप में ₹ 1,00,845.44 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई, जो वर्ष 2020–21 की तुलना में 1.98 प्रतिशत अधिक था। राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों को राज्य वित्त आयोग अनुदान भी हस्तांतरित किया। वर्ष 2020–21 की तुलना में वर्ष 2021–22 के दौरान स्थानीय निकायों को राज्य वित्त आयोग के अनुदान के हस्तांतरण में 16.13 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(प्रस्तर 2.7.1, 2.7.2, 2.7.4, 2.7.6 एवं 2.7.7)

वर्ष 2020–21 की तुलना में वर्ष 2021–22 के दौरान पूंजीगत व्यय (₹ 71,443 करोड़) में 36.77 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कुल व्यय के सापेक्ष राज्य के पूँजीगत व्यय के प्रतिशत में वर्ष 2017–18 की तुलना में वर्ष 2021–22 में वृद्धि हुई और यह सामान्य श्रेणी के राज्यों (अर्थात् उत्तर पूर्वी और हिमालयीय राज्यों के अलावा अन्य राज्यों) के अखिल भारतीय औसत से अधिक था।

(प्रस्तर 2.7.8 एवं 2.7.9)

समेकित निक्षेप निधि

राज्य सरकार ने अपनी बकाया देयताओं के विमोचन हेतु एक ऋण परिशोधन निधि के रूप में समेकित निक्षेप निधि का गठन (मार्च 2020) किया, जो वित्तीय वर्ष 2020–21 से प्रभाव में आयी। निधि को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रशासित किया गया है। निधि के दिशा–निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार को विगत वर्ष के अंत में अवशेष दायित्यों का कम से कम 0.50 प्रतिशत अंशदान निधि में जमा करना था। वर्ष 2020–21 के अंत में ₹ 5,46,864.94 करोड़ की अवशेष दायित्व के दृष्टिगत कम से कम निर्धारित योगदान ₹ 2,734.32 करोड़ के सापेक्ष राज्य सरकार ने वर्ष 2021–22 के दौरान ₹ 2000 करोड़ का अंशदान दिया। यह ₹ 734.32 करोड़ का कम अंशदान वर्ष 2021–22 के दौरान समेकित निक्षेप निधि निवेश का भाग नहीं बन सका।

संस्तुति

राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि समेकित निक्षेप निधि में वार्षिक अंशदान विगत वर्ष के अन्त में बकाया देयताओं का कम से कम 0.50 प्रतिशत हो, जैसा कि समेकित निक्षेप निधि योजना में प्रावधानित है, जिससे कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अग्रेतर निवेश हेतु एवं भविष्य की अवशेष देयताओं के भुगतान हेतु निधि में पर्याप्त अवशेष उपलब्ध हो।

(प्रस्तर 2.8.2.1)

मूल्यह्रास आरक्षित निधि

राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग मूल्यह्रास आरक्षित निधि का सृजन (मार्च 2005) संयंत्र और मशीनरी के नवीनीकरण और अनुपयोगी संयंत्र और मशीनरी के प्रतिस्थापन के लिये, संयंत्र और मशीनरी की विशेष मरम्मत करने और नवीनतम तकनीक के साथ संयंत्र और मशीनरी के क्रय करने के लिये किया था। राज्य सरकार ने 2021–22 की अवधि के दौरान मूल्यह्रास आरक्षित निधि में अंशदान के रूप में ₹ 68.84 करोड़ प्रभारित किया और इसे राज्य के करेतर राजस्व के रूप में हस्तांतरित किया। जिसके सापेक्ष, केवल ₹ 20.00 करोड़ निधि में हंस्तांतरित किये गये, जिससे राजस्व प्राप्तियों में वास्तविक नकद प्राप्ति के बिना ₹ 48.84 करोड़ की वृद्धि हुई। इसके अलावा, वर्ष 2021–22 के अंत में उपलब्ध शेष धनराशि से अधिक संवितरण के कारण निधि में ₹ 6.11 करोड़ ऋणात्मक अवशेष था।

संस्तुति

राज्य सरकार को मूल्यह्रास आरक्षित निधि के लिए भारित पूरी धनराशि को इस निधि को हस्तांतरित करना चाहिए। अग्रेतर, राज्य सरकार को मूल्यह्रास आरक्षित निधि के अन्तर्गत ऋणात्मक अवशेष को तत्काल नियमित करना चाहिए।

(प्रस्तर 2.8.2.2)

राज्य आपदा अनुक्रिया निधि (एसडीआरएफ)

31 मार्च 2022 तक एसडीआरएफ में ₹ 3,005.59 करोड़ शेष था। तथापि, राज्य सरकार ने निधि में अभिवृद्धि को एसडीआरएफ दिशानिर्देशों में निर्धारित तरीके से निवेश नहीं किया था। राज्य सरकार ने निधि के अनिवेशित अवशेष पर वर्ष 2021–22 के लिये ₹ 74.99 करोड़ का ब्याज भी क्रेडिट नहीं किया था।

संस्तुति

राज्य सरकार द्वारा एसडीआरएफ दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार एसडीआरएफ के अन्तर्गत अवशेष धनराशि का निवेश करना चाहिये और उपार्जित ब्याज को निधि में जमा करना चाहिये।

(प्रस्तर 2.8.2.3)

आकस्मिक देयताएं–प्रत्याभूतियों की स्थिति

राज्य सरकार द्वारा 28 संस्थाओं यथा सांविधिक निगम, सरकारी कम्पनियों एवं अन्य संस्थाओं को उनके द्वारा लिये गये ऋणों के पुनर्भुगतान के सापेक्ष वर्ष 2021–22 के अंत में ₹ 1,74,218.42 करोड़ की प्रत्याभूति बकाया थी। प्रत्याभूति पर राज्य के दायित्वों के तात्कालिक भुगतान के लिये, राज्य सरकार को बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन करने की आवश्यकता थी। तथापि, राज्य सरकार ने प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन नहीं किया।

संस्तुति

राज्य सरकार को बारहवें वित्त आयोग के अनुशंसा के अनुसार प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन करना चाहिये।

(प्रस्तर 2.8.2.4 एवं 2.9.5)

ऋण संवहनीयता

राज्य की कुल राजकोषीय देनदारियों में खुले बाजार के ऋणों का प्रमुख अंश (65.48 प्रतिशत) था। वर्ष 2019–21 के दौरान ऋण संवहनीयता नकारात्मक था। तथापि, लोक ऋण पर औसत ब्याज दर की तुलना में जीएसडीपी की उच्च विकास दर के कारण यह वर्ष 2021–22 के दौरान सकारात्मक था।

(प्रस्तर 2.9.1एवं 2.9.4)

व्यय आधिक्य के नियमितीकरण की आवश्यकता

वर्ष 2005–06 से 2020–21 से संबंधित 104 अनुदानों और 48 विनियोगों के अंतर्गत ₹ 32,533.46 करोड़ के अधिक संवितरण को राज्य विधानमंडल द्वारा अभी तक नियमित नहीं किया गया है। यह संविधान के अनुच्छेद 204 एवं 205 का उल्लंघन है जो यह प्रावधान करता है कि राज्य विधानमंडल की विधि द्वारा किये गये विनियोग के अलावा संचित निधि से किसी भी धन का आहरण नहीं किया जायेगा। यह बजटीय एवं वित्तीय नियंत्रण की प्रणाली को विकृत करता है एवं सार्वजनिक संसाधनों के प्रबन्धन में वित्तीय अनुशासनहीनता को प्रोत्साहित करता है।

संस्तुति

राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिक व्यय के सभी मौजूदा मामले संविधान के अनुच्छेद 205 में निहित प्रावधानों के अनुसार नियमितीकरण के लिए राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे गए हैं।

(प्रस्तर 3.2.1)

व्यय का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण

वर्ष 2021–22 के दौरान कई प्रकरणों में राजस्व को पूंजीगत एवं पूंजीगत को राजस्व के रूप में व्यय का गलत वर्गीकरण पाया गया। व्यय के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण का संयुक्त प्रभाव राजस्व अधिशेष में ₹ 130.49 करोड़ के आधिक्य के रूप में परिणित हुआ।

संस्तुति

कतिपय मानक मदों में शामिल पूंजीगत या राजस्व प्रकृति के कुछ व्यय मदों का वर्गीकरण, जैसा कि प्रस्तर 3.2.2 में इंगित किया गया है, को उत्तर प्रदेश बजट नियमावली (यूपीबीएम) के साथ संरेखित करने के लिये समीक्षा और निवारण की आवश्यकता है।

(प्रस्तर 3.2.2)

बचतें

कुल बचत ₹ 1,52,626.00 करोड़ थी जो कि कुल प्रावधान का 25.37 प्रतिशत था, जो मुख्य रूप से राजस्व मतदेय (22.27 प्रतिशत) और पूँजीगत मतदेय (41.89 प्रतिशत) खण्ड के तहत थी। विगत पांच वर्षों (2017–22) के दौरान बजटीय प्रावधानों में लगातार वृद्धि हुई, लेकिन इन वृद्धियों के बीच व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति नहीं रही, जबकि पिछले कुछ वर्षों में उतार–चढ़ाव की प्रवृत्ति देखी गई है। 24 अनुदानों से सम्बन्धित 28 मामलों में, पिछले पांच वर्षों के दौरान सतत् बचत (₹ 100 करोड़ एवं अधिक) की प्रवृत्ति रही। यह राज्य सरकार की आयोजना एवं कार्यान्वयन में बड़े अन्तर का द्योतक है।

संस्तुति

वित्त विभाग को उन कारणों की समीक्षा करनी चाहिए जिनके कारण विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत प्रावधान अप्रयुक्त रहे और भविष्य के वर्षों में अधिक विवेकपूर्ण बजट प्रावधान करने के लिए कदम उठाने चाहिए।

(प्रस्तर 3.3.1, 3.3.2, एवं 3.3.4)

अनावश्यक पुनर्विनियोग

32 अनुदानों से संबंधित 70 उप–शीर्ष में, ₹ 818.32 करोड़ के पुनर्विनियोग के माध्यम से निधियों में वृद्धि की गयी। तथापि, पुनर्विनियोग अनावश्यक साबित हुए, जैसा कि प्रत्येक मामले में व्यय पुनर्विनियोग से पूर्व इन उप–शीर्षों के अंतर्गत कुल बजट प्रावधान से कम था। यह इन अनुदानों के अन्तर्गत पुनर्विनियोग के लिए पर्याप्त औचित्य के अभाव को दर्शाता है।

संस्तुति

पुनर्विनियोग, निधि की आवश्यकताओं के सावधानीपूर्वक मूल्यांकन पर आधारित होना चाहिए। वित्त विभाग सम्बन्धित विभागों को निधियों के इष्टतम उपयोग के क्रम में संशोधित अनुमान प्रस्तुत करते समय योजनाओं/परियोजनाओं के लागत अनुमान की सटीकता में सुधार करने की सलाह दे सकता है।

(प्रस्तर 3.3.6)

व्यय का अतिरेक

वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने में व्यय का अतिरेक सार्वजनिक निधियों के सुदृढ़ प्रबंधन के सिद्धांतों के विरुद्ध है। व्यय के अतिरेक को रोकने हेतु यूपीबीएम में कोई विशिष्ट निर्देश नहीं दिए गए हैं। दो अनुदानों में, उनके कुल बजटीय प्रावधानों का 50 प्रतिशत या उससे अधिक व्यय वित्तीय वर्ष 2021–22 के अंतिम महीने अर्थात मार्च 2022 में किया गया।

संस्तुति

सरकार व्यय की स्थिर गति बनाए रखने के लिए वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों विशेष रूप से मार्च के महीने में व्यय के अतिरेक को नियंत्रित करने के लिए दिशानिर्देश जारी करने पर विचार कर सकती है।

(प्रस्तर 3.3.7)

बचतों का अभ्यर्पण

यूपीबीएम में प्रावधान है कि नियंत्रण अधिकारियों को सभी अंतिम बचतों को 25 मार्च तक वित्त विभाग को अभ्यर्पित कर देना चाहिए। तथापि, ₹ 1,52,626.00 करोड़ की कुल बचत में से 25 मार्च से पूर्व ₹ 117.09 करोड़ एवं वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन

₹ 7,843.86 करोड़ अभ्यर्पित किए गये। शेष ₹ 1,44,665.05 करोड़ व्यपगत हो गये। इसके अलावा, ₹ 737.63 करोड़ की बचत के विरुद्ध चार अनुदानों से सम्बन्धित चार प्रकरणों में, ₹ 789.43 करोड़ का समर्पण किया गया जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2021–22 के दौरान ₹ 51.80 करोड़ का अधिक समर्पण हुआ।

संस्तुति

वित्त विभाग को विभागीय नियंत्रण अधिकारियों द्वारा व्यय की प्रवृत्ति की निगरानी करनी चाहिए, ताकि अंतिम समय के अभ्यर्पण और आवंटन के व्यपगत होने का सहारा लिए बिना, निधियों को अनावश्यक रूप से रखा नहीं जाय और शीघ्रातिशीघ्र अभ्यर्पित कर दिया जाये।

(प्रस्तर 3.3.9)

शासकीय प्राप्तियों को शासकीय लेखे से बाहर रखा जाना

श्रम उपकर के सापेक्ष संग्रहीत धनराशि शासकीय लेखे में लिये बिना सीधे उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण (यूपीबीओसीडब्ल्यू) बोर्ड के बैंक खातों में जमा की जा रही है। शासकीय लेखों के माध्यम से उपकर के लेखांकन के अभाव में, राज्य सरकार के लेखे से यह भी सुनिश्चित नहीं हो सका कि उपकर, शुल्क आदि के मद में कितनी धनराशि संग्रहीत की गयी एवं विभिन्न उपकर संग्राहकों द्वारा कितनी धनराशि बोर्ड को अन्तरित की गयी। बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, 31 मार्च 2022, को बोर्ड के पास ₹ 3,977.53 करोड़ धनराशि उपलब्ध थी एवं 2017–22 की अवधि के दौरान 5.55 से 31.26 प्रतिशत पंजीकृत श्रमिकों को आच्छादित करते हुए श्रमिकों के कल्याण हेतु उपलब्ध निधियों का 4.45 से 26.63 प्रतिशत व्यय किया गया।

संस्तुति

उ.प्र. भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा श्रम उपकर के सापेक्ष संग्रहीत धनराशि राज्य के लोक लेखे का भाग होनी चाहिये एवं वहाँ से यह बोर्ड के खाते में अन्तरित की जा सकती है। उ.प्र. भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड को भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों की कार्य की दशाओं में सुधार करने एवं उन्हें पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के अपने अधिदेश को पूर्ण करना चाहिये।

(प्रस्तर 4.1.1)

राज्य सरकार ने विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत अपेक्षित राज्य विद्युत विनियामक आयोग निधि का गठन नहीं किया। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की ₹ 121.30 करोड़ की प्राप्तियाँ राज्य के लोक लेखे से बाहर रखी गयी।

संस्तुति

राज्य सरकार को राज्य विद्युत विनियामक आयोग निधि का गठन करना चाहिए और निधि के अवशेष धनराशि को राज्य के लोक लेखे में जमा करना चाहिए।

(प्रस्तर 4.1.2)

राज्य के स्वामित्व वाले पीएसयू/प्राधिकरणों के माध्यम से गैर–बजट ऋण

राज्य सरकार ने राज्य के ऋण मापदंडो पर प्रभाव डालने वाले व्ययों की पूर्ति हेतु राज्य के स्वामित्व वाले पीएसयू/प्राधिकरणों के माध्यम से गैर–बजट ऋण का सहारा लिया। चूंकि ये गैर–बजट ऋण राज्य के ऋण–स्टॉक के भाग नहीं हैं, वित्त लेखे में दर्शायी गयी ऋण–स्टॉक की स्थिति वास्तविक ऋण भार को नही दर्शाती है। परिणामस्वरूप, ऋण स्टॉक ₹ 19,495.61 करोड़ बढ़ गया तथा वर्ष 2021–22 के अंत में संज्ञान लिये गये ऋण स्टॉक ₹ 6,12,956.33 करोड़ के सापेक्ष यह ₹ 6,32,451.94 करोड़ हो गया।

संस्तुति

राज्य सरकार को गैर–बजट ऋण से बचना चाहिये एवं राज्य सरकार की ओर से पीएसयू/प्राधिकरणों द्वारा लिए गए किन्तु राज्य सरकार द्वारा सर्विस किये गये ऋणों को संचित निधि में जमा करना चाहिये।

(प्रस्तर 4.2)

परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना में अनुन्मोचित देनदारियां

राज्य सरकार ने वर्ष 2021–22 के दौरान राज्य सरकार के कर्मचारियों के सम्बन्ध में परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के लिए ₹ 440.62 करोड़ की धनराशि नामित निधि प्रबंधक को इसके अग्रेतर निवेश के लिए प्रेषित नहीं किया। परिणामस्वरूप, अप्रेषित निधि से कोई मूल्य वृद्धि नहीं हुई क्योंकि यह अभिदाताओं के निवेश के कोष का अंश नही बन सकी। अग्रेतर, राज्य सरकार ने सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं स्वायत्त निकाय के कर्मचारियों के सम्बन्ध में अवशेष धनराशि की सूचना उपलब्ध नहीं करायी।

संस्तुति

राज्य सरकार को परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना की सम्पूर्ण धनराशि राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल)/ट्रस्टी बैंक के माध्यम से नामित निधि प्रबन्धक को हस्तांतरित करना चाहिये जिससे अहस्तांतरित धनराशि अभिदाताओं के निवेश के कोष का भाग बन सके और मूल्य वृद्धि प्राप्त कर सके।

(प्रस्तर 4.3)

उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि

राज्य सरकार ने यात्रियों या मृतक आश्रितों या अन्य अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों को राहत प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश मोटर कराधान अधिनियम, 1997 द्वारा प्राधिकृत उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि (यूपीआरटीएआरएफ) का गठन नहीं किया। परिणामस्वरूप, 2015–22 की अवधि के दौरान ₹ 759.85 करोड़ की धनराशि यूपीआरटीएआरएफ में जमा नहीं की गयी।

संस्तुति

सांविधिक आवश्यकता होने के कारण सरकार को 'उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि' की स्थापना करनी चाहिए जिससे प्रभावित व्यक्तियों के लाभ के लिए निधि का उपयोग किया जा सके।

(प्रस्तर 4.4)

उपभोग प्रमाण–पत्रों (यूसी) के प्रेषण में विलम्ब

2001–02 से 2020–21 (सितम्बर 2020 तक) की अवधि के दौरान निर्गत सहायता अनुदानों हेतु 31 मार्च 2022 तक ₹ 18,362.56 करोड़ के कुल 40,823 यूसी बकाया थे। यूसी के अभाव में, इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि संवितरित धनराशि का उपयोग उन उद्देश्यों हेतु किया गया जिसके लिए उन्हें विधान मंडल द्वारा स्वीकृत/प्राधिकृत किया गया था। इसके अतिरिक्त, यूसी के बड़ी संख्या में लम्बित होने की स्थिति में निधियों के गबन, अपयोजन एवं दुर्विनियोजन के जोखिम से परिपूर्ण थी।

संस्तुति

सरकार विशिष्ट प्रयोजनों के लिए निर्गत सहायता अनुदानों के सम्बन्ध में विभागों द्वारा उपभोग प्रमाण पत्र समय पर प्रेषित करना सुनिश्चित करे एवं बकायेदार अनुदान प्राप्तकर्ता को नया अनुदान निर्गत करने से पूर्व सभी बकाये की समीक्षा की जा सकती है।

(प्रस्तर 4.6)

संक्षिप्त आकस्मिक (एसी) बिल

एसी बिलों का आहरण के अगले माह के अंत तक समायोजन करने के कोडल प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए 31 मार्च 2022 तक ₹ 18.39 करोड़ के अग्रिम वाले 1,089 एसी बिल समायोजन हेतु लम्बित थे जिसमें वर्ष 2020–21 तक आहरित 1,041 एसी बिल सम्मिलित थे।

संस्तुति

वित्त विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी नियंत्रण अधिकारी निर्धारित समय के अन्दर संक्षिप्त आकस्मिक बिलों का समायोजन करें जैसा कि नियमों में वांछनीय है।

(प्रस्तर 4.7)

लघु शीर्ष–800 तथा मानक मद–42 का अविवेकपूर्ण उपयोग

वर्ष 2021–22 के दौरान व्यय पक्ष में 79 मुख्य लेखाशीर्षों के अंतर्गत ₹ 46,410.25 करोड़ एवं प्राप्ति पक्ष में 52 मुख्य लेखाशीर्षो के अंतर्गत ₹ 7,489.28 करोड़ की धनराशि सम्बंधित लघुशीर्ष के अंतर्गत 800–अन्य व्यय/प्राप्तियों में अभिलिखित की गयी। लघुशीर्ष '800–अन्य व्यय' की धनराशि सम्बंधित लघुशीर्ष के अंतर्गत बड़ी राशि का पुस्तांकन वित्तीय रिर्पोटिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करता है। अग्रेतर, वर्ष 2021–22 के दौरान मानक मद '42–अन्य व्यय' के अन्तर्गत ₹ 21,529.26 करोड़ का व्यय किया गया जो कि राज्य की संचित निधि के कुल व्यय ₹ 4,39,963.23 करोड़ का 4.89 प्रतिशत था। मानक मद '42–अन्य व्यय' के अंतर्गत अत्यधिक धनराशि का वर्गीकरण वित्तीय रिर्पोटिंग का सम्पूर्ण चित्र प्रस्तुत नहीं करता है।

संस्तुति

वित्त विभाग को, महालेखाकार (ले. एवं हक.) के परामर्श से, वर्तमान में लघुशीर्ष 800 के अन्तर्गत प्रदर्शित होने वाले सभी मदों की व्यापक समीक्षा करनी चाहिए। अग्रेतर, मानक मद के स्तर पर मानक मद 42–अन्य व्यय का अविवेकपूर्ण प्रयोग कम से कम किया जाना चाहिए।

(प्रस्तर 4.9 एवं 4.10)

स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के लेखाओं का प्रस्तुत किया जाना

57 स्वायत्त निकायों/ प्राधिकरणों के 379 वार्षिक लेखे (2021–22 तक बकाया) 30 जून 2022 तक सम्बंधित संस्थाओं द्वारा लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। वार्षिक लेखे एवं उनकी लेखापरीक्षा के अभाव में, इन स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों को संवितरित अनुदानों और ऋणों के समुचित उपभोग को सप्रमाणित नहीं किया जा सकता है।

संस्तुति

वित्त विभाग को निकाय/प्राधिकरणों/विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों की वित्तीय स्थिति का आकलन करने के लिए उनके द्वारा वार्षिक लेखे के संकलन और प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में तीव्रता लाने हेतु नियमित समीक्षा को समाहित करती एक प्रणाली विकसित करने पर विचार करना चाहिए।

(प्रस्तर 4.14)

दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि के लम्बित प्रकरण

दुर्विनियोजन, हानि और चोरी से संम्बधित 135 प्रकरणों में ₹ 9.31 करोड़ की धनराशि लम्बित थी जिन पर 31 मार्च 2022 तक अंतिम कार्यवाही लंबित थी।

संस्तुति

सरकार को दुर्विनियोजन, हानि, चोरी, आदि के मामलों में त्वरित कार्यवाही करने और ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने के लिए समयबद्ध ढांचा तैयार करने पर विचार करना चाहिये।

(प्रस्तर 4.16)

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में उत्तर प्रदेश सरकार की हिस्सेदारी

31 मार्च 2022 को, उत्तर प्रदेश में भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन 114 राज्य पीएसयू (93 सरकारी कम्पनियाँ, 15 सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ एवं छः सांविधिक निगम), 42 अकार्यरत पीएसयू सम्मिलित थे। 42 अकार्यरत पीएसयू में से 13 पीएसयू परिसमापन के अधीन हैं जबकि अवशेष 29 अकार्यरत पीएसयू जून 1990 से सितम्बर 2019 की अवधि के दौरान अपना संचालन बंद कर चुकी हैं। इन 114 पीएसयू में राज्य सरकार का कुल निवेश ₹ 1,61,953.64 करोड़ में, ₹ 1,56,354.90 करोड़ की अंश पूंजी के रूप में और ₹ 5,598.74 करोड़ का दीर्घावधि ऋण था। अग्रेतर, राज्य सरकार ने 42 अकार्यरत पीएसयू में ₹ 753.97 करोड़, (40 सरकारी कम्पनियों और दो सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों) अंश पूंजी के रूप में (₹ 370.53 करोड़) और दीर्घावधि ऋण (₹ 383.44 करोड़) निवेश किया था। इनमें से, महत्वपूर्ण निवेश उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल्स कार्पोरेशन लिमिटेड (₹ 289.15 करोड़), उत्तर प्रदेश सीमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (₹ 193.05 करोड़) और उ.प्र. राज्य यार्न कम्पनी लिमिटेड (₹ 120.03 करोड़) में था। अग्रेतर, राज्य सरकार ने दो अकार्यरत पीएसयू को ₹ 33.94 करोड़ की बजटीय सहायता प्रदान की थी जो अपना संचालन पहले ही बन्द कर चुके थे।

संस्तुति

राज्य सरकार 29 अकार्यरत पीएसयू की स्थिति की समीक्षा कर सकती है जो अपना संचालन बन्द कर चुके हैं और इन पीएसयू में सावधानीपूर्वक निवेश करें।

(प्रस्तर 5.1.3, 5.2, 5.2.1 एवं 5.2.2)

उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखों से मिलान

31 मार्च 2022, को 74 पीएसयू के सम्बन्ध में पूंजी, ऋण और प्रत्याभूतियों के आंकड़ों में अंतर विद्यमान थे। आँकड़ों के मध्य ये अंतर विगत कई वर्षों से दिखाए जा रहे हैं, यद्यपि मिलान के मामले को विगत वर्ष एसएफएआर में प्रतिवेदित किया गया था।

संस्तुति

उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त विभाग एवं सम्बन्धित पीएसयू को पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे के अनुसार अंश पूंजी, ऋण एवं बकाया प्रत्याभूतियों के आँकड़ो में अंतर का समयबद्ध तरीके से मिलान करना चाहिए।

(प्रस्तर 5.2.3)

बकाया लेखे

72 कार्यरत पीएसयू में से, केवल 11 पीएसयू ने वर्ष 2021–22 के लिए अपने लेखे प्रस्तुत किये थे और शेष 61 पीएसयू के 308 लेखे बकाया थे। 42 अकार्यरत पीएसयू में

से 40 पीएसयू के 698 लेखे बकाया थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने 38 पीएसयू को ₹ 8,610.52 करोड़ (अंश पूंजीः ₹ 3,467.07 करोड़, ऋण : ₹ 1,187.47 करोड़, सहायता अनुदानः ₹ 3,542.47 करोड़ और सब्सिडी : ₹ 413.51 करोड़) प्रदान किये थे, जिस अवधि के दौरान उनके लेखे बकाया थे।

संस्तुति

प्रशासनिक विभागों को पीएसयू के बकाया लेखों को समाप्त करने हेतु सख्ती से अनुश्रवण एवं आवश्यक निर्देश निर्गत करने चाहिए और पीएसयू के लेखों को तैयार करने में बाधाओं के समाधान हेतु आवश्यक कदम उठाना चाहिए।

(प्रस्तर 5.3.2 एवं 5.3.2.4)

अध्याय - I

विहंगावलोकन

अध्याय–I

विहंगावलोकन

1.1 राज्य की रूपरेखा

उत्तर प्रदेश, भारत की लगभग 17 प्रतिशत जनसंख्या के साथ सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है तथा भौगोलिक क्षेत्रफल (2,40,928 वर्ग कि.मी.) की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य है। प्रशासनिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश को 75 जिलों में विभाजित किया है। राज्य का जनसंख्या घनत्व[1], अखिल भारतीय औसत 418 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. के सापेक्ष 968 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. है। राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 2021–22 में वर्तमान मूल्य पर 2012–13 की तुलना में 9.51 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर के साथ ₹ 18,63,221 करोड़ रुपये था। जीएसडीपी के दृष्टिकोण से, उत्तर प्रदेश देश की पांचवीं सबसे बड़ी राज्य अर्थव्यवस्था रही। राज्य से सम्बंधित सामान्य आंकड़े ***परिशिष्ट 1.1*** में दिए गए हैं।

1.1.1 राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) एक निश्चित समयावधि में राज्य की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। जीएसडीपी की वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था की प्रगति का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, क्योंकि यह उस समयावधि में राज्य के आर्थिक विकास के स्तर में परिवर्तन को दर्शाता है। वर्तमान मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) और राज्य के जीएसडीपी की वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्ति ***तालिका 1.1*** में दिए गए हैं।

तालिकाः 1.1 वर्तमान मूल्यों पर भारत की जीडीपी एवं राज्य की जीएसडीपी (2011-12 श्रेणी)[2]

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
जीडीपी	1,70,90,042	1,88,99,668	2,00,74,856	1,98,00,914	2,36,64,637
विगत वर्ष के सापेक्ष जीडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	11.03	10.59	6.22	(-) 1.36	19.51
जीएसडीपी	14,39,925	15,82,180	17,00,273	16,48,567	18,63,221
विगत वर्ष के सापेक्ष जीएसडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	11.73	9.88	7.46	(-) 3.04	13.02

स्रोतः सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

राज्य की जीएसडीपी की वृद्धि दर 2017–18 से 2020–21 की अवधि में 11.73 प्रतिशत से घटकर (–) 3.04 प्रतिशत हो गई किन्तु उसके बाद वर्ष 2021–22 में बढ़कर 13.02 प्रतिशत हो गई। यद्यपि, वर्ष 2021-22 के दौरान जीएसडीपी की विकास दर, जीडीपी की विकास दर से कम थी।

---

[1] भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमान 2011–2036, जनसंख्या अनुमानों पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट की तालिका 8 (जुलाई 2020), जनसंख्या पर राष्ट्रीय आयोग।

[2] वर्ष 2017–18 से 2020–21 के लिए मौजूदा कीमतों पर जीडीपी और जीएसडीपी को केंद्र/राज्य सरकार द्वारा संशोधित किया गया है, अतः 2017–18 से 2020–21 के लिए जीडीपी/जीएसडीपी के संदर्भ में विभिन्न मापदंडों के प्रतिशत अनुपात/उछाल जिन्हें विगत राज्य वित्त लेखापरीक्षा रिपोर्टों में वर्णित किया गया था, उनको संशोधित किया गया है।

अर्थव्यवस्था के बदलते ढांचे को समझने के लिए जीएसडीपी में क्षेत्रीय योगदान में परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। आर्थिक गतिविधि को सामान्यतः प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो क्रमशः कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों से सम्बंध रखते हैं। 2021–22 में 2017–18 के साथ जीएसडीपी में क्षेत्रीय योगदान की तुलनात्मक स्थिति और इस अवधि के दौरान क्षेत्रीय विकास दर क्रमशः ***चार्ट 1.1*** और ***चार्ट 1.2*** में दी गई है।

चार्ट 1.1: 2017–22[3] की अवधि में जीएसडीपी से क्षेत्रीय योगदान में परिवर्तन

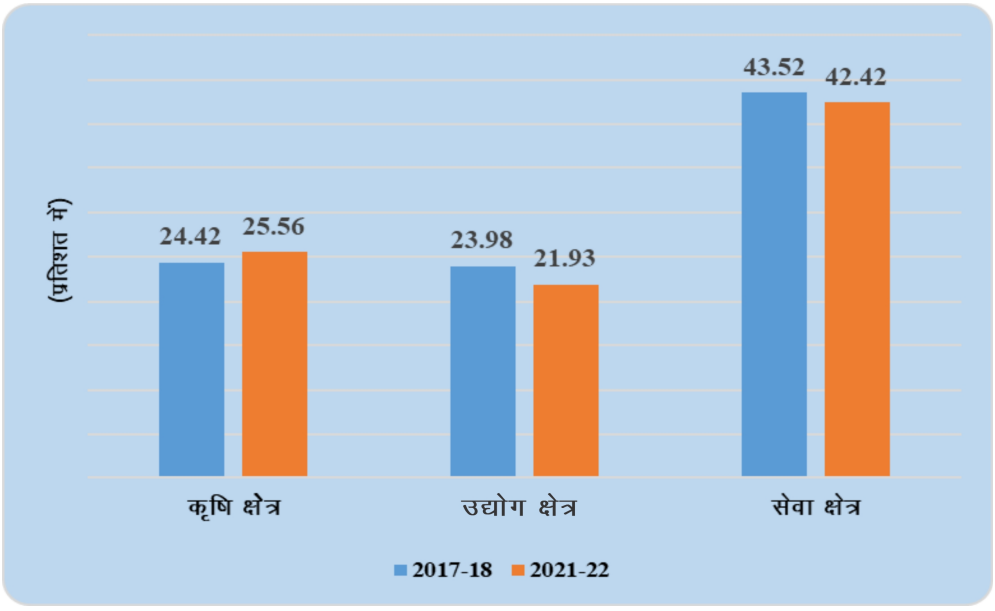

स्रोतः सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार (आर्थिक गतिविधियों द्वारा 2011–12 श्रेणी पर जीएसवीए / एनएसवीए)

नोटः **कृषि (प्राथमिक) क्षेत्र** में कृषि, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन, जलीय कृषि, खनन और उत्खनन शामिल हैं। **उद्योग (द्वितीयक) क्षेत्र** में विनिर्माण, बिजली, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाएं निर्माण शामिल हैं **और सेवा (तृतीयक) क्षेत्र** में व्यापार, मरम्मत, होटल और रेस्तरां, परिवहन, भंडारण, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाएं, वित्तीय सेवाएं, भू–सम्पदा, लोक प्रशासन और अन्य सेवाएं शामिल हैं।

चार्ट 1.2 : 2017–22 की अवधि में क्षेत्रवार वृद्धि दर

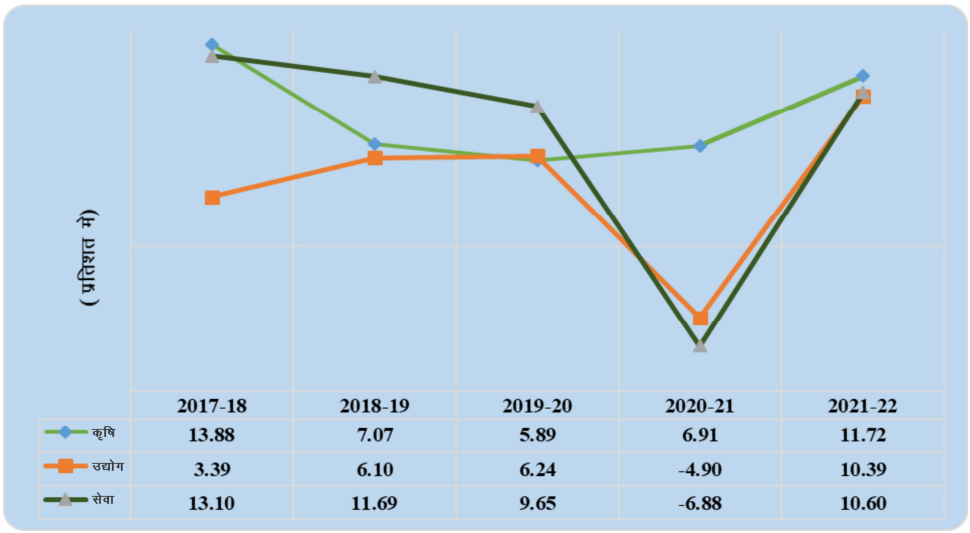

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
कृषि	13.88	7.07	5.89	6.91	11.72
उद्योग	3.39	6.10	6.24	-4.90	10.39
सेवा	13.10	11.69	9.65	-6.88	10.60

स्रोतः– भारत सरकार का सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।

[3] उत्पाद करों के हिस्से से सब्सिडी को घटाकर (वर्ष 2017–18 में 8.08 प्रतिशत तथा वर्ष 2021–22 में 10.09 प्रतिशत)

चार्ट 1.1 और ***चार्ट 1.2*** से स्पष्ट है कि राज्य के जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र (42.42 प्रतिशत) का सबसे बड़ा योगदान था, इसके पश्चात् कृषि क्षेत्र (25.56 प्रतिशत) तथा औद्योगिक क्षेत्र (21.93 प्रतिशत) का स्थान है। पिछले वर्ष के दौरान सेवा क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र में मंदी के उपरांत वर्ष 2021–22 में सभी क्षेत्रों में विकास दर में वृद्धि हुई। जैसा कि इस रिपोर्ट के **अध्याय II** के **पैराग्राफ 1.4.1** में वर्णित है, कि राज्य ने पिछले वर्ष में ₹ 2,367.13 करोड़ के राजस्व घाटे के बाद वर्ष 2021–22 के दौरान ₹ 33,430.06 करोड़ का राजस्व अधिशेष दर्ज किया।

1.2 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार और दृष्टिकोण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अनुसार, भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (सीएजी) के किसी राज्य के लेखे से सम्बन्धित प्रतिवेदन उस राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है, जो उसे राज्य के विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करायेगें। राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएफएआर) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अन्तर्गत तैयार और प्रस्तुत किया जाता है।

लेखों के रखरखाव के लिए उत्तरदायी राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले कोषागारों, कार्यालयों और विभागों द्वारा प्रस्तुत किए गए वाउचर, चालान और प्रारम्भिक और सहायक लेखों तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों के आधार पर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रति वर्ष राज्य के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे तैयार करते हैं। महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा इन लेखों की स्वतंत्र रूप से लेखापरीक्षा की जाती है तथा उन्हें सीएजी द्वारा प्रमाणित किया जाता है।

राज्य के वित्त लेखे, विनियोग लेखे और राज्य के बजट अभिलेखों से प्रतिवेदन हेतु मुख्य आंकड़े प्राप्त होते हैं। अन्य स्रोतों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय द्वारा की गयी लेखापरीक्षा के परिणाम;
- विभागीय प्राधिकारियों और कोषागारों के अन्य आंकड़े (लेखांकन एवं एमआईएस), तथा
- जीएसडीपी आंकड़े और राज्य से संबंधित अन्य सांख्यिकी;

चौदहवें एवं पन्द्रहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों, समय–समय पर संशोधित उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (यूपीएफआरबीएम) अधिनियम, 2004 बजट अनुमानों के साथ मध्यम अवधि राजकोषीय पुनर्गठन नीति (एमटीएफआरपी), भारत सरकार की सर्वोत्तम प्रथाओं और दिशानिर्देशों के संदर्भ से भी विश्लेषण किया गया था। मसौदा प्रतिवेदन 28 सितंबर 2022 को राज्य सरकार को टिप्पणियों के लिए भेजी गई थी। राज्य सरकार के उत्तर प्रतीक्षित हैं (जनवरी 2023)।

1.3 प्रतिवेदन की संरचना

एसएफएआर को निम्नलिखित पांच अध्यायों में संरचित किया गया है:

अध्याय- I	**विहंगावलोकन** यह अध्याय प्रतिवेदन के आधार और दृष्टिकोण और अंतर्निहित आंकड़ों का वर्णन करता है तथा शासकीय लेखों की संरचना, बजटीय प्रक्रियाओं, प्रमुख सूचकांकों के सूक्ष्म–राजकोषीय विश्लेषण और घाटे/अधिशेष सहित राज्य की राजकोषीय स्थिति का एक विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।

अध्याय - II	**राज्य के वित्त** यह अध्याय राज्य के वित्त का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है तथा विगत वर्ष की तुलना में प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों, 2017–18 से 2021–22 की अवधि के दौरान समग्र प्रवृत्तियों, राज्य के ऋण की वस्तुस्थिति एवं राज्य के वित्त लेखे पर आधारित लोक लेखे के प्रमुख संव्यवहारों का विश्लेषण करता है।
अध्याय - III	**बजटीय प्रबंधन** यह अध्याय राज्य के विनियोग लेखे पर आधारित है तथा राज्य सरकार के विनियोग और आवंटन प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है और बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलन पर आख्या प्रस्तुत कराता है। बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा एवं प्रभावशीलता के संबंध में टिप्पणियों जैसे पूंजीगत और राजस्व के बीच व्यय का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण और विलोमतः, व्ययाधिक्य और उसका नियमितीकरण, नियमित बचतें, बचतों का विलंबित अभ्यर्पण, अनावश्यक पुनर्वियोजन से संबंधित टिप्पणियों को सम्मिलित किया गया है।
अध्याय - IV	**लेखे की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग की परम्परायें** यह अध्याय राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए लेखे की गुणवत्ता और राज्य सरकार के विभिन्न विभागीय अधिकारियों हेतु निर्धारित वित्तीय नियमों और विनियमों के गैर–अनुपालन के मुद्दों पर टिप्पणी करता है। प्रकटीकरण से संबंधित मुद्दों के साथ–साथ लेखे की पूर्णता, पारदर्शिता और माप के सम्बन्ध में टिप्पणियों को सम्मिलित किया गया है।
अध्याय -V	**राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू)** यह अध्याय पीएसयू में निवेश, पीएसयू को बजटीय सहायता, पीएसयू द्वारा लेखा प्रस्तुत करने, अकार्यरत पीएसयू, पीएसयू के निवल मूल्य के क्षरण और विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के बकाये की चर्चा करता है।

1.4 शासकीय लेखो की संरचना और बजटीय प्रक्रियाओं का विहंगावलोकन

राज्य सरकार के लेखों को तीन भागों में रखा जाता हैः

i. राज्य की संचित निधि (भारत के संविधान का अनुच्छेद 266 (1))

इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राज्य सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण (बाजार ऋण, बांड, केंद्र सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत कोष को निर्गत विशेष प्रतिभूतियां, आदि), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिम और ऋण के पुनर्भुगतान में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन सम्मिलित हैं। इस निधि से धन को विधि और भारत के संविधान द्वारा प्रावधानित उद्देश्यों के लिये प्रक्रिया के अतिरिक्त विनियोजित नहीं किया जा सकता है। व्यय की कुछ श्रेणियां (जैसे, संवैधानिक प्राधिकारियों का वेतन, ऋण का पुनर्भुगतान आदि) राज्य की संचित निधि (भारित व्यय) पर एक प्रभार होती हैं तथा विधायिका द्वारा मत के अधीन नहीं होती हैं। अन्य सभी व्यय (मतदेय व्यय) पर विधायिका द्वारा मतदान किया जाता है।

ii. राज्य की आकस्मिक निधि (भारत के संविधान का अनुच्छेद 267(2))

यह निधि एक अग्रदाय प्रकृति की है जिसे राज्य विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा स्थापित किया गया है, तथा राज्य विधानमंडल द्वारा व्यय का प्राधिकार लंबित रहने की दशा में अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए अग्रिम प्रदान किये जाने हेतु राज्यपाल के निवर्तन पर रखी जाती है। निधि की प्रतिपूर्ति, राज्य की संचित निधि के सम्बन्धित कार्यात्मक मुख्य लेखा शीर्ष के नामे व्यय को लेखांकित करके की जाती है।

iii. राज्य का लोक लेखा (संविधान का अनुच्छेद 266(2))

उपरोक्त के अतिरिक्त, जहां सरकार बैंकर या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है, सरकार द्वारा अथवा उसकी ओर से प्राप्त अन्य सभी सार्वजनिक धन को लोक लेखे में जमा किया जाता है। लोक लेखे में प्रतिदेय, जैसे लघु बचत और भविष्य निधि, निक्षेप (ब्याज सहित और ब्याज रहित), अग्रिम, आरक्षित निधि (ब्याज सहित और ब्याज रहित), प्रेषण और उचंत शीर्ष (दोनों जो कि अस्थायी शीर्ष हैं जिनका अंतिम लेखांकन लंबित है) सम्मिलित हैं। सरकार के पास उपयोग हेतु उपलब्ध निधि, जो कि संवितरण उपरांत शेष है। सरकार के पास उपलब्ध शुद्ध नकद शेष भी लोक लेखा के अन्तर्गत सम्मिलित होता है। लोक लेखा विधायिका के मत के अधीन नहीं है।

यह एक संवैधानिक आवश्यकता है (अनुच्छेद 202) कि राज्य के विधानमंडल के सदन अथवा सदनों के समक्ष प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण प्रस्तुत किया जाय। यह 'वार्षिक वित्तीय विवरण' मुख्य बजट अभिलेख बनता है। अग्रेतर, बजट में राजस्व लेखों पर व्यय को अन्य व्ययों से पृथक प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

राजस्व प्राप्तियों में कर–राजस्व (स्वयं का कर–राजस्व, संघ करों/शुल्कों का अंश), गैर–कर राजस्व और भारत सरकार से अनुदान सम्मिलित हैं।

राजस्व व्यय में सरकार के वे सभी व्यय, जिनके परिणामस्वरूप भौतिक या वित्तीय संपत्तियों का निर्माण नहीं होता है, सम्मिलित होते हैं । यह सरकारी विभागों और विभिन्न सेवाओं के सामान्य कार्यकलापों, सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज भुगतान, और विभिन्न संस्थानों को दिए गए सहायता अनुदान (चाहे कुछ अनुदान संपत्तियों के निर्माण के लिए हों) हेतु किए गए व्ययों से संबंधित है।

पूंजीगत प्राप्तियों में निम्न सम्मिलित हैं:

- **ऋण प्राप्तियां:** बाजार ऋण, बांड, वित्तीय संस्थानों से ऋण, अर्थोपाय अग्रिम, केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम, आदि;
- **गैर–ऋण प्राप्तियां:** विनिवेश से प्राप्त आय, ऋणों और अग्रिमों की वसूली, आदि।

पूंजीगत व्यय को मुख्य तौर पर एक भौतिक और स्थायी प्रकृति की वास्तविक परिसम्पत्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए व्यय के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें भूमि अधिग्रहण, भवन, मशीनरी, उपकरण, पीएसयू में निवेश पर खर्च शामिल है।

वर्तमान में, सरकार में एक लेखा वर्गीकरण प्रणाली है जो कार्यात्मक और आर्थिक दोनों है।

	संव्यवहार की विशेषता	वर्गीकरण
महालेखा नियंत्रक (सीजीए) द्वारा जारी संघ और राज्यों के लेखाओं के मुख्य और लघु शीर्षों (एलएमएमएच) की सूची में मानकीकृत	कार्य–शिक्षा, स्वास्थ्य, इत्यादि / विभाग	अनुदानों के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष (4–अंकीय)
	उप–कार्य	उप मुख्य शीर्ष (2–अंकीय)
	कार्यक्रम	लघु शीर्ष (3–अंकीय)

राज्यों हेतु छोड़ी गयी नम्यता	योजना	उप शीर्ष (2–अंकीय)
	उप योजना	विस्तृत शीर्ष (2–अंकीय)
	आर्थिक प्रकृति/गतिविधि	मानक शीर्ष –वेतन, लघु कार्य, आदि (2–अंकीय)

कार्यात्मक वर्गीकरण से विभाग, कार्य, योजना या कार्यक्रम और व्यय के मद की पहचान में सहायता मिलती है। आर्थिक वर्गीकरण, इन भुगतानों को राजस्व, पूंजीगत, ऋण आदि के रूप में व्यवस्थित करने में सहायता करता है। आर्थिक वर्गीकरण, 4–अंकीय मुख्य शीर्षों के प्रथम अंक में सन्निहित आंकिक आधार द्वारा प्राप्त होता है। मानक शीर्ष बजट अभिलेखों में विनियोग की प्राथमिक इकाई है।

चार्ट 1.3 शासकीय लेखे की संरचना

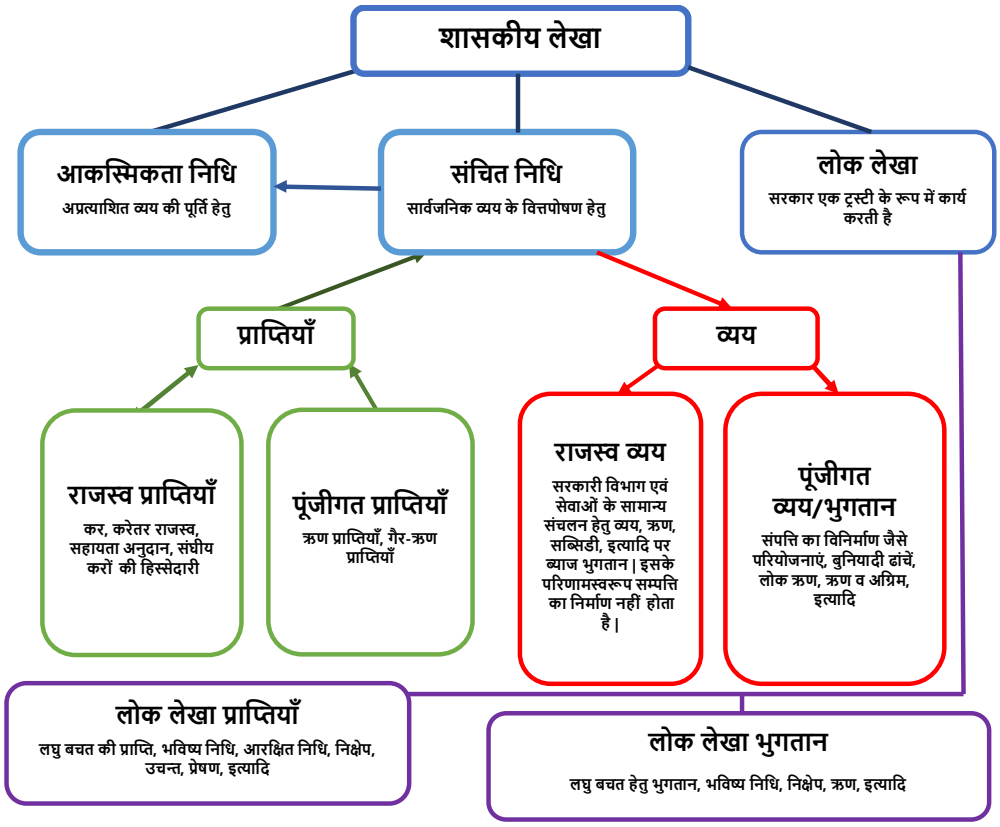

वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे

राज्य सरकार के लेन देन को वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे में पुस्तांकित किया जाता है, जिसको कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश द्वारा तैयार किया जाता है।

राज्य के वित्त लेखे, वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों और निर्गमों के लेखों के साथ–साथ, राजस्व और पूंजीगत लेखों द्वारा प्रदर्शित वित्तीय परिणाम और लेखों में अंकित शेष राशि से निकाली गयी राज्य सरकार के सार्वजनिक ऋण, देयता तथा परिसंपत्तियों को प्रस्तुत करते हैं। वित्त लेखे, सामान्यतः (कुछ अपवादों समेत) लघु शीर्ष तक के लेन–देन को दर्शाते हैं। वित्त लेखे में आंकड़े निवल स्तर तक, अर्थात् वसूलियों को व्यय से कम करके लेखांकन के पश्चात् दर्शाए जाते हैं।

विनियोग लेखे भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियम से जुड़ी अनुसूचियों में निर्दिष्ट विभिन्न उद्देश्यों के लिए मतदेय

अनुदानों और भारित विनियोगों की राशियों के सापेक्ष में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के व्यय के लेखे होते हैं। विनियोग लेखे सकल आधार पर होते हैं। ये लेखे, निधियों के उपयोग को समझने में सहायता करते हैं तथा वित्त प्रबंधन एवं बजटीय प्रावधानों की निगरानी करते हैं अतः वित्त लेखों के पूरक हैं।

बजटीय प्रक्रियाएं

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार, राज्य के राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के समक्ष वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों एवं व्यय का एक विवरण रखना होता हैं, जिसे **वार्षिक वित्तीय विवरण** कहा जाता है। अनुच्छेद 203 के अनुसार राज्य विधानमंडल के समक्ष अनुदानों/विनियोजनों की मांगों के रूप में विवरण प्रस्तुत किया जाता है और इनके अनुमोदन के बाद, विनियोग विधेयक अनुच्छेद 204 के तहत विधानमंडल द्वारा पारित किया जाता है ताकि आवश्यक धनराशि का संचित निधि से विनियोग किया जा सके।

उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल, बजट निर्माण प्रक्रिया का विवरण देता है और राज्य सरकार को अपने बजटीय अनुमान तैयार करने और अपनी व्यय गतिविधियों की निगरानी करने में मार्गदर्शन प्रदान करता है। बजट की लेखापरीक्षा संवीक्षा के परिणाम और राज्य सरकार की अन्य बजटीय पहलों के कार्यान्वयन का विवरण इस प्रतिवेदन के **अध्याय III** में दिया गया है।

1.4.1 वित्त का आशुचित्र

तालिका 1.2 में वर्ष 2021–22 के बजट अनुमानों, वास्तविक वित्तीय परिणामों का 2020–21 के वास्तविक वित्तीय परिणामों की तुलना में वर्ष 2021–22 के लिए बजट अनुमान तथा वास्तविक वित्तीय परिणामों के साथ विवरण प्रदान करती है।

तालिका 1.2: बजट अनुमानों के सापेक्ष 2021–22 के वास्तविक आँकड़े

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	घटक	2020-21 (वास्तविक)	2021-22 (बजट अनुमान)	2021-22 (वास्तविक)	2021-22 वास्तविक का बजट अनुमान से प्रतिशत	2021-22 वास्तविक का जीएसडीपी से प्रतिशत
1.	**कर राजस्व जिसमें**	2,26,584.31	3,05,740.30	3,07,725.79	100.65	16.52
(i)	स्वकर राजस्व	1,19,897.30	1,86,345.00	1,47,367.74	79.08	7.91
(ii)	केंद्रीय करों/शुल्कों का हिस्सा	1,06,687.01	1,19,395.30	1,60,358.05	134.31	8.61
2.	गैर–कर राजस्व	11,846.15	25,421.67	11,435.97	44.99	0.61
3.	भारत सरकार से सहायता अनुदान	57,745.87	87,178.47	51,849.68	59.48	2.78
4.	**राजस्व प्राप्तियां (1+2+3)**	**2,96,176.33**	**4,18,340.44**	**3,71,011.44**	**88.69**	**19.91**
5.	ऋण और अग्रिम की वसूली (गैर–ऋण पूंजीगत प्राप्ति)	1,134.73	2,332.00	939.43	40.28	0.05
6.	सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां	86,858.87	85,509.40	75,751.19	88.59	4.07
7.	**पूंजीगत प्राप्तियां (5+6)**	**87,993.60**	**87,841.40**	**76,690.62**	**87.31**	**4.12**
8.	**कुल प्राप्तियां (4+7)**	**3,84,169.93**	**5,06,181.84**	**4,47,702.06**	**88.45**	**24.03**
9.	**राजस्व व्यय, जिसमें**	**2,98,543.46**	**3,95,130.35**	**3,37,581.38**	**85.44**	**18.12**
10.	ब्याज भुगतान	37,428.48	43,529.81	42,875.56	98.50	2.30

क्रम संख्या	घटक	2020-21 (वास्तविक)	2021-22 (बजट अनुमान)	2021-22 (वास्तविक)	2021-22 वास्तविक का बजट अनुमान से प्रतिशत	2021-22 वास्तविक का जीएसडीपी से प्रतिशत
11.	**पूंजीगत व्यय और अन्य व्यय (राजस्व खाते के बाहर) जिनमें से**	**53,389.71**	**1,16,271.89**	**73,655.91**	**63.35**	**3.95**
12.	पूंजीगत व्यय	52,237.10	1,13,767.70	71,442.55	62.80	3.83
13.	ऋण और अग्रिम का संवितरण	1,152.61	1,904.19	1,613.36	84.73	0.09
14.	आकस्मिकता निधि में विनियोग	Nil	600.00	600.00	100.00	0.03
15.	**कुल व्यय (9+11)**	**3,51,933.17**	**5,11,402.24**	**4,11,237.29**	**80.41**	**22.07**
16.	**राजस्व घाटा (-)/ अधिशेष (+) (4-9)**	**(-)2,367.13**	**23,210.09**	**33,430.06**	**144.03**	1.79
17.	**राजकोषीय घाटा (-)/ अधिशेष (+) (4+5-15)**	**(-)54,622.11**	**(-) 90,729.80**	**(-)39,286.42**	**43.30**	**2.11**
18.	**प्राथमिक घाटा (-)/ अधिशेष[4] (+) {(4+5) – (15-10)}**	**(-) 17,193.63**	**(-)47,199.99**	**3,589.14**	**-**	**0.19**

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं राज्य सरकार के बजट अभिलेख

राज्य ने वर्ष 2020–21 के दौरान क्रमशः ₹ 2,367.13 करोड़ रुपये तथा ₹ 54,622.11 करोड़ रुपये का राजस्व और राजकोषीय घाटा दर्ज किया था। वर्ष 2021–22 के दौरान, राज्य ने क्रमशः ₹ 33,430.06 करोड़ तथा ₹ 39,286.42 करोड़ का राजस्व अधिशेष और राजकोषीय घाटा दर्ज किया है। इसके अलावा, राज्य ने पिछले वर्ष 2020–21 की तुलना में कम ऋण (12.79 प्रतिशत की कमी) लिया, जबकि राज्य के कुल व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 16.85 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

जैसा कि ***पैराग्राफ 2.4.2.2*** में बताया गया है, वस्तु एवं सेवाकर (राज्यों को प्रतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 में वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) के कार्यान्वयन के कारण राजस्व की हानि के मामले में राज्यों को राजस्व प्रतिपूर्ति का प्रावधान है, जो राज्य का एक राजस्व है। यद्यपि, वर्ष 2021–22 के दौरान राजस्व प्राप्तियों के रूप में ₹ 8,299.42 करोड़ की जीएसटी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अलावा, राज्य सरकार ने भारत सरकार से राजस्व में कमी के बदले, जीएसटी क्षतिपूर्ति कोष[5] में अपर्याप्त शेष राशि के कारण, राजस्व क्षतिपूर्ति हेतु ₹ 8,139.94 करोड़ की ऋण प्राप्तियां (बैक–टू–बैक ऋण) भी प्राप्त कीं। इस ऋण का पुनर्भुगतान जीएसटी क्षतिपूर्ति कोष में उपकर के संग्रह से की जाएगी और इसलिए, पुनर्भुगतान दायित्व राज्य के अन्य संसाधनों से पूरा नहीं किया जायेगा। इस व्यवस्था के कारण, वर्ष 2021–22 के दौरान ₹ 33,430.06 करोड़ के राजस्व अधिशेष और ₹ 39,286.42 करोड़ के राजकोषीय घाटे को जीएसटी प्रतिपूर्ति के बदले में ₹ 8,139.94 करोड़ की ऋण प्राप्तियों के संयोजन के साथ पढ़ा जा सकता है।

1.4.2 सरकार की संपत्तियों और देयताओं का आशुचित्र

सरकारी लेखे, सरकार की वित्तीय देयताओं और किए गए व्यय से सृजित परिसंपत्तियों को दर्ज करते हैं। देयताओं में मुख्य रूप से आंतरिक ऋण, भारत सरकार से ऋण

[4] प्राथमिक घाटा/अधिशेष, अर्थात राजकोषीय घाटे से ब्याज भुगतान को घटाकर।

[5] जीएसटी क्षतिपूर्ति कोष भारत के लोक लेखा का भाग है जैसा की वस्तु एवं सेवाकर (राज्यों की क्षतिपूर्ति) अधिनियम 2017 की धारा 10 (1) में दिया गया है।

और अग्रिम, लोक लेखे से प्राप्तियां और आरक्षित निधियां शामिल हैं और संपत्ति में मुख्य रूप से पूंजी परिव्यय और राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम और नकद शेष शामिल हैं।

31 मार्च 2021 की तुलना में 31 मार्च 2022 को देयताओं और परिसंपत्तियों का सार **तालिका 1.3** में दिया गया है।

तलिका 1.3: परिसंपत्तियों एवं देयताओं की सारांशित स्थिति

(₹ करोड़ में)

दायित्व					परिसम्पत्तियां				
विवरण		31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2022 तक	वृद्धि/ कमी का प्रतिशत	विवरण		31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2022 तक	वृद्धि/ कमी का प्रतिशत
संचित निधि									
अ	आंतरिक ऋण	4,58,552.23	4,96,422.89	8.26	**अ**	सकल पूंजीगत परिव्यय	6,34,102.22	7,05,544.77	11.27
ब	भारत सरकार से ऋण और अग्रिम	18,106.74	27,261.33	50.56	**ब**	ऋण और अग्रिम	27,206.86	27,880.79	2.48
आकस्मिकता निधि									
आकस्मिकता निधि (कार्पस)		600.00	1,200.00	100.00	आकस्मिकता निधि (गैर प्रतिपूर्ति)		100.00	600.00*	500.00
लोक लेखा									
अ	लघु बचत, भविष्य निधि आदि।	58,789.41	59,314.53	0.89	**अ**	अग्रिम	58.58	58.58	0.00
ब	निक्षेप	25,496.10	24,037.36	(-) 5.72	**ब**	प्रेषण	125.05	103.99	(-)16.84
स	आरक्षित निधि	5,027.19	8,920.20	77.44	**स**	उचन्त एवं विविध कोष	3,212.06	1,750.95	(-)45.49
द	प्रेषण	0.00	0.00	0.00	नकद कोष (निर्धारित निधि द्वारा निवेश सहित)		31,652.77	44,533.16	40.69
य	व्यय से अधिक प्राप्तियों का संचयी आधिक्य	1,29,885.87	1,63,315.93	25.74	प्राप्तियों से अधिक व्यय का संचयी आधिक्य		0.00	0.00	0.00
योग		**6,96,457.54**	**7,80,472.24**		**योग**		**6,96,457.54**	**7,80,472.24**	

स्रोतः वित्त लेखे 2021–22

** यह 2021–22 के दौरान कोष के कॉर्पस को बढ़ाने के लिए आकस्मिकता निधि में स्थानांतरित किया गया है।*

यूपीएफआरबीएम अधिनियम, 2004 के अनुसार, कुल देयताओं का अर्थ है राज्य की संचित निधि और राज्य के लोक लेखा के तहत देयतायें। 31 मार्च 2021 को राज्य की कुल देनदारियां ₹ 5,64,971.68 करोड़ थी जो 31 मार्च 2022 को बढ़कर ₹ 6,12,956.33 करोड़ हो गई। आंतरिक ऋण में 8.26 प्रतिशत की वृद्धि (₹ 37,870.66 करोड़) और भारत सरकार से ऋण और अग्रिम में 50.56 प्रतिशत (₹ 9,154.59 करोड़) की वृद्धि में, कुल देयताओं में वृद्धि के लिए मुख्य कारक थे। यद्यपि, भारत सरकार से ऋण और अग्रिम की वृद्धि में जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के बदले ₹ 8,139.94 करोड़ का बैक–टू–बैक ऋण शामिल है,जिस पर राज्य की कोई पुनर्भुगतान देयता नहीं है क्योंकि इसे जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर निधि के संग्रह से चुकाया जाना है। राज्य सरकार के ऋण प्रबंधन का विवरण इस रिपोर्ट के **अध्याय II** में दिया गया है।

1.5 राजकोषीय अवशेष : घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की उपलब्धि

उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (यूपीएफआरबीएम) अधिनियम, 2004 का उद्देश्य सावधानीपूर्वक राजकोषीय प्रबंधन

सुनिश्चित करना था जिसमें राजस्व घाटे को समाप्त कर, राजकोषीय घाटे को कम करके, अच्छा ऋण प्रबंधन स्थापित कर, एवं राज्य सरकार के राजकोषीय संचालन की पारदर्शिता में सुधार कर, एक मध्यम अवधि राजकोषीय ढांचा अधिनियमित किया गया था। इस संदर्भ में यह अधिनियम, घाटे के उपायों और ऋण स्तर के संबंध में राज्य द्वारा अनुपालन किए जाने वाले मात्रात्मक लक्ष्यों को निर्धारित करता है।

समय–समय पर संशोधित यूपीएफआरबीएम अधिनियम में प्रदान किए गए प्रमुख राजकोषीय संकेतकों के अन्तर्गत 2017–22 की अवधि के दौरान राज्य का प्रदर्शन **तालिका 1.4** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.4: यूपीएफआरबीएम अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन

राजकोषीय मापदण्ड	अधिनियम में निर्धारित राजकोषीय लक्ष्य	उपलब्धि (₹ करोड़ में)				
		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
राजस्व घाटा (-)/ अधिशेष (+) (₹ करोड़ में)	31 मार्च 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष तक शून्य राजस्व घाटा	12,552	28,250	67,560	(-) 2,367	33,430
		✓	✓	✓	✗	✓
राजकोषीय घाटा (-) / अधिशेष (+) (जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में)	2019–20 तक अनुमानित जीएसडीपी के तीन प्रतिशत, 2020–21 के लिए पांच प्रतिशत और 2021–22 के लिए चार प्रतिशत से अधिक नहीं	(-) 27,810 *(1.93)*	(-) 35,203 *(2.22)*	11,083 *(0.65)*	(-) 54,622 *(3.31)*	(-)39,286 (2.11)
		✓	✓	✓	✓	✓
कुल बकाया ऋण का जीएसडीपी से अनुपात (प्रतिशत में)	2017–18 और 2018–19 के दौरान 30.50 प्रतिशत और 2019–20 के दौरान 30.00 प्रतिशत से अधिक नहीं।	32.49	32.75	29.55	33.91*	32.14*
		✗	✗	✓	वर्ष 2020–21 और 2021–22 के लिए एफआरबीएम अधिनियम के अन्तर्गत जीएसडीपी के सापेक्ष ऋण स्टॉक का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था।	

स्रोतः राज्य सरकार के बजट अभिलेख, समय–समय पर संशोधित रूप में यूपीएफआरबीएम अधिनियम, 2004 एवं सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

** 2020–21 के दौरान ₹ 6,007 करोड़ और 2021–22 के दौरान ₹ 8,139.94 करोड़ के बैक–टू–बैक ऋण जो जीएसटी क्षतिपूर्ति कमी के बदले भारत सरकार से प्राप्त हुए, उसे जीएसडीपी व बकाया ऋण के अनुपात की गणना के लिए बाहर रखा गया है। भारत सरकार के स्पष्टीकरण[6] के अनुसार, इन ऋणों को वित्त आयोग आदि द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाएगा।*

जैसा कि लेखों में दर्शाया गया है, राजकोषीय घाटे का जीएसडीपी से अनुपात यूपीएफआरबीएम (संशोधन) अधिनियम, 2021 में निर्धारित चार प्रतिशत के लक्ष्य के भीतर था। अग्रेतर, राज्य सरकार ने सूचित किया (फरवरी 2023) कि राज्यों के राजकोषीय रोड मैप के संबंध में पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर भारत सरकार के निर्देश प्राप्त करने के बाद जीएसडीपी में ऋण स्टॉक के लिए लक्ष्यों को निर्धारित करने की कार्यवाही की जायेगी। यद्यपि, कुल बकाया ऋण का जीएसडीपी से अनुपात (32.14 प्रतिशत) जो वर्ष 2021–22 के लिए सांकेतिक ऋण सूचक के रूप में पन्द्रहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित सीमा (जीएसडीपी का 40 प्रतिशत) के भीतर था।

[6] भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग पत्र सं0 फ0 सं0 40(I) पीएफ–एस/2021–22 दिनांक 10 दिसम्बर–2021।

1.5.1 मध्यम अवधि राजकोषीय पुनर्गठन नीति

यूपीएफआरबीएम अधिनियम, 2004 प्रावधानित करता है कि राज्य सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक बजट के साथ एक मध्यम अवधि राजकोषीय पुनर्गठन नीति (एमटीएफआरपी) रखेगी। एमटीएफआरपी, निहित पूर्व धारणाओं के विनिर्देश के साथ निर्धारित वित्तीय संकेतकों के लिए पंचवर्षीय प्रवाहित लक्ष्य निर्धारित करेगी।

1.5.2 राजकोषीय मानकों की तुलनात्मक स्थितिः एमटीएफआरपी में अनुमानित लक्ष्यों के सापेक्ष वास्तविक

राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत एमटीएफआरपी 2022 में अनुमानित राजकोषीय मापदंडों हेतु लक्ष्यों के सापेक्ष वर्ष 2021–22 के वास्तविकों की तुलना ***तालिका 1.5*** में दर्शायी गई है।

तालिका 1.5: एमटीएफआरपी में अनुमान के सापेक्ष 2021–22 के वास्तविक अनुमान

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	राजकोषीय घटक	एमटीएफआरपी के अनुसार अनुमान	वास्तविक (2021-22)	विचलन (प्रतिशत में)
1	स्वयं का कर राजस्व	1,86,345.00	1,47,367.74	(-)20.92
2	करेतर राजस्व	25,421.67	11,435.97	(-)55.01
3	संघीय करों/ शुल्कों का अंश	1,19,395.30	1,60,358.05	34.31
4	भारत सरकार से सहायता अनुदान	87,178.47	51,849.68	(-)40.52
5	**राजस्व प्राप्ति (1+2+3+4)**	**4,18,340.44**	**3,71,011.44**	**(-)11.31**
6	राजस्व व्यय	3,95,130.35	3,37,581.38	(-)14.56
7	राजस्व घाटा (–)/अधिशेष (+)	23,210.09	33,430.06	44.03
8	राजकोषीय घाटा (–)/अधिशेष (+)	(-)90,729.80	(-)39,286.42	(-)56.70
9	प्राथमिक घाटा (–)/अधिशेष (+)	(-) 47,199.99	3,589.14	(-)107.60
10	*ऋण स्टॉक–जीएसडीपी अनुपात (प्रतिशत)*	*28.1*	*32.14**	*14.37*
11	*वर्तमान मूल्यों पर जीएसडीपी वृद्धि दर (प्रतिशत)*[7]	*12.00*	*13.02*	*8.50*

स्रोतः वित्त लेखे 2021–22 एवं राज्य सरकार के बजट अभिलेख।

** भारत सरकार से जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में वर्ष 2020–21 और 2021–22 के दौरान प्राप्त ₹ 14,146.94 करोड़ के बैक–टू–बैक ऋण को हटाने के बाद ऋण स्टॉक का जीएसडीपी से अनुपात निकाला गया है।*

जैसा कि **तालिका 1.5** में अवलोकनीय है, 2021–22 के लिए एमटीएफआरपी में ₹ 23,210.09 करोड़ के राजस्व अधिशेष के प्रक्षेपण के विरुद्ध, राज्य ने वर्ष के दौरान ₹ 33,430.06 करोड़ का राजस्व अधिशेष दर्ज किया है, जो मुख्य रूप से केंद्रीय करों/शुल्कों में एमटीएफआरपी अनुमानों की तुलना में ₹ 40,962.75 करोड़ की वृद्धि के कारण हुआ। यद्यपि, एमटीएफआरपी अनुमानों के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों में ₹ 47,329 करोड़ (11.31 प्रतिशत) की कमी थी, जो स्व-कर राजस्व (₹ 38,977.26 करोड़), करेतर राजस्व (₹ 13,985.70 करोड़) तथा भारत सरकार से सहायता अनुदानों (₹ 35,328.79 करोड़) की एमटीएफआरपी अनुमानों की तुलना में कम प्राप्तियों के कारण था। आगे के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि बजट अनुमानों की तुलना में स्व-कर राजस्व में कमी मुख्य रूप से राज्य वस्तु एवं सेवा कर (₹ 18,691 करोड़) के मद में थी, इसके बाद कमी के

[7] एमटीएफआरपी 2021 में, राज्य सरकार ने वर्ष 2021–22 के लिए ₹ 21,73,390 करोड़ रुपये के जीएसडीपी का अनुमान लगाया था।

कारण, राज्य आबकारी शुल्क (₹ 5,180 करोड़), स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क (₹ 5,452 करोड़), बिक्री, व्यापार आदि पर कर (₹ 4,042 करोड़), बिजली पर कर और शुल्क (₹ 3,384 करोड़), वाहनों पर कर (₹ 1,574 करोड़) और भूमि राजस्व (₹ 667 करोड़) थे।

एमटीएफआरपी अनुमानों की तुलना में (₹ 57,548.97) करोड़ की राजस्व व्यय में कमी सामान्य सेवाओं (₹ 29,075.86 करोड़), सामाजिक सेवाओं (₹ 22,876.86 करोड़), आर्थिक सेवाओं (₹ 5,596.22 करोड़) क्षेत्रों के तहत कम व्यय के कारण थी। प्रतिवेदन के अध्याय II में राज्य सरकार की प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्ति का विश्लेषण किया गया है।

1.5.3 प्रमुख राजकोषीय संकेतकों की प्रवृत्ति का विश्लेषण

2017–22 की अवधि के लिए प्रमुख राजकोषीय संकेतकों का रुझान विश्लेषण, घाटे के मानक (राजकोषीय घाटा/अधिशेष, राजस्व घाटा/अधिशेष और प्राथमिक घाटा/अधिशेष), अधिशेष/घाटे का जीएसडीपी से एक राजकोषीय देयताओं के जीएसडीपी से अनुपात की प्रवृत्ति के विश्लेषण को निम्नांकित **चार्ट 1.4 से 1.6** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.4: अधिशेष/घाटे के मानकों की प्रवृत्ति

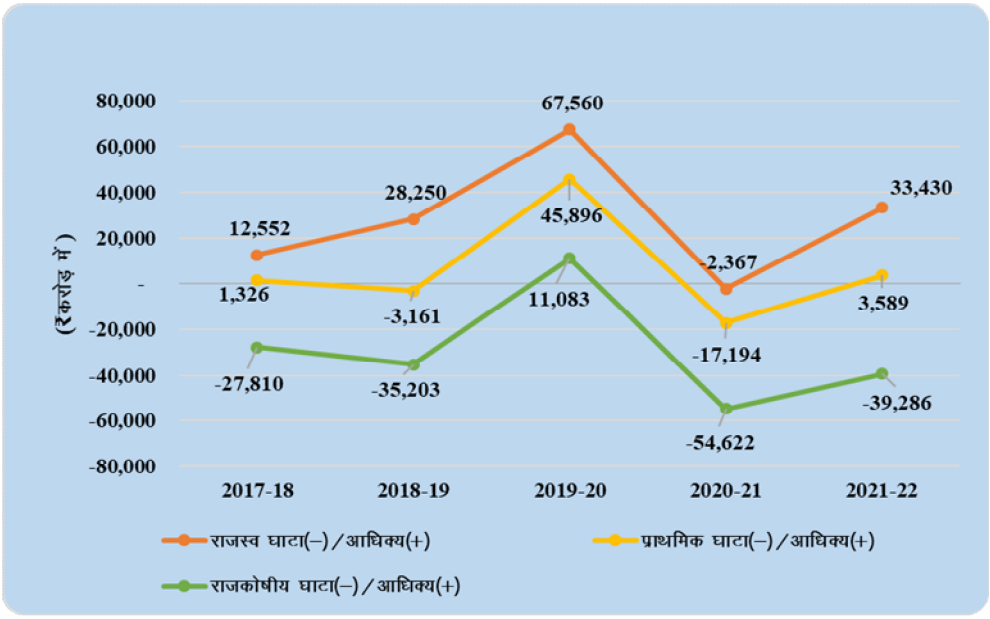

स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

नोटः *वर्ष 2019–20 के दौरान राजस्व अधिशेष, प्राथमिक अधिशेष और राजकोषीय अधिशेष मुख्य रूप से मार्च 2020 में सिंकिंग फंड के ₹ 71,180 करोड़ के बुक बैलेंस को वास्तविक नकद प्राप्ति के बिना गैर–कर राजस्व में स्थानांतरित करने के कारण थे।*

चार्ट 1.5: जीएसडीपी के सापेक्ष अधिशेष/घाटे की प्रवृत्ति

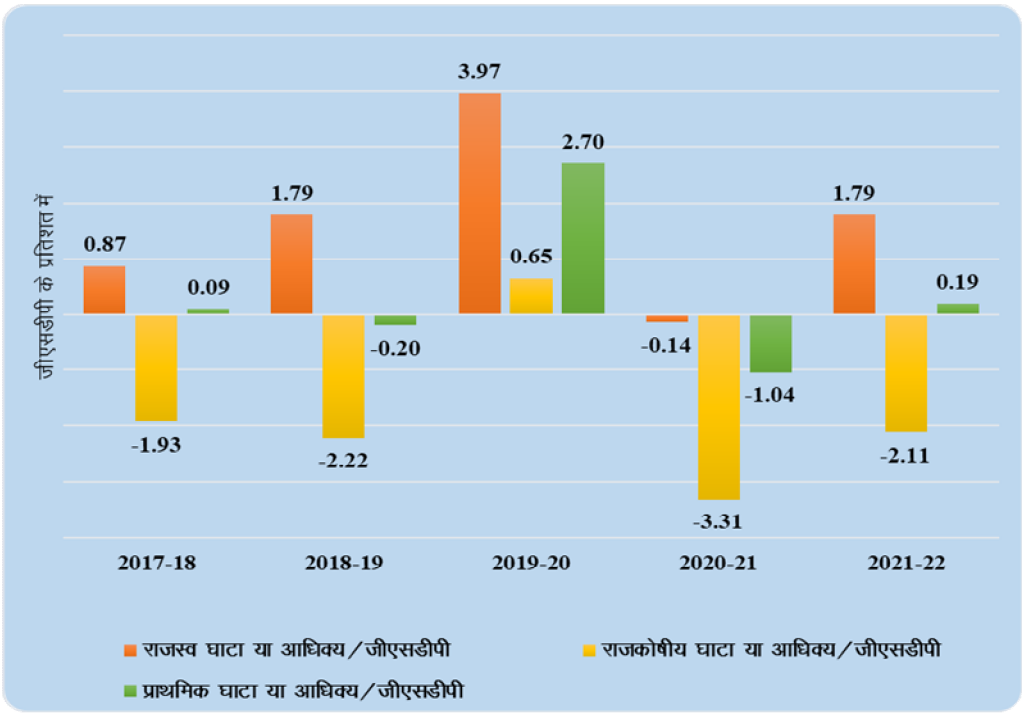

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 1.6: राजकोषीय देयताओं[8] एवं जीएसडीपी की प्रवृत्ति

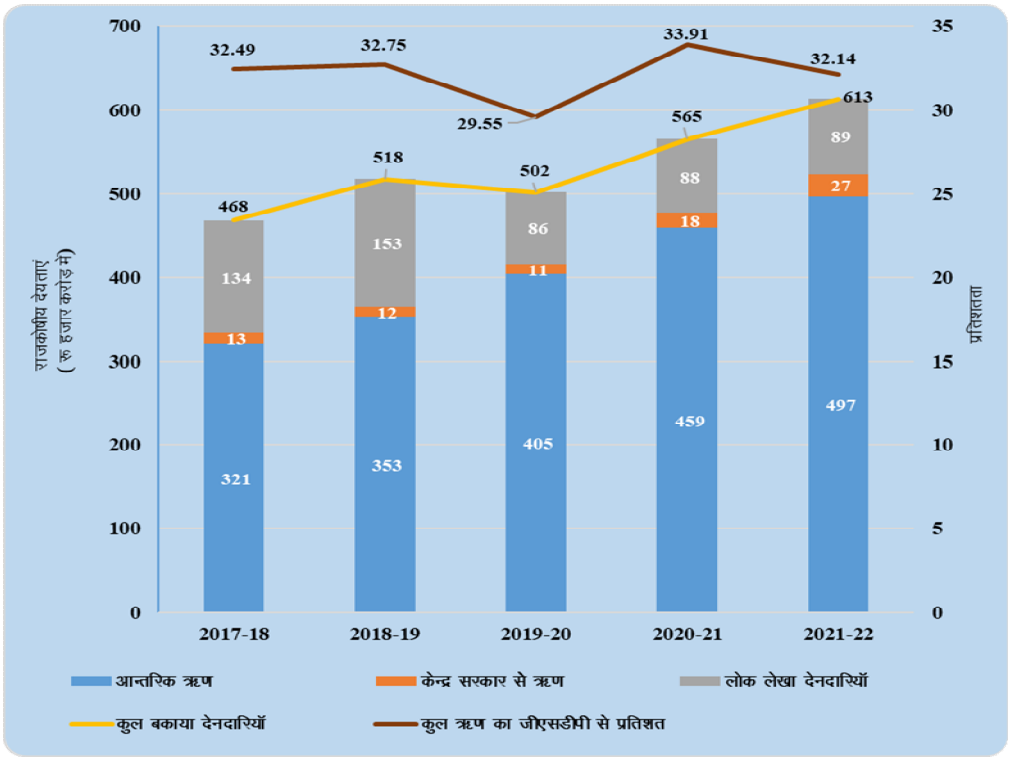

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

8 राजकोषीय देयताओं में वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 के दौरान जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के बदले में बैक–टू–बैक प्राप्त ऋण शामिल हैं ताकि संबंधित वर्षों के लिए वित्त खातों के आंकड़ों का मिलान किया जा सके। यद्यपि, चार्ट में जीएसडीपी प्रतिशत के कुल ऋण में वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 के दौरान जीएसटी क्षतिपूर्ति कमी के बदले में बैक–टू–बैक ऋण शामिल नहीं है।

बढ़ते आंतरिक ऋण के कारण, 2019–20 को छोड़कर कुल बकाया देनदारी, वर्ष 2017–18 से 2021–22 तक लगातार बढ़ी है। जबकि करेतर राजस्व के रूप में ₹ 71,180 करोड़ की निक्षेप निधि के हस्तांतरण के कारण लोक लेखा देयता कम हो गई थी।

2021–22 के दौरान, राज्य की बकाया राजकोषीय देयताओं में, पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 47,984 करोड़ (8.49 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। 2017–22 की अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति औसत ऋण[9] में 24.29 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो ₹ 21,358 (2017–18) से बढ़कर ₹ 26,546 (2021–22) हो गयी। यद्यपि, 31 मार्च 2022 को ₹ 6,12,956 करोड़ की बकाया राजकोषीय देनदारियों के सापेक्ष, भारत सरकार से प्राप्त ₹ 14,146.94 करोड़ के बैक–टू–बैक ऋण को छोड़कर राज्य की प्रभावी बकाया वित्तीय देनदारियां ₹ 5,98,809 करोड़ होगी। वर्ष 2020–21 और 2021–22 के दौरान जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के बदले में मिले ऋण के लिए राज्य की कोई पुनर्भुगतान देयता नहीं है।

1.6 लेखापरीक्षा जांचोपरांत घाटा और कुल ऋण

राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य का आकलन करने में घाटा एवं ऋण की स्थिति, दो महत्वपूर्ण राजकोषीय संकेतक हैं। इन संकेतकों को अन्य हितधारकों यथा संघ सरकार, वित्तीय संस्थान, बैंकों आदि द्वारा अनुदान/ऋण आदि के रूप में कोई अग्रेतर वित्तीय सहायता प्रदान करते समय भी गम्भीरता से देखा जाता है। राज्य के वित्त का उत्तम चित्रण करने हेतु राजस्व व्यय का पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकरण एवं गैर बजट राजकोषीय परिचालन करना जैसा लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया है, निम्नलिखित प्रस्तर में उल्लिखित है।

1.6.1 लेखापरीक्षा के उपरान्त – घाटा/अधिशेष

कुछ प्रकरणों यथा राजस्व व्यय का पूँजीगत एवं विपरीत रूप से गलत वर्गीकरण, 'उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि' में राशि का हस्तांतरण न करना, ब्याज सहित आरक्षित निधियों में ब्याज का जमा न किया जाना आदि जिनकी चर्चा प्रतिवेदन के उत्तरगामी अध्यायों में की गई है, उनका वित्त लेखा 2021–22 में दर्शाए गये राजस्व घाटे एवं राजकोषीय घाटे पर प्रभाव पड़ा है। वास्तविक घाटे का आँकड़ों पर पहुँचने के लिये, उपरोक्त प्रकरणों के प्रभाव को समाहित करने एवं वास्तविक घाटे का पता लगाने के लिये उचित रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है।

उपरोक्त प्रकरणों के प्रभाव के परिणामस्वरूप वर्ष 2021–22 के दौरान राजस्व अधिशेष का अतिरेक व राजकोषीय घाटे की न्यूनोक्ति क्रमशः ₹ 1,171.29 करोड़ और ₹ 1,040.80 करोड़ प्रदर्शित किया गया है जिसे **तालिका 1.6** में आगणित किया किया गया है और लेखापरीक्षा प्रभाव के परिणाम **तालिका 1.7** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.6: लेखापरीक्षा जांच के बाद राजस्व और राजकोषीय घाटा

(₹ करोड़ में)

विवरण	राजस्व अधिशेष पर प्रभाव		राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	
	अतिरेक	न्यूनोक्ति	अतिरेक	न्यूनोक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
समेकित निक्षेप निधि में कम अंशदान (*प्रस्तर 2.8.2.1 में सन्दर्भित*)	734.32	-	-	734.32

9 ऋण को प्रक्षेपित जनसंख्या से भाग देकर, माह मार्च के प्रथम दिवस को अर्थात् वर्ष 2017–18 के लिए 1 मार्च 2017 की प्रक्षेपित जनसंख्या को गणना में शामिल किया गया है।

राज्य आपदा अनुक्रिया कोष मे देय ब्याज का न जमा करना *(प्रस्तर 2.8.2.3 में सन्दर्भित)*	74.99	-	-	74.99
राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष में ब्याज जमा नहीं किया जाना *(प्रस्तर 2.8.2.5 में सन्दर्भित)*	50.43	-	-	50.43
राजस्व से पूंजीगत और इसके विपरीत व्यय का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण। *(प्रस्तर 3.2.2 में सन्दर्भित)*	130.49	-	-	-
भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर का कम अंतरण *(प्रस्तर 4.1.1 में सन्दर्भित)*	30.77	-	-	30.77
परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना की शेष राशि पर ब्याज जमा नहीं किया जाना *(प्रस्तर 4.3 में सन्दर्भित)*	27.25	-	-	27.25
उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत कोष की स्थापना नहीं होने के कारण धनराशि का इस कोष में स्थानांतरित नहीं किया जाना *(प्रस्तर 4.4 में सन्दर्भित)*	123.04	-	-	123.04
शुद्ध प्रभाव	**₹ 1,171.29 करोड़ (राजस्व अधिशेष का अतिरेक)**		**₹ 1,040.80 करोड़ (राजकोषीय घाटे की न्यूनोक्ति)**	

स्रोतः वित्त लेखे 2021–22 और लेखापरीक्षा विश्लेषण।

तालिका 1.7: लेखापरीक्षा प्रभाव का परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	लेखे के अनुसार	न्यूनोक्ति/ अतिरेक	वास्तविक/लेखा परीक्षा जांच के उपरांत
1	2	3	4	5 = 3 – 4
1	राजस्व अधिशेष (+)/ घाटा (–)	33,430.06	1,171.29	32,258.77
2	राजकोषीय अधिशेष (+)/घाटा (–)	(-) 39,286.42	1,040.80	(-) 40,327.22

स्रोतः लेखापरीक्षा विश्लेषण

1.6.2 लेखापरीक्षा उपरान्त – कुल लोक ऋण

ऋण के सामान्य घटकों यथा बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/बैंकों से ऋण आदि के अतिरिक्त 'कुल बकाया लोक ऋण' की व्यापक परिभाषा में गैर बजट ऋण भी सम्मिलित हैं। गैर–बजट ऋण या गैर–बजट वित्तपोषण सामान्यतः किसी विशेष वर्ष या वर्षों में व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा उन वित्तीय संसाधनों के उपयोग को संदर्भित करता है, जो उस वर्ष/उन वर्षों के बजट में अनुदान/विनियोग प्राप्त करने के लिए प्रतिबिंबित नहीं होते हैं, अतः विधायी नियंत्रण से बाहर रहते हैं। उन्हें सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है, जो सरकार की ओर से बाजार ऋण के माध्यम से संसाधन जुटाते हैं। तथापि, सरकार को अपने बजट से ऋणों का पुनर्भुगतान करना होता है।

राज्य सरकार, ऐसे ऋणों के पुनर्भुगतान के लिये उत्तरदायी होने पर भी, राज्य सरकार के विभिन्न पीएसयू/निगमों/अन्य निकायों के माध्यम से ऋणों को बजट से बाहर प्रदर्शित कर नियत निर्धारित शुद्ध ऋण सीमा की उपेक्षा कर सकती है। बजट में प्रकट किये बिना ऐसे देयताओं का सृजन पारदर्शिता और अन्तर–पीढ़ीगत साम्यता दोनों पर प्रश्नचिह्न उठाता है। ऐसे गैर–बजट ऋणों को बजट अभिलेखों में प्रकटीकरण विवरणों या लेखे में नहीं लिया जाता है और न ही उन्हें विधायी स्वीकृति प्राप्त होती है।

लेखापरीक्षा की जांच से ज्ञात हुआ कि 2017–18 और 2020–21 की अवधि के दौरान, राज्य सरकार ने अतिरिक्त बजट ऋण का सहारा लिया जिस पर प्रतिवेदन के **पैराग्राफ 4.2** में विस्तार से चर्चा की गई। 31 मार्च 2022 तक, ₹ 19,495.61 करोड़ का अतिरिक्त बजट ऋण बकाया था, जिसका राज्य के समग्र ऋण स्टॉक पर प्रभाव पड़ा, जैसा कि **तालिका 1.8** में दिया गया है।

तालिका 1.8: लेखापरीक्षा द्वारा जांच के उपरान्त समग्र ऋण

क्रम संख्या	विवरण	धनराशि (₹ करोड़ में)	जीएसडीपी का प्रतिशत
1.	लेखे के अनुसार समग्र ऋण (31.03.2022 को)	6,12,956.33*	32.14*
2.	अतिरिक्त बजट ऋण के कारण ऋण की न्यूनोक्ति *(प्रस्तर 4.2 में सन्दर्भित)*	19,495.61	1.04
	योग	**6,32,451.94**	**33.18**

स्रोतः वित्त लेखे 2021-22 एवं संबंधित पीएसयू/प्राधिकरणों द्वारा प्रदत्त सूचनायें

* *वर्ष 2020–21 और 2021–22 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त ₹ 14,146.94 करोड़ के बैक–टू–बैक ऋण को छोड़कर जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के बदले में, जिसके लिए राज्य की कोई पुनर्भुगतान देयता नहीं है, प्रभावी बकाया समग्र ऋण ₹ 5,98,809.39 करोड़ होगा।*

तालिका 1.8 से यह स्पष्ट है कि अतिरिक्त बजट ऋण के कारण ऋण स्टॉक का जीएसडीपी से अनुपात 32.14 प्रतिशत से बढ़कर 33.18 प्रतिशत हो गया था।

अध्याय - II

राज्य के वित्त

अध्याय–II

राज्य के वित्त

2.1 राज्य के प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में मुख्य परिवर्तन

यह खंड वर्ष 2020–21 की तुलना में वर्ष 2021–22 के दौरान राज्य के प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में मुख्य परिवर्तनों का एक समग्र दृश्य प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित संकेतकों के विश्लेषण की चर्चा आगामी प्रस्तरों में की गई है।

वर्ष 2020–21 की तुलना में वर्ष 2021–22 में प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में परिवर्तन

राजस्व प्राप्तियां	✓राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 25.27 प्रतिशत की वृद्धि ✓राज्य की स्वयं की कर प्राप्तियों में 22.91 प्रतिशत की वृद्धि ✓गैर–कर प्राप्तियों में 3.46 प्रतिशत की कमी ✓केन्द्रीय करों और शुल्कों में राज्य के अंश में 50.31 प्रतिशत की वृद्धि ✓भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदान में 10.21 प्रतिशत की कमी
राजस्व व्यय	✓राजस्व व्यय में 13.08 प्रतिशत की वृद्धि ✓सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय में 12.15 प्रतिशत की वृद्धि ✓सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 10.26 प्रतिशत की वृद्धि ✓आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 19.84 प्रतिशत की वृद्धि ✓सहायता अनुदान पर व्यय में 16.13 प्रतिशत की वृद्धि
पूंजीगत व्यय	✓पूंजीगत व्यय में 36.77 प्रतिशत की वृद्धि ✓सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में 54.76 प्रतिशत की वृद्धि ✓सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में 49.92 प्रतिशत की वृद्धि ✓आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में 31.80 प्रतिशत की वृद्धि
ऋण और अग्रिम	✓ऋणों और अग्रिमों के संवितरण में 39.90 प्रतिशत की वृद्धि ✓ऋण और अग्रिमों की वसूली में 17.27 प्रतिशत की कमी
लोक ऋण	✓लोक ऋण प्राप्तियों में 12.79 प्रतिशत की कमी ✓लोक ऋण की अदायगी में 7.27 प्रतिशत की वृद्धि
लोक लेखा	✓लोक लेखा प्राप्तियों में 17.27 प्रतिशत की वृद्धि ✓लोक लेखा से संवितरण में 17.62 प्रतिशत की वृद्धि
रोकड़ अवशेष और निवेश	✓31 मार्च 2021 की तुलना में 31 मार्च 2022 को नकद शेष और निवेश में ₹ 12,880 करोड़ (40.69 प्रतिशत) की वृद्धि।

2.2 निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग

2017–22 की अवधि के लिये राज्य सरकार के वित्त पर समयबद्ध आँकड़ें ***परिशिष्ट 2.1*** में दिये गये हैं। **तालिका 2.1** वर्ष 2020–21 के सापेक्ष वर्ष 2021–22 में राज्य के वित्तीय संसाधनों के घटकों एवं उप–घटकों एवं निधियों के अनुप्रयोग को प्रदर्शित करती है।

तालिका 2.1: वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 के दौरान निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग की तुलना

विवरण		2020–21 (₹ करोड़ में)	2021–22 (₹ करोड़ में)	वृद्धि / कमी (प्रतिशतता में)
स्रोत	प्रारम्भिक रोकड़ अवशेष और निवेश	21,443	31,653	47.61
	राजस्व प्राप्तियां	2,96,176	3,71,011	25.27
	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	1,135	939	(-)17.27
	लोक ऋण प्राप्तियाँ (निवल)	60,082	47,025	(-)21.73
	विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0	0	-
	लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल)*	4,850	4,442	(-)8.41
	आकस्मिकता निधि प्राप्तियां	0	700	-
	योग	**3,83,686**	**4,55,770**	**18.79**
अनुप्रयोग	राजस्व व्यय	2,98,543	3,37,581	13.08
	पूँजीगत व्यय	*52,237*	*71,443*	36.77
	ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण	1,153	1,613	39.90
	आकस्मिकता निधि में विनियोग	0	600	-
	आकस्मिकता निधि से संवितरण	100	0	(-)100
	अन्तिम रोकड़ अवशेष एवं निवेश	31,653	44,533	40.69
	योग	**3,83,686**	***4,55,770**	**18.79**

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

** मुख्य शीर्ष 8671–विभागीय अवशेष, 8672–स्थायी रोकड़ अग्रदाय एवं 8673–रोकड़ अवशेष निवेश लेखा और रक्षित निधि में निवेश जो आरंभिक एवं अंतिम अवशेष का भाग है, के अन्तर्गत लेन–देन को छोड़कर।*

2.2.1 वर्ष 2021–22 के दौरान निधियों के घटक–वार स्रोतों और अनुप्रयोगों को **चार्ट 2.1** में प्रदर्शित किया गया है।

चार्ट 2.1: वर्ष 2021–22 के दौरान संसाधनों का संघटन और अनुप्रयोग

संसाधनों का संघटन (प्रतिशत में)

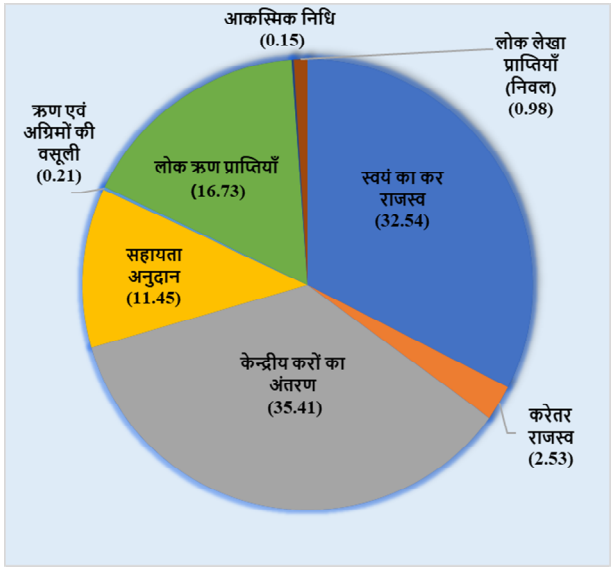

संसाधनों का अनुप्रयोग(प्रतिशत में)

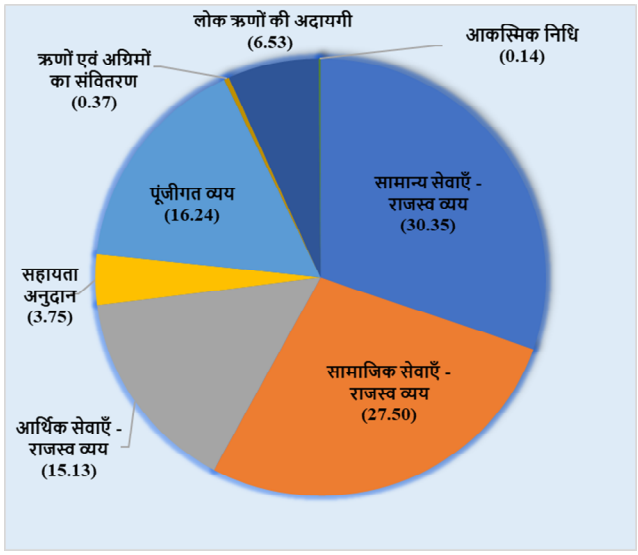

स्रोत: वित्त लेखे 2021–22

2.3 राज्य के संसाधन

यह खण्ड वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान राज्य के संसाधनों एवं उनकी प्रवृत्तियों का विश्लेषण करता है।

2.3.1 राज्य की प्राप्तियां

वर्ष 2021–22 के दौरान राज्य की प्राप्तियों का संघटन **चार्ट 2.2** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.2: वर्ष 2021–22 के दौरान प्राप्तियों के संघटन का विवरण

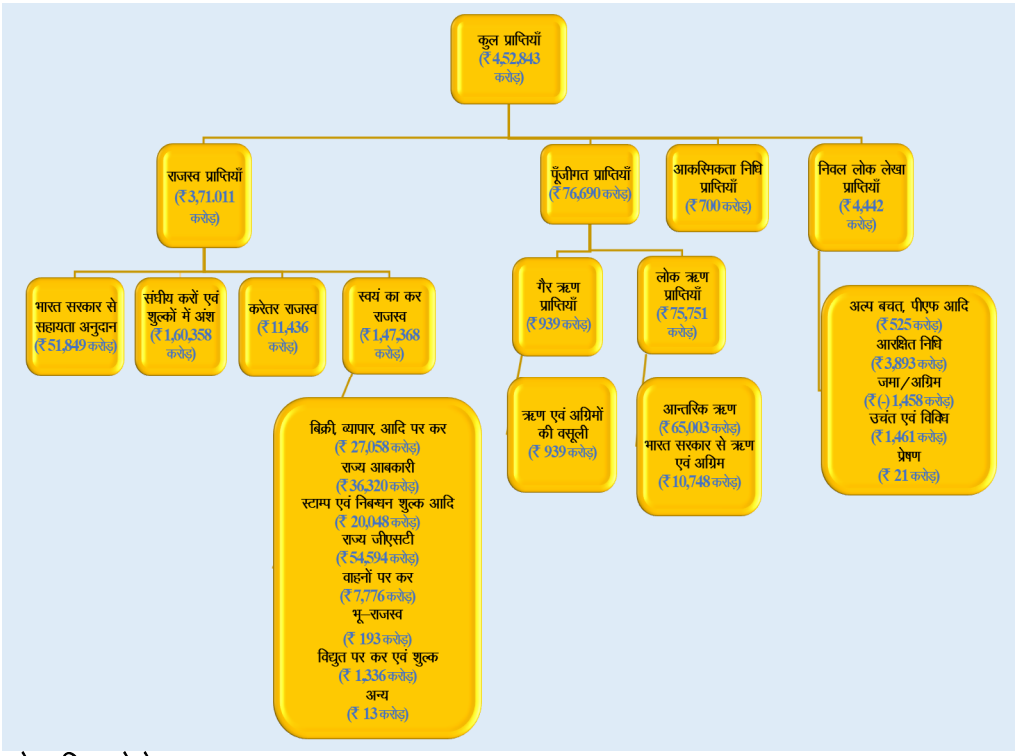

स्रोत: वित्त लेखे 2021–22

वर्ष 2021–22 के दौरान में राज्य की कुल प्राप्तियां ₹ 4,52,843 करोड़ थी। इसमें ₹ 3,71,011 करोड़ की राजस्व प्राप्तियां, ₹ 76,690 करोड़ की पूँजीगत प्राप्तियां, ₹ 700 करोड़ की आकस्मिकता निधि प्राप्ति और ₹ 4,442 करोड़ की निवल लोक लेखा प्राप्तियां[10] सम्मिलित हैं। राजस्व प्राप्तियों में ₹ 1,47,368 करोड़ का स्वयं का कर राजस्व, ₹ 11,436 करोड़ का करेतर राजस्व, ₹ 1,60,358 करोड़ के केन्द्रीय करों एवं शुल्कों का अंश और ₹ 51,849 करोड़ का भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान सम्मिलित है। पूंजीगत प्राप्तियों में ₹ 939 करोड़ की गैर–ऋण प्राप्तियां एवं ₹ 75,751 करोड़ की लोक ऋण प्राप्तियां सम्मिलित है।

2.4 राजस्व प्राप्तियां

यह प्रस्तर कुल राजस्व प्राप्तियों और इसके घटकों में प्रवृत्तियों का विश्लेषण करता है। इसके बाद प्राप्तियों में प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया जाता है, जिन्हें राज्य की अपनी प्राप्तियों और केन्द्र सरकार से प्राप्तियों में विभाजित किया जाता है।

[10] निवल लोक लेखे प्राप्तियां वित्तीय वर्ष के अंत में लघु बचत और भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा/अग्रिम, उचंत एवं विविध और प्रेषणों का निवल अवशेष है।

2.4.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति और वृद्धि

वित्त लेखे का विवरण 14 सरकार की राजस्व प्राप्तियों का विवरण प्रस्तुत करता है। वर्ष 2017–22 की अवधि के दौरान वित्त लेखे के अनुसार राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों और संघटन को **चार्ट 2.3, चार्ट 2.4** और **तालिका 2.2** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.3 वर्ष 2017–22 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

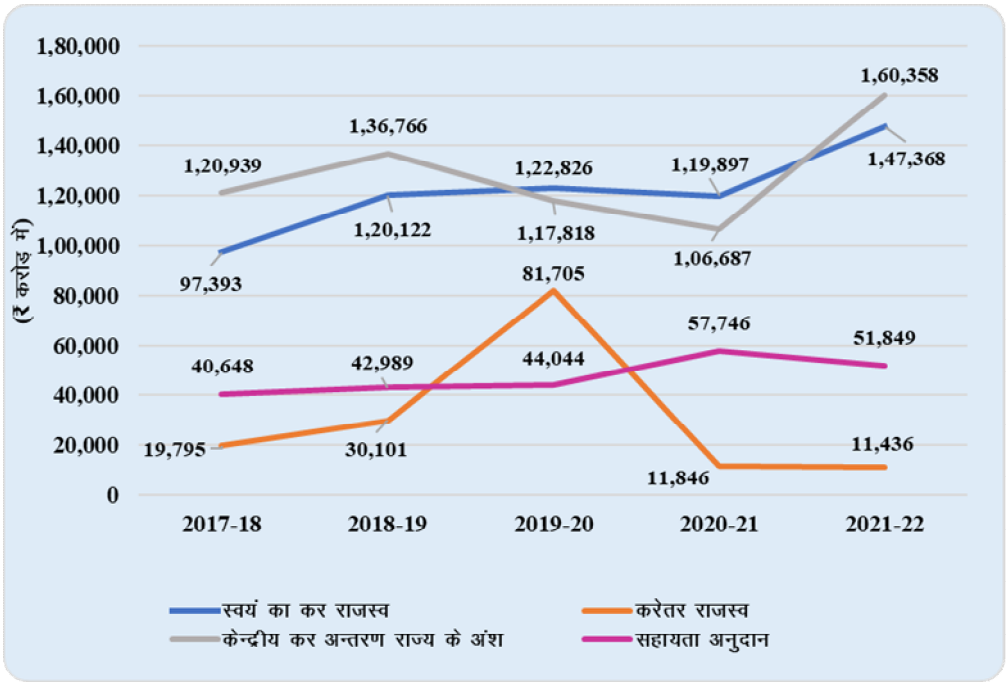

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 2.4 वर्ष 2017–22 की अवधि के दौरान जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियां

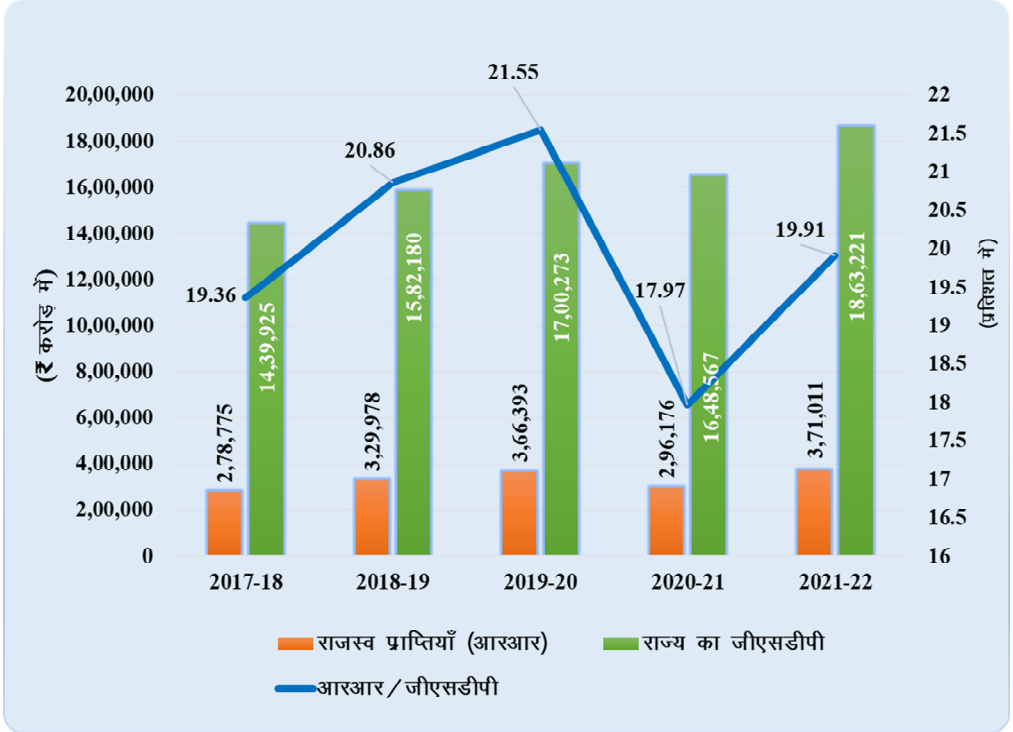

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

तालिका 2.2 : राज्य के राजस्व प्राप्तियों, स्वयं के कर और गैर–कर राजस्व की प्रवृत्ति

मापदण्ड	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
राजस्व प्राप्तियां (आरआर) (₹ करोड़ में)	2,78,775	3,29,978	3,66,393	2,96,176	3,71,011
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	*8.53*	*18.37*	*11.04*	*(-)19.16*	*25.27*
स्वयं का राजस्व (₹ करोड़ में) जिसमें से	1,17,188	1,50,223	2,04,531	1,31,743	1,58,804
स्वयं का कर राजस्व (₹ करोड़ में)	97,393	1,20,122	1,22,826	1,19,897	1,47,368
करेतर राजस्व (₹ करोड़ में)	19,795	30,101	81,705	11,846	11,436
स्वयं के राजस्व की वृद्धि दर (प्रतिशत)	*1.98*	*28.19*	*36.15*	*(-)35.59*	*20.54*
स्वयं के कर राजस्व की वृद्धि दर (प्रतिशत)	*13.29*	*23.34*	*2.25*	*(-)2.38*	*22.91*
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में) (2011–12 श्रेणी वर्तमान मूल्य पर)	14,39,925	15,82,180	17,00,273	16,48,567	18,63,221
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	*11.73*	*9.88*	*7.46*	*(-)3.04*	*13.02*
उछाल अनुपात[11]					
जीएसडीपी के सापेक्ष राजस्व उछाल	*0.73*	*1.86*	*1.48*	*	*1.94*
जीएसडीपी के सापेक्ष राज्य के स्वयं का राजस्व उछाल	*0.17*	*2.85*	*4.85*	*	*1.58*
जीएसडीपी के सापेक्ष राज्य के स्वयं के कर राजस्व का उछाल	*1.13*	*2.36*	*0.30*	*	*1.76*

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

** चूंकि जीएसडीपी की वृद्धि ऋणात्मक थी, इसलिये उछाल की गणना नहीं की गयी थी।*

तालिका 2.2 में वर्णित वित्त लेखाओं के आंकड़ों पर आधारित विश्लेषण से पता चलता है कि:

- वर्ष 2021–22 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य की राजस्व प्राप्तियां ₹ 3,71,011 करोड़ थी। 2017–22 की अवधि के दौरान चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर 7.41 प्रतिशत थी। पिछले वर्ष (2020–21) की तुलना में वर्ष 2021–22 में इसमें 25.27 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि मुख्य रूप से वर्ष 2020–21 की तुलना में केन्द्रीय कर हस्तांतरण (50.31 प्रतिशत) और स्वयं के कर राजस्व (22.91 प्रतिशत) की उच्च प्राप्तियों के कारण हुई।

- राज्य सरकार ने बजट अनुमान वर्ष 2021–22 में ₹ 4,18,340 करोड़ की राजस्व प्राप्तियों का अनुमान लगाया था जिसे वर्ष 2021–22 में घटाकर संशोधित अनुमान ₹ 3,78,731 करोड़ कर दिया गया। बजट अनुमान वर्ष 2021–22 की तुलना में, स्वयं के कर राजस्व की वास्तविक प्राप्तियों में 20.92 प्रतिशत, करेतर राजस्व में 55.01 प्रतिशत और भारत सरकार से सहायता अनुदान में 40.52 प्रतिशत की कमी आई थी। राज्य स्वयं के कर राजस्व में 8.10 प्रतिशत, करेतर राजस्व में 26.33 प्रतिशत और भारत सरकार से सहायता अनुदान में 41.06 प्रतिशत कमी के कारण संशोधित अनुमानों को भी प्राप्त नहीं कर सका। तथापि, वर्ष 2021–22 के दौरान केन्द्रीय कर हस्तांतरण बजट अनुमानों (34.31 प्रतिशत से) और संशोधित अनुमानों (39.57 प्रतिशत) से अधिक था।

- वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान राज्य के स्वयं का कर में राजस्व उछाल 1.76 था जो राज्य की अर्थव्यवस्था पर कोविड–19 महामारी के प्रतिकूल प्रभाव के बावजूद

[11] उछाल अनुपात आधार चर में दिए गए परिवर्तन के संबंध में एक राजकोषीय चर की प्रतिक्रिया के परिमाप को इंगित करता है। उदाहरण के लिये, जीएसडीपी के सम्बन्ध में राजस्व उछाल 1.85 का आशय यह है कि राजस्व प्राप्तियों में 1.85 प्रतिशत की वृद्धि की प्रवृत्ति है, यदि जीएसडीपी में एक प्रतिशत की वृद्धि होती है।

भी अर्थव्यवस्था में सुधार का संकेत था जिसके कारण वर्ष 2020–21 के दौरान जीएसडीपी के साथ–साथ स्वयं के कर राजस्व में वृद्धि दर ऋणात्मक थी।

2.4.2 राज्य के स्वयं के संसाधन

राज्य के स्वयं के संसाधनों में स्वयं का कर राजस्व और करेतर राजस्व सम्मिलित है। उत्तर प्रदेश राज्य के स्वयं के कर राजस्व के घटक राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी), राज्य आबकारी, वाहनों पर कर, स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क, भू–राजस्व, विद्युत पर कर और शुल्क, सामानों एवं यात्रियों पर कर आदि हैं। करेतर राजस्व के स्रोतों में राजकोषीय सेवाओं से प्राप्तियां यथा सरकार द्वारा दिए गए बकाया ऋणों एवं अग्रिमों से ब्याज प्राप्तियाँ एवं रोकड़ अवशेष का निवेश, लाभांश और इक्विटी निवेश से लाभ, खनिज, वन और वन्य जीवन, के संरक्षक के रूप में उन रखी गई संपत्ति के उपयोग की अनुमति के लिए रॉयल्टी शुल्क या ऐसी अन्य सेवाओं और सरकार के तंत्र के माध्यम से प्रदान की जाने वाली विभिन्न सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के लिए उपयोग शुल्क सम्मिलित हैं। 2017–22 की अवधि के दौरान स्वयं के कर/करेतर राजस्व के संग्रहण का विवरण ***परिशिष्ट 2.2*** में दिया गया है।

2.4.2.1 स्वयं का कर राजस्व

वर्ष 2021–22 के दौरान राज्य का स्वयं का कर राजस्व ₹ 1,47,368 करोड़ था। वर्ष 2017–22 की अवधि के दौरान, यह 2017–18 के ₹ 97,393 करोड़ से 51.31 प्रतिशत (₹ 49,975 करोड़) बढ़कर 2021–22 में ₹ 1,47,368 करोड़ हो गया। स्वयं का कर राजस्व की वृद्धि की प्रमुख प्रवृत्तियों को **चार्ट 2.5** में दिया गया है।

चार्ट 2.5: वर्ष 2017–22 के दौरान स्वयं का कर राजस्व

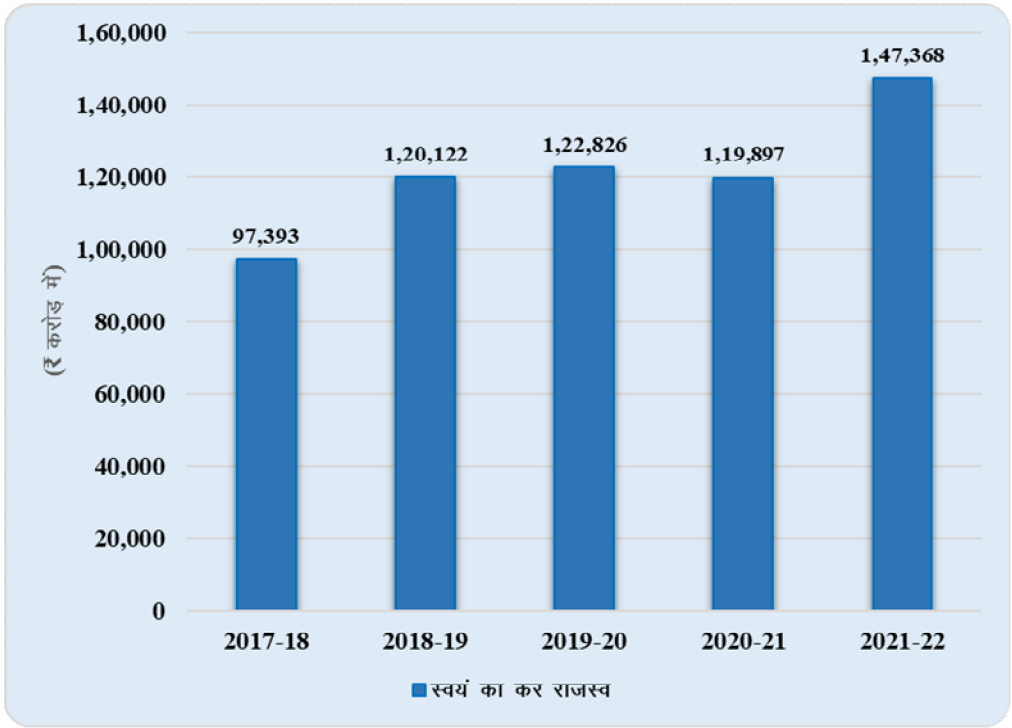

स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2017–22 की अवधि के दौरान राज्य के स्वयं का कर राजस्व के घटकों के अन्तर्गत प्राप्तियों का विवरण **तालिका 2.3** में दिया गया है।

तालिका 2.3: वर्ष 2017–22 के दौरान कर राजस्व की प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

क्र0सं0	राजस्व मद	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	स्पार्कलाईन
1	बिक्री, व्यापार, आदि पर कर	31,113	23,798	20,517	22,127	27,058	
2	राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी)	25,374	46,108	47,232	42,860	54,594	
3	राज्य आबकारी	17,320	23,927	27,325	30,061	36,320	
4	वाहनों पर कर	6,404	6,929	7,715	6,483	7,776	
5	स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क	13,398	15,733	16,070	16,475	20,048	
6	भू–राजस्व	1,336	631	504	297	193	
7	विद्युत पर कर एवं शुल्क	2,124	2,978	3,453	1,587	1,366	
8	अन्य कर	324	18	10	7	13	
	योग	**97,393**	**1,20,122**	**1,22,826**	**1,19,897**	**1,47,368**	

स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

तालिका 2.3 से यह स्पष्ट है कि:

- पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2021–22 के दौरान स्वयं के कर राजस्व में 22.91 प्रतिशत की समग्र वृद्धि मुख्य रूप से राज्य वस्तु और सेवा कर (₹ 11,734 करोड़), राज्य आबकारी (₹ 6,259 करोड़), बिक्री, व्यापार आदि पर कर (₹ 4,931 करोड़), स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क (₹ 3,573 करोड़) एवं वाहनों पर कर (₹ 1,293 करोड़) में वृद्धि के कारण हुई थी। तथापि, वर्ष 2020–21 की तुलना में विद्युत पर कर और शुल्क (₹ 221 करोड़) और भू–राजस्व (₹ 104 करोड़) में कम प्राप्तियां हुई थी।
- राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) राज्य के कर राजस्व का सबसे बड़ा घटक है, जिसमें वर्ष 2021–22 के लिए स्वयं का कर राजस्व प्राप्तियों का 37.05 प्रतिशत सम्मिलित है। वर्ष 2021–22 के दौरान, अनुमानित एसजीएसटी ₹ 73,285 करोड़ था, जिसके विरुद्ध वास्तविक संग्रह ₹ 54,594 करोड़ था जो अनुमान से 25.50 प्रतिशत कम था।
- बिक्री, व्यापार आदि पर करों के अंतर्गत संग्रहण में वृद्धि केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम (₹ 515.34 करोड़) और मूल्य वर्धित कर (₹ 4,328.76 करोड़) के अंतर्गत अधिक प्राप्ति के कारण हुई थी। राज्य आबकारी शुल्क में वृद्धि मुख्य रूप से देशी स्प्रिट (₹ 3,633.94 करोड़) और विदेशी मदिरा (₹ 1,724.49 करोड़) और माल्ट मदिरा (₹ 827.97 करोड़) की बिक्री में वृद्धि के कारण हुई थी। वाहनों पर कर के अन्तर्गत प्राप्तियों में ₹ 1,689.47 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से राज्य मोटर वाहन कराधान अधिनियम में अधिक प्राप्तियों के कारण हुई है।
- अन्य करों में वस्तुओं और यात्रियों पर कर, होटल प्राप्तियों पर कर, मनोरंजन कर, सट्टेबाजी पर कर, सिनेमाघरों में प्रदर्शित विज्ञापनों पर कर आदि सम्मिलित हैं। 2017–18 की तुलना में अन्य करों में कमी मुख्य रूप से करों को जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में सम्मिलित करने से आई।

2.4.2.2 राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी)

राज्य सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम क्रियान्वित किया, जो 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हुआ। जीएसटी (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 के

अन्तर्गत केन्द्र सरकार, वस्तु एवं सेवाकर के क्रियान्वयन के कारण राज्यों को राजस्व की हानि की क्षतिपूर्ति पाँच वर्षों की अवधि के लिए करेगी। जीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत जीएसटी में सम्मिलित करों के राजस्व आंकड़ों हेतु एक आधार वर्ष (2015–16) माना गया। राज्य में किसी वर्ष के लिये अनुमानित राजस्व की गणना उस राज्य के आधार वर्ष के राजस्व पर अनुमानित वृद्धि दर (14 प्रतिशत प्रति वर्ष) को लागू करके की जानी थी।

वित्त लेखे में वर्ष 2021–22 के लिये जीएसटी के अन्तर्गत राजस्व आँकड़ों को प्राप्ति की प्रकृति यथा राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी), एसजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्रास यूटिलाइजेशन एवं एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी), आईजीएसटी का विभाजन–एसजीएसटी के कर घटक का अंतरण एवं आईजीएसटी का अग्रिम विभाजन के अनुसार दर्शाया गया है। उत्तर प्रदेश के प्रकरण में, आधार वर्ष (2015–16) के दौरान सम्मिलित करों से राजस्व ₹ 33,359 करोड़ था। अतः आधार वर्ष के आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2021–22 हेतु अनुमानित राजस्व ₹ 73,222 करोड़ था, जिसके सापेक्ष एसजीएसटी के रुप में ₹ 54,594 करोड़ संग्रहीत किया गया। इसमें आईजीएसटी के अग्रिम बंटवारे में राज्य के अंश के रूप में ₹ 2,708 करोड़ सम्मिलित हैं।

राज्य को, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत राज्य को आवंटित निवल आय के स्वयं के अंश के रूप में, ₹ 45,919 करोड़ भी प्राप्त हुए। इस प्रकार जीएसटी के अन्तर्गत कुल प्राप्तियां ₹ 1,00,513 करोड़ थी। राज्य सरकार ने जीएसटी के कार्यान्वयन से होने वाले राजस्व हानि के लिए भारत सरकार से ₹ 8,299 करोड़ की क्षतिपूर्ति भी प्राप्त किया। इसके अलावा, जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि में अपर्याप्त शेष के कारण, राज्य सरकार को जीएसटी क्षतिपूर्ति के बदले में भारत सरकार से ₹ 8,140 करोड़ का बैक–टू–बैक ऋण (ऋण प्राप्तियां) भी प्राप्त हुआ।

2.4.2.3 करेतर राजस्व

वर्ष 2017–22 की अवधि के दौरान करेतर राजस्व के प्रमुख स्रोत और उनकी प्रवृत्ति का विश्लेषण **तालिका 2.4** में दिया गया है:

तालिका 2.4: वर्ष 2017–22 की अवधि के दौरान करेतर राजस्व की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	स्पार्कलाईन
(i) ब्याज प्राप्तियाँ	1,093	1,712	1,469	1,116	1,250	
(ii) लाभांश एवं लाभ	31	175	39	105	213	
(iii) अन्य करेतर प्राप्तियां:						
(क) विभिन्न सामान्य सेवायें	4,841	13,678	72,044	572	295	
(ख) अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	3,259	3,165	2,181	3,113	2,655	
(ग) ऊर्जा	4,696	5,735	1,044	1,309	1,769	
(घ) सिंचाई (वृहद, मध्यम एवं लघु)	953	908	1,024	1,174	1,120	
(ड.) सड़क एवं पुल	366	932	707	997	640	
(च) शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	432	381	480	505	452	
(छ) अन्य एवं विविध	4,124	3,415	2,717	2,955	3,042	
योग	**18,671**	**28,214**	**80,197**	**10,625**	**9,973**	
महायोग [(i), (ii) एवं (iii)]	**19,795**	**30,101**	**81,705**	**11,846**	**11,436**	

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2019–20 के दौरान राज्य की करेतर प्राप्तियां सर्वाधिक रहीं। तथापि, वर्ष 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 की अवधि में उच्च करेतर प्राप्तियों मुख्य रूप से निक्षेप निधि से अवशेषों ₹ 4,422 करोड़ (2017–18), ₹ 12,693 करोड़ (2018–19) और ₹ 71,180 करोड़ (2019–20) को विविध सामान्य सेवा शीर्ष के अन्तर्गत बिना नगद प्राप्ति के लेखा हस्तांतरण के कारण थी। वर्ष 2021–22 के दौरान, कुल करेतर राजस्व प्राप्तियां ₹ 11,436 करोड़ थी, जो विगत वर्ष की तुलना में 3.46 प्रतिशत की कमी को दर्शाती है। गैर–लौह खनन और धातुकर्म उद्योगों की प्राप्तियों में ₹ 458 करोड़ (14.69 प्रतिशत) की मुख्य रूप से कमी, खनिज रियायत शुल्क, किराए और रॉयल्टी (₹ 372.31 करोड़), सड़क और पुल ₹ 357 करोड़ (35.80 प्रतिशत) की कम प्राप्तियां, अन्य प्राप्तियों (₹ 360.97 करोड़) में कमी यथा सरकारी घाटों से प्राप्तियाँ, स्थापना व्यय आदि, विविध सामान्य सेवाएं ₹ 277 करोड़ (48.42 प्रतिशत), अन्य प्राप्तियों (₹ 106.58 करोड़) तथा दावा रहित प्राप्तियों (₹ 113.36 करोड़) विगत वर्ष (2020–21) की तुलना में कम प्राप्ति हुई थी।

2.4.3 केन्द्र सरकार से अन्तरण

भारत सरकार से अन्तरण के दो मुख्य घटक केन्द्रीय कर हस्तांतरण, अर्थात् केन्द्रीय करों और शुल्कों में राज्य का अंश तथा सहायता अनुदान हैं। वर्ष 2021–22 के दौरान, भारत सरकार (कर अन्तरण और सहायता अनुदान) से हस्तांतरण राज्य की राजस्व प्राप्तियों का 57.20 प्रतिशत था, जो वर्ष 2020–21 की तुलना में 29.05 प्रतिशत (₹ 47,774 करोड़) अधिक था।

2.4.3.1 केन्द्रीय कर अन्तरण

केन्द्रीय करों और शुल्कों में राज्य सरकार के अंश के घटक निगम कर, निगम कर से भिन्न आय पर कर, सेवा कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, केन्द्रीय वस्तु और सेवा कर और एकीकृत वस्तु और सेवा कर आदि हैं। चौदहवें वित्त आयोग (2015–20) ने राज्यों के साथ साझा करने के लिए केन्द्रीय करों और शुल्कों की शुद्ध आय के विभाज्य पूल के 42 प्रतिशत कर हस्तांतरण की अनुशंसा की थी, जिसमें से उत्तर प्रदेश राज्य को 17.959 प्रतिशत अंश दिया गया था। पंद्रहवें वित्त आयोग (2021–26) ने केन्द्रीय करों (विभाज्य पूल) की शुद्ध आय का 41 प्रतिशत का कुल अंश राज्यों को 2020–21 से 2025–26 में हस्तांतरित करने की अनुशंसा की थी, जिसमें से 17.939 प्रतिशत अंश उत्तर प्रदेश के लिए अनुशंसित थी। 2017–22 के पांच वर्ष की अवधि के दौरान केन्द्रीय करों और शुल्कों में उत्तर प्रदेश के अंश के अन्तर्गत प्राप्तियों की प्रवृत्ति **तालिका 2.5** में दी गई है।

तालिका 2.5: वर्ष 2017–22 की अवधि के दौरान केन्द्रीय कर अंतरण

(₹ करोड़ में)

लेखाशीर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी)	1,718	33,757	33,434	31,611	45,919
एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी)	12,212	2,694	0	0	0
निगम कर	37,043	47,563	40,171	32,258	45,807
निगम कर से भिन्न आय पर कर	31,280	35,028	31,477	33,080	47,482
सीमा शुल्क	12,208	9,695	7,468	5,606	11,922
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	12,761	6,442	5,192	3,577	6,693
सेवा कर	13,719	1,252	0	475	2,360
अन्य कर[12]	(-)2*	335	76	80	175

[12] इसमें सम्पत्ति पर कर, आय एवं व्यय पर अन्य कर तथा वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क सम्मिलित है।

केन्द्रीय कर अन्तरण	1,20,939	1,36,766	1,17,818	1,06,687	1,60,358
विगत वर्ष के सापेक्ष वृद्धि की प्रतिशतता	10.52	13.09	(-)13.85	(-)9.45	50.31
कुल राजस्व प्राप्तियों में केन्द्रीय कर के अन्तरण की प्रतिशतता	43.38	41.45	32.16	36.02	43.22

स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

**वर्ष 2017–18 के दौरान 'अन्य कर' शीर्ष के अन्तर्गत ऋणात्मक आँकड़ा रिफंड के कारण था।*

तालिका 2.5 दर्शाती है कि वर्ष 2021–22 के दौरान, केन्द्रीय करों और शुल्कों में राज्य के अंश के अन्तर्गत प्राप्तियों में वर्ष 2020–21 की तुलना में ₹ 53,671 करोड़ (50.31 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। केन्द्रीय करों और शुल्कों में राज्य का अंश राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियों का 43.22 प्रतिशत था।

2.4.3.2 भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

राज्य सरकार को भारत सरकार (जीओआई) से उप मुख्य शीर्षों जैसे केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के लिए अनुदान, वित्त आयोग अनुदान और भारत सरकार से अन्य अन्तरण के अन्तर्गत सहायता अनुदान प्राप्त हुआ। वर्ष 2017–22 की अवधि के दौरान, भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान की स्थिति **तालिका 2.6** में दर्शायी गयी है।

तालिका 2.6: वर्ष 2017–22 की अवधि के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

लेखाशीर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाओं हेतु अनुदान (सीएसएस)	27,731	31,250	25,824	32,342	31,227
वित्त आयोग अनुदान	8,849	9,318	12,965	16,023	12,306
राज्य/विधायिका वाले संघ राज्य क्षेत्र के लिए अन्य अन्तरण/अनुदान	4,068	2,421	5,255	9,381	8,316
योग	**40,648**	**42,989**	**44,044**	**57,746**	**51,849**
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	24.93	5.76	2.45	31.11	(-)10.21
राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष सहायता अनुदान की प्रतिशतता	14.58	13.03	12.02	19.50	13.98

स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

तालिका 2.6 से यह स्पष्ट है कि भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान के विभिन्न घटकों के अन्तर्गत 2017–21 की अवधि के दौरान समग्र वृद्धि 2017–18 में ₹ 40,648 करोड़ से 27.56 प्रतिशत बढ़कर 2021–22 में ₹ 51,849 करोड़ हो गई। तथापि, वर्ष 2021–22 में, पिछले वर्ष की तुलना में सहायता अनुदान में 10.21 प्रतिशत (₹ 5,897 करोड़) की कमी आयी थी। राज्य सरकार को केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत ₹ 31,227 करोड़ प्राप्त हुए जो वर्ष 2020–21 की तुलना में 3.45 प्रतिशत कम थी, जो मुख्यतः ग्रामीण विकास, प्राथमिक शिक्षा और समाज कल्याण विकास (अनुसूचित जातियों के विशेष घटक योजना) आदि के लिए कम प्राप्ति के कारण थी। तथापि, केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत परिवार कल्याण विभाग एवं नगर विकास विभाग के सहायता अनुदानों की प्राप्ति में वृद्धि हुई थी। पंचायती राज (₹ 2,544 करोड़), नगरीय विकास (₹ 2,577 करोड़), राज्य आपदा अनुक्रिया निधि (₹ 387 करोड़) में कम प्राप्तियों के कारण 2020–21 की तुलना में वित्त आयोग अनुदान में ₹ 3,717 करोड़ (23.20 प्रतिशत) में भी कमी आई थी जबकि, वित्त अनुदान आयोग के अन्तर्गत चिकित्सा विभाग (₹ 1,791 करोड़) के लिए प्राप्त अनुदान में वृद्धि हुई थी। अग्रेतर, विगत वर्ष

2020–21 की तुलना में 'विधायिका वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्य हस्तांतरणों/अनुदानों' में ₹ 1,065 करोड़ (11.35 प्रतिशत) की कमी मुख्य रूप से जीएसटी के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति के लिए ₹ 1,024.56 करोड़ की कम प्राप्तियों के कारण हुई थी।

2.4.3.3 चौदहवां/पन्द्रहवाँ वित्त आयोग अनुदान

चौदहवें एवं पन्द्रहवें वित्त आयोग ने राज्य सरकार के स्थानीय निकायों तथा राज्य आपदा अनुक्रिया निधि (चौदहवें वित्त आयोग)/राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि (पन्द्रहवें वित्त आयोग) के लिए सहायता अनुदान की अनुशंसा की थी। वर्ष 2017–22 के दौरान अनुशंसित धनराशि तथा प्राप्त सहायता अनुदान का विवरण **तालिका 2.7** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.7: वर्ष 2017–22 की अवधि के दौरान भारत सरकार से प्राप्त वित्त आयोग अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	अनुशंसायें			भारत सरकार से प्राप्त अनुदान			राज्य सरकार द्वारा अन्तरित अनुदान		
	चौदहवॉ/ पन्द्रहवां वित्त आयोग	पन्द्रहवॉ वित्त आयोग	योग						
	2017-18 से 2020-21	2021-22		2017-18 से 2020-21	2021-22	योग	2017-18 से 2020-21	2021-22	योग
स्थानीय निकाय (बुनियादी एवं निष्पादन अनुदान)									
(i) पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान	35,615.95	7,208.00	**42,823.95**	32,739.86	7,208.00	39,947.86	33,136.71	7,208.00	40,344.71
(ii) नगरीय स्थानीय निकायों को अनुदान	12,196.68	3,550.00	**15,746.68**	10,723.19	1,761.25	12,484.44	9,054.36	1,761.25	10,815.61
स्थानीय निकायों के लिये योग	**47,812.63**	**10,758.00**	**58,570.63**	**43,463.05**	**8,969.25**	**52,432.30**	**42,191.07**	**8,969.25**	**51,160.32**
एसडीआरएफ/ एसडीआरएमएफ*	4,923.00	2578.00*	**7,501.00**[13]	3,691.75	1,546.40	**5,238.15**	2,725.25	2,512.90	**5,238.15**
कुल योग	**52,735.63**	**13,336.00**	**66,071.63**	**47,154.80**	**10,515.65**	**57,670.45**	**44,916.32**	**11,482.15**	**56,398.47**

स्रोतः XIVवें/ XVवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन एवं सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

** राज्य आपदा अनुक्रिया निधि (एसडीआरएफ)/राज्य आपदा जोखिम प्रबन्धन निधि (एसडीआरएमएफ)*

वर्ष 2017–22 की अवधि के दौरान, स्थानीय निकायों के लिए सहायता अनुदान के अन्तर्गत चौदहवें/पन्द्रहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित कुल ₹ 58,570.63 करोड़ के अनुदान की तुलना में, राज्य सरकार को भारत सरकार से ₹ 52,432.30 करोड़ प्राप्त हुए। इसमें से राज्य सरकार ने वर्ष 2017–22 की अवधि के दौरान नगरीय और ग्रामीण स्थानीय निकायों को ₹ 51,160.32 करोड़ अवमुक्त किए। इस प्रकार, राज्य सरकार ने ₹ 1,271.98 करोड़ कम अवमुक्त किये जो कि वर्ष 2017–18 से सम्बन्धित है। वर्ष 2018–19 से 2021–22 के दौरान राज्य सरकार ने भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान की सम्पूर्ण धनराशि नगरीय/ग्रामीण स्थानीय निकायों को अवमुक्त किया।

2017–20 की अवधि के दौरान, राज्य सरकार को चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार एसडीआरएफ के लिये केन्द्रीय अंश के रूप में ₹ 1,758.75 करोड़ प्राप्त हुए, जिसे राज्य सरकार द्वारा निधि में स्थानान्तरित कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त,

[13] कुल अनुदान के 25 प्रतिशत राज्य अंश को लेकर।

राज्य सरकार ने भी 2017–20 की अवधि के दौरान निधि में ₹ 572.58 करोड़ का स्वयं का अंश जमा किया।

अग्रेतर, पन्द्रहवें वित्त आयोग ने 2020–21 (₹ 2,578 करोड़) और 2021–22 (₹ 2,578 करोड़) की अवधि के दौरान राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि (एसडीआरएमएफ) के लिये उत्तर प्रदेश को ₹ 5,156 करोड़ आवंटित किये। एसडीआरएमएफ के लिये ₹ 2,578 करोड़ में से (भारत सरकार का अंशः ₹ 1,933 करोड़ और राज्य का अंशः ₹ 645 करोड़), ₹ 2,062.40 करोड़ (80 प्रतिशत) एसडीआरएफ के लिये था (भारत सरकार का अंशः ₹ 1,546.40 करोड़ और राज्य सरकार का अंशः ₹ 516 करोड़) और ₹ 515.60 करोड़ (20 प्रतिशत) राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (भारत सरकार का अंशः ₹ 386.60 करोड़ और राज्य सरकार का अंश ₹ 129 करोड़) के लिये था। वर्ष 2020–21 के दौरान, भारत सरकार ने एसडीआरएमएफ के लिये ₹ 1,933 करोड़ का स्वयं का अंश जारी किया जबकि वर्ष 2021–22 के लिये भारत सरकार ने ₹ 1,546.40 करोड़ जारी किये। वर्ष 2021–22 के दौरान (₹ 386.60) करोड़ कम अवमुक्ति राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (एसडीएमएफ) के लिये भारत सरकार का अंश अवमुक्त नहीं करने के कारण था। अग्रेतर, राज्य सरकार ने वर्ष 2020–21 से सम्बन्धित ₹ 386.60 करोड़ एसडीएमएफ को हस्तांतरित करने के बजाय 2020–22 की अवधि के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी सम्पूर्ण धनराशि ₹ 3,479.40 करोड़ को एसडीआरएफ को हस्तांतरित कर दिया। इसके अलावा, राज्य सरकार ने भी 2020–22 की अवधि के दौरान स्वयं के अंश के ₹ 1,160.33 करोड़ एसडीआरएफ को हस्तांतरित कर दिये।

2.5 पूंजीगत प्राप्तियाँ

पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियां यथा विनिवेश से प्राप्तियां, ऋणों और अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों से उधार आदि) से ऋण प्राप्तियां और भारत सरकार से ऋण और अग्रिम सम्मिलित हैं। पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि और संघटन में प्रवृत्तियां **तालिका 2.8** में दर्शायी गयी है।

तालिका 2.8: वर्ष 2017–22 की अवधि में पूंजीगत प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
पूँजीगत प्राप्तियाँ	**47,653**	**56,908**	**79,450**	**87,994**	**76,690**
(i) विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(ii) ऋण एवं अग्रिम की वसूली (गैर ऋण प्राप्तियाँ)	**236**	**5,313**	**5,641**	**1,135**	**939**
(iii) लोक ऋण प्राप्तियॉं, जिसमें से	**47,417**	**51,595**	**73,809**	**86,859**	**75,751**
आंतरिक ऋण	46,314	50,791	72,554	78,677	65,003
आंतरिक ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	*(-)30.52*	*9.67*	*42.85*	*8.44*	*(-)17.38*
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	1,103	804	1,255	8,182	10,748
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	*6.98*	*(-)27.11*	*56.09*	*551.95**	*31.36**
ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	*(-)29.94*	*8.81*	*43.05*	*17.68*	*(-)12.79*
गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	*(-)8.88*	*2,151.27*	*6.17*	*(-)79.88*	*(-)17.27*
जीएसडीपी की वृद्धि दर	***11.73***	***9.88***	***7.46***	***(-)3.04***	***13.02***
पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	***(-)29.86***	***19.42***	***39.61***	***10.75***	***(-)12.85***

स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

** भारत सरकार से प्राप्त ऋणों एवं अग्रिमों की वृद्धि में राज्य के पुनर्भुगतान के दायित्व से रहित जीएसटी न्यूनता क्षतिपूर्ति के बदले बैक–टू–बैक ऋण वर्ष 2020–21 और 2021–22 के लिए क्रमशः ₹ 6,007 करोड़ और ₹ 8,140 करोड़ सम्मिलित है।*

जैसा कि **तालिका 2.8** से स्पष्ट है कि वर्ष 2021–22 में राज्य की पूंजीगत प्राप्तियों में ₹ 11,304 करोड़ की कमी हुई, जो वर्ष 2020–21 की तुलना में 12.85 प्रतिशत की कमी को दर्शाती है, जो पिछले वर्ष की तुलना में आंतरिक ऋण के अन्तर्गत 17.38 प्रतिशत कम प्राप्ति के कारण थी। वर्ष 2017–21 की अवधि के दौरान आंतरिक ऋण प्राप्तियों की उर्ध्वमुखी प्रवृत्ति थी और वर्ष 2021–22 में अधोमुखी प्रवृत्ति थी। वर्ष 2017–22 की अवधि के दौरान भारत सरकार से प्राप्त ऋणों एवं अग्रिमों में भी उतार–चढ़ाव हुआ, वर्ष 2021–22 के दौरान यह उच्चतम ₹ 10,748 करोड़ था जो कि जीएसटी क्षतिपूर्ति की न्यूनता के बदले ₹ 8,140 करोड़ के बैक–टू–बैक ऋण के कारण था जिसमें राज्य की कोई पुनर्भुगतान देयता नहीं है क्योंकि इसे जीएसटी क्षतिपूर्ति कोष में उपकर के संग्रह से पुनर्भुगतान किया जाना है।

वर्ष 2021–22 के दौरान, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली में विगत वर्ष (₹ 1,135 करोड़) की तुलना में 17.27 प्रतिशत (₹ 939 करोड़) की कमी आई। वर्ष 2018–19 और 2019–20 के दौरान ऋण और अग्रिमों की उच्च वसूली मुख्य रूप से उदय योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष में ₹ 4,891.72 करोड़ की राशि के ऋण के पीएसयू को सहायता अनुदान में रूपांतरण के कारण हुई थी।

2.6 संसाधन जुटाने में राज्य का प्रदर्शन

संसाधनों को जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का मूल्यांकन केन्द्रीय करों में राज्यांश और भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान को सम्मिलित किये बगैर स्वयं के कर राजस्व और करेतर राजस्व के संदर्भ में किया जाता है। वर्ष 2021–22 के दौरान, राज्य के स्वयं के कर राजस्व की प्राप्ति मध्यावधि राजकोषीय पुनर्गठन नीति (एमटीएफआरपी) 2021 और पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा किए गए अनुमान से क्रमशः 20.92 प्रतिशत कम और 18.73 प्रतिशत अधिक थी, जैसा कि **तालिका 2.9** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 2.9: वर्ष 2021–22 के दौरान अनुमान के सापेक्ष कर एवं करेतर प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	पन्द्रहवें वित्त आयोग का अनुमान	बजट अनुमान/ एमटीएफआरपी	वास्तविक	इनके सापेक्ष वास्तविक का प्रतिशत विचलन	
				वित्त आयोग का अनुमान	बजट अनुमान/ एमटीएफआरपी
स्वयं के कर राजस्व	1,24,116	1,86,345	1,47,368	18.73	(-)20.92
करेतर राजस्व	32,470	25,422	11,436	(-)64.78	(-)55.01

स्रोतः पंद्रहवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन एवं वर्ष 2022–23 के लिये राज्य सरकार का बजट दस्तावेज एवं वित्त लेखे 2021–22

वर्ष 2021–22 में राज्य का स्वयं का कर राजस्व बजट अनुमान/एमटीएफआरपी 2021 में किए गए अनुमान की तुलना में काफी कम था। यह मुख्य रूप से एमटीएफआरपी 2021 के अनुमानों की तुलना में एसजीएसटी (₹ 18,691 करोड़), स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क (₹ 5,452 करोड़), राज्य आबकारी (₹ 5,180 करोड़), और बिक्री, व्यापार आदि पर कर (₹ 4,042 करोड़) के कम संग्रह के कारण था। तथापि, स्वयं के कर राजस्व जुटाने में राज्य का प्रदर्शन पन्द्रहवें वित्त आयोग के अनुमानों से बेहतर था।

2.7 संसाधनों का अनुप्रयोग

राज्य सरकार में राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों के संरचना के अन्तर्गत व्यय करने का उत्तरदायित्व निहित है, साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि राज्य की चल रही राजकोषीय सुधार और समेकन की प्रक्रिया पूँजीगत अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्र के विकास हेतु किये गये व्यय की लागत पर नहीं हों। यह प्रस्तर उप–प्रस्तरों सहित राज्य में व्यय के आवंटन का विश्लेषण करता है।

संचित निधि के अन्तर्गत व्यय विशिष्ट कार्यों या सेवाओं के अनुरूप क्षेत्रों जैसे 'सामान्य सेवाएं', 'सामाजिक सेवाएं', 'आर्थिक सेवाएं', 'सहायता अनुदान और अंशदान', 'लोक ऋण' और 'ऋण एवं अग्रिम' में वर्गीकृत किये जाते हैं। राज्य के समेकित निधि के अन्तर्गत श्रेणीवार व्यय की प्रवृत्ति को **चार्ट 2.6** में प्रस्तुत किया गया है।

चार्ट 2.6: वर्ष 2017–22 की अवधि के दौरान में क्षेत्रवार व्यय की प्रतिशतता

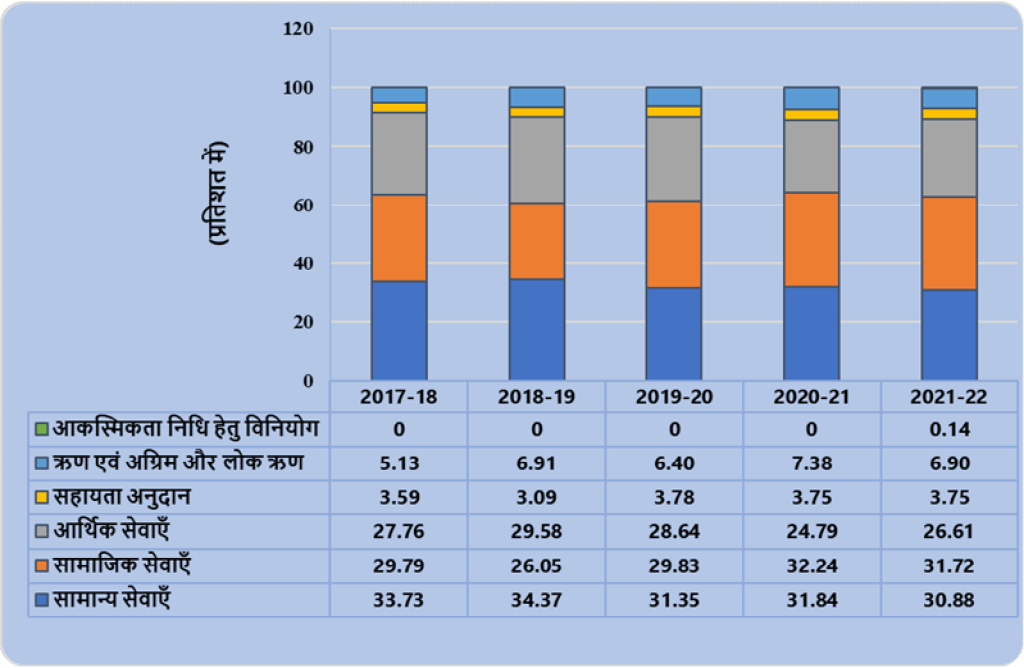

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
आकस्मिकता निधि हेतु विनियोग	0	0	0	0	0.14
ऋण एवं अग्रिम और लोक ऋण	5.13	6.91	6.40	7.38	6.90
सहायता अनुदान	3.59	3.09	3.78	3.75	3.75
आर्थिक सेवाएँ	27.76	29.58	28.64	24.79	26.61
सामाजिक सेवाएँ	29.79	26.05	29.83	32.24	31.72
सामान्य सेवाएँ	33.73	34.37	31.35	31.84	30.88

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

2.7.1 व्यय की वृद्धि और संघटन

वर्ष 2017–22 की अवधि के दौरान राज्य की संचित निधि और इसकी संरचना के अन्तर्गत कुल व्यय को **तालिका 2.10** में संक्षेपित किया गया है और **चार्ट 2.7** में भी दर्शाया गया है।

तालिका 2.10: वर्ष 2017–22 की अवधि के दौरान कुल व्यय एवं इसकी संरचना

(₹ करोड़ में)

मापदण्ड	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
कुल व्यय (टीई)	3,06,821	3,70,494	3,60,951	3,51,933	4,11,237
राजस्व व्यय (आरई)	2,66,224	3,01,728	2,98,833	2,98,543	3,37,581
पूंजीगत व्यय (सीई)	39,088	62,463	59,998	52,237	71,443
ऋण और अग्रिम	1,509	6,303	2,120	1,153	1,613
आकस्मिकता निधि में विनियोग	0	0	0	0	600
जीएसडीपी की प्रतिशतता के रूप में					
कुल व्यय/जीएसडीपी	21.31	23.42	21.23	21.35	22.07
राजस्व व्यय/जीएसडीपी	18.49	19.07	17.58	18.11	18.12
पूंजीगत व्यय/जीएसडीपी	2.71	3.95	3.53	3.17	3.83
ऋण तथा अग्रिम/जीएसडीपी	0.10	0.40	0.12	0.07	0.09

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 2.7: वर्ष 2017–22 की अवधि के दौरान घटकवार व्यय की प्रवृत्तियाँ

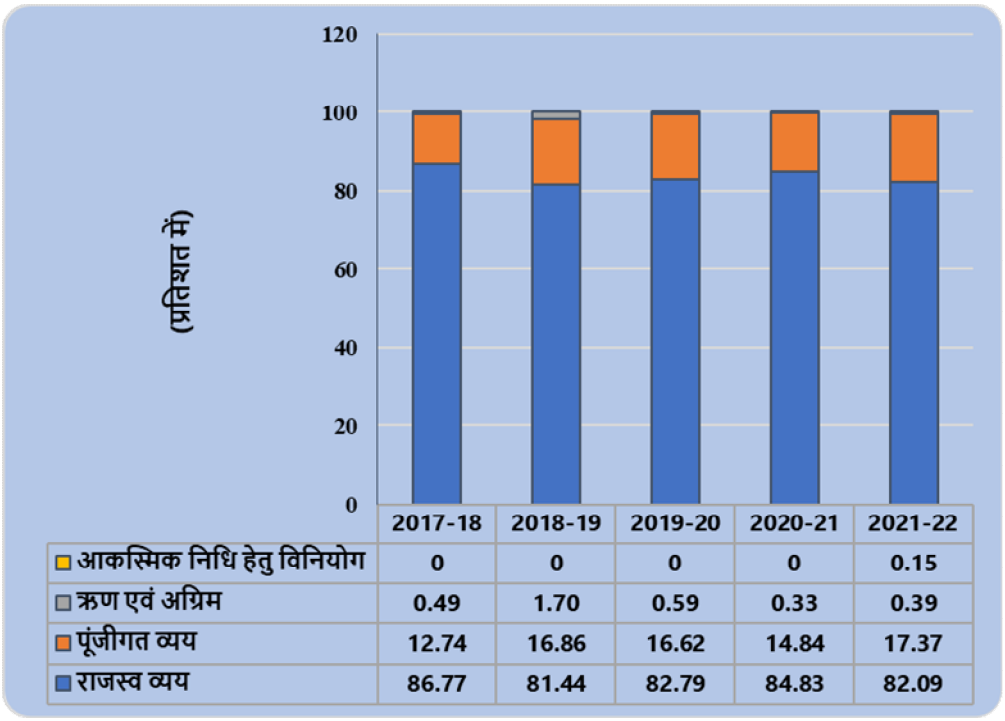

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
आकस्मिक निधि हेतु विनियोग	0	0	0	0	0.15
ऋण एवं अग्रिम	0.49	1.70	0.59	0.33	0.39
पूंजीगत व्यय	12.74	16.86	16.62	14.84	17.37
राजस्व व्यय	86.77	81.44	82.79	84.83	82.09

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2017–22 की अवधि के दौरान, राज्य का कुल व्यय 2017–18 में ₹ 3,06,821 करोड़ से 34.03 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2021–22 में ₹ 4,11,237 करोड़ हो गया। यह वृद्धि मुख्य रूप से राजस्व व्यय (₹ 71,357 करोड़), पूंजीगत व्यय (₹ 32,355 करोड़) और ऋण और अग्रिमों के संवितरण (₹ 104 करोड़) और आकस्मिकता निधि में विनियोग (₹ 600 करोड़) के कारण हुआ था। वर्ष 2017–22 की अवधि के दौरान, राजस्व व्यय कुल व्यय का औसतन 83.43 प्रतिशत था और पूंजीगत व्यय कुल व्यय का 15.83 प्रतिशत था। इस प्रकार, कुल व्यय में राजस्व व्यय प्रमुख अंश था।

वर्ष 2021–22 के दौरान राज्य की संचित निधि के अन्तर्गत घटकवार व्यय **चार्ट 2.8** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.8: वर्ष 2021–22 के दौरान घटकवार व्यय

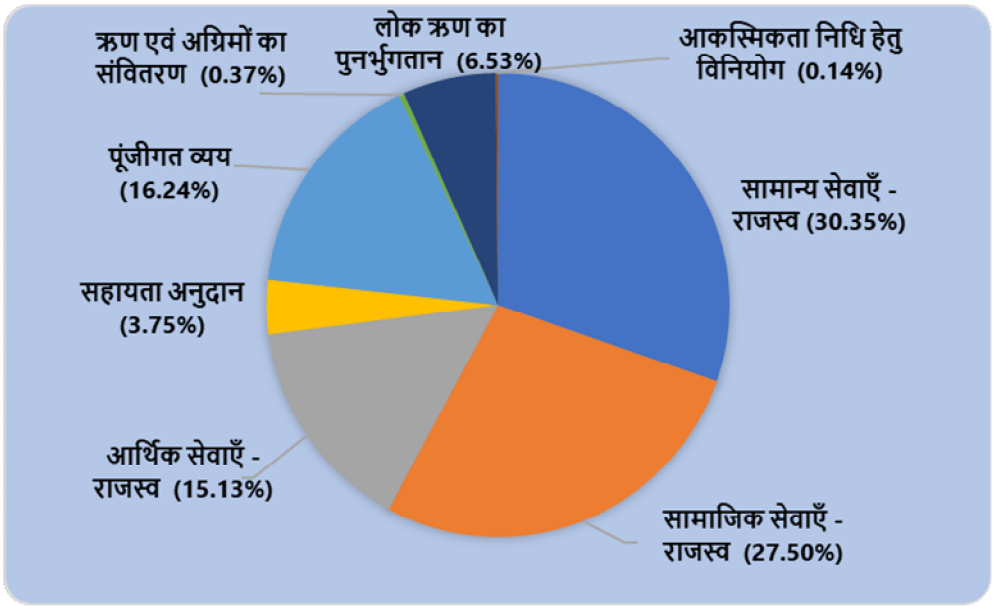

स्रोत: वर्ष 2021–22 के वित्त लेखे

चार्ट 2.8 दर्शाता है कि वर्ष 2021–22 के दौरान, सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत राजस्व व्यय कुल व्यय का उच्चतम 30.35 प्रतिशत था जिसमें राज्य के अंगों, राजकोषीय सेवाओं, ब्याज भुगतान, प्रशासनिक सेवाओं और पेंशन पर व्यय सम्मिलित है। सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय कुल व्यय का 27.50 प्रतिशत था जिसमें शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, समाज कल्याण एवं पोषण, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता, नगरीय विकास आदि पर व्यय सम्मिलित है। आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय 15.13 प्रतिशत था जिसमें कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं, ग्रामीण विकास, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, ऊर्जा, उद्योग एवं खनिज, परिवहन आदि पर व्यय सम्मिलित है।

2.7.2 राजस्व व्यय

सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने और पिछले दायित्व के भुगतान के लिए राजस्व व्यय किया जाता है। इस प्रकार, इससे राज्य की अवसंरचना और सेवा तंत्र में कोई वृद्धि नहीं होती है। राजस्व व्यय में मजदूरी और वेतन, ब्याज भुगतान, पेंशन, पूंजीगत कार्यों के संचालन और रखरखाव पर व्यय, सब्सिडी और स्थानीय निकायों, सहकारी समितियों, गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) और अन्य को अन्तरण सम्मिलित हैं। राजस्व व्यय के मूल मापदण्ड **तालिका 2.11** में दिए गए हैं।

तालिका 2.11: वर्ष 2017–22 की अवधि के दौरान राजस्व व्यय के मूल मापदण्ड

(₹ करोड़ में)

मापदण्ड	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
कुल व्यय (टीई)	3,06,821	3,70,494	3,60,951	3,51,933	4,11,237
राजस्व व्यय (आरई)	2,66,224	3,01,728	2,98,833	2,98,543	3,37,581
आरई की वृद्धि दर (प्रतिशत)	12.52	13.34	(-)0.96	(-)0.10	13.08
टीई के सापेक्ष राजस्व व्यय का प्रतिशत	86.77	81.44	82.79	84.83	82.09
जीएसडीपी (₹ करोड़ में)	14,39,925	15,82,180	17,00,273	16,48,567	18,63,221
जीएसडीपी में वृद्धि की दर (प्रतिशत)	*11.73*	*9.88*	*7.46*	*(-)3.04*	*13.02*
आरई/जीएसडीपी (प्रतिशत)	18.49	19.07	17.58	18.11	18.12
राजस्व प्राप्ति के सापेक्ष राजस्व व्यय का प्रतिशत	95.50	91.44	81.56	100.80	90.99
निम्न के सापेक्ष राजस्व व्यय का उछाल					
जीएसडीपी (अनुपात)	1.07	1.35	(-)0.13	*	1.01
राजस्व प्राप्ति (अनुपात)	1.47	0.73	(-)0.09	*	0.52

स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

** चूंकि जीएसडीपी एवं राजस्व प्राप्ति की वृद्धि ऋणात्मक थी, इसलिये उछाल की गणना नहीं की गयी।*

राजस्व व्यय कुल व्यय का प्रमुख घटक बना रहा। तथापि, इसका अंश वर्ष 2017–18 में 86.77 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2021–22 में 82.09 प्रतिशत हो गया। राजस्व व्यय की वृद्धि दर में वर्ष 2018–19 में 13.34 प्रतिशत से वर्ष 2019–20 में (–)0.96 प्रतिशत के बीच व्यापक रूप से उतार–चढ़ाव बना रहा। जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय में 2017–22 की अवधि के दौरान उतार–चढ़ाव की प्रवृत्ति दिखी। यह वर्ष 2018–19 में उच्चतम (19.07 प्रतिशत) और वर्ष 2019–20 में निम्नतम (17.58 प्रतिशत) था। जीएसडीपी के सापेक्ष राजस्व व्यय उछाल, जीएसडीपी में प्रतिशत परिवर्तन के सापेक्ष राजस्व व्यय में प्रतिशत परिवर्तन को मापता है। जैसा कि **तालिका 2.11** से स्पष्ट है कि वर्ष 2021–22 के दौरान राजस्व व्यय में उछाल 1.01 था जो राज्य की

अर्थव्यवस्था में वृद्धि की तुलना में राजस्व व्यय के मामूली उच्च वृद्धि दर को दर्शाता है।

वर्ष 2021–22 के दौरान राजस्व व्यय में वृद्धि मुख्य रूप से सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों (₹ 2,255.73 करोड़), पुलिस (₹ 3,752.18 करोड़), लोक निर्माण (₹ 560.01 करोड़), और ब्याज भुगतान (₹ 5,447.08 करोड़) पर हुई। सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत सामान्य शिक्षा (₹ 4,509.10 करोड़), आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत ऊर्जा (₹ 11,683.80 करोड़) जो मुख्य रूप से सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत शहरी विकास (₹ 1,679.08 करोड़) और आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत सड़क और सेतुओं (₹ 4,483.65 करोड़), अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (₹ 1,698.33 करोड़) के कम व्यय से प्रतिसंतुलित थी। वर्ष 2021–22 के दौरान सामान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओं और आर्थिक सेवाओं का घटकवार राजस्व व्यय **चार्ट 2.9** में प्रस्तुत किया गया है।

चार्ट 2.9: वर्ष 2021–22 के दौरान राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण

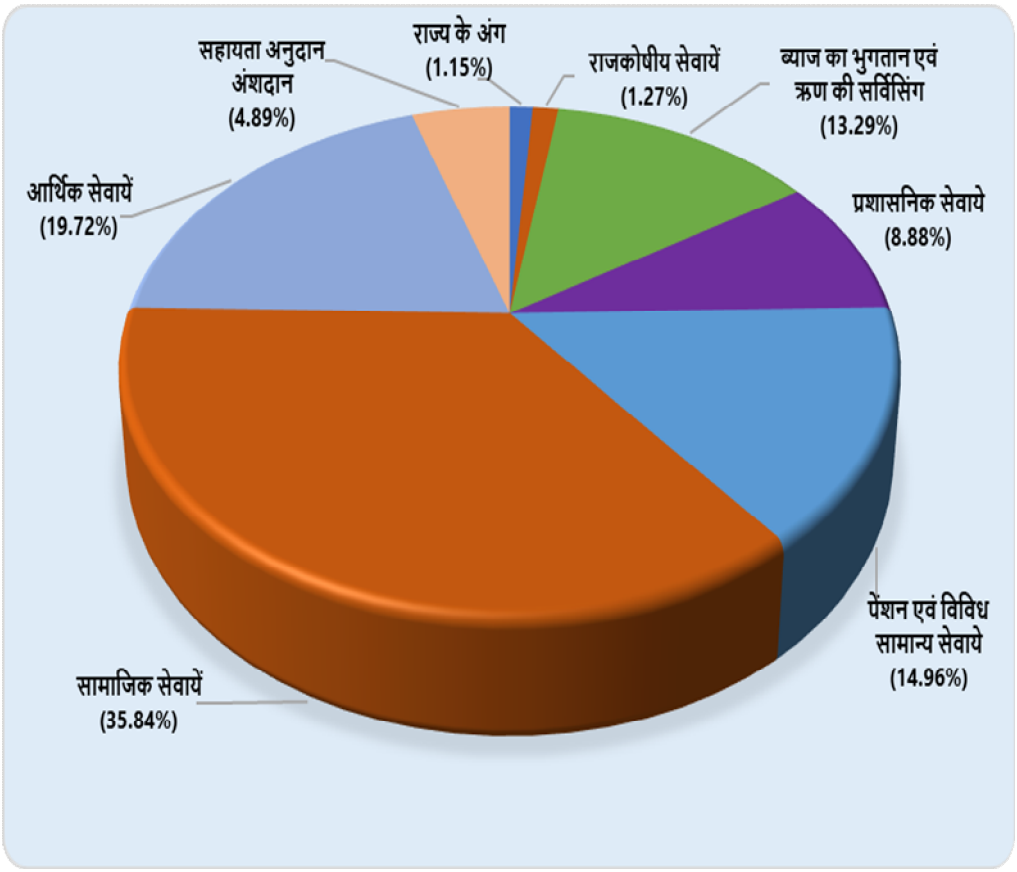

स्रोत: वर्ष 2021–22 के वित्त लेखे

2.7.3 प्रतिबद्ध और गैर–प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखे पर राज्य सरकार के व्यय को प्रतिबद्ध और गैर–प्रतिबद्ध व्यय में वर्गीकृत किया जा सकता है। राजस्व लेखे पर राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में मुख्य रूप से वेतन और मजदूरी, पेंशन भुगतान और ब्याज भुगतान पर व्यय सम्मिलित है जिस पर वर्तमान कार्यपालिका का सीमित नियंत्रण है। प्रतिबद्ध व्यय से इतर अन्य व्यय को गैर–प्रतिबद्ध व्यय में वर्गीकृत किया जा सकता है। वर्ष 2017–22 की अवधि के दौरान प्रतिबद्ध और गैर–प्रतिबद्ध व्यय के अंश की प्रवृत्ति को **चार्ट 2.10** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.10: राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध एवं गैर प्रतिबद्ध व्यय का अंश

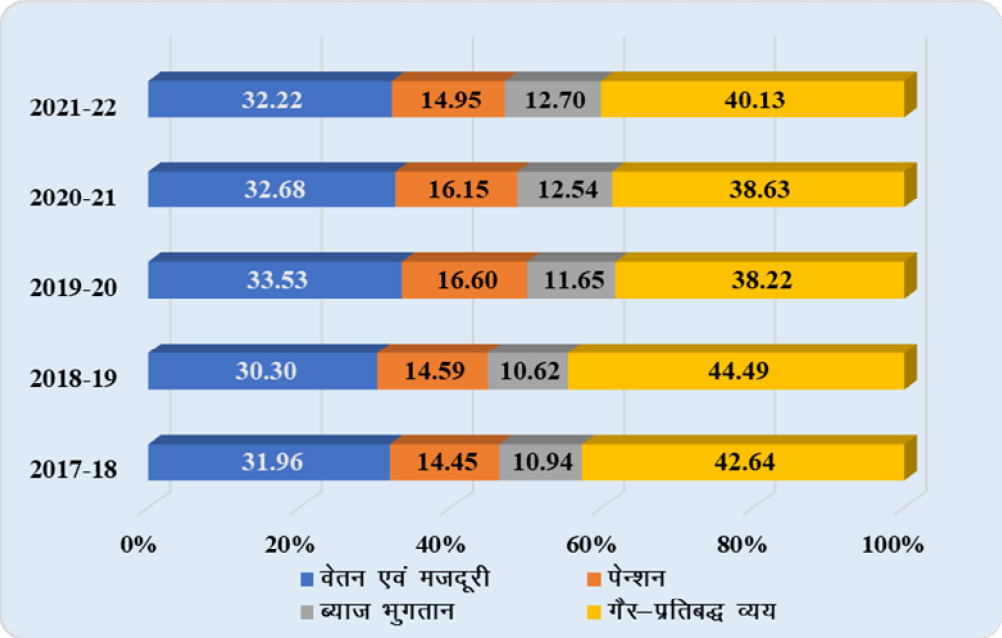

स्रोत: संम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

2.7.4 प्रतिबद्ध व्यय

वर्ष 2017–22 की अवधि के दौरान घटकवार प्रतिबद्ध व्यय **तालिका 2.12** में दिया गया है।

तालिका 2.12 : वर्ष 2017–22 की अवधि के दौरान प्रतिबद्ध व्यय पर घटकवार व्यय

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
वेतन एवं मजदूरी	85,076	91,413	1,00,188	97,576	1,08,775
(i) वेतन	43,490	50,471	53,508	50,333	54,727
(ii) मजदूरी	921	1,062	1,357	2,363	2,500
(iii) सहायता अनुदान (वेतन)	40,665	39,880	45,323	44,880	51,548
पेंशन	38,476	44,024	49,603	48,219	50,475
ब्याज भुगतान	29,136	32,042	34,813	37,428	42,876
योग	**1,52,688**	**1,67,479**	**1,84,604**	**1,83,223**	**2,02,126**
राजस्व प्राप्ति (आरआर) के प्रतिशत के रूप में					
वेतन एवं मजदूरी	*30.52*	*27.70*	*27.34*	*32.95*	*29.32*
पेंशन	*13.80*	*13.34*	*13.54*	*16.28*	*13.60*
ब्याज भुगतान	*10.45*	*9.71*	*9.50*	*12.64*	*11.56*
योग	***54.77***	***50.75***	***50.38***	***61.87***	***54.48***
राजस्व व्यय (आरई) के प्रतिशत के रूप में					
वेतन एवं मजदूरी	*31.96*	*30.30*	*33.53*	*32.68*	*32.22*
पेंशन	*14.45*	*14.59*	*16.60*	*16.15*	*14.95*
ब्याज भुगतान	*10.94*	*10.62*	*11.65*	*12.54*	*12.70*
योग	***57.35***	***55.51***	***61.78***	***61.37***	***59.87***

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

प्रतिबद्ध व्यय, व्यय की प्राथमिकता तय करने और सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना की बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पूंजी निवेश को पूरा करने में राज्य को प्रभावित करता है। राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के सापेक्ष प्रतिबद्ध व्यय का उच्च अनुपात यह इंगित करता है कि राज्य के पास नई योजनाओं के लिए अपने संसाधनों के आवंटन में सीमित लचीलापन है। **तालिका 2.12** प्रदर्शित करती है कि वर्ष 2017–22 की अवधि के दौरान प्रतिबद्ध व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति पायी गयी, सिवाय वर्ष 2020–21 के जिसमें वर्ष 2019–20 की तुलना में 0.75 प्रतिशत (₹ 1,381 करोड़) की कमी आयी। प्रतिबद्ध व्यय के घटक–वार विवरण पर नीचे चर्चा की गई है।

2.7.4.1 वेतन एवं मजदूरी पर व्यय

राज्य सरकार में 31 मार्च 2021 को 12,65,590 स्वीकृत पद थे। वर्ष 2021–22 के दौरान, राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन पर व्यय ₹ 54,727 करोड़ था। यह राजस्व प्राप्तियों (₹ 3,71,011 करोड़) का 14.75 प्रतिशत और राजस्व व्यय (₹ 3,37,581 करोड़) का 16.21 प्रतिशत था। तथापि, मानक मद 'सहायक अनुदान–सामान्य (वेतन)', 'संशोधित वेतन का बकाया (राज्य सहायता)[14] और 'मजदूरी' के व्यय को शामिल करते हुए वेतन मद पर कुल व्यय ₹ 1,08,775 करोड़ था जो राजस्व प्राप्तियों का 29.32 प्रतिशत और राजस्व व्यय का 32.22 प्रतिशत था।

विगत वर्ष 2020–21 की तुलना में वेतन एवं मजदूरी पर कुल व्यय में 11.48 प्रतिशत (₹ 11,199 करोड़) की वृद्धि हुई, जो कि मुख्य रूप से मंहगाई भत्ता (3,693 करोड़) और सहायक अनुदान–सामान्य (वेतन) के अधिक संवितरण (₹ 6,703 करोड़) के कारण थी।

2.7.4.2 ब्याज भुगतान

राज्य सरकार द्वारा आंतरिक ऋण, लघु बचत, भविष्य निधि, केंद्र सरकार के ऋण और अग्रिमों आदि पर ब्याज भुगतान का लेखा–जोखा मुख्य शीर्ष 2049–ब्याज भुगतान के अन्तर्गत किया जाता है। वर्ष 2017–22 की अवधि के दौरान, ब्याज के भुगतान पर व्यय 10.14 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर के साथ ₹ 29,136 करोड़ से बढ़कर ₹ 42,876 करोड़ हो गया। वर्ष 2020–21 की तुलना में, वर्ष 2021–22 में 14.56 प्रतिशत की वृद्धि मुख्य रूप से बाजार ऋण (₹ 5,087 करोड़), अन्य आंतरिक ऋण (₹ 504.50 करोड़) व राज्य भविष्य निधि (₹ 446.65 करोड़) पर ब्याज भुगतान में वृद्धि के कारण हुई।

अग्रेतर, राज्य सरकार ने परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (डीसीपीएस) के अंतर्गत, लेखाशीर्ष '2071–01–117–09–विलम्ब से जमा ग्राहक अंशदान पर ब्याज का भुगतान' के अंतर्गत ₹ 8.34 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया। इसके अलावा, लेखाशीर्ष '2071–01–117–08 दिनांक 31.03.2019 तक देय अवशेष नियोक्ता योगदान/देर से जमा नियोक्ता योगदान पर ब्याज' के अंतर्गत ₹ 22.99 करोड़ का व्यय किया गया था। संघ और राज्यों के मुख्य और लघु लेखा शीर्ष की सूची (एलएमएमएच) के अनुसार, डीसीपीएस पर ब्याज 2049–03–117 शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया जाना आवश्यक है। मुख्य शीर्ष 2071 के अन्तर्गत डीसीपीएस पर बजट और ब्याज का भुगतान एलएमएमएच का उल्लंघन था, इसके अलावा इससे मुख्य शीर्ष 2049 के अन्तर्गत ब्याज व्यय को कम बताया गया।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने वर्ष 2021–22 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लिये गये गैर–बजट ऋणों के भुगतान पर ब्याज भुगतान के लिए राज्य के

[14] प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं सहायता प्राप्त संस्थाओं, स्वायत्त निकायों, इत्यादि के कर्मचारियों से सम्बन्धित।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को ₹ 92.43 करोड़ की वित्तीय सहायता (सहायता अनुदान) प्रदान की थी, जैसा कि **प्रस्तर 4.2** में चर्चा की गई है।

2.7.4.3 पेंशन भुगतान

राज्य में दिनांक 31 मार्च 2022 को 11.37 लाख पेंशनभोगी थे। 2017–22 की अवधि के दौरान पेंशन भुगतान पर वार्षिक व्यय ₹ 38,476 करोड़ से ₹ 50,475 करोड़ के मध्य विस्तारित था। वर्ष 2021–22 में, पेंशन पर व्यय धनराशि ₹ 50,475 करोड़ था, जो कि विगत वर्ष (₹ 48,219 करोड़) के सापेक्ष 4.68 प्रतिशत उच्च था। यह वृद्धि मुख्य रूप से शीर्ष ग्रेच्यूटी (₹ 391.53 करोड़), पारिवारिक पेंशन' (₹ 752.60 करोड़), 'राज्य सहायतित शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारियों के पेंशन' (₹ 1,155.86 करोड़), अवकाश नकदीकरण लाभ (₹ 325.21 करोड़), परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के लिये शासकीय अंशदान (₹ 144.02 करोड़), व अन्य पेंशन व्यय (₹ 593.81 करोड़) में था। तथापि, अधिवार्षिकी व सेवानिवृत्ति भत्ते में (₹ 1,135.90 करोड़) विगत वर्ष 2020–21 की तुलना में कम भुगतान हुआ था। वर्ष 2021–22 में पेंशन पर व्यय कुल राजस्व प्राप्तियों का 13.60 प्रतिशत तथा कुल राजस्व व्यय का 14.95 प्रतिशत और वेतन व्यय का 46.40 प्रतिशत था।

2.7.5 सब्सिडी

राज्य सरकार कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभागों, उद्योग विभाग, ऊर्जा विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अनुदान प्रदान करती है, जिसका विस्तृत विवरण वित्त लेखे के परिशिष्ट II में दिया गया है। 2017–22 की अवधि के दौरान प्रदान की गई सब्सिडी का विवरण **तालिका 2.13** में दिया गया है।

तालिका 2.13: वर्ष 2017–22 के दौरान सब्सिडी पर व्यय

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
सब्सिडी (₹ करोड़ में)	9,284	14,053	14,092	11,677	20,145
राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	*3.33*	*4.26*	*3.85*	*3.94*	*5.43*
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	*3.49*	*4.66*	*4.72*	*3.91*	*5.97*

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

सब्सिडी पर व्यय वर्ष 2017–18 में ₹ 9,284 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2021–22 में ₹ 20,145 करोड़ हो गया। वर्ष 2021–22 के दौरान ₹ 20,145 करोड़ की सब्सिडी राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय का क्रमशः 5.43 प्रतिशत और 5.97 प्रतिशत थी। इसमें केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत ₹ 2,521.08 करोड़ की केन्द्रीय सहायता भी सम्मिलित है। विगत वर्ष 2020–21 की तुलना में वर्ष 2021–22 के दौरान सब्सिडी में कुल वृद्धि (₹ 8,468 करोड़) मुख्य रूप से 'उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड को प्रतिपूरक अनुदान (₹ 7,148.31 करोड़ से)', राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) (₹ 492.87 करोड़ से)', 'स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (₹ 435.60 करोड़ से)', 'उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन को कृषि उत्पादन में सुधार हेतु किसानों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति के लिये अनुदान (₹ 300 करोड़ से)' एवं 'अतिरिक्त उर्जा स्रोत गैर पारम्परिक निजी विकास एजेंसी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन (₹ 201.04 करोड़ से)' के कारण था, जिसको 'औद्योगिक निवेश व अधिष्ठान कार्यान्यवन नीति–2012 के अंतर्गत (₹ 86.35 करोड़ से) प्राथमिक सहकारी कृषि ऋण समिति के माध्यम से कम ब्याज दर पर कृषि ऋण प्रदान करने के

लिये अनुदान (₹ 33.97 करोड़ से)' के अन्तर्गत घटी हुई सब्सिडी से प्रतिसंतुलित किया गया था।

वर्ष 2021–22 के दौरान सब्सिडी के मुख्य अंश वाले विभाग **तालिका 2.14** में दिये गये हैं।

तालिका 2.14: 2021–22 के दौरान सब्सिडी का मुख्य अंश वाले विभाग

अनुदान संख्या	प्राप्तकर्ता विभाग का नाम	सब्सिडी की धनराशि (₹ करोड़ में)	कुल सब्सिडी का प्रतिशत	मुख्य उद्देश्य
09	**ऊर्जा**	13,388.16	66.46	यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को प्रतिपूरक अनुदान (₹ 11,965.66 करोड़), एवं यूपीपीसीएल को विद्युत कर के लिए भुगतान की गई धनराशि के सापेक्ष राजस्व प्रतिपूरक अनुदान (₹ 1,050 करोड़)
83	**समाज कल्याण (अनुसूचित जातियों के विशेष घटक योजना)**	1,251.23	6.21	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को अनुदान (₹ 1,009.52 करोड़)
11	**कृषि**	2,578.92	12.80	कृषि उत्पादन में सुधार के लिये किसानों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड को अनुदान (₹ 1,500 करोड़) एवं राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम (₹ 600 करोड़)।

स्रोत : वित्त लेखे 2021–22

2.7.6 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता, अनुदान और ऋण के रूप में प्रदान की जाती है। 2017–22 की अवधि के दौरान स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को सहायता अनुदान के रूप में प्रदान की गई सहायता की मात्रा **तालिका 2.15** में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 2.15: वर्ष 2017–22 के दौरान स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
(क) पंचायती राज संस्थायें (जिला परिषद एवं ग्राम पंचायतें)	10,096.44	16,209.80	12,517.71	10,412.00	7,635.03
(ख) शहरी स्थानीय निकाय (नगर निगम एवं नगर पालिकाएं)	1,208.46	3,081.35	9,059.97	15,115.15	13,610.89
योग (क+ख)	**11,304.90**	**19,291.15**	**21,577.68**	**25,527.15**	**21,245.92**
(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सरकारी कंपनियां और सांविधिक निगम)	133.41	7,053.03	8,940.17	7,018.39	7,391.59
(घ) स्वायत्त निकाय (विश्वविद्यालय, विकास प्राधिकरण, सहकारी संस्थाएं एवं अन्य)	5,405.83	6,436.96	37,393.78	35,251.87	44,342.71
(च) गैर–सरकारी संगठन	26,038.26	181.61	7,140.75	7,040.51	7,924.10
(छ) विविध	49,338.56	58,801.38	18,282.08	24,050.46	19,941.12
योग (ग+घ+च+छ)	**80,916.06**	**72,472.98**	**71,756.78**	**73,361.23**	**79,599.52**

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
महायोग (क+ख+ग+घ+च+छ)	**92,220.96**	**91,764.13**	**93,334.46**	**98,888.38**	**1,00,845.44**
राजस्व व्यय	2,66,224	3,01,728	2,98,833	2,98,543	3,37,581
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सहायता	*34.64*	*30.41*	*31.23*	*33.12*	*29.87*

स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2021–22 के दौरान राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य अनुदानग्राही संस्थाओं को सहायता अनुदान के रूप में ₹ 1,00,845.44 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी, जो वर्ष 2020–21 की तुलना में 1.98 प्रतिशत (₹ 1,957.06 करोड़) अधिक थी। वर्ष 2017–18 के तुलना में वर्ष 2021–22 के दौरान इसमें ₹ 8,624.48 करोड़ (9.35 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। तथापि, राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में वर्ष 2017–18 में 34.64 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2021–22 में 29.87 प्रतिशत हो गयी।

पंचायती राज संस्थाओं को सहायता वर्ष 2018–19 में ₹ 16,209.80 करोड़ से घटकर वर्ष 2021–22 में ₹ 7,635.03 करोड़ हो गयी। वर्ष 2021–22 के दौरान राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को जारी सहायता अनुदान ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिये (₹ 7,208 करोड़) पंद्रहवें वित्त आयोग से अनुदान के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान एवं केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता (₹ 427.03 करोड़) का हंस्तातरण था। वर्ष 2020–21 की तुलना में वर्ष 2021–22 के दौरान वित्त आयोग अनुदान के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं को जारी सहायता अनुदान ₹ 2,544 करोड़ और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में ₹ 233 करोड़ कम हो गया।

नगरीय स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता 2017–18 में ₹ 1,208.46 करोड़ से बढ़कर 2021–22 में ₹ 13,610.89 करोड़ हो गई। तथापि, वर्ष 2021–22 के दौरान, इसमें वर्ष 2020–21 की तुलना में जारी सहायता अनुदान ₹ 1,504.26 करोड़ (9.95 प्रतिशत) की कमी हुई। यह कमी मुख्य रूप से वित्त आयोग अनुदान (₹ 2,576.75 करोड़) के अन्तर्गत थी। नगरीय स्थानीय निकायों को दी जाने वाली सहायता में पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए ₹ 10,051.24 करोड़ सम्मिलित थे।

2.7.7 स्थानीय निकाय को राज्य वित्त आयोग अनुदान

संविधान के अनुच्छेद 243 आई (अनुच्छेद 243 वाई के साथ पठित) राज्य सरकार के लिये पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों (यू0एल0बी0) की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिये प्रत्येक पांचवे वर्ष की समाप्ति पर राज्य वित्त आयोग (एस0एफ0सी0) का गठन करना अनिवार्य है और अन्य बातों के साथ राज्य द्वारा लगाये जाने वाले करों, शुल्कों, टोल्स एवं फीस की निवल आय को राज्य एवं पंचायती राज संस्थाओं/नगरीय स्थानीय निकायों के मध्य वितरण की अनुशंसा करता है।

राज्य सरकार ने क्रमशः दिसम्बर 2011 और अक्टूबर 2015 में चौथा एवं पांचवां एसएफसी गठित किया था और इनकी रिपोर्ट दिसम्बर 2014 और अक्टूबर 2018 में राज्यपाल को प्रस्तुत की गयी एवं उनकी अनुशंसा क्रमशः अप्रैल 2015 और अप्रैल 2020 में लागू की गयी थी। स्वीकृत अनुशंसाओं के अनुसार, राज्य सरकार को राज्य के स्वयं के कर राजस्व के निवल आय का 12.5 प्रतिशत भाग देना था और इसे नगरीय स्थनीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं के मध्य 60:40 के अनुपात में वितरित किया जाना था। 2017–18 से 2021–22 की अवधि के दौरान यूएलबी एवं पीआरआई को एसएफसी अनुदान का हस्तांतरण **तालिका 2.16** में दिया गया है।

तालिका 2.16: 2017–22 के दौरान पीआरआई एवं यूएलबी को निधि का हस्तातंरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	चौथा एसएफसी हस्तांतरण			पांचवा एसएफसी हस्तांतरण	
	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
यूएलबी	6,939.92	7,312.50	8,700.00	8,525.00	9,900.00
पीआरआई	4,631.25	4,875.00	5,800.00	5,683.37	6,600.00
योग	**11,571.17**	**12,187.50**	**14,500.00**	**14,208.37**	**16,500.00**

स्रोतः नगरीय स्थानीय निकाय निदेशालय एवं पंचायती राज निदेशालय

वर्ष 2020–21 को छोड़कर, 2017–18 से 2021–22 के दौरान यूएलबी एवं पीआरआई को एसएफसी अनुदान के हस्तांतरण में लगातार वृद्धि हुई। 2020–21 की तुलना में 2021–22 के दौरान स्थानीय निकायों के हस्तांतरण में 16.13 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

2.7.8 पूँजीगत व्यय

पूँजीगत व्यय (कैपेक्स) मुख्य रूप से सड़कों, भवनों, आदि जैसे अचल अवसंरचना सम्पत्तियों के सृजन पर होने वाला व्यय है। राज्य सरकार के लिए अपने निवेश पर पर्याप्त प्रतिफल अर्जित करने, उधार ली गई निधि की लागत वसूल करने और वित्तीय संक्रियाओं में पारदर्शिता लाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के उपाय हेतु पहल की आवश्यकता है। वर्ष 2017–22 की अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय और कुल व्यय से इसके प्रतिशत को **चार्ट 2.11** में प्रस्तुत किया गया है।

चार्ट 2.11: 2017–22 की अवधि के दौरान राज्य में पूंजीगत व्यय

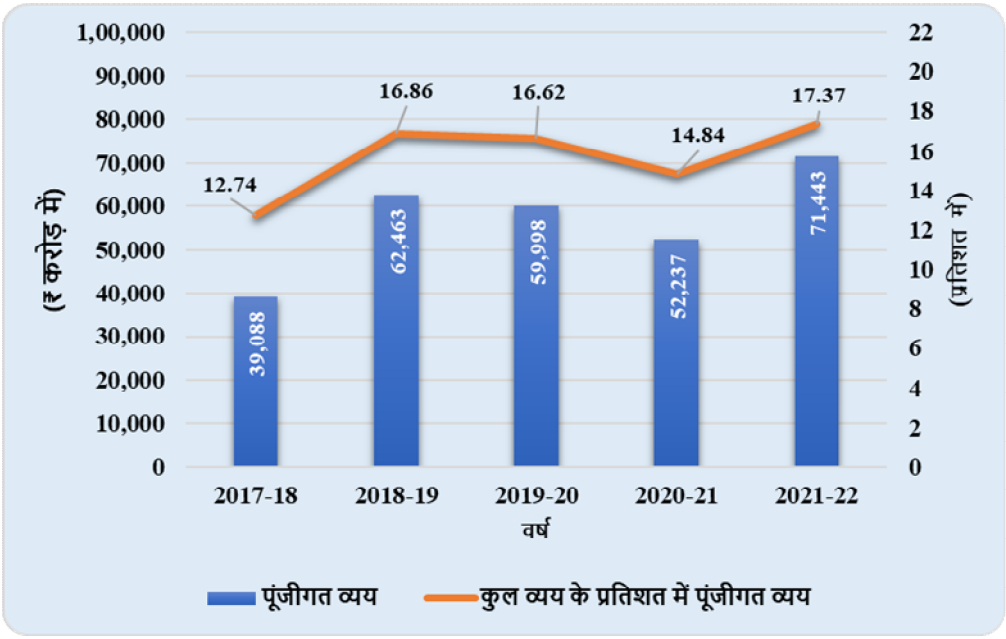

स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 2.11 से स्पष्ट है कि 2017–22 की अवधि के दौरान कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय 12.74 प्रतिशत और 17.37 प्रतिशत के बीच विस्तारित रहा। कुछ मुख्य शीर्ष, जहां वर्ष 2021–22 के दौरान पूंजीगत व्यय बहुत अधिक था, **तालिका 2.17** में दर्शाये गये हैं।

तालिका 2.17: वर्ष 2021–22 के दौरान मुख्य शीर्षवार पूंजीगत व्यय

क्रम संख्या	प्रमुख शीर्ष और उसका नामकरण	प्रमुख गतिविधि/योजना	धनराशि (₹ करोड़ में)
1	5054–सड़को एवं सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना (₹ 2,689 करोड़), बुंदेलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना (₹ 1,548 करोड़), पूर्वांचल एक्सप्रेसवे (₹ 1,127 करोड़), राज्य राजमार्ग पर निर्माण कार्य (₹ 1,153 करोड़), प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) (₹ 2,369 करोड़), त्वरित आर्थिक विकास योजना (₹ 1,178 करोड़) एवं ग्रामीण सड़कों का निर्माण (₹ 2,618 करोड़)	22,749
2	4801–ऊर्जा परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लिमिटेड को वितरण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए राज्य की अंश पूँजी (₹ 2,508 करोड़), दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना/सौभाग्य योजना के लिए अतिरिक्त अवसंरचना (₹ 1,261 करोड़) एवं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में निवेश (₹ 2,035 करोड़)	10,875
3	4408–खाद्य भंडारण एवं भण्डारगृह पर पूंजीगत परिव्यय	क्रय एवं आपूर्ति के अन्तर्गत खाद्यान्न आपूर्ति परियोजना (₹ 7,314 करोड़)	7,482
4	4216–आवास पर पूंजीगत परिव्यय	ग्रामीण आवास– विशेष घटक योजना अनुसूचित जातियों के लिये (₹ 4,764 करोड़ एवं पीएम आवास योजना–ग्रामीण (₹ 2,189 करोड़)	7,277
5	4215–जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय	जलापूर्ति योजना– विशेष घटक योजना अनुसूचित जातियों के लिये (₹ 1,505 करोड़) एवं ग्रामीण जलापूर्ति–जल जीवन मिशन (₹ 2,381 करोड़)	3,966
6	4515–अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	विधायिका के सदस्यों की अनुशंसा पर विकास संबंधित कार्य (₹ 1,490 करोड़) एवं राष्ट्रीय ग्रामीण सुनिश्चित रोजगार योजना (₹ 2,178 करोड़)	3,752
7	4210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण एवं अनुसंधान (₹ 2,541 करोड़)	3,144

स्रोत: वित्त लेखे 2021–22

वर्ष 2021–22 के दौरान, पूंजीगत व्यय वर्ष 2020–21 में ₹ 52,237 करोड़ के पूंजीगत व्यय के सापेक्ष ₹ 71,443 करोड़ था। वर्ष 2020–21 की तुलना में वर्ष 2021–22 के दौरान ₹ 19,206 करोड़ (36.77 प्रतिशत) की वृद्धि सामान्य सेवा क्षेत्र में ₹ 834 करोड़ (54.76 प्रतिशत) मुख्यतः पुलिस, एवं लोक निर्माण, सामाजिक सेवा क्षेत्र में ₹ 6,183 करोड़ (49.92 प्रतिशत) मुख्यतः चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, जलापूर्ति एवं स्वच्छता और आवास एवं आर्थिक सेवा क्षेत्र में ₹ 12,189 करोड़ (31.80 प्रतिशत) मुख्यतः खाद्य भण्डारण एवं भण्डारगृह और सड़क एवं सेतु के कारण थी।

2.7.8.1 पूंजीगत व्यय में प्रमुख परिवर्तन

वर्ष 2020–21 की तुलना में वर्ष 2021–22 के लिए विभिन्न मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत पूंजीगत व्यय में मुख्य परिवर्तनों का विवरण **तालिका 2.18** में दिया गया है।

तालिका 2.18 : विभिन्न मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत 2021–22 के दौरान पूंजीगत व्यय में प्रमुख परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

मुख्य लेखा शीर्ष	2020-21	2021-22	वृद्धि (+)/ कमी (-)
4408-खाद्य भण्डारण एवं भण्डारगृह पर पूंजीगत परिव्यय	(-) 2,539.95	7,481.74	394.56
4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	252.36	634.02	151.24
4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	903.29	1599.85	77.11
4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	4,359.78	7,276.62	66.90
5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय	528.26	105.02	(-)80.12
4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	267.71	104.04	(-)61.14
4711-बाढ़ नियंत्रण पर पूंजीगत परिव्यय	1446.17	763.89	(-)47.18

स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत वृद्धि/कमी का प्रमुख कारण नीचे दिया गया है:

मुख्य शीर्ष 4408 (खाद्य भण्डारण एवं भण्डारगृह पर पूंजीगत परिव्यय): वृद्धि मुख्य रूप से खाद्यान्न आपूर्ति परियोजना के तहत खाद्यान्न की अधिक खरीद (₹ 7,314.14 करोड़) के कारण हुई थी।

मुख्य शीर्ष 4250 (अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय): वृद्धि मुख्य रूप से रोजगार के लिए त्वरित वित्तीय विकास योजना पर ₹ 87.59 करोड़, वाराणसी में गंगा नदी से विश्वनाथ मंदिर तक सड़क के विस्तार/सौंदर्यीकरण पर ₹ 275.52 करोड़ और ₹ 52.27 करोड़, श्री राम जन्म भूमि मंदिर, अयोध्या धाम तक पहुंच पथ के निर्माण पर व्यय के कारण थी।

मुख्य शीर्ष 4055 (पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय): वृद्धि मुख्य रूप से पुलिस विभाग के गैर–आवासीय और आवासीय भवनों के निर्माण पर ₹ 1,093.79 करोड़ और अग्निशमन केन्द्रों के गैर–आवासीय और आवासीय भवनों के निर्माण पर ₹ 234.33 करोड़ के व्यय के कारण थी।

मुख्य शीर्ष 4216 (आवास पर पूंजीगत परिव्यय): वृद्धि मुख्य रूप से केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत ग्रामीण आवास सेक्टर में अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना पर व्यय (₹ 2,277.23 करोड़ से) एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (₹ 591.98 करोड़ से) में वृद्धि के कारण थी।

मुख्य शीर्ष 5053 (नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय): व्यय में कमी मुख्यतः गौतमबुद्धनगर के जेवर में अन्तराष्ट्रीय हवाई अड्डा (₹ 1,131.04 करोड़), अयोध्या में हवाई अड्डा (₹ 468.86 करोड़) की स्थापना पर कम व्यय के कारण थी।

मुख्य शीर्ष 4401 (फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय): अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना और आदिवासी क्षेत्र उप योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय कृषि विकास योजनाओं पर ₹ 161.54 करोड़ कम व्यय की गयी थी।

मुख्य शीर्ष 4711 (बाढ़ नियंत्रण पर पूंजीगत परिव्यय): कमी मुख्य रूप से तटबंध के निर्माण पर ₹ 313.74 करोड़, नदियों में कटाव–रोधी योजनाओं पर ₹ 313.01 करोड़ और बाढ़ के कारण अप्रत्याशित आपात स्थिति के कारण बाढ़ नियंत्रण के कार्य पर ₹ 51.88 करोड़ की कमी के कारण थी।

2.7.8.2 पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता

यह खण्ड राज्य सरकार द्वारा किए गये पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

पीएसयू में निवेश की गुणवत्ता

सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे उपक्रम जो घाटे में चल रहे हैं या जहां निवल मूल्य पूरी तरह से समाप्त हो गया है, पूंजीगत व्यय, किया गया निवेश और दिया गया ऋण धारणीय नहीं है और पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता को प्रभावित किया है। पीएसयू में निवेश की गुणवत्ता से संबंधित मुद्दे यथा अक्रियाशील पीएसयू में निवेश, वार्षिक लेखा प्रस्तुत करने में बकाया, पीएसयू को बजटीय सहायता, निवल मूल्य का क्षरण आदि पर प्रतिवेदन के **अध्याय V** में विभिन्न प्रस्तरों के अन्तर्गत विस्तार से चर्चा की गई है।

अपूर्ण परियोजनाओं पर पूँजी का अवरोधन

वित्त लेखे का परिशिष्ट IX अपूर्ण कार्यों की समग्र स्थिति को दर्शाता है। परिशिष्ट में उत्तर प्रदेश सरकार के लोक निर्माण एवं सिंचाई विभाग में अपूर्ण कार्यों की सूची सम्मिलित है, यद्यपि सूची में राज्य सरकार के अन्य विभागों के सभी अपूर्ण कार्यों को सम्मिलित नहीं किया गया है। अपूर्ण परियोजनाओं/कार्यों पर निधियों का अवरोधन व्यय की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है और राज्य को लम्बे समय के लिये अभिप्रेत लाभों से वंचित रखता है। अग्रेतर, संबंधित वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उधार ली गई धनराशि ऋण और ब्याज देनदारियों के भुगतान के रूप में अतिरिक्त दायित्व की ओर ले जाती है।

वित्त लेखे 2021–22 के परिशिष्ट IX के अनुसार, 31 मार्च 2022 तक 255 पूंजीगत परियोजनाएं अपूर्ण थीं, जिन पर ₹ 2,587.98 करोड़ की राशि व्यय की गई थी एवं ₹ 1,467.77 करोड़ के भुगतान लम्बित थे। 255 परियोजनाओं में से 31 मार्च 2022 तक पूर्ण किए जाने वाले अपूर्ण कार्यों एवं 31 मार्च 2022 तक उसमें अवरूद्ध पूंजी की विभागवार स्थिति **तालिका 2.19** में दी गई है।

तालिका 2.19 : 31 मार्च 2022 तक विभागवार अपूर्ण परियोजनाएं

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	व्यय
लोक निर्माण	61	1,296.43	889.38
सिंचाई	17	880.34	797.28
योग	**78**	**2,176.77**	**1,686.66**

स्रोतः वित्त लेखे 2021–22

इन अधूरी परियोजनाओं के परिणामस्वरूप, 78 परियोजनाओं, हालांकि जो 31 मार्च 2022 तक पूर्ण होने वाले थे, पर व्यय धनराशि ₹ 1,686.66 करोड़, का राज्य के लोगों को सुविधाओं और राज्य के आर्थिक विकास में सहायता के रूप में भी कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं हुआ।

2.7.8.3 सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के अन्तर्गत राज्य की संसाधन उपलब्धता

सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) सरकार या सांविधिक इकाई और निजी क्षेत्र की इकाई के मध्य अवसंरचना के विकास के लिए जनता की बढ़ती मांग की पूर्ति हेतु उनके साथ मिलकर कार्य करने में सक्षम बनाने वाले ढांचे को प्रदान करने हेतु एक व्यवस्था है।

प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन ऑफ यूपी लिमिटेड (पिकप), एक शासकीय वित्तीय संस्थान द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना (फरवरी 2023) के अनुसार पीपीपी मोड के अन्तर्गत परियोजनाओं का क्षेत्र/विभागवार विवरण ***परिशिष्ट 2.3*** में दिया गया है और **तालिका 2.20** में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 2.20 : 2021–22 तक के पीपीपी परियोजनाओं का क्षेत्रवार/विभागवार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	क्षेत्र/विभाग	पूर्ण/चालू	
		संख्या	अनुमानित लागत
1.	**ऊर्जा**	18	68,910.03
2.	**नागरिक उड्डयन**	1	29,561.00
3.	**औद्योगिक विकास**	1	13,782.00
4.	**परिवहन**	2	3,869.00
5.	**चिकित्सा और स्वास्थ्य**	10	2,541.28
6.	**लोक निर्माण**	3	2,319.84
7.	**सूचना प्रौद्योगिकी**	1	1,500.00
8.	**नगरीय विकास**	22	367.55
9.	**आवास और नगरीय नियोजन**	1	360.00
10.	**पर्यटन**	2	123.36
	योग	**61**	**1,23,334.06**

स्रोतः पिकप द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

2.7.9 व्यय प्राथमिकताएं

निम्न राजकोषीय प्राथमिकता (एक श्रेणी के अन्तर्गत व्यय का कुल व्यय से अनुपात) एक क्षेत्र विशेष से जुड़ी बतायी जाती है, यदि आवंटन सम्बन्धित राष्ट्रीय औसत से कम है। इन घटकों का कुल व्यय से अनुपात जितना अधिक होता है, व्यय की गुणवत्ता उतनी ही अच्छी मानी जाती है। राज्य की व्यय प्राथमिकता को **तालिका 2.21** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 2.21: स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पूंजीगत व्यय के सम्बन्ध में राज्य की व्यय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

विवरण	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/टीई	शिक्षा/टीई	सीई/टीई
सामान्य श्रेणी के राज्यों का अखिल भारतीय औसत[15] (2017-18)	5.09	15.17	15.56
उत्तर प्रदेश	5.51	15.21	13.23
सामान्य श्रेणी के राज्यों का अखिल भारतीय औसत (2021-22)	6.20	14.66	14.41
उत्तर प्रदेश	5.68	14.42	17.76

(टीई–कुल व्यय, सीई–पूँजीगत व्यय और ऋण एवं अग्रिम का संवितरण)

तालिका 2.21 से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2017–18 की तुलना में वर्ष 2021–22 में राज्य के कुल व्यय के साथ–साथ शिक्षा पर कुल व्यय का प्रतिशत कम हुआ, वर्ष 2021–22 के दौरान यह सामान्य श्रेणी के राज्यों के अखिल भारतीय औसत से कम था। कुल व्यय के सापेक्ष स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर व्यय, ऋण एवं अग्रिम पर पूंजीगत व्यय एवं वितरण वर्ष 2017–18 की तुलना में वर्ष 2021–22 में व्यय के प्रतिशत में

[15] उत्तर पूर्व (एनई) तथा हिमालयन राज्यों को छोड़कर अन्य राज्य।

सुधार हुआ। अग्रेतर, वर्ष 2021–22 के दौरान राज्य के कुल व्यय के सापेक्ष पूंजीगत व्यय और ऋण एवं अग्रिम का वितरण पर व्यय का प्रतिशत सामान्य श्रेणी के राज्यों के अखिल भारतीय औसत से अधिक था। जबकि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर व्यय सामान्य श्रेणी के राज्यों के अखिल भारतीय औसत से कम था।

2.7.10 मानक मदवार व्यय

मानक मद विनियोग की प्राथमिक इकाई हैं, जो व्यय की आर्थिक प्रकृति जैसे वेतन और मजदूरी, कार्यालय व्यय, यात्रा व्यय, व्यावसायिक सेवाएं, सहायक अनुदान, आदि को दर्शाती है। वर्ष 2021–22 के दौरान मानक मदवार व्यय को **चार्ट 2.12** में दर्शाया गया है ।

चार्ट 2.12 : वर्ष 2021–22 के दौरान मानक मदवार व्यय (प्रतिशत में)

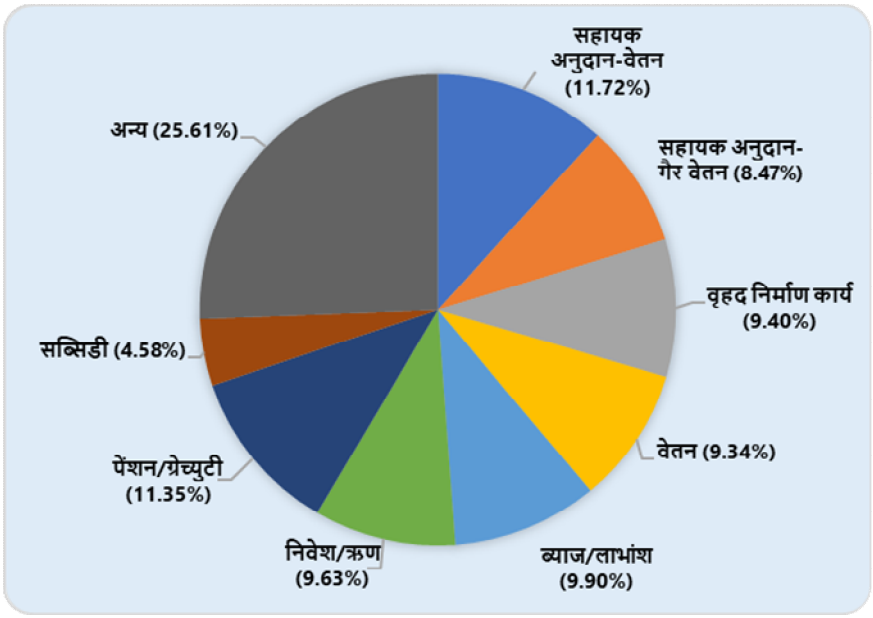

स्रोतः वित्त लेखे 2021–22

चार्ट 2.12 से स्पष्ट है कि राज्य की संचित निधि के अन्तर्गत मानक मद वेतन, वेतन एवं पेंशन तथा सेवानिवृत्ति परिलाभों के लिये सहायता अनुदान के अन्तर्गत व्यय कुल व्यय (₹ 4,39,963.23 करोड़) का 32.41 प्रतिशत है। इसके अलावा, सहायता अनुदान (गैर–वेतन), ब्याज/लाभांश एवं सब्सिडी समेकित निधि व्यय के क्रमशः 8.47 प्रतिशत, 9.90 प्रतिशत और 4.58 प्रतिशत है। निवेश एवं ऋण और वृहद निर्माण कार्यों जो कि पूंजीगत प्रकृति के थे, पर व्यय संचित निधि के व्यय के क्रमशः 9.63 प्रतिशत और 9.40 प्रतिशत हैं।

2.8 लोक लेखा

प्राप्तियों एवं संवितरणों से सम्बन्धित कुछ संव्यवहारों यथा लघु बचत, भविष्य निधियां, आरक्षित निधि, जमा, उचंत, प्रेषण इत्यादि जो समेकित निधि के भाग नहीं होते हैं, संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अन्तर्गत गठित लोक लेखे में रखे जाते है एवं वे राज्य विधायिका के मतदान के अधीन नहीं होते हैं। सरकार इनके संबंध में एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। वर्ष के दौरान संवितरण के पश्चात अवशेष विभिन्न प्रयोजनों एवं उपयोग के लिए सरकार के पास उपलब्ध निधि है।

2.8.1 निवल लोक लेखा संव्यवहार

लोक लेखा के अंतर्गत प्राप्तियों एवं संवितरण की स्थिति वित्त लेखे के विवरण–21 में दर्शायी गई है तथा 2017–22 की अवधि के दौरान लोक लेखा (निवल) के संव्यवहारों का विवरण **तालिका 2.22** में दिया गया है।

तालिका 2.22 : 2017–22 के दौरान घटक–वार लोक लेखा (निवल) संव्यवहार

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	उप–क्षेत्र	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
अल्प बचत, भविष्य निधियाँ आदि	लघु बचत, भविष्य निधियाँ आदि	2,530	3,646	3,314	1,062	525
आरक्षित निधि	(अ) ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ	0	0	1757	(-)252	2693
	(ब) ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ *	8,265	13,545	(-)70,056	753	1200
जमा एवं अग्रिम	(अ) ब्याज सहित जमा	220	184	883	607	(-)717
	(ब) ब्याज रहित जमा	1,189	2,000	(-)2,990	1,308	(-)741
	(स) अग्रिम	4	12	17	(-)0.15	(-)0.12
उचन्त एवं विविध	(अ) उचन्त	(-)1,436	(-)236	(-)1,743	1,859	1,444
	(ब) अन्य लेखे**	(-)778	459	(-)85	(-)162	17
	(स) वाह्य देशों की सरकारों के साथ लेखे	0	0	0	0	0
प्रेषण	(अ) मनी आर्डर तथा अन्य प्रेषण	(-)3,910	329	308	(-)323	25
	(ब) अन्तर शासकीय समायोजन लेखे	4	(-)16	5	(-)2	(-)4
योग		**6,088**	**19,923**	**(-)68,590**	**4,850***	**4,442***

टिप्पणी: धनात्मक इंगित करता है कि प्राप्तियां संवितरण से अधिक हैं और ऋणात्मक उसका विपरीत इंगित करता है।

** रक्षित निधि में निवेश जो कि प्रारम्भिक एवं अंतिम रोकड़ अवशेष का भाग है, को छोड़कर।*

*** मुख्य शीर्ष 8671–विभागीय अवशेष, 8672–स्थायी रोकड़ अग्रदाय एवं 8673–रोकड़ अवशेष निवेश लेखा और रक्षित निधि में निवेश जो आरंभिक एवं अंतिम अवशेष का भाग है, के अन्तर्गत लेन–देन को छोड़कर।*

2.8.2 आरक्षित निधियाँ

राज्य सरकार के लोक लेखे के अन्तर्गत विशिष्ट और परिभाषित उद्देश्यों के लिए आरक्षित निधियां सृजित की जाती हैं। इन निधियों को राज्य की संचित निधि के साथ–साथ भारत सरकार से अंशदान या अनुदान से पूरा किया जाता है। आरक्षित निधियों एवं निर्धारित निधियों से निवेश के बारे में विस्तार से सूचना वित्त लेखे के विवरणी 21 और 22 में उपलब्ध है, जो ***परिशिष्ट 2.4*** में संक्षेपित किया गया है।

31 मार्च 2022 को, आरक्षित निधियों के साथ कुल संचयी अवशेष ₹ 8,920.20 करोड़ थी। इनमें से ब्याज सहित आरक्षित निधि[16] के अन्तर्गत ₹ 4,198.45 करोड़ था एवं ब्याज रहित आरक्षित निधि के अन्तर्गत ₹ 4,721.75 करोड़ था। अग्रेतर, राज्य सरकार ने आरक्षित निधि अवशेष से ₹ 3,045.20 करोड़ भारत सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश किया था। कुछ प्रमुख आरक्षित निधियों के विवरण की चर्चा नीचे की गयी है:

[16] एक निधि जहाँ राज्य सरकार को निधि में जमा धनराशि पर सरकार द्वारा तय की गयी दर से ब्याज का भुगतान करना अपेक्षित है।

2.8.2.1 समेकित निक्षेप निधि

राज्य सरकार ने मार्च 2020 में 'उत्तर प्रदेश सरकार की समेकित निक्षेप निधि' का गठन किया, जो वित्तीय वर्ष 2020–21 से लागू हुआ था। सरकार की लम्बित देनदारियों के विमोचन के लिये परिशोधन निधि के रूप में निधि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2020–21 से प्रारंभ किया जाना था। राज्य सरकार की अधिसूचना (17 मार्च 2020) के अनुसार, सरकार विगत वर्ष के अंत में लम्बित देनदारियों, अर्थात आंतरिक ऋण एवं लोक लेखे की देनदारियों का कम से कम 0.5 प्रतिशत योगदान करेगी। निधि के कोष में आवधिक अंशदान के साथ–साथ निधि में उपार्जित आय को सरकार के सामान्य राजस्व से बाहर रखा जायेगा। सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अधीन निधि का प्रबंधन आरबीआई द्वारा किया जायेगा। निधि में प्राप्ति का निवेश भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों, कोषागार बिल, भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियों और अन्य राज्यों के ऐसे परिपक्वता राज्य विकास ऋणों में किया जायेगा, जैसा कि बैंक समय–समय पर सरकार के परामर्श से निर्धारित करें।

समेकित निक्षेप निधि में 1 अप्रैल 2021 को प्रारम्भिक अवशेष ₹ 1,000.00 करोड़ था, जिसे शीर्ष 8222–01–101–निक्षेप निधि के अन्तर्गत लोक लेखे में रखा गया था। वर्ष 2021–22 के दौरान, राज्य सरकार ने राज्य के संचित निधि के अन्तर्गत विनियोग की कमी या ऋण के परिहार के लिये शीर्ष 2048–00–101 से ₹ 2,000.00 करोड़ निधि में स्थानान्तरित किया। अग्रेतर, वर्ष 2021–22 के दौरान निधि से कोई संवितरण नहीं किया गया था। इस प्रकार 31 मार्च 2022 को, समेकित निक्षेप निधि में (उपार्जित ब्याज ₹ 79.49 करोड़ को छोड़कर) शेष राशि ₹ 3,000.00 करोड़ थी।

समेकित निक्षेप निधि के दिशा–निर्देशों के दृष्टिगत, सरकार द्वारा समेकित निक्षेप निधि में कम से कम ₹ 2,734.32 करोड़ (वर्ष 2020–21 के अंत में ₹ 5,46,864.94 करोड़ की आंतरिक ऋण और लोक लेखे की देनदारियों का 0.50 प्रतिशत) का अंशदान करना अपेक्षित था। इस प्रकार, ₹ 734.32 करोड़ (₹ 2,734.32 करोड़ – ₹ 2,000.00 करोड़) का कम अंशदान किया गया था, जो वर्ष 2021–22 के दौरान निक्षेप निधि निवेश का भाग नहीं बन सका। वर्ष 2021–22 के दौरान समेकित निक्षेप निधि के कम अंतरण के कारण ₹ 734.32 करोड़ राज्य के राजस्व अधिशेष को अधिक एवं राजकोषीय घाटे को कम बताया गया।

2.8.2.2 मूल्यह्रास आरक्षित निधि

राज्य सरकार ने अनुपयोगी संयन्त्र एवं मशीनरी के नवीनीकरण तथा प्रतिस्थापन हेतु संयन्त्र एवं मशीनरी के क्रय, संयन्त्र एवं मशीनरी की विशेष मरम्मत तथा नवीनतम तकनीक से युक्त संयन्त्र एवं मशीनरी क्रय हेतु उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मूल्यह्रास आरक्षित निधि (डीआरएफ) का सृजन किया (मार्च 2005)। डीआरएफ का रख–रखाव लोक लेखे में लेखा शीर्ष 8226–102 के अन्तर्गत किया जाता है। वर्ष 2021–22 के दौरान, निधि में (–)₹ 17.20 करोड़ का प्रारम्भिक अवशेष था और ₹ 20.00 करोड़ की राशि शीर्ष 3054–80–797 से स्थानांतरित की गई थी और इसमें से ₹ 8.91 करोड़ का संवितरण किया गया, जिसे शीर्ष 5054–80–800 में स्थानांतरित कर दिया गया था। परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2022 को डीआरएफ का अंतिम अवशेष (–)₹ 6.11 करोड़ था। निधि के अन्तर्गत ऋणात्मक अवशेष उपलब्ध अवशेष धनराशि से अधिक संवितरण को इंगित करता है। यह ऋणात्मक अवशेष धनराशि 2015–16 के आगे के लेखों में प्रदर्शित हो रही है। ऋणात्मक अवशेष को संचित निधि से विनियोग द्वारा नियमित किया जाना है।

सरकार ने निर्धारित किया कि डीआरएफ के लिये 1.50 प्रतिशत धनराशि कार्य के सापेक्ष डेबिट की जायेगी और प्राप्ति शीर्ष 1054–800–04 में जमा की जायेगी। उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग डीआरएफ नियमावली, 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत, यह

धनराशि अभीष्ट उद्देश्यों के लिये लोक लेखे के अन्तर्गत डीआरएफ में अंतरित की जायेगी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2021–22 की अवधि के दौरान, राज्य सरकार ने डीआरएफ के सम्बन्ध में लेखाशीर्ष 1054–800–04 के अन्तर्गत गैर–कर राजस्व के रूप में ₹ 68.84 करोड़ हस्तान्तरित किया, जिसके सापेक्ष डीआरएफ के अन्तर्गत लेखाशीर्ष 8226–102 में केवल ₹ 20.00 करोड़ हस्तांतरित किया गया था। इस प्रकार, सरकार ने कार्य की लागत में वृद्धि करके अपनी राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि की थी।

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिये राज्य वित्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तर 2.8.2.2 में इस प्रकरण पर प्रकाश डाला गया था परन्तु डीआरएफ के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि को पूर्ण रूप से निधि में हस्तांतरित नहीं किया गया था। प्रकरण विभाग को पुनः प्रतिवेदित किया गया (सितम्बर 2022); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2022)।

2.8.2.3 राज्य आपदा अनुक्रिया निधि

राज्य आपदा अनुक्रिया निधि (एसडीआरएफ), आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 48 (1) (ए) के अन्तर्गत गठित एक कोष है। अधिनियम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों (जनवरी 2022) के अनुसार, एसडीआरएफ का उपयोग केवल अधिसूचित आपदाओं यथा चक्रवात, सूखा, भूकंप, अग्नि, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटने, कीटों के हमले एवं शीत लहर/ठंड के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिये व्यय को पूरा करने के लिये किया जायेगा। एसडीआरएफ के दिशानिर्देश आगे निम्नलिखित को निर्धारित करते हैः

- सम्बन्धित राज्य सरकारों के लेखे में मुख्य शीर्ष–8121–सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि के नीचे 'ब्याज सहित आरक्षित निधि' के अन्तर्गत लोक लेखे में निधि का गठन किया जायेगा।

- प्रत्येक राज्य के लिए एसडीआरएफ में वार्षिक योगदान की धनराशि वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार निर्धारित होगी। एसडीआरएफ के निर्धारित कुल आकार में से, भारत सरकार सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिये कुल वार्षिक आवंटन का 75 प्रतिशत का योगदान करेगी और शेष 25 प्रतिशत का योगदान सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

- राज्य सरकार एसडीआरएफ को आरबीआई के ओवरड्राफ्ट विनियमन दिशानिर्देशों के अन्तर्गत ओवरड्राफ्ट पर लागू ब्याज का भुगतान करेगी। ब्याज अर्धवार्षिक आधार पर जमा किया जाना है। एसडीआरएफ के निवेश पर अर्जित आय के साथ एसडीआरएफ में प्राप्ति को केन्द्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों, नीलाम किये गये कोषागार बिलों और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ अन्य ब्याज अर्जित जमा में निवेश किया जाना है।

वर्ष 2021–22 के दौरान, राज्य सरकार ने 8121–122–एसडीआरएफ के अन्तर्गत एसडीआरएफ का रख–रखाव किया था। इससे पहले, एसडीआरएफ को 8235–111–एसडीआरएफ के अन्तर्गत ब्याज रहित आरक्षित निधि के रूप में रखा जा रहा था। इस प्रकार, शीर्ष 8121–122–एसडीआरएफ के अन्तर्गत एसडीआरएफ का प्रारम्भिक अवशेष शून्य था, तथापि 1 अप्रैल 2021 को शीर्ष 8235–111–एसडीआरएफ के अन्तर्गत एसडीआरएफ के आरंभिक अवशेष धनराशि (₹ 1,231.01 करोड़) को 2021–22 के दौरान शीर्ष 8121–122–एसडीआरएफ में स्थानान्तरित कर दिया गया था।

उत्तर प्रदेश में आपदा प्रबन्धन के लिये पन्द्रहवें वित्त आयोग ने वर्ष 2021–22 के लिये ₹ 2,578 करोड़ आवंटित किया था, जिसमें से निधि में ₹ 2062.40 करोड़ (अर्थात कुल आवंटन का 80 प्रतिशत) एसडीआरएफ के लिये था, जिसमें भारत सरकार (₹ 1,546.40

करोड़) और राज्य सरकार (₹ 516.00 करोड़) का अंशदान सम्मिलित था। जिसके सापेक्ष राज्य सरकार को भारत सरकार से ₹ 1546.40 करोड़ प्राप्त हुए एवं एसडीआरएफ को ₹ 2062.40 करोड़ (राज्य के अंश को लेकर) स्थानान्तरित किया गया। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने भी विगत वर्ष के अवशेष धनराशि ₹ 1288.33 करोड़ को एसडीआरएफ को हस्तांतरित किया (भारत सरकार का अंश ₹ 966.50 करोड़ एवं राज्य सरकार का अंश ₹ 321.83 करोड़)। इस प्रकार, राज्य सरकार ने एसडीआरएफ को ₹ 3,350.73 करोड़ का अंशदान हस्तांतरित किया।

2021–22 के दौरान, एसडीआरएफ में 8235–111–एसडीआरएफ के अन्तर्गत ₹ 4,665.25 करोड़ प्राप्त हुए जिसमें शीर्ष 8235–111–एसडीआरएफ से प्रारम्भिक शेष राशि ₹ 1,231.01 करोड़ हस्तांतरित किये गये, भारत सरकार/राज्य सरकार के योगदान ₹ 3,350.73 करोड़, एनडीआरएफ से ₹ 1.52 करोड़ और विविध प्राप्तियों के लिए ₹ 81.99 करोड़ सम्मिलित किए गए। अग्रेतर, प्राकृतिक आपदाओं पर किये गये ₹ 1,659.66 करोड़ के व्यय को निधि के अवशेष के सापेक्ष समायोजित (मुख्य शीर्ष 2245–05–901) किया गया। इस प्रकार, 31 मार्च 2022 के अंत में एसडीआरएफ का अंतिम अवशेष धनराशि ₹ 3,005.59 करोड़ थी। तथापि, राज्य सरकार ने एसडीआरएफ के अन्तर्गत उपलब्ध शेष धनराशि पर ₹ 74.99 करोड़ (वर्ष 2021–22 में लागू ओवरड्राफ्ट पर ब्याज की छमाही आधार पर औसत दर की गणना की गयी) का ब्याज जमा नहीं किया गया था। अग्रेतर, राज्य सरकार ने निधि में अभिवृद्धि का निवेश एसडीआरएफ दिशा–निर्देशों के अनुसार नहीं किया गया था।

वर्ष 2021–22 के दौरान एसडीआरएफ में ब्याज (₹ 74.99 करोड़) जमा नहीं करने के कारण राज्य के राजस्व अधिशेष से अधिक तथा राजकोषीय घाटा ₹ 74.99 करोड़ से कम बताया गया।

2.8.2.4 प्रत्याभूति विमोचन निधि

बारहवें वित्त आयोग ने अनुशंसा (नवम्बर 2004) की थी कि राज्यों को प्रत्याभूति पर राज्य के दायित्वों के आकस्मिक उन्मोचन के लिये निर्धारित प्रत्याभूति शुल्क के माध्यम से प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन किया जाना चाहिये। आगे राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान के माध्यम से प्रत्याभूति की अधिकतम सीमा के लिये अनुशंसा की गयी थी। तथापि, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन नहीं किया है। अग्रेतर, राज्य सरकार ने प्रत्याभूति देने की कोई सीमा तय नहीं की।

विभिन्न संस्थाओं द्वारा लिये गये ऋणों पर राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूति की स्थिति वित्त लेखे के विवरण 9 एवं 20 में दी गई है, जो राज्य सरकार से प्राप्त सूचना पर आधारित है। वित्त लेखे 2021–22 के अनुसार, वर्ष 2021–22 के अंत में 28 संस्थाओं, यथा सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों और अन्य संस्थानों के लिये राज्य सरकार द्वारा निष्पादित बकाया प्रत्याभूति ₹ 1,74,218.42 करोड़ थी। इसमें वर्ष 2021–22 में ₹ 20,382.68 करोड़ की प्रत्याभूति की निवल वृद्धि सम्मिलित थी, जो कि जीएसडीपी का 1.09 प्रतिशत था। वर्ष 2021–22 के दौरान कोई प्रत्याभूति शुल्क प्राप्त नहीं हुई थी।

2.8.2.5 राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि

राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि (एससीएएफ) की स्थापना प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत की गई थी। प्रतिपूरक वनीकरण निधि (लेखांकन प्रक्रिया)

नियम, 2018 में प्रावधान है कि राज्य सरकारों द्वारा उपयोगकर्ता एजेंसियों[17] से प्राप्त धनराशि को राज्य के लोक लेखे में मुख्य शीर्ष 8336–सिविल जमा के नीचे लघु शीर्ष–103 पर ब्याज सहित अनुभाग के अन्तर्गत 'राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निक्षेप' में जमा किया जाना है। इसमें से 90 प्रतिशत को राज्य के लोक लेखा में मुख्य शीर्ष 8121–सामान्य और अन्य आरक्षित निधि के नीचे लघु शीर्ष 129–एससीएएफ में अंतरित किया जायेगा और शेष 10 प्रतिशत प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016 की धारा 3(4) के अनुसार वार्षिक आधार पर राष्ट्रीय निधि में जमा किया जायेगा।

01 अप्रैल 2021 तक, एससीएएफ के पास ₹ 1,505.25 करोड़ का प्रारम्भिक अवशेष था। वर्ष 2021–22 के दौरान, राज्य सरकार को राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण जमा से एससीएएफ के लिये ₹ 36.46 करोड़ प्राप्त हुए। प्रयोक्ता एजेंसियों से कोई प्राप्ति नहीं हुई थी। वर्ष 2021–22 के दौरान निधि से ₹ 358.95 करोड़ व्यय किया गया और एससीएएफ में ₹ 1182.76 करोड़ अवशेष बचा था।

शीर्ष 8336–सिविल जमा और एससीएएफ शीर्ष 8121–सामान्य और अन्य रक्षित निधि के अन्तर्गत राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा के अन्तर्गत उपलब्ध शेष धनराशि पर ब्याज का भुगतान केन्द्र सरकार द्वारा घोषित वर्ष–दर–वर्ष के आधार पर लागू दर के अनुसार किया जाना है। वर्ष 2021–22 के दौरान राज्य सरकार को 3.35 प्रतिशत प्रतिवर्ष[18] की दर से ब्याज देना था। तथापि, राज्य सरकार ने एससीएएफ पर देय ब्याज के रूप में ₹ 50.43 करोड़ का भुगतान नहीं किया। इस प्रकार वर्ष 2021–22 के दौरान राजस्व अधिशेष से अधिक और राजकोषीय घाटे को ₹ 50.43 करोड़ से कम बताया गया।

2.9 ऋण प्रबंधन

ऋण प्रबंधन सरकार के ऋण के प्रबंधन के लिए एक रणनीति स्थापित करने और क्रियान्वित करने की प्रक्रिया है, जिससे आवश्यक मात्रा में निधियों की उगाही, इसके जोखिम और लागत उद्देश्यों की प्राप्ति और कोई अन्य संप्रभु ऋण प्रबन्धन लक्ष्य जिसे अधिनियम या किसी वार्षिक बजट घोषणाओं द्वारा निर्धारित किया गया हो, को पूर्ण किया जा सके।

2.9.1 ऋण रूपरेखा : घटक

राज्य सरकार के कुल ऋण का गठन आमतौर पर राज्य के आंतरिक ऋण (बाजार ऋण, आरबीआई से अर्थोपाय अग्रिम, राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी विशेष प्रतिभूतियां और वित्तीय संस्थानों से ऋण, आदि), केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम तथा लोक लेखा देयताओं से होता है। कुल लम्बित लोक ऋण की व्यापक परिभाषा में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य निकायों द्वारा अतिरिक्त बजट ऋण भी सम्मिलित है, जहां मूलधन और/या ब्याज को राज्य के बजट से पूरित किया जाना है।

वित्त लेखे का विवरण 6, राज्य सरकार की बकाया देनदारियों की स्थिति को प्रदर्शित करता है। राज्य सरकार ने बजट अभिलेखों में अतिरिक्त बजट देनदारियों को प्रकट नहीं किया था, जैसा कि वित्त लेखे में प्रकट किया गया था, ऐसी देनदारियों का विवरण भी राज्य सरकार द्वारा सूचित नहीं किया गया था। **तालिका 2.23** में 2017–18 से 2021–22 के दौरान घटकवार ऋण प्रवृत्तियों को प्रस्तुत किया गया है।

---

[17] 'उपयोगकर्ता एजेंसी' से तात्पर्य किसी व्यक्ति, संस्थान या कंपनी या भारत सरकार या राज्य सरकार के विभाग से है जो गैर–वन उद्देश्य हेतु विपथन करने या वन भूमि की अधिसूचना रद्द करने का अनुरोध करता है अथवा वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में निहित प्रावधानों तथा उसके बाद बने नियमों तथा निर्गत दिशानिर्देशों के अनुसार गैर–वन उद्देश्यों हेतु उपयोग करने का अनुरोध करता है।

[18] जैसा कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है।

तालिका 2.23 : अवधि 2017–22 में घटक वार ऋण की प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
(अ) वित्त लेखे के अनुसार बकाया कुल ऋण		**4,67,842**	**5,18,095**	**5,02,412**	**5,64,972***	**6,12,956***
लोक ऋण	आंतरिक ऋण	3,21,479	3,53,190	4,05,049	4,58,552	4,96,423
	भारत सरकार से ऋण	12,812	11,980	11,529	18,107*	27,261*
लोक लेखा दायित्व		1,33,551	1,52,925	85,834[19]	88,313	89,272
अवशेष कुल ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत में)		***10.54***	***10.74***	***(-)3.03***	***12.45***	***8.49***
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)		14,39,925	15,82,180	17,00,273	16,48,567	18,63,221
ऋण/जीएसडीपी (प्रतिशत)		***32.49***	***32.75***	***29.55***	***34.27****	***32.90****
लोक ऋण तथा अन्य दायित्व के अन्तर्गत प्राप्तियाँ		90,052	1,13,504	1,12,696	1,23,555	1,21,852
लोक ऋण तथा अन्य दायित्व के अन्तर्गत पुनर्भुगतान (मूलधन तथा ब्याज)		74,570	95,293	1,63,192	98,424	1,16,743
उपलब्ध निवल निधियाँ		**15,482**	**18,211**	**(-)50,496**	**25,131**	**5,109**
उपलब्ध निवल निधियों की लोक ऋणों एवं अन्य दायित्व के अन्तर्गत प्राप्तियों से प्रतिशतता		***17.19***	***16.04***	***(-) 44.81***	***20.34***	***4.19***
(ब) पीएसयू/प्राधिकरणों के माध्यम से अतिरिक्त ऋण (जैसा लेखापरीक्षा में देखा गया)		8,482	234	0	20,940	0

स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे और पीएसयू/प्राधिकरणों से प्राप्त सूचना

** भारत सरकार से ऋण और अग्रिम की वृद्धि में, वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 क्रमशः ₹ 6,007 करोड़ और ₹ 8,140 करोड़ का बैक–टू–बैक ऋण सम्मिलित है, जिस पर राज्य का कोई पुनर्भगतान दायित्व नहीं होने के कारण जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के सापेक्ष है। इस ऋण का ऋण शोधन जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि में प्राप्त उपकर से किया जाना था तथा इस प्रकार, पुनर्भुगतान दायित्व की पूर्ति राज्य के अन्य स्रोतों से नहीं की जायेगी। भारत सरकार के स्पष्टीकरण के अनुसार, यह ऋणग्रस्तता वित्त आयोग आदि द्वारा निर्धारित किसी भी मानदण्ड के लिये राज्य के ऋण के रूप में नहीं मानी जायेगी। इस बैक–टू–बैक ऋण को छोड़कर, वर्ष 2020–21 के अन्त में राज्य का प्रभावी सकल ऋण ₹ 5,58,965 करोड़ और वर्ष 2021–22 में ₹ 5,98,809 करोड़ था। इस प्रकार, वर्ष 2020–21 और वर्ष 2021–22 के दौरान ऋण–जीएसडीपी अनुपात क्रमशः 33.91 और 32.14 प्रतिशत था।*

जैसा कि **तालिका 2.23** में दर्शाया गया है, अवधि 2017–22 के दौरान राज्य सरकार के समग्र ऋण के अन्तर्गत आंतरिक ऋण वर्ष 2017–18 में ₹ 3,21,479 करोड़ से 54.42 प्रतिशत की वृद्धि होने से वर्ष 2021–22 में ₹ 4,96,423 करोड़ हो गया। वर्ष 2021–22 के दौरान आन्तरिक ऋण में विगत वर्ष की तुलना में 8.26 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो कि ₹ 39,286 करोड़ के राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण हेतु आवश्यक थी, जैसा कि **प्रस्तर 2.9.2** में विस्तार से दर्शाया गया है। 31 मार्च 2022 तक, आन्तरिक ऋण (₹ 4,96,423 करोड़) में बाजार ऋण (₹ 4,01,356 करोड़), वित्तीय संस्थानों से ऋण (₹ 54,575 करोड़), राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां (₹ 40,370 करोड़) और अन्य ऋण (₹ 122 करोड़) सम्मिलित है। इस प्रकार खुला बाजार ऋण राज्य सरकार की कुल वित्तीय देनदारियों (₹ 6,12,956 करोड़) का 65.48 प्रतिशत है।

[19] 2019–20 में कमी मुख्य रूप से मार्च 2020 में निक्षेप निधि के ₹ 71,180,23 करोड़ के लम्बित पुस्तकीय अवशेष को करेतर राजस्व में अंतरण के कारण थी।

अवधि 2017–20 के दौरान केन्द्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम में कमी की प्रवृत्ति देखी गई है, और वर्ष 2020–22 के दौरान बढ़ती प्रवृत्ति मुख्य रूप से जीएसटी क्षतिपूर्ति के बदले भारत सरकार से प्राप्त ₹ 14,147 करोड़ बैक टू बैक ऋण के कारण हुई। जिस पर राज्य को पुनर्भुगतान का दायित्व नहीं है। परिणामस्वरूप, राज्य का सकल ऋण वर्ष 2020–21 की तुलना में वर्ष 2021–22 में 8.49 प्रतिशत बढ़ गया।

लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों के अन्तर्गत उपलब्ध निवल निधि का उनकी प्राप्तियों से प्रतिशत, वर्ष 2017–18 (17.19 प्रतिशत) से वर्ष 2021–22 (4.19 प्रतिशत) तक उतार–चढ़ाव की प्रवृत्ति थी। लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों के अन्तर्गत निवल निधि, वर्ष 2019–20 के दौरान मुख्य रूप से निक्षेप निधि के अवशेष धनराशि के बिना वास्तविक प्राप्ति के निक्षेप निधि अवशेष को राजस्व प्राप्तियों में पुस्तकीय अंतरण के कारण ऋणात्मक अर्थात (–) ₹ 50,496 करोड़ हो गयी। अग्रेतर, जैसा कि **पैराग्राफ 4.2** में चर्चा की गयी है, राज्य सरकार ने भी अतिरिक्त बजट उधारी का सहारा लिया था और इस लेखे में 31 मार्च 2022 तक अवशेष देयता ₹ 19,496 करोड़ थी।

चार्ट 2.13 वर्ष 2021–22 के अन्त में वित्त लेखे के अनुसार राज्य सरकार के बकाया सकल ऋण की स्थिति को दर्शाता है।

चार्ट 2.13 : वर्ष 2021–22 के अन्त में बकाया सकल ऋण का ब्यौरा

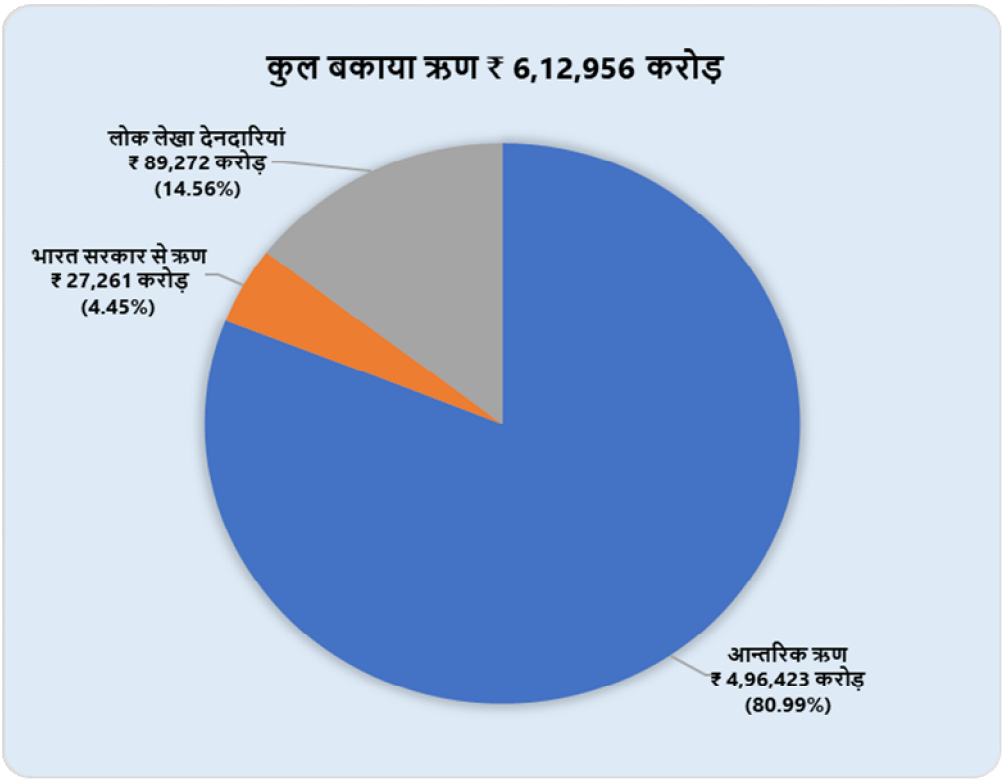

स्रोत: वित्त लेखे 2021–22

2017–22 की अवधि के दौरान लिये गये लोक ऋण एवं उसके पुनर्भुगतान की प्रवृत्ति को **चार्ट 2.14** में प्रस्तुत किया गया है।

चार्ट 2.14: 2017–22 की अवधि के दौरान लिये गये लोक ऋण के सापेक्ष पुनर्भुगतान

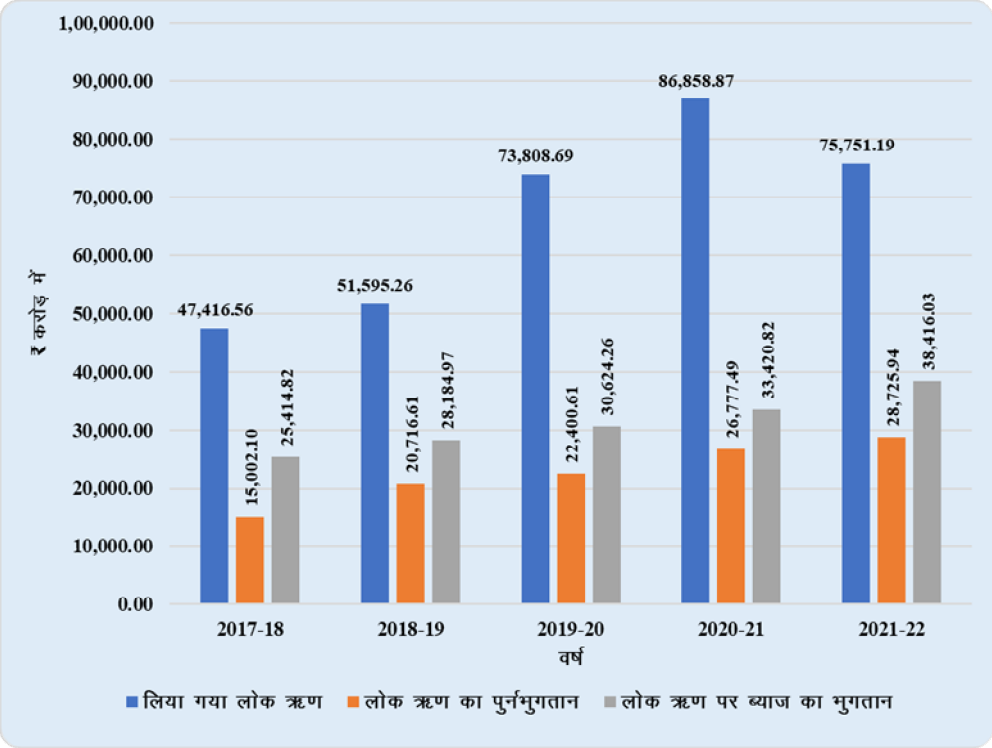

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 2.14 से स्पष्ट है कि अवधि 2017–18 से 2021–22 के दौरान, राज्य सरकार ने अपनी लोक ऋण प्राप्त धनराशि का 69 प्रतिशत से 95 प्रतिशत का उपयोग पिछले लोक ऋणों और ब्याज की देनदारियों के पुनर्भुगतान में किया, परिणामस्वरूप, लोक ऋण का मात्र 5 प्रतिशत से 31 प्रतिशत ही पूंजीगत व्यय के लिए उपलब्ध था। यह उपलब्धता वर्ष 2018–19 में न्यूनतम और वर्ष 2020–21 में अधिकतम थी। वर्ष 2021–22 में राज्य सरकार ने अपनी ऋण प्राप्त धनराशि का 89 प्रतिशत पिछले ऋणों के पुनर्भुगतान और ब्याज भुगतान में उपयोग किया, परिणामस्वरूप मात्र 11 प्रतिशत धनराशि ही पूंजीगत व्यय के लिए उपलब्ध थी।

2.9.2 राजकोषीय घाटे के घटक और इसका वित्तपोषण

तीन प्रमुख राजकोषीय मापदण्ड–राजस्व घाटा/अधिशेष, राजकोषीय घाटा/अधिशेष और प्राथमिक घाटा/अधिशेष–एक निर्दिष्ट अवधि में राज्य सरकार के वित्त में समग्र राजकोषीय असंतुलन की सीमा को दर्शाते हैं। सरकारी लेखे में घाटा प्राप्तियों और व्यय के बीच के अंतर को दर्शाता है।

राजस्व अधिशेष राजस्व प्राप्तियों तथा राजस्व व्यय के अंतर को दर्शाता है। राजस्व अधिशेष ऋणों को कम करने में सहायक है। राजकोषीय घाटा राजस्व तथा गैर–ऋण पूंजीगत प्राप्तियों पर राजस्व और ऋण तथा अग्रिमों सहित पूंजीगत व्यय का आधिक्य है। राजकोषीय घाटा सरकार के निवल वृद्धिमान दायित्वों अथवा इसके अतिरिक्त उधार को दर्शाता है। राजकोषीय घाटे का ब्यौरा सरकार द्वारा अपनी निधियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राजस्व तथा गैर–ऋण पूंजीगत प्राप्तियों से इतर विभिन्न उधारों के वित्तपोषण की सीमा को उद्घाटित करता है। अग्रेतर, जिस तरह से घाटे को वित्तपोषित किया जाता है और संसाधनों को लागू किया जाता है, यह इसके राजकोषीय स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण संकेतक हैं। यह खंड प्रवृत्तियों, प्रकृति, परिमाण और इन घाटों के वित्तपोषण के तरीके को प्रस्तुत करता है। प्रमुख राजकोषीय मापदण्डों की समग्र स्थिति **तालिका 2.24** में दी गई है।

तालिका 2.24 : राजकोषीय घाटे के घटक एवं इनके वित्तपोषण का स्वरूप

(₹ करोड़ में)

विवरण		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
राजकोषीय घाटे (-)/ अधिशेष (+) का संघटन		**(-)27,810**	**(-)35,203**	**11,083**	**(-)54,622**	**(-)39,286**
1	राजस्व घाटा (-) / अधिशेष (+)	(+)12,552	(+)28,250	(+)67,560	(-)2,367	(+)33,430
2	निवल पूंजीगत व्यय[20]	(-)39,088	(-)62,463	(-)59,998	(-)52,237	(-)71,443
3	निवल ऋण एवं अग्रिम[21]	(-)1,274	(-)990	(+)3,521	(-)18	(-)1,273
राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण का स्वरूप (निवल)						
1	बाजार ऋण	37,178.00	33,306.67	55,825.80	63,499.68	46,670.00
2	भारत सरकार से ऋण	(-) 437.81	(-) 832.22	(-) 450.84	6,577.99	9,154.59
3	एनएसएसएफ को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ	(-) 4,643.05	(-) 4,871.64	(-) 5,122.07	(-) 5,122.07	(-)5,122.07
4	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	317.32	3,275.84	1,155.20	(-) 4,874.22	(-)3,677.27
5	लघु बचतें, भविष्य निधि इत्यादि	2,530.12	3,645.59	3,313.67	1,062.40	525.12
6	जमा एवं अग्रिम	1,413.38	2,196.34	(-) 2,089.80	1,914.78	(-)1,458.73
7	उचन्त एव विविध	(-) 2,214.62	222.67	(-) 1,828.11	1,697.48	1,461.10
8	प्रेषण	(-) 3,906.31	312.67	313.50	(-)325.46	21.06
9	आरक्षित निधि	8,264.72	13,544.71	(-) 68,298.52	500.94	3,893.01
10	आकस्मिकता निधि	(-) 154.96	(-) 166.65	629.73	(-) 100.00	700.00
11	**सकल घाटा**	**38,346.79**	**50,633.98**	**(-) 16,551.44**	**64,831.52**	**52,166.81**
12	**नगद अवशेष में वृद्धि (-)/कमी (+)**	**(-) 10,537.00**	**(-) 15,431.00**	**5,468.75**	**(-)10,209.41**	**(-)12,880.39**
13	**सकल राजकोषीय घाटा**	**27,809.79**	**35,202.98**	**(-) 11,082.69**	**54,622.11**	**39,286.42**

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

अवधि 2017–22 के दौरान, राजस्व घाटे एवं राजकोषीय घाटे में उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति थी। वर्ष 2019–20 के दौरान, राज्य का राजस्व अधिशेष (₹ 67,560 करोड़) एवं राजकोषीय अधिशेष (₹ 11,083 करोड़) मुख्य रूप से निक्षेप निधि के ₹ 71,180 करोड़ के पुस्तकीय अवशेष के राजस्व प्राप्ति लेखे में, बिना किसी वास्तविक रोकड़ प्राप्ति के, अंतरण के कारण था। वर्ष 2021–22 के दौरान राज्य ने ₹ 39,286 करोड़ का राजकोषीय घाटा दर्ज किया, जो मुख्य रूप से बाजार ऋण एवं भारत सरकार से ऋण के माध्यम से वित्तपोषित था। तथापि, जैसा कि **प्रस्तर 1.4.1** में वर्णित है, वर्ष 2021–22 के दौरान राज्य के राजकोषीय घाटे तथा राजस्व घाटे को जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि में अपर्याप्त अवशेष रहने के कारण राज्य को जीएसटी क्षतिपूर्ति के बदले में प्राप्त ₹ 8,140 करोड़ के ऋण को संदर्भ में रखते हुए देखना चाहिए।

---

[20] निवल पूंजीगत व्यय = विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ (-) पूंजीगत व्यय; ऋण चिन्ह प्रदर्शित करता है कि वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय पूंजीगत प्राप्तियों से अधिक है।

[21] निवल ऋण और अग्रिम = ऋण और अग्रिम की वसूली (-) ऋण और अग्रिम का संवितरण; माइनस आंकड़ा यह दर्शाता है कि ऋणों और अग्रिमों का संवितरण वर्ष के दौरान वसूली से अधिक था। वर्ष 2021–22 में, इसमें संचित निधि से आकस्मिकता निधि में ₹ 600 करोड़ का हस्तांतरण भी सम्मिलित है, जिसे राज्य सरकार द्वारा ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत बजटित किया गया था।

2.9.3 ऋण रूपरेखा: परिपक्वता एवं पुनर्भुगतान

ऋण परिपक्वता एवं पुनर्भुगतान रूपरेखा ऋण के पुनर्भुगतान या ऋण के सर्विस के लिए सरकार की ओर से प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 31 मार्च 2022 को ₹ 6,12,956 करोड़ के बकाया समग्र ऋण/सकल शेष वित्तीय दायित्वों में से, ₹ 89,272 करोड़ लोक लेखे के दायित्वों से सम्बन्धित हैं। लोक ऋण (₹ 5,23,684 करोड़) की परिपक्वता रूपरेखा **तालिका 2.25** एवं **चार्ट 2.15** में दर्शायी गयी है।

तालिका 2.25 : राज्य ऋण के पुर्नभुगतान की ऋण परिपक्वता रूपरेखा

पुनर्भुगतान की अवधि	लोक ऋण का पुनर्भुगतान		योग	*प्रतिशत*
	आन्तरिक ऋण	भारत सरकार से ऋण और अग्रिम		
2022-23	20,869.41	1,741.77	22,611.18	4.32
2023-24	19,485.70	1,767.36	21,253.06	4.06
2024-25	29,007.44	704.64	29,712.08	5.67
2025-26	40,260.05	589.32	40,849.37	7.80
2026-27	49,955.51	600.59	50,556.10	9.65
2027-28	50,051.27	598.25	50,649.52	9.67
2028-29	53,850.84	579.05	54,429.89	10.39
2029-30	75,897.86	556.52	76,454.38	14.60
2030-31	81,335.73	494.63	81,830.36	15.63
2031-32 से आगे	73,591.48	3,256.02	76,847.50	14.67
राज्य सरकार से समाधान के अन्तर्गत	2,117.60	16373.18*	18,490.77	3.53
योग	**4,96,422.89**	**27,261.33****	**5,23,684.22**	**100**

स्रोत: वित्त लेखे 2021–22

टिप्पणी: बकाया ऋण स्टॉक पर देय ब्याज को तालिका 2.24 में सम्मिलित नहीं किया गया है, क्योंकि राज्य सरकार ने इसे प्रदान नहीं किया है।

* इसमें भारत सरकार द्वारा बट्टे खाते में डाले जाने वाले *₹ 10.19 करोड़, ₹ 16,605.94 करोड़ जिसके लिये भारत सरकार से ऋण पुनर्भुगतान की शर्तें प्रतीक्षित थीं और भारत सरकार द्वारा पुनर्भुगतान किये गये बैक–टू–बैक ऋण ₹ 254.32 करोड़ सम्मिलित है, जिसके लिये ऋण–वार विवरण की प्रतीक्षा की जा रही थी।*

** इसमें जीएसटी प्रतिपूर्ति की कमी के बदले भारत सरकार से बैक–टू–बैक ऋण के रूप में प्राप्त *₹ 14,146.94 करोड़ सम्मिलित है। इस ऋण के पुनर्भुगतान जीएसटी प्रतिपूर्ति निधि में उपकर के संग्रह से की जायेगी और इसलिये, पुनर्भुगतान दायित्व राज्य के अन्य संसाधनों से पूरा नहीं किया जायेगा।*

चार्ट 2.15 : ऋण परिपक्वता रूपरेखा

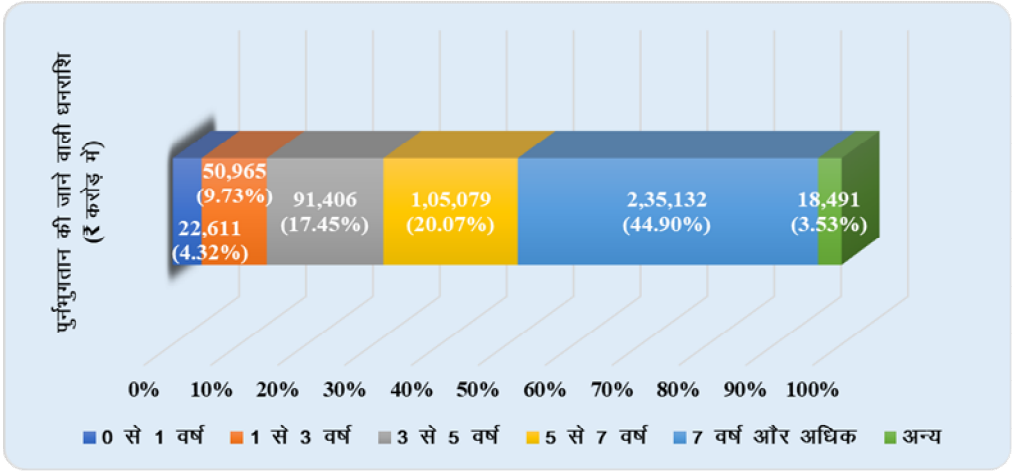

स्रोत: वित्त लेखे 2021–22

लोक ऋण की परिपक्वता रूपरेखा इंगित करती है कि वर्ष 2022–23, 2023–25, 2025–27 और 2027–29 की अवधि के दौरान ऋण चुकाने के लिए राज्य की देयता क्रमशः ₹ 22,611.18 करोड़ (4.32 प्रतिशत), ₹ 50,965.14 करोड़ (9.73 प्रतिशत), ₹ 91,405.47 करोड़ (17.45 प्रतिशत) और ₹ 1,05,079.41 (20.07 प्रतिशत) होगी। अग्रेतर, कुल लोक ऋण के ₹ 2,35,132.24 करोड़ (44.90 प्रतिशत) का सात वर्षों के बाद भुगतान किया जायेगा।

2.9.4 ऋण संवहनीयता

भविष्य में अपने ऋण दायित्वों की सर्विस करने की राज्य की क्षमता को ऋण संवहनीयता के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसलिए ऋण की संवहनीयता वर्तमान या प्रतिबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिए तरल संपत्ति की पर्याप्तता और ऐसे उधारों से प्रतिफल के साथ अतिरिक्त उधार की लागत के बीच संतुलन बनाए रखने की क्षमता को भी संदर्भित करती है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि की ऋण चुकाने की क्षमता में वृद्धि के साथ तारतम्यता होनी चाहिए। ऋण संवहनीयता ऋण विमोचन (मूलधन एवं ब्याज भुगतान) के सकल ऋण प्राप्तियों से अनुपात और उपलब्ध ऋण धनराशि के अनुप्रयोग पर भी निर्भर करती है। ऋण विमोचन का ऋण प्राप्तियों से अनुपात पूंजीगत व्यय हेतु लिये गये ऋण की निवल उपलब्धता को इंगित करते हुए यह दर्शाता है कि ऋण प्राप्तियों का उपयोग ऋण विमोचन में किस सीमा तक किया गया।

राज्य के लोक ऋण की ऋण संवहनीयता के संकेतक **तालिका 2.26** एवं **चार्ट 2.16** में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.26 : ऋण संवहनीयता के संकेतकों की प्रवृत्ति

ऋण संवहनीयता संकेतक	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
बकाया लोक ऋण[22] (₹ करोड़ में)	3,34,291	3,65,170	4,16,578	4,76,659	5,23,684
बकाया लोक ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	*10.74*	*9.24*	*14.08*	*14.42*	*9.87*
जीएसडीपी (₹ करोड़ में)	**14,39,925**	**15,82,180**	**17,00,273**	**16,48,567**	**18,63,221**
जीएसडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	*11.73*	*9.88*	*7.46*	*(-)3.04*	*13.02*
लोक ऋण /जीएसडीपी	23.22	23.08	24.50	28.91	28.11
बकाया लोक ऋण की औसत ब्याज दर (प्रतिशत में)	7.99	8.06	7.83	7.48	7.68
लोक ऋण पर ब्याज भुगतान का राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत	*9.12*	*8.54*	*8.36*	*11.28*	*10.35*
लोक ऋण भुगतान का लोक ऋण प्राप्तियों से प्रतिशत	*31.64*	*40.15*	*30.35*	*30.83*	*37.92*
राज्य के लिए उपलब्ध निवल लोक ऋण[23]	7,000	2,694	20,784	26,661	8609
ऋण प्राप्तियों के सापेक्ष निवल लोक ऋण की उपलब्धता प्रतिशतता में	14.76	5.22	28.16	30.69	11.37
प्राथमिक घाटा (-)/अधिशेष (+)	1,326	(-) 3,161	45,896	(-) 17,194	3,589
ऋण संवहनीयता (₹ करोड़ में)* (क्वांटम स्प्रेड[24] + प्राथमिक घाटा)	12,51,574	6,61,448	(-)1,08,238	(-)49,91,986	26,68,468

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

[22] बकाया लोक ऋण मुख्य शीर्षों 6003–आंतरिक ऋण तथा 6004–केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण तथा अग्रिम में अवशेष का योग है।

[23] राज्य सरकार के लिए निवल लोक ऋण उपलब्धता की गणना लोक ऋण की अदायगी तथा लोक ऋण पर ब्याज भुगतान के सापेक्ष लोक ऋण प्राप्तियों के आधिक्य के रूप में की जाती है।

[24] क्वांटम स्प्रेड = (ऋण स्टाक x इंटरेस्ट स्प्रेड) एवं इंटरेस्ट स्प्रेड = (जीएसडीपी वृद्धि दर–औसत ब्याज दर)।

** भारत सरकार से वर्ष 2020–21 के दौरान ₹ 6,007 करोड़ और 2021–22 के दौरान ₹ 8,140 करोड़ राज्य की पुनर्भुगतान देयता से रहित जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के लिए प्राप्ति के बैक–टू–बैक ऋण को छोड़कर लोक ऋण संवहनीयता की गणना की गयी है। इस प्रकार, वर्ष 2020–21 के अन्त में, पिछले वर्ष की तुलना में 12.98 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ प्रभावी लोक ऋण ₹ 4,70,652 करोड़ था, लोक ऋण का जीएसडीपी से अनुपात 28.55 प्रतिशत था एवं लोक ऋण की औसत ब्याज दर 7.53 प्रतिशत थी। इसी प्रकार, 2021–22 के दौरान, विगत वर्ष की तुलना में 8.26 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ प्रभावी लोक ऋण ₹ 5,09,537 करोड़ था, जीएसडीपी के लिये लोक ऋण 27.35 था और लोक ऋण की औसत ब्याज दर 7.79 थी।*

चार्ट 2.16 : ऋण संवहनीयता संकेतांक

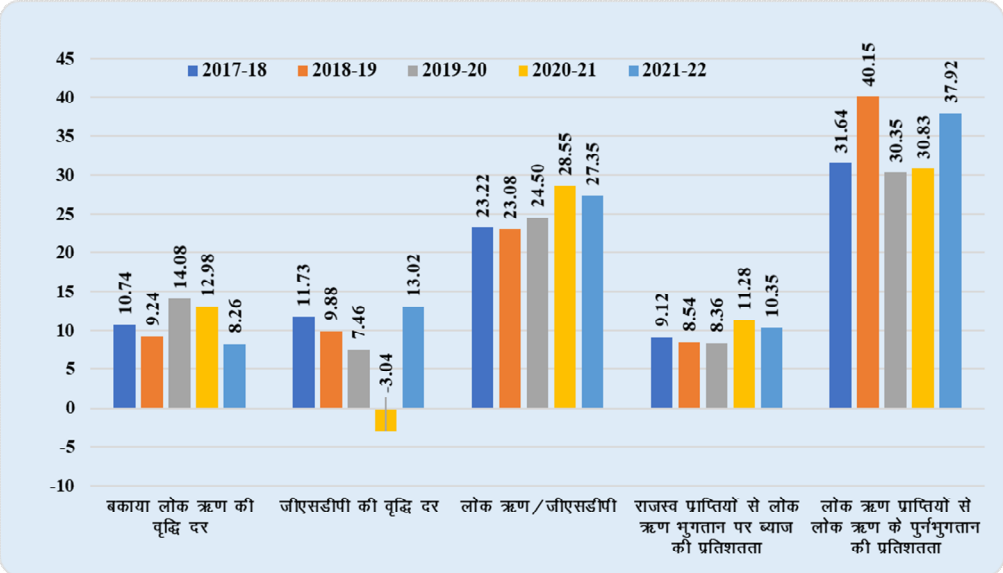

स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

तालिका 2.26 तथा **चार्ट 2.16** का विश्लेषण निम्नानुसार इंगित करता है:

- राज्य का कुल बकाया लोक ऋण वर्ष 2017–18 के ₹ 3,34,291 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2021–22 में ₹ 5,23,684 करोड़ हो गया। वर्ष 2021–22 के दौरान इसमें विगत वर्ष की तुलना में 9.87 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तथापि, 2020–21 और 2021–22 के अन्त में बकाया लोक ऋण ₹ 6,007 करोड़ और ₹ 14,147 करोड़ सम्मिलित है, जो राज्य के लिये कोई पुनर्भुगतान देयता के बिना जीएसटी क्षतिपूर्ति कमी के बदले भारत सरकार से बैक–टू–बैक ऋण के रूप में प्राप्त हुए है। इस बैक–टू–बैक ऋण को छोड़कर, राज्य की लोक ऋण वृद्धि दर 2020–21 के दौरान लोक ऋण की वृद्धि दर 12.98 प्रतिशत और 2021–22 के दौरान 8.26 प्रतिशत थी, जो लोक ऋण की वृद्धि दर में गिरावट का संकेत है।
- ऋण संवहनीयता की स्थिति दर्शाती है कि यदि प्राथमिक घाटे के साथ क्वांटम स्प्रेड शून्य है तो ऋण–जीएसडीपी अनुपात स्थिर होगा या ऋण अंततः स्थिर हो जायेगा। यदि यह धनात्मक है तो ऋण–जीएसडीपी अनुपात अंततः नीचे जायेगा और इसके इतर यदि क्वांटम स्प्रेड के साथ–साथ प्राथमिक घाटा ऋणात्मक हो जाता है तो ऋण–जीएसडीपी अनुपात में वृद्धि होगी। जैसा कि **तालिका 2.26** में आगणित किया गया है, वर्ष 2019–21 में ऋण संवहनीयता ऋणात्मक थी, तथापि जीएसडीपी वृद्धि दर के सापेक्ष लोक ऋण पर उच्च औसत ब्याज दर के कारण यह वर्ष 2021–22 के दौरान धनात्मक थी।
- ब्याज भुगतान के उच्च प्रतिशत के कारण प्राथमिकता के क्षेत्रों के लिए कम निधि रह जाती है। राजस्व प्राप्ति के सापेक्ष ब्याज भुगतान का प्रतिशत सरकार के लिए एक निर्धारित अवधि में उसके ऋणों पर ब्याज भुगतान के सापेक्ष सुरक्षा की सीमा का आकलन करता है। राजस्व प्राप्ति के लिये लोक ऋण पर ब्याज भुगतान का प्रतिशत 2020–21 के दौरान 11.28 प्रतिशत से घटकर 2021–22 के दौरान 10.35 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2017–22 के दौरान लोक ऋण के ब्याज और पुनर्भुगतान के

प्रावधान के बाद वर्तमान परिचालनों के लिये उधार से उपलब्ध निवल निधि में उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति थी और यह वर्ष 2021–22 के दौरान लिये गये कुल लोक ऋण का केवल 11.37 प्रतिशत था।

- वर्ष 2017–22 की अवधि के दौरान औसत ऋण सर्विसिंग व्यय ₹ 53,937 करोड़ था, जो इसी अवधि में औसत लोक ऋण प्राप्तियों (₹ 67,086 करोड़) का 80.39 प्रतिशत था, जिसका अर्थ है कि ऋण का एक बड़ा प्रतिशत ऋण भुगतान के लिए प्रयोग किया जा रहा था।

2.9.4.1 उधार ली गयी निधि का उपयोग

उधार लिये गये निधि का उपयोग आदर्श रूप से पूंजीगत निर्माण और विकासात्मक गतिविधियों के लिए किया जाना चाहिए। उधार ली गई धनराशि की स्थिति को **तालिका 2.27** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.27 : उधार ली गई निधि का उपयोग

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	वर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	**लोक ऋण प्राप्तियाँ**	**47,417**	**51,595**	**73,809**	**86,859**	**75,751**
2	पूर्व के ऋणों का पुनर्भुगतान (मूलधन) (लोक ऋण प्राप्तियों का प्रतिशत)	15,002 (31.64)	20,717 (40.15)	22,401 (30.35)	26,778 (30.83)	28,726 (37.92)
3	निवल पूंजीगत व्यय (लोक ऋण प्राप्तियों का प्रतिशत)	39,088 (82.43)	62,463 (121.06)	59,998 (81.29)	52,237 (60.14)	71,443 (94.31)
4	निवल संवितरित ऋण एवं अग्रिम (लोक ऋण प्राप्तियों का प्रतिशत)	1,274 (2.69)	990 (1.92)	(-)3,521 (-4.77)	18 (0.02)	674 (0.89)
5	निवल उपलब्ध उधार से किये गये राजस्व व्यय का भाग क्र.सं. 5 = क्र.सं. (1-2-3-4) (लोक ऋण प्राप्तियों का प्रतिशत)	(-)7,947 (-16.76)	(-)32,575 (-63.14)	(-)5,069 (-6.87)	7,826 (9.01)	(-)25,092 (33.12)

स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

तालिका 2.27 यह दर्शाती है कि 2017–18 से 2019–20 और 2021–22 की अवधि में उधार (लोक ऋण) पूंजीगत लेखे के अन्तर्गत किये गये व्यय, अर्थात् लोक ऋण के पुनर्भुगतान, पूंजीगत व्यय एवं ऋण और अग्रिमों के संवितरण से कम था, जिसका तात्पर्य है कि 2017–18 से 2019–20 और 2021–22 की अवधि में पूंजीगत लेखे पर व्यय के एक भाग की पूर्ति राज्य के राजस्व अधिशेष से की गयी।

2.9.5 प्रत्याभूतियों की स्थिति–आकस्मिक देयताएं

राज्य सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या अन्य निकायों द्वारा निर्गत बाण्ड तथा लिये गये अन्य उधार के लिये प्रत्याभूति प्रदान करती है। प्रत्याभूतियाँ, उधारकर्ता जिनके लिए प्रत्याभूति दी गई थी, द्वारा चूक की स्थिति में, राज्य की संचित निधि पर आकस्मिक देयताएं हैं।

वित्त लेखे का विवरण संख्या 9 तथा 20, राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विवरण दर्शाता है। इस संकलन में विवरण सीधे राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा विगत पांच वर्षों में दी गयी प्रत्याभूति और बकाया प्रत्याभूति की अधिकतम धनराशि **तालिका 2.28** में दी गई है।

तालिका 2.28 : राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूति की स्थिति

(₹ करोड़ में)

प्रत्याभूति	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
प्रत्याभूति की अधिकतम धनराशि	74,303.03	90,662.48	1,32,499.27	1,75,469.24	2,06,431.78
प्रत्याभूति की बकाया धनराशि	74,841.22	1,10,032.12	1,18,696.49	1,50,554.00	1,74,218.42

स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

बकाया प्रत्याभूति वर्ष 2020–21 के ₹ 1,50,554 करोड़ से 15.72 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2021–22 में ₹ 1,74,218.42 करोड़ हो गयी और यह वर्ष के दौरान राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों (₹ 3,71,011 करोड़) का 46.96 प्रतिशत और राज्य सरकार की जीएसडीपी का 9.35 प्रतिशत थी। 31 मार्च 2022 को बकाया प्रत्याभूति मुख्य रूप से ऊर्जा क्षेत्र की चार कंपनियों (₹ 1,29,374 करोड़), अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास विभाग (₹ 27,950 करोड़), सहकारिता विभाग (₹ 9,313 करोड़) तथा चीनी उद्योग विभाग (₹ 5,040 करोड़) से संबंधित थी। अग्रेतर, वर्ष 2021–22 के दौरान कोई प्रत्याभूति नहीं ली गई थी।

बकाया प्रत्याभूतियों में उ0प्र0 ऊर्जा निगम लिमिटेड के लिए ₹ 93,037 करोड़ की प्रत्याभूति सम्मिलित थी, जो कि संस्था के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान निर्धारित प्रत्याभूति की अधिकतम धनराशि (₹ 92,994 करोड़) से अधिक थी। जैसा कि वित्त लेखे 2021–22 में उद्घाटित है, राज्य सरकार ने इस असंगति पर कोई कारण नहीं बताया। अग्रेतर, वर्ष 2021–22 के प्रारंभ में बकाया प्रत्याभूति तथा वर्ष 2020–21 के अंत में बकाया प्रत्याभूति में ₹ 3,281.74 करोड़ का अंतर था जो महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश तथा राज्य सरकार के मध्य समाधान की प्रक्रिया में था।

2.10 नकद अवशेष का प्रबंधन

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ समझौते के अनुसार, राज्य सरकारों को बैंक के साथ न्यूनतम दैनिक नकद अवशेष बनाए रखना होता है। यदि किसी दिन अवशेष न्यूनतम सहमत धनराशि कम हो जाती है, तो समय–समय पर सामान्य आर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए)/विशेष आर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट लेकर कमी को पूरा किया जाता है। राज्य सरकार के लिए सामान्य डब्ल्यूएमए की सीमा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय–समय पर संशोधित की जाती है।

राज्य सरकार अपने अधिशेष नकद अवशेष को भारत सरकार की लघु और दीर्घकालिक भारत सरकार की प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों में निवेश करती है। ऐसे निवेशों से प्राप्त आय को मुख्य शीर्ष '0049–ब्याज प्राप्तियां' के अन्तर्गत प्राप्तियों के रूप में जमा किया जाता है। नकद अवशेष में समेकित निक्षेप निधि के सरकारी प्रतिभूतियों का निवेश सम्मिलित है।

यह वांछनीय नहीं है कि राज्य सरकार अधिक नकद अवशेष होने के बावजूद बाजार ऋण का सहारा ले क्योंकि इससे उत्पादक उपयोग में लाए बिना नकद अवशेष में और वृद्धि होती है।

वर्ष 2021–22 के दौरान नकद अवशेष तथा राज्य सरकार द्वारा नकद अवशेष में से किए गए निवेश को **तालिका 2.29** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 2.29 : वर्ष 2021–22 के दौरान नकद अवशेष तथा उनका निवेश

(₹ करोड़ में)

	1 अप्रैल 2021 को प्रारम्भिक अवशेष	31 मार्च 2022 को अन्तिम अवशेष
अ. सामान्य नकद अवशेष		
कोषागार में नकद	0.00	0.00
भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा	137.10	(-)348.47
पारगमन में प्रेषण	0.00	0.00
नकद अवशेष निवेश लेखा में किया गया निवेश	30,459.45	41,825.24
योग (अ)	**30,596.55**	**41,476.77**
ब. अन्य नकद अवशेष तथा निवेश		
विभागीय अधिकारियों यथा लोक निर्माण, वन अधिकारी के पास नकद	10.52	10.69
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी अग्रिम	0.50	0.50
निर्धारित निधियों में निवेश	1,045.20	3,045.20
योग (ब)	**1,056.22**	**3,056.39**
योग (अ+ब)	**31,652.77**	**44,533.16**

स्रोत: वित्त लेखे 2021–22

वर्तमान वर्ष के अंत में राज्य सरकार की नकद अवशेष धनराशि ₹ 44,533.16 करोड़ थी। वर्ष 2020–21 के अंत में अवशेष की तुलना में इसमें ₹ 12,880.39 करोड़ (40.69 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वर्ष 2021–22 के दौरान नकद अवशेष निवेश लेखा में निवेश का प्रारंभिक अवशेष ₹ 30,459.45 करोड़ था। ₹ 6,91,372.52 करोड़ के ट्रेजरी बिल खरीदे गए और ₹ 6,80,006.73 करोड़ की धनराशि के ये इन्स्ट्रूमेंट बेचे गये, जिससे वर्ष के अंत में लेखे में ₹ 41,825.24 करोड़ की धनराशि अवशेष रही। ट्रेजरी बिलों और भारत सरकार की दीर्घकालिक प्रतिभूतियों में निवेश पर ब्याज के रूप में क्रमशः ₹ 333.07 करोड़ और ₹ 13.92 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई।

नकद अवशेष निवेश लेखे के अन्तर्गत ट्रेजरी बिलों में निवेश का राज्य सरकार का संव्यवहार वर्ष 2017–18 के दौरान ₹ 3,52,908 करोड़ से लगातार बढ़कर वर्ष 2018–19 के दौरान ₹ 5,44,061 करोड़ हो गया लेकिन वर्ष 2019–20 के दौरान यह घटकर ₹ 4,93,843 करोड़ तथा वर्ष 2020–21 में यह घटकर ₹ 4,64,321 करोड़ हो गया और वर्ष 2021–22 में यह पुनः बढ़कर ₹ 6,91,372.52 करोड़ हो गया । नकद अवशेष निवेश लेखे के अनुरूप, नकद अधिशेष (सामान्य नकद अवशेष) अवधि 2017–18 से 2018–19 के दौरान ₹ 11,425 करोड़ (31 मार्च 2018) से बढ़कर ₹ 26,855 करोड़ (31 मार्च 2019) हो गया जो वर्ष 2019–20 (31 मार्च 2020) में घटकर ₹ 21,387 करोड़ हो गया और पुनः वर्ष 2020–21 (31 मार्च 2021) में बढ़कर ₹ 30,597 करोड़ हो गया और वर्ष 2021–22 (31 मार्च 2022) में बढ़कर ₹ 41,477 करोड़ हो गया। अवधि 2017–22 के दौरान नकद अवशेष निवेश लेखा तथा उस पर अर्जित ब्याज की स्थिति को **तालिका 2.30** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.30 : नकद अवशेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष 8673)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक अवशेष	अतिम अवशेष	वृद्धि(+)/कमी (-) (अन्तिम अवशेष–प्रारम्भिक अवशेष)	उपार्जित ब्याज
2017-18	2,168.23	11,159.38	8,991.15	486.61
2018-19	11,159.38	26,684.36	15,524.98	1,088.56
2019-20	26,684.36	21,150.71	(-)5,533.65	596.15
2020-21	21,150.71	30,459.45	9,308.74	249.67
2021-22	30,459.45	41,825.24	11,365.79	346.99

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2021–22 के दौरान नकद अवशेष तथा निवल नकद अवशेष निवेश के माहवार प्रवाह को **चार्ट 2.17** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.17: वर्ष 2021–22 के दौरान नकद अवशेष तथा निवल नकद अवशेष निवेश का माहवार प्रवाह

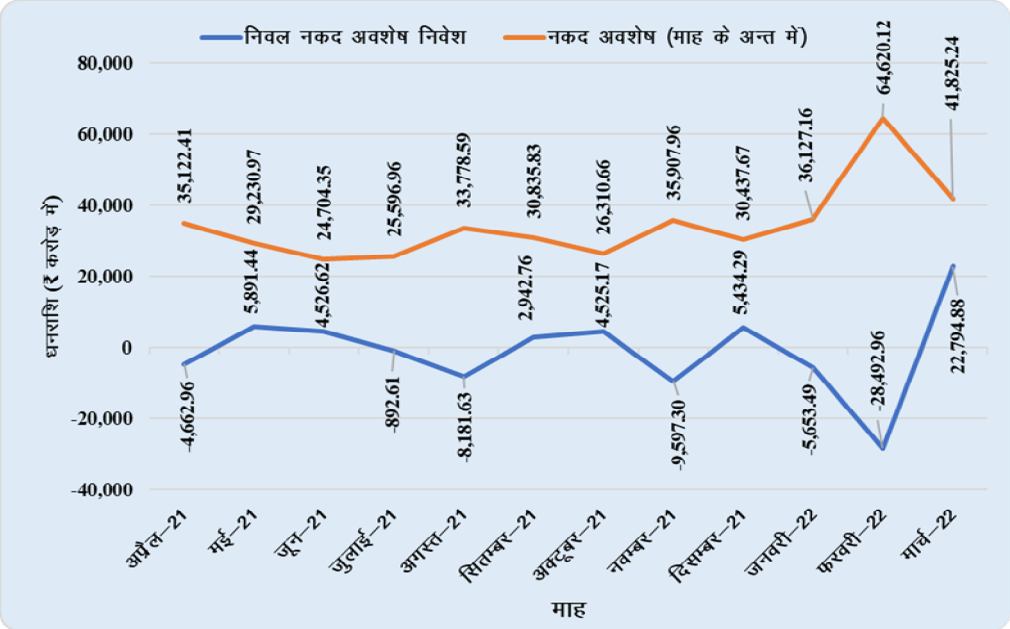

स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (ले0 एवं हक0) उत्तर प्रदेश द्वारा अनुरक्षित आंकड़े

राज्य सरकार द्वारा लिये गये बाजार ऋण तथा राज्य सरकार के पास उपलब्ध नकद अवशेष की स्थिति **चार्ट 2.18** में प्रस्तुत की गयी है।

चार्ट 2.18: अवधि 2017–22 के दौरान नकद अवशेष के सापेक्ष बाजार ऋण

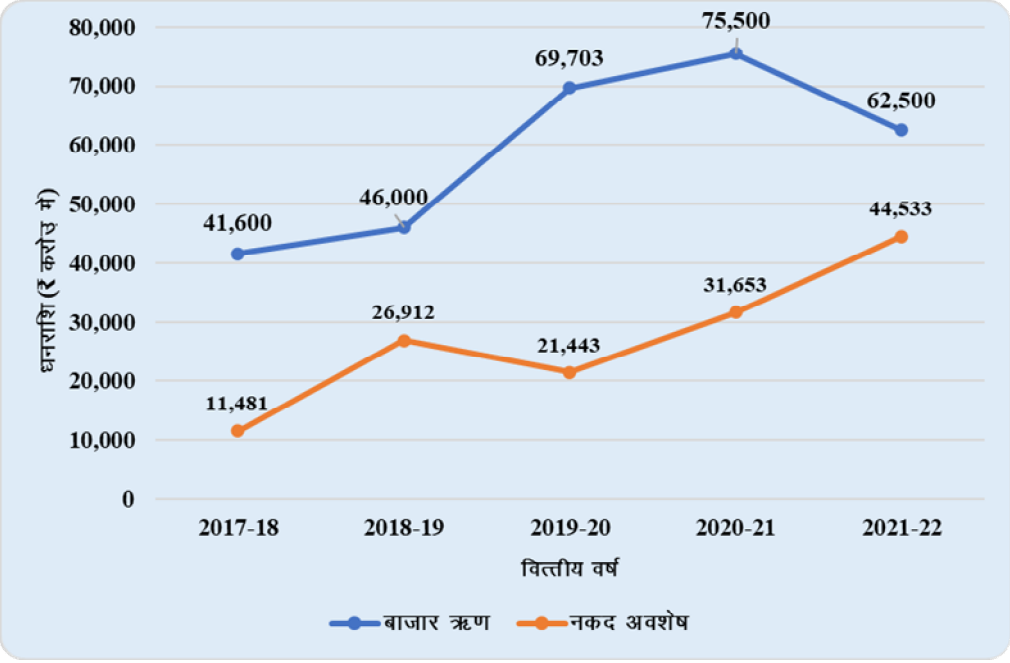

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

तेरहवें वित्त आयोग ने अत्यधिक नकदी अवशेष रखने वाली राज्य सरकारों द्वारा नए ऋण का सहारा लेने से पहले अपने मौजूदा नकद अवशेष का उपयोग करने की दिशा में प्रयास की अनुशंसा की थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी इस तथ्य को दोहराया था

कि अधिक नकद अवशेष आधिक्य का संचय राज्य सरकार के ऋण पर ब्याज लागत के भार को बढ़ाता है, यदि यह उधार के संसाधनो[25] से निर्मित है।

2.10.1 नकद अवशेष में भिन्नता

महालेखाकार के अभिलेखों के अनुसार 31 मार्च 2022 को नकद अवशेष धनराशि ₹ 348.47 करोड़ (क्रेडिट) था और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिवेदित धनराशि ₹ 353.70 करोड़ (डेबिट) था। ₹ 5.23 करोड़ के निवल अन्तर का कारण मुख्य रूप से कोषागारों/एजेंसी बैंकों द्वारा सूचित आंकड़ों में अन्तर के कारण था। अंतर समाधान की प्रक्रिया में था।

2.11 निष्कर्ष

सकारात्मक संकेतक

- राजकोषीय घाटा (₹ 39,286 करोड़) जीएसडीपी का 2.11 प्रतिशत था, जो कि यूपीएफआरबीएम (संशोधन) बिल 2021 द्वारा निर्धारित चार प्रतिशत के राजकोषीय लक्ष्य के अन्दर था।
- वर्ष 2020–21 के सापेक्ष वर्ष 2021–22 में राजस्व प्राप्ति में 25.27 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- राज्य ने वर्ष 2020–21 के दौरान ₹ 2,367 करोड़ का राजस्व घाटा दर्ज करने के बाद वर्ष 2021–22 के दौरान ₹ 33,430 करोड़ के राजस्व अधिशेष दर्ज किया था। परिणामस्वरूप, 2021–22 के दौरान पूँजीगत व्यय में वृद्धि के बावजूद राजकोषीय घाटा वर्ष 2020–21 के दौरान ₹ 54,622 करोड़ से घटकर वर्ष 2021–22 के दौरान ₹ 39,286 करोड़ हो गया। वर्ष 2020–21 के दौरान ₹ 17,194 करोड़ का प्राथमिक घाटा वर्ष 2021–22 के दौरान ₹ 3,589 करोड़ के प्राथमिक अधिशेष में भी परिवर्तित हो गया।
- राजस्व व्यय के सापेक्ष प्रतिबद्ध व्यय वर्ष 2020–21 के 61.37 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2021–22 में 59.87 प्रतिशत हो गया।
- राज्य का ऋण–जीएसडीपी अनुपात वर्ष 2020–21 के 33.91 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2021–22 में 32.14 प्रतिशत हो गया।
- लोक ऋण पर औसत ब्याज दर की तुलना में उच्च जीएसडीपी वृद्धि दर के कारण वर्ष 2021–22 के दौरान ऋण संवहनीयता में वृद्धि हुई। राजस्व प्राप्तियों से लोक ऋण पर ब्याज भुगतान का प्रतिशत वर्ष 2020–21 के 11.28 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2021–22 में 10.35 प्रतिशत हो गया।

संकेतक जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है

- वर्ष 2021–22 के दौरान, राज्य सरकार ने समेकित निक्षेप निधि में ₹ 734.32 करोड़ का कम अंशदान हस्तांतरित किया, जिसका उपयोग राज्य सरकार की लम्बित देनदारियों के मोचन के लिये किया जाना था।
- राज्य सरकार ने मूल्यह्रास आरक्षित निधि के लिए प्रभारित राशि को इस निधि में स्थानांतरित नहीं किया बल्कि इसे राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों के रूप में रखा गया। उपलब्ध अवशेष धनराशि से अधिक संवितरण के कारण निधि वर्ष 2021–22 के अन्त में ₹ 6.11 करोड़ का ऋणात्मक अवशेष था।

[25] XIVवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन का प्रस्तर 4.40 एवं 4.41।

- राज्य सरकार द्वारा राज्य आपदा अनुक्रिया निधि के अनिवेशित अवशेष पर वर्ष 2021–22 के लिए ₹ 74.99 करोड़ का ब्याज जमा नहीं किया गया था। एसडीआरएफ दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट तरीके से निधि की अवशेष धनराशि का निवेश नहीं किया जा रहा था।

- सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूति में से, उधार प्राप्तकर्ता एजेंसी द्वारा चूक की स्थिति में ऋण की सर्विसिंग के दायित्व की पूर्ति हेतु राज्य सरकार ने प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन नहीं किया गया।

2.12 *संस्तुतियाँ*

- *राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि समेकित निक्षेप निधि में वार्षिक अंशदान विगत वर्ष के अन्त में बकाया देयताओं का कम से कम 0.50 प्रतिशत हो, जैसा कि समेकित निक्षेप निधि योजना में प्रावधानित है, जिससे कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अग्रेतर निवेश हेतु एवं भविष्य की अवशेष देयताओं के भुगतान हेतु निधि में पर्याप्त अवशेष उपलब्ध हो।*

- *राज्य सरकार को मूल्यह्रास आरक्षित निधि के लिए भारित पूरी धनराशि को इस निधि को हस्तांतरित करना चाहिए। अग्रेतर, राज्य सरकार को मूल्यह्रास आरक्षित निधि के अन्तर्गत ऋणात्मक अवशेष को तत्काल नियमित करना चाहिए।*

- *राज्य सरकार द्वारा एसडीआरएफ दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार एसडीआरएफ के अन्तर्गत अवशेष धनराशि का निवेश करना चाहिये और उपार्जित ब्याज को निधि में जमा करना चाहिये।*

- *राज्य सरकार को बारहवें वित्त आयोग के अनुशंसा के अनुसार प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन करना चाहिये।*

अध्याय - III

बजटीय प्रबंधन

अध्याय-III

बजटीय प्रबंधन

यह अध्याय अनुपूरक अनुदानों और सहवर्ती वित्तीय प्रबंधन को सम्मिलित करते हुए बजटीय प्रक्रिया और आवंटन प्राथमिकताओं की सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और प्रभावशीलता, यह आकलन करते हुए कि क्या नीतिगत स्तर पर लिए गए निर्णयों को धन के विचलन के बिना प्रशासनिक स्तर पर लागू किया गया है, से संबंधित है।

3.1 बजट प्रक्रिया

वार्षिक बजट की कार्यवाही, सार्वजनिक संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए दिशानिर्देश देने का एक साधन है। उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल (यूपीबीएम) उत्तर प्रदेश सरकार हेतु बजट तैयार करने की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है।

यूपीबीएम के प्रस्तर 8 के अनुसार वित्त विभाग वार्षिक बजट तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। विभागाध्यक्ष और अन्य प्राक्कलन अधिकारी प्रत्येक लेखा शीर्ष, जिससे वह सम्बन्धित हैं, के लिए अनुमान तैयार करते हैं और इन्हें वित्त विभाग को अग्रेषित करते हैं। विभागीय अधिकारियों एवं सचिवालय के प्रशासनिक विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सामग्री के आधार पर बजट तैयार किया जाता है। बजट तैयार करने की प्रक्रिया **चार्ट 3.1** में दी गयी है.

चार्ट 3.1: बजट तैयार करने की प्रक्रिया

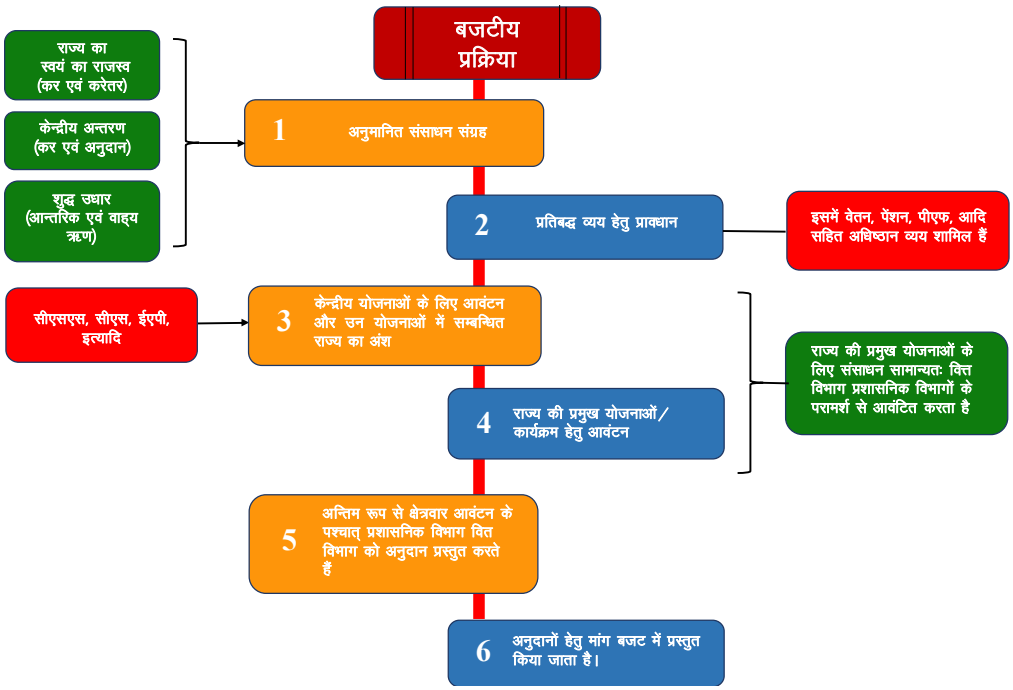

सीएसएसः केन्द्र प्रायोजित योजनाएं; सीएसः केन्द्रीय योजनाएं; ईएपीः बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं।

बजट में नए व्यय के प्रावधान को सम्मिलित करते हुए इसे अंतिम रूप देने के पश्चात संविधान के अनुच्छेद 202 के अन्तर्गत राज्यपाल की संस्तुति पर राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाता है। विधान सभा द्वारा अनुदानों पर मतदान हो जाने के बाद, राज्य की संचित निधि से मतदेय एवं भारित व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु आवश्यक धन के विनियोग के लिए विधान सभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। विनियोग विधेयक जब विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है और इसे राज्यपाल की सहमति भी प्राप्त हो जाती है, तो उसमें दर्शायी गई धनराशि संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की जा सकती है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 में प्रावधान है कि वर्ष के लिए विनियोग अधिनियम में पारित प्रावधानों पर अनुपूरक अनुदान या विनियोग चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, व्यय को पूरा करने के लिए किया जा सकता है जहां उस वर्ष, जिसके लिए विनियोग अधिनियम के प्रावधान अपर्याप्त पाए जाते हैं या जब वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान किसी नई सेवा पर अनुपूरक या अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता उत्पन्न होती है अथवा यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर उस सेवा के लिए दी गई राशि से अधिक राशि व्यय की जा रही है, जिसकी मूल बजट में परिकल्पना नहीं की गई थी।

अनुपूरक अनुदान से इतर, उसी अनुदान या भारित विनियोग के अन्तर्गत निधियों के पुनः आवंटन के लिए पुनर्विनियोग का भी उपयोग किया जा सकता है। पुनर्विनियोग, सक्षम प्राधिकारी द्वारा मतदेय अथवा भारित विनियोग खण्ड के अन्तर्गत विनियोग की एक इकाई में बचत का अंतरण उसी खण्ड के अन्तर्गत (अर्थात राजस्व–मतदेय, राजस्व–भारित, पूंजीगत–मतदेय, पूंजीगत–भारित) किसी अन्य इकाई के अन्तर्गत मौजूदा सेवा पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है। वर्ष 2021-22 के लिए बजट के विभिन्न घटकों को **चार्ट 3.2** में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.2 : वर्ष 2021-22 के बजट के घटक

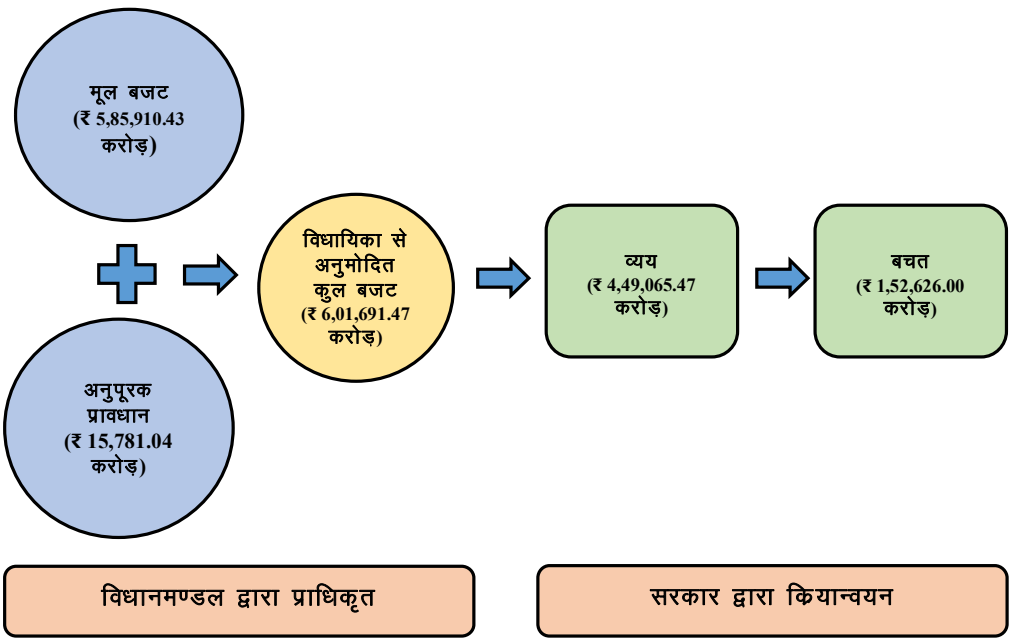

स्रोतः उत्तर प्रदेश वार्षिक वित्तीय विवरण एवं वर्ष 2021-22 के विनियोग लेखे।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अधीन विनियोग अधिनियम द्वारा अधिकृत बजट के भारित और मतदेय दोनों मदों के संबंध में विभिन्न निर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूंजी व्यय और राजस्व व्यय को दर्शाते हैं और विनियोग लेखे में मूल बजट प्रावधान, अनुपूरक अनुदान, अभ्यर्पण और पुनर्विनियोग को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। सीएजी द्वारा विनियोगों की लेखापरीक्षा यह पता लगाने का प्रयास करती है कि क्या वास्तव में विभिन्न अनुदानों के अधीन किया गया व्यय विनियोग अधिनियम के अधीन दिए गए प्राधिकार के अधीन है और यह कि संविधान के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रभारित किए जाने के लिए आवश्यक व्यय प्रावधानों के अधीन प्रभारित है। यह भी पता चलता है कि क्या इस प्रकार किया गया व्यय कानून, प्रासंगिक नियमों, विनियमों और निर्देशों के अनुरूप है।

3.1.1 2021–22 के दौरान कुल प्रावधानों, वास्तविक व्यय और बचत का सारांश

कुल बजट प्रावधानों, व्यय और बचत की संक्षिप्त स्थिति **तालिका 3.1** में दी गई है।

तालिका 3.1: 2021-22 के दौरान बजट प्रावधान, व्यय और बचत

(₹ करोड़ में)

	कुल बजट प्रावधान		व्यय		बचत	
	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
राजस्व	3,78,215	46,529	2,93,995	45,530	84,220	999
पूंजीगत	1,37,955	38,992	80,806	28,734	57,149	10,258

स्रोत: विनियोग लेखे 2021–22

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, राजस्व और पूंजीगत दोनों खण्डों के अन्तर्गत बजट प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय काफी कम था, जिसमें 20.06 *प्रतिशत* और 38.09 *प्रतिशत* की बचत देखी गई। अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत बजट प्रावधानों के सापेक्ष सकल व्यय राजस्व मतदेय खण्ड में 77.73 *प्रतिशत,* राजस्व भारित खण्ड में 97.85 *प्रतिशत,* पूंजीगत मतदेय खण्ड में 58.57 *प्रतिशत* और अनुदान/विनियोग के पूंजीगत भारित खण्ड के अधीन 73.69 *प्रतिशत* था।

3.1.2 भारित और मतदेय व्यय

2017–22 की अवधि के दौरान कुल भारित एवं मतदेय व्यय और उनके सापेक्ष बचतों का विवरण **तालिका 3.2** में दिया गया है।

तालिका: 3.2 वर्ष 2017–22 के दौरान मतदेय और भारित के अधीन व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राजस्व				पूँजीगत			
	व्यय		बचतें		व्यय		बचतें	
	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
2017-18	2,26,083	41,806	59,686	4,111	51,973	15,014	23,000	6,972
2018-19	2,47,287	58,976	51,703	433	82,792	20,729	27,377	9,838
2019-20	2,66,083	35,367	64,113	22,640	75,556	22,420	27,637	12,993
2020-21	2,63,323	39,047	81,777	25,080	66,856	26,798	33,551	8,139
2021-22	2,93,995	45,530	84,220	999	80,806	28,734	57,149	10,258

स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

तालिका 3.2 से प्रदर्शित होता है कि 2017–20 की अवधि के दौरान, राजस्व मतदेय खण्ड के अधीन व्यय वर्ष 2017–18 के दौरान ₹ 2,26,083 करोड़ से लगातार बढ़कर वर्ष 2019–20 के दौरान ₹ 2,66,083 करोड़ हो गया था जो वर्ष 2020–21 में मामूली रूप से घटकर ₹ 2,63,323 करोड़ हो गया था और आगे वर्ष 2021–22 में बढ़कर ₹ 2,93,995 करोड़ हो गया था। वर्ष 2021–22 के दौरान, राजस्व मतदेय खण्ड के अधीन व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 11.65 *प्रतिशत* बढ़ गया। तथापि, राजस्व मतदेय खण्ड के अधीन बचत 2017–18 में 26.40 *प्रतिशत* से बढ़कर वर्ष 2021–22 में 28.65 प्रतिशत हो गई है, जो योजना और निष्पादन के बीच व्यापक अंतर को दर्शाती है।

इसी प्रकार, पूँजीगत मतदेय खण्ड के अन्तर्गत व्यय 2017–22 की अवधि के दौरान परिवर्तनशील था और यह वर्ष 2018–19 के दौरान उच्चतम (₹ 82,792 करोड़) और वर्ष 2017–18 के दौरान सबसे कम (₹ 51,973 करोड़) था। वर्ष 2021–22 के दौरान पूँजीगत मतदेय खण्ड के अन्तर्गत व्यय (₹ 80,806 करोड़) था। तथापि, पूँजीगत मतदेय खण्ड के अन्तर्गत बचत बढ़ने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ी है, वर्ष 2017–18 के ₹ 23,000 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2021–22 में ₹ 57,149 हो गई जो योजना और निष्पादन के बीच व्यापक अंतर को प्रदर्शित करता है।

3.2 बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा पर टिप्पणियाँ

इस भाग में निर्धारित बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया से विचलन पर चर्चा की गई है।

3.2.1 विगत वित्तीय वर्षों के अधिक व्यय का नियमितीकरण

संविधान के अनुच्छेद 205(1)(ब) में प्रावधान है कि यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर उस सेवा के लिए दी गई राशि से अधिक राशि व्यय की गई है, तो राज्यपाल द्वारा ऐसे अधिक व्यय की मांग को उस वित्तीय वर्ष के लिए राज्य की विधान सभा को प्रस्तुत करना होगा।

उत्तर प्रदेश बजट नियमावली के प्रस्तर 137 में निर्देशित है कि यदि वर्ष की समाप्ति के उपरान्त, यह पता चलता है कि किसी अनुदान या भारित विनियोग के अधीन उस वर्ष के लिए उस अनुदान या भारित विनियोग के अधीन कुल विनियोग से अधिक व्यय किया गया था तो अतिरिक्त व्यय की मांग को जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 205(1)(ब) के अधीन अपेक्षित था, लोक लेखा समिति की अनुशंसा के आधार पर विधानसभा में प्रस्तुत कर नियमित किया जाना चाहिए।

वर्ष 2005–06 से 2020–21 से संबंधित 104 अनुदानों और 48 विनियोगों के अंतर्गत ₹ 32,533.46 करोड़ के अतिरिक्त संवितरण, जैसा कि संबंधित वर्षों के विनियोग लेखों में टिप्पणी की गई है, को राज्य विधानमंडल द्वारा नियमित किया जाना शेष है, जैसा कि **तालिका 3.3** में वर्णित है।

तालिका 3.3: पिछले वित्तीय वर्षों का अधिक व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान/विनियोग का विवरण	अधिक व्यय राशि जिसको नियमित करने की आवश्यकता है
2005-06	राजस्व मतदेय- 8,12,53,55,57,58,72; पूँजीगत मतदेय-15,16,18,23, 33, 34,37,38,40, 55,56, 57,58,73,75,96; राजस्व भारित-1,52; पूँजीगत भारित-52,55;	869.05
2006-07	राजस्व मतदेय -9,13,55,58,61,62,73,91,95; पूँजीगत मतदेय -3,16,31, 37, 55,57,58,89,96; राजस्व भारित -2,3,10,52,62,89;	2,484.47
2007-08	राजस्व मतदेय -51,55,57,58,62; पूँजीगत मतदेय- 13,16,55,58,63,83,96; राजस्व भारित -51,66	3,610.65
2008-09	राजस्व मतदेय -62,96; पूँजीगत मतदेय -55,58,96; राजस्व भारित -52;	3,399.42
2009-10	राजस्व मतदेय -58; पूँजीगत मतदेय -1,16,55,58,59; राजस्व भारित -3,10,16,48,52,66;	1,250.16
2010-11	राजस्व मतदेय -30,51,91; पूँजीगत मतदेय -10,55,58; राजस्व भारित -10,23,61,82;	1,702.62
2011-12	राजस्व मतदेय -21,62,91; पूँजीगत मतदेय -1,55,58; राजस्व भारित -13,18,23,61,62,82;	1,889.66
2012-13	राजस्व मतदेय -51,57; पूँजीगत मतदेय -55,58; राजस्व भारित -55,62,89;	2,380.23
2013-14	पूँजीगत मतदेय - 55, 58; पूँजीगत भारित - 52;	2,608.18
2014-15	राजस्व मतदेय - 57,91; पूँजीगत मतदेय -1,40,55,57,58; राजस्व भारित -13;	2,225.32
2015-16	पूँजीगत मतदेय - 55,57,58,87; राजस्व भारित - 2,23,52,62;	1,566.71
2016-17	पूँजीगत मतदेय - 55,58,87; राजस्व भारित - 89; पूँजीगत भारित – 61;	5,662.17

वर्ष	अनुदान/विनियोग का विवरण	अधिक व्यय राशि जिसको नियमित करने की आवश्यकता है
2017-18	राजस्व मतदेय - 62; पूँजीगत मतदेय -55; राजस्व भारित -91; पूँजीगत भारित -58	1,337.17
2018-19	राजस्व मतदेय -57; पूँजीगत मतदेय – 55, 57, 58; राजस्व भारित – 52; पूँजीगत भारित – 10, 21, 55	1,539.44
2019-20	पूँजीगत भारित – 55	0.11
2020-21	राजस्व मतदेय -57; पूँजीगत मतदेय –55; पूँजीगत भारित –55	8.10
नियमितीकरण की आवश्यकता वाले विगत वर्षों के कुल व्ययाधिक्य		**32,533.46**

स्रोतः संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

अधिक व्यय बजटीय और वित्तीय नियंत्रण की प्रणाली को विकृत करता है और सार्वजनिक धन के प्रबंधन में वित्तीय अनुशासनहीनता को प्रोत्साहित करता है और इसको नियमित न किया जाना संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन है। प्राधिकार से अधिक व्यय और अधिक व्यय को नियमित न किये जाने को उत्तर प्रदेश के विगत राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में नियमित रूप से प्रकाश में लाया गया है। तथापि, वर्ष 2005–06 से 2020–21 से संबंधित अधिक व्यय के मामलों को वित्त विभाग द्वारा नियमितीकरण करने के लिए राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना शेष है। यह संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 का उल्लंघन है, जो यह प्रावधान करता है कि राज्य विधानमंडल के कानून द्वारा किए गए विनियोग के अलावा कोई भी धन संचित निधि से आहरित नहीं किया जाएगा।

3.2.2 व्यय का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण

वित्त विभाग ने व्यय की आर्थिक प्रकृति को दर्शाने वाले विनियोग की प्राथमिक इकाई के रूप में मानक मदों की एक सूची को अपनाया है। इस प्रकार, कुछ मानक मद केवल व्यय की राजस्व प्रकृति के अनुरूप हैं क्योंकि यह यूपीबीएम में परिभाषित परिसंपत्तियों के निर्माण में परिणत नहीं होते हैं। अग्रेतर, कुछ मानक मदों को केवल व्यय की पूँजीगत श्रेणी में रखा जा सकता है क्योंकि इन प्रावधानों से परिसम्पत्ति बनायी जाती है और उनके तद्नुसार बजट में व्यवस्था और लेखांकन की आवश्यकता होती है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मानक शीर्ष 14 (वाहनों की क्रय), 16 (वाणिज्यिक और विशेष सेवाओं के लिए भुगतान), 25 (लघु निर्माण कार्य), 47 (कंप्यूटर रखरखाव/प्रासंगिक स्टेशनरी की क्रय) के अधीन राजस्व और पूँजीगत व्यय के बीच त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण था, जैसा कि **तालिका 3.4** और **तालिका 3.5** में संक्षेपित है।

तालिका 3.4: राजस्व व्यय का पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकरण

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	मानक मद	मानक मद नामकरण	मुख्य लेखाशीर्ष	2021–22 में व्यय
1.	**16**	**वाणिज्यिक और विशेष सेवाओं के लिए भुगतानः** इसमें कानूनी/विशेषज्ञ सेवाओं पर खर्च, परामर्श सेवाओं के लिए शुल्क, परीक्षकों को देय राशि आदि सम्मिलित हैं।	4059 एवं 5054	10.04
2.	**25**	**लघु निर्माण कार्यः** जैसा कि वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग–VI के प्रस्तर 314 में दिया गया है, ₹ 1.00 लाख से अधिक किन्तु ₹ 2.00 लाख लागत से कम के कार्य लघु कार्य हैं।	4055, 4058, 4059, 4070, 4202, 4210, 4216, 4235, 4250, 4406, 4702, 4851, 4853, एवं 5054	148.88

3.	**47**	**कम्प्यूटर अनुरक्षण/प्रासंगिक स्टेशनरी का क्रयः** इसमें कम्प्यूटरों के अनुरक्षण तथा कम्प्यूटर लेखन सामग्री, प्रिंटर रिबन/कार्ट्रिज क्रय आदि सम्मिलित है।	4202 एवं 5054	1.20
राजस्व व्यय में कमी				**160.12**

स्रोत : वित्त लेखे 2021–22

तालिका 3.5: पूंजीगत व्यय का राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकरण

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	मानक मद	मानक मद नामकरण	मुख्य लेखाशीर्ष	2021–22 में व्यय
1.	**14**	**वाहनों का क्रयः** इसमें सरकारी कार्यालयों/कार्यात्मक इकाइयों/गेस्ट हाउस आदि के उपयोग के लिए मोटर वाहनों के क्रय पर व्यय सम्मिलित है।	2012, 2013, 2014 एवं 3475	29.63
राजस्व व्यय में अधिकता				**29.63**

स्रोत : वित्त लेखे 2021–22

तालिका 3.4 और **तालिका 3.5** में वर्णित राजस्व और पूँजीगत व्यय के बीच त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के परिणामस्वरूप वर्ष 2021–22 के दौरान राज्य के राजस्व अधिशेष को ₹ 130.49 करोड़ से अधिक बताया गया।

3.2.3 एकमुश्त बजटीय प्रावधान

सार्वजनिक वित्त के लिए संस्थागत व्यवस्थाओं के बारे में विश्वसनीय, प्रासंगिक और समय पर सूचनाओं की उपलब्धता से सरकार की वित्तीय स्थिति और सरकारी गतिविधियों की सही लागत का आकलन किया जा सकता है। पारदर्शिता शासन व्यवस्था को मजबूत करने का एक साधन है।

यूपीबीएम के प्रस्तर 31 के अनुसार जहां आपात स्थितियों को पूरा करने के लिए या किसी परियोजना/योजना के प्रारंभिक व्ययों जिसे वित्तीय वर्ष में लिए जाने के लिए सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है उनको पूर्ण करने के लिए तत्काल उपाय किए जाने हैं ऐसे अप्रत्यशित प्रकरणों को छोड़कर, नियमतः अनुमानों में एकमुश्त प्रावधान नहीं किया जाना चाहिए। प्रस्तावित प्रावधानों को उचित ठहराने वाले विस्तृत स्पष्टीकरण एकमुश्त अनुमानों के साथ बजट नोट में दिये जाने चाहिए।

वर्ष 2021–22 के दौरान, 18 अनुदानों के विभिन्न शीर्षों के अधीन ₹ 7,696.63 करोड़ के एकमुश्त प्रावधान योजना विवरण को दर्शाए बिना किए गए ***(परिशिष्ट–3.1)***। इन एकमुश्त प्रावधानों में से ₹ 4,261.46 करोड़ (प्रावधान का 55.37 *प्रतिशत*) का वास्तविक व्यय किया गया।

अनुदान संख्या 58–लोक निर्माण विभाग (संचार–सड़क) के पूंजीगत (मतदेय) खण्ड के अन्तर्गत, सड़क कार्यों के लिए ₹ 4,260.01 करोड़ का एकमुश्त प्रावधान किया गया था, जो अनुदान के पूंजीगत (मतदेय) खण्ड के अंतर्गत बजटीय प्रावधानों का 27.88 प्रतिशत था। इसमें से वास्तविक व्यय ₹ 3,533.50 करोड़ था। यथार्थ शीर्ष प्रमाणन के आकलन के बिना एकमुश्त बजटीय प्रावधान पारदर्शिता के सिद्धान्त के विपरीत है।

3.2.4 हरित कर के लेखाकरण के लिए उप–शीर्ष/विस्तृत शीर्ष नहीं बनाया गया

राज्य सरकार द्वारा एकत्रित हरित कर के लेखाकरण के लिए विशिष्ट उपशीर्ष/विस्तृत शीर्ष का सृजन/संचालन नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप हरित कर के रूप में ₹ 23.86 करोड़ की प्राप्ति सरकारी लेखे में स्पष्ट रूप से नहीं दर्शायी जा सकी।

उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान (संशोधन) अधिनियम 2014 में प्रावधान है कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत पंजीकरण की वैधता की समाप्ति के पश्चात् परिवहन वाहन के अलावा किसी भी मोटर वाहन का उपयोग किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया जाएगा, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दर पर हरित कर का भुगतान इस संम्बंध में न कर दिया जाये। हरित कर का उद्देश्य पर्यावरणीय प्रदूषण को नियंत्रित करना था और इस प्रकार एकत्रित राजस्व का उपयोग पर्यावरण की सुरक्षा हेतु किया जाना था। उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिसूचित किया (जनवरी 2015) कि मोटर वाहन के पंजीकरण के नवीनीकरण के समय पंजीकरण के समय भुगतान किए गए एकमुश्त कर पर 10 प्रतिशत की दर से हरित कर देय होगा।

परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की गयी सूचना (नवम्बर 2022 एवं जनवरी 2023) से पता चला कि परिवहन विभाग ने निम्न **तालिका 3.6** में दिए गए विवरण के अनुसार 2015-16 से 2021-22 की अवधि के दौरान परिवहन वाहनों के अलावा 6,37,833 वाहनों के नवीनीकरण से ₹23.86 करोड़ की धनराशि का हरित कर वसूल किया था:

तालिका 3.6: वर्ष 2015–16 से 2021–22 के दौरान संग्रहित हरित कर का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वाहनों की संख्या जिनसे हरित कर संग्रहित किया गया	संग्रहित किया गया हरित कर
2015-16	53,454	1.49
2016-17	56,320	1.72
2017-18	63,216	2.12
2018-19	72,073	2.66
2019-20	1,27,761	4.40
2020-21	1,33,337	5.24
2021-22	1,31,672	6.23
योग	**6,37,833**	**23.86**

स्रोतः परिवहन आयुक्त द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि हरित कर के लेखाकरण के लिए कोई पृथक उपशीर्ष/विस्तृत शीर्ष नहीं बनाया गया था और इसलिए, इसे राज्य सरकार द्वारा आरोपित किये गए अन्य करों के साथ मुख्य शीर्ष 0041–वाहन कर में जमा किया गया था। परिणामस्वरुप, राज्य सरकार के लेखों से संग्रहित हरित कर सुनिश्चित करने योग्य नहीं था। हरित कर के लेखांकन हेतु पृथक उपशीर्ष/विस्तृत शीर्ष का संचालन नहीं होने के कारण, विभाग ने वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के लिए हरित कर के संग्रहण के भिन्न आंकड़े लेखापरीक्षा (जुलाई 2022 एवं नवम्बर 2022) को प्रस्तुत किए थे। अग्रेतर, परिवहन आयुक्त कार्यालय पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हरित कर के वास्तविक उपयोग की स्थिति प्रदान नहीं कर सका और केवल इतना बताया कि हरित कर राज्य का राजस्व है और सरकार द्वारा विभाग में विभिन्न योजनाओं पर व्यय के लिए धन आवंटित किया जाता है।

प्रकरण को क्रमशः 31 मार्च 2020 एवं 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तर 3.2.5 और 3.2.4 में भी लाया गया था किन्तु सरकार द्वारा कोई सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की गयी। प्रकरण को पुनः सरकार

को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2022), सरकार का उत्तर प्रतीक्षित (जनवरी 2023) है।

3.2.5 राज्य वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत संग्रहण प्रभार का त्रुटिपूर्ण लेखांकन

यूपीबीएम के प्रस्तर 21 में कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार भारत के नियंत्रक–महालेखपरीक्षक की सलाह पर महालेखा नियंत्रक (सीजीए) व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित राज्य प्राप्तियों और संवितरण के मुख्य और लघु लेखा शीर्षों की सूची को लेखा शीर्षों के वर्गीकरण के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। अग्रेतर, सरकारी लेखा नियम 1990 का नियम 26 प्रावधानित करता है कि संघ और राज्यों के मुख्य और लघु लेखा शीर्षों की सूची में निर्धारित वर्गीकरण (उसके तहत मुख्य शीर्षों और लघु शीर्षों को दी गई कोड संख्या सहित) का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

सीजीए ने वित्तीय वर्ष 2017–18 से राज्य वस्तु और सेवा कर (एसजीएसटी) से संबंधित व्यय के लेखांकन के लिए राज्य वस्तु और सेवा कर के अधीन नया मुख्यशीर्ष 2043–संग्रह प्रभार खोला (जून 2017)। तथापि, यह देखा गया कि राज्य सरकार ने मुख्यशीर्ष 2043 का संचालन नहीं किया और इसके बजाय, एसजीएसटी संग्रह से संबंधित व्यय को अनुदान संख्या 89 (संस्थागत वित्त विभाग–वाणिज्य कर) में मुख्यशीर्ष–2040 (बिक्री, व्यापार, आदि पर कर) के अन्तर्गत त्रुटिपूर्ण तरीके से दर्ज किया जा रहा था, जो कि सरकारी लेखा नियम 1990 के नियम 26 का उल्लंघन है। इस प्रकरण को 31 मार्च 2020 तथा 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के क्रमशः प्रस्तर 3.2.6 तथा प्रस्तर 3.2.5 में भी प्रकाश में लाया गया था लेकिन सरकार द्वारा कोई सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की गई ।

3.2.6 केन्द्रीय योजनाओं/केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के चित्रण में विसंगति

उत्तर प्रदेश बजट नियमावली और बजट तैयार करने के लिए जारी दिशा–निर्देशों में प्रावधान है कि बजट प्रावधानों को केंद्रीय योजनाओं/केंद्रीय सहायतित योजनाओं के संबंध में उप–शीर्ष के अन्तर्गत उपयुक्त विस्तृत शीर्ष के साथ निर्दिष्ट वित्तपोषण पद्धति (केंद्रीय अंशदान/राज्य अंशदान/वित्तीय संस्थान) के साथ बनाया जाना चाहिए।

वर्ष 2021–22 के लिए बजट दस्तावेजों की जांच से पता चला कि वित्तपोषण पद्धति को दर्ज करने के लिए उपरोक्त मानदण्डों का पालन नहीं किया गया। केंद्रीय योजनाओं/केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत 14 कार्यक्रमों ***(परिशिष्ट 3.2)*** के प्रकरण में वित्तपोषण पद्धति (केंद्रीय अंशदान/राज्य अंशदान/वित्तीय संस्थान) का विस्तृत शीर्ष के साथ उल्लेख नहीं किया गया था। अग्रेतर, केंद्रीय योजनाओं/केंद्र सहायतित योजनाओं के अन्तर्गत छः कार्यक्रमों ***(परिशिष्ट 3.3)*** के संबंध में केंद्रीय अंशदान और राज्य के अंश का कुल योग, बिना कोई कारण बताए 100 प्रतिशत से या तो अधिक था या कम था और अन्य वित्तीय संस्थान/अनुदानकर्ता के वित्तपोषण अंश को इन प्रकरणों में दर्शाया नहीं गया था।

31 मार्च 2020 और 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के क्रमशः प्रस्तर 3.2.7 एवं प्रस्तर 3.2.6 में भी इस प्रकरण को प्रकाश में लाया गया था लेकिन सरकार द्वारा कोई सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की गई।

3.3 बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर टिप्पणियाँ

बजटीय आवंटन, वास्तविक संवितरण, बचत और अभ्यर्पण का विवरण और परिकल्पित योजनाओं/परियोजनाओं पर उनके प्रभाव की चर्चा अनुवर्ती प्रस्तरों में की गई है।

3.3.1 बजट अनुमान और योजना एवं क्रियान्वयन के बीच अंतर

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए बजट प्रावधानों, अनुपूरक प्रावधानों, कुल बजट प्रावधानों के सापेक्ष वास्तविक व्यय एवं राजस्व मतदेय, राजस्व भारित, पूंजीगत मतदेय, तथा पूंजीगत भारित खण्डों के अन्तर्गत बचत की संक्षिप्त स्थिति **तालिका 3.7** में विस्तृत रूप से दी गयी है।

तालिका 3.7: वर्ष 2021–22 के दौरान बजट प्रावधानों के सापेक्ष वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति		मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचतें	अभ्यर्पण	
							धनराशि	प्रतिशत
मतदेय	I. राजस्व	3,64,831.54	13,383.41	3,78,214.95	2,93,995.35	84,219.60	3,895.13	4.62
	II. पूंजीगत	1,33,083.98	2,166.56	1,35,250.54	78,592.62	56,657.92	3,986.77	7.04
	III. ऋण एवं अग्रिम	2,504.19	200.00	2,704.19	2,213.36	490.83	65.84	13.41
	योग	**5,00,419.71**	**15,749.97**	**5,16,169.68**	**3,74,801.33**	**1,41,368.35**	**7,947.74**	**5.62**
भारित	V. राजस्व	46,512.01	17.52	46,529.53	45,529.60	999.93	10.07	1.01
	VII. पूंजीगत	110.17	0.00	110.17	8.60	101.57	0.25	0.25
	VIII. लोक ऋण पुनर्भुगतान	38,868.54	13.55	38,882.09	28,725.94	10,156.15	2.89	0.03
	योग	**85,490.72**	**31.07**	**85,521.79**	**74,264.14**	**11,257.65**	**13.21**	**0.12**
महायोग		**5,85,910.43**	**15,781.04**	**6,01,691.47**	**4,49,065.47**	**1,52,626.00**	**7,960.95**	**5.22**

स्रोत: विनियोग लेखे 2021–22

वर्ष 2021–22 के दौरान, कुल प्रावधान ₹ 6,01,691.47 करोड़ के सापेक्ष वास्तविक व्यय ₹ 4,49,065.47 करोड़ था। ₹ 1,52,626.00 करोड़ की समस्त बचत कुल प्रावधान का 25.37 *प्रतिशत* थी, जिसमें मुख्य रूप से राजस्व मतदेय (22.27 *प्रतिशत*) और पूंजीगत मतदेय (41.89 *प्रतिशत*) खण्डों के अन्तर्गत थी। यह राज्य सरकार द्वारा नियोजन और क्रियान्वयन में बड़े अन्तर को दर्शाता है।

3.3.2 विगत पाँच वर्षों (2017–22) के दौरान बजट प्रावधानों, वास्तविक व्यय और बचत

विगत पाँच वर्षों (2017–22) के दौरान बजट प्रावधान, वास्तविक व्यय और बचतों को **तालिका 3.8** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 3.8: 2017–22 की अवधि के दौरान बजट प्रावधान, वास्तविक व्यय और बचतें

(₹ करोड़ में)

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
मूल बजट	4,17,256.95	4,56,248.38	5,09,003.49	5,44,571.20	5,85,910.43
अनुपूरक बजट	11,388.17	42,887.73	17,805.73	0.00	15,781.04
कुल बजट प्रावधान	4,28,645.12	4,99,136.11	5,26,809.22	5,44,571.20	6,01,691.47
वास्तविक व्यय	3,34,876.62	4,09,784.50	3,99,426.75	3,96,023.70	4,49,065.47
बचत	93,768.50	89,351.61	1,27,382.47	1,48,547.50	1,52,626.00
कुल बजट प्रावधानों से बचत का प्रतिशत	21.88	17.90	24.18	27.28	25.37

स्रोत: सम्बंधित वर्षों के विनियोग लेखे

तालिका 3.8 इंगित करती है कि 2017–22 की अवधि के दौरान, बजट प्रावधानों के सापेक्ष बचत 17.90 *प्रतिशत* से 27.28 *प्रतिशत* के मध्य थी। तथापि, विगत वर्ष (2020–21) के सापेक्ष 2021–22 के दौरान वास्तविक व्यय में ₹ 53,041.77 करोड़ (13.39 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई।

विगत पाँच वर्षों (2017–22) के दौरान प्रावधान की तुलना में बजट के कम उपयोग के पैटर्न को **चार्ट 3.3** में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.3: विगत पाँच वर्षों (2017–22) के दौरान बजट प्रावधान और बजट का उपयोग

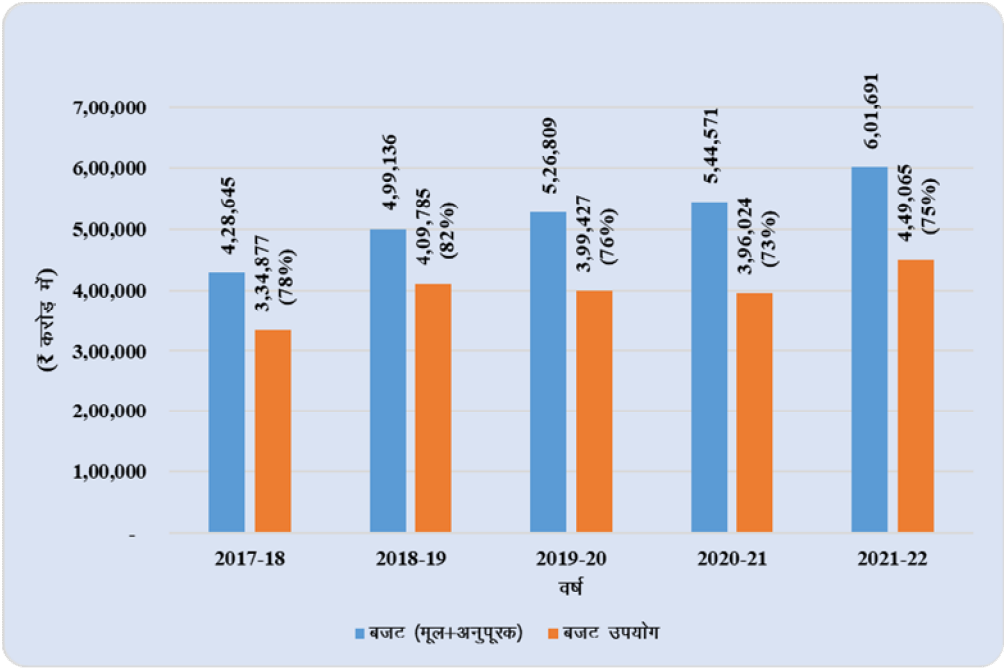

स्रोत: सम्बंधित वर्षों के विनियोग लेखे

चार्ट 3.3 प्रदर्शित करता है कि विगत पाँच वर्षों (2017–22) के दौरान बजटीय प्रावधानों में लगातार वृद्धि हुई है, लेकिन इन वृद्धियों के परिणामस्वरूप उच्च व्यय नहीं हुआ है, जो कि पिछले कुछ वर्षों से उतार–चढ़ाव की प्रवृत्ति को दर्शाता है। बजटीय प्रावधानों के सापेक्ष बड़ी बचतें त्रुटिपूर्ण बजट निर्माण को दर्शाती है।

3.3.3 अव्ययित बजट प्रावधान

यूपीबीएम के प्रस्तर 174 के संदर्भ में दोषपूर्ण या त्रुटिपूर्ण बजट प्रावधान, बड़े अभ्यर्पण की आवश्यकता या इसके परिणामस्वरूप अधिकता को एक वित्तीय अनियमितता माना गया है। बजट तैयार करने के लिए प्रत्येक वर्ष बजट प्रक्रिया प्रारंभ होने पर वित्त विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देश भी अनुमानों की सटीकता और त्रुटिपूर्ण मांगों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार पाये गये अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करने पर जोर देते हैं।

वर्ष 2021–22 के लिए विनियोग लेखे के अंतर्गत 92 अनुदानों में बचत के सापेक्ष मूल अनुदानों की लेखापरीक्षा जाँच से प्रकाश में आया कि राजस्व–मतदेय के 43 अनुदानों से संबंधित 43 प्रकरणों में एवं पूंजीगत–मतदेय खण्डों के 29 अनुदानों से संबंधित 29 प्रकरणों (जहॉ प्रत्येक मामले में बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक थी) के अधीन क्रमशः ₹ 81,165.00 करोड़ और ₹ 53,468.41 करोड़ की बचत अंकित की गई थी। इसी प्रकार, वर्ष 2021–22 के दौरान राजस्व–भारित खण्ड के अन्तर्गत तीन अनुदानों से संबंधित तीन प्रकरणों में तथा पूंजीगत भारित खण्ड के अन्तर्गत एक अनुदान से संबंधित एक प्रकरण (जहां प्रत्येक मामले में बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक थी) में क्रमशः ₹ 1,733.29 करोड़ और ₹ 10,153.17 करोड़ की बचतें अंकित की गई थी। इस प्रकार, 49 अनुदानों के 76 प्रकरणों (प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ से अधिक) में कुल ₹ 1,46,519.87 करोड़ (26.36 *प्रतिशत*) की बचत हुई जैसा कि ***परिशिष्ट 3.4*** में वर्णित है और **तालिका 3.9** में संक्षेपित है।

तालिका 3.9: 2021–22 के दौरान ₹ 100 करोड़ से अधिक की बड़ी बचत वाले अनुदानों का सारांश

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का खण्ड	मामलों की संख्या	कुल प्रावधान	व्यय	बचत	कुल प्रावधान के सापेक्ष बचत (*प्रतिशत*)
1.	राजस्व मतदेय	43	3,48,844.72	2,67,679.72	81,165.00	23.27
2.	पूंजीगत मतदेय	29	1,30,204.37	76,735.96	53,468.41	41.06
कुल मतदेय		**72**	**4,79,049.09**	**3,44,415.68**	**1,34,633.41**	**28.10**
1.	राजस्व भारित	03	42,430.77	40,697.48	1,733.29	4.08
2.	पूंजीगत भारित	01	34,438.53	24,285.36	10,153.17	29.48
कुल भारित		**04**	**76,869.30**	**64,982.84**	**11,886.46**	**15.46**
महायोग		**76**	**5,55,918.39**	**4,09,398.52**	**1,46,519.87**	**26.36**

स्रोत: विनियोग लेखे 2021–22

विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही सम्बन्धित योजनाओं के संबंध में बड़ी बचतें त्रुटिपूर्ण बजट या निष्पादन में कमी या दोनों का संकेत है।

3.3.4 सतत् बचतें

उत्तर प्रदेश के विगत राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में विभिन्न योजनाओं में सतत् बचतों (₹ 100 करोड़ और अधिक) को प्रतिवेदित किया गया था और राज्य सरकार को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रावधानों के उपयोग न होने के कारणों की समीक्षा व भविष्य के वर्षों में अधिक न्यायोचित प्रावधान करने सम्बन्धी संस्तुति की गयी थी।

24 अनुदानों के 28 प्रकरणों में यह देखा गया कि विगत पाँच वर्षों के दौरान लगातार बचत ₹ 100.12 करोड़ और ₹ 17,493.77 करोड़ के मध्य (₹ 100 करोड़ और अधिक) हुई थी। सतत् बचत का विवरण ***परिशिष्ट–3.5*** में दिया गया है और **तालिका 3.10** में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 3.10: 2017–22 की अवधि के दौरान सतत् बचतों वाले अनुदानों का सारांश

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति	प्रकरणों की संख्या	बचत की धनराशि				
		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
राजस्व–मतदेय	23	56,198.83	37,825.43	47,801.39	53,290.45	52,515.92
पूंजीगत–मतदेय	05	6,720.57	11,031.78	12,483.18	10,924.60	12,145.42
योग	**28**	**62,919.40**	**48,857.21**	**60,284.57**	**64,215.05**	**64,661.34**

स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

वर्षों से पर्याप्त संख्या में अनुदानों में लगातार बचत, राज्य सरकार द्वारा बार–बार निधि की आवश्यकता के अनुचित निर्धारण का संकेतक है।

3.3.5 अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

यूपीबीएम का प्रस्तर 162 अन्य बातों के साथ यह प्रावधानित करता है कि अनुपूरक अनुदानों या विनियोगों की आवश्यकता तब होती है जब विनियोग अधिनियम द्वारा अधिकृत अनुदान या विनियोग में शामिल राशि वर्ष के लिए अपर्याप्त पाई जाती है, या जब उस वर्ष के लिए विनियोग अधिनियम में विचार नहीं की गई कुछ नई सेवाओं, योजना या मद पर व्यय करने के लिए आवश्यकता उत्पन्न होती है।

वर्ष 2021–22 के विनियोग लेखों से पता चला कि 09 अनुदानों के 15 प्रकरणों में (प्रत्येक मामले में ₹ 1.00 करोड़ या अधिक) किये गये ₹ 814.18 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान, इन अनुदानों में ₹4,323.79 करोड़ बचत के कारण अनावश्यक साबित हुए।

व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं था जैसा कि ***परिशिष्ट–3.6*** में वर्णित है एवं निम्न **तालिका 3.11** में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 3.11: उन मामलों का सारांश जिनमें वर्ष 2021–22 में अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले मे ₹ 1 करोड़ या अधिक) अनावश्यक साबित हुए

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान का खण्ड	कुल मामलें	मूल प्रावधान	पूरक प्रावधान	योग	व्यय	बचत
1.	राजस्व मतदेय	09	2,445.42	412.33	2,857.75	911.83	1,945.92
2.	पूंजीगत मतदेय	06	4,285.34	401.85	4,687.19	2,309.32	2,377.87
योग		**15**	**6,730.76**	**814.18**	**7,544.94**	**3,221.15**	**4,323.79**

यह अनुपूरक प्रावधानों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त औचित्य के अभाव को दर्शाता है जिसके परिणामस्वरूप इन अनुदानों के अन्तर्गत पर्याप्त बचत हुई। इसके अतिरिक्त, अनुपूरक प्रावधान धनराशि की आवश्यकता का मूल्यांकन सावधानीपूर्वक नहीं किया जाना खराब बजट अनुशासन का भी सूचक है।

3.3.6 अनावश्यक पुनर्विनियोग

यूपीबीएम के प्रस्तर 147 में प्रावधान है कि विनियोग की प्रत्येक इकाई के अन्तर्गत व्यय को विनियोग की उस इकाई के अधीन मूल रूप से प्रदान की गई राशि के अन्तर्गत रखा जाना चाहिए। तथापि, यदि किसी योजना/सेवा पर मूल/पूरक प्रावधान आवश्यकता से कम पाया जाता है, तो सरकार पुनर्विनियोग का सहारा ले सकती है जो अनुदान के उसी खण्ड के अन्तर्गत अनुदान के एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष में बचत का अंतरण है।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि 2021–22 के दौरान, 32 अनुदानों के 70 उप–शीर्षों में, ***(परिशिष्ट–3.7)*** कुल बजट प्रावधान ₹ 20,698.03 करोड़ था और अग्रेतर पुनर्विनियोजन के माध्यम से ₹ 818.32 करोड़ की और वृद्धि की गई थी। तथापि, पुनर्विनियोग अनावश्यक साबित हुआ, क्योंकि प्रत्येक मामले में व्यय इन उप–शीर्षों के अंतर्गत पुनर्विनियोजन के पूर्व कुल बजट प्रावधान के अंतर्गत था। इन 70 उप–शीर्षों में कुल ₹ 5,122.62 करोड़ की बचत हुई, जैसा कि **तालिका 3.12** में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 3.12: अनावश्यक पुनर्विनियोग की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

अनुदान	उपशीर्ष	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोग	पुनर्विनियोजन के बाद कुल प्रावधान	व्यय	बचत
32	70	20,698.03	818.32	21,516.35	16,393.73	5,122.62

स्रोत: विनियोग लेखे 2021–22

यह इन अनुदानों के अधीन पुनर्विनियोग की युक्ति के लिए पर्याप्त औचित्य के अभाव को दर्शाता है जबकि पर्याप्त बजटीय प्रावधान पहले से ही उपलब्ध थे।

3.3.7 व्यय का अतिरेक

व्यय की एक स्थिर गति को बनाए रखना सार्वभौमिक रूप से एक ठोस सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के रूप में स्वीकार किया गया है। केंद्र सरकार में लागू सामान्य वित्तीय नियमों में, विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने में व्यय के अतिरेक को वित्तीय औचित्य के उल्लंघन के रूप में माना गया है। तथापि, व्यय के अतिरेक को रोकने के लिए यूपीबीएम में कोई विशेष निर्देश नहीं दिया गया है।

वर्ष 2021–22 के विनियोग लेखों में यह पाया गया कि दो अनुदानों के अन्तर्गत उनके कुल बजटीय प्रावधानों का 50 प्रतिशत एवं उससे अधिक व्यय वित्तीय वर्ष 2021–22 के अंतिम माह अर्थात् मार्च 2022 में किया गया। बजट प्रावधान और उस पर व्यय का विवरण **तालिका 3.13** में दिया गया है :–

तालिका 3.13: मार्च 2022 में 50 प्रतिशत से अधिक व्यय वाले अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	अनुदान का विवरण	प्रथम त्रैमास	द्वितीय त्रैमास	तृतीय त्रैमास	चतुर्थ त्रैमास	कुल व्यय	मार्च 2022 में व्यय	कुल व्यय से चतुर्थ त्रैमास में व्यय का प्रतिशत	कुल व्यय से मार्च में व्यय का प्रतिशत
1	56	लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)	0.00	0.37	12.70	330.32	343.39	222.77	96.19	64.87
2	58	लोक निर्माण विभाग (संचार एवं सड़कें)	1,037.35	2,291.52	3,114.82	12,009.51	18,453.21	9,637.69	65.08	52.23

स्रोत : महालेखाकार (ले0 एवं ह0),उत्तर प्रदेश द्वारा रखे गये वीएलसी के आंकड़े

अनुदान संख्या 58–लोक निर्माण विभाग (संचार–सड़क) के मामले में वर्ष 2021–22 के दौरान कुल व्यय ₹ 18,453.21 करोड़ में से ₹ 9,637.69 करोड़ (52.23 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह में व्यय किए गए और वित्तीय वर्ष की अंन्तिम तिमाही में ₹ 12,009.51 करोड़ (65.08 प्रतिशत) खर्च किए गए।

अग्रेतर, जाँच में पता चला कि मार्च 2022 में अनुदान संख्या 56–लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम) के अन्तर्गत ₹ 222.77 करोड़ खर्च किए गए, राज्य विधान सभा चुनाव के आदर्श आचार संहिता के कारण ₹ 8.90 करोड़ व्यक्तिगत जमा/व्यक्तिगत लेजर खाते में पूर्वांचल विकास निधि के बजट को व्यपगत होने से बचाने के लिये स्थानांतरित किए गए थे। व्यक्तिगत जमा खाते में धनराशि का यह हस्तांतरण प्रशासनिक विभागों द्वारा संचित निधि से धनराशि का आहरण कर वैयक्तिक जमा/वैयक्तिक लेजर खाते में रखने के प्रचलन को रोकने के राज्य सरकार के निर्देशों (मार्च 2018) का उल्लंघन था।

3.3.8 बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणाएं और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उनका वास्तविक वित्त पोषण

यूपीबीएम के प्रस्तर 212 में योजनाओं और परियोजनाओं के सूत्रीकरण और मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देशों की रूपरेखा निम्नानुसार हैः 'शक्तिशाली परियोजना सूत्रीकरण और मूल्यांकन का परियोजनाओं की प्रासंगिकता और प्रभाव के साथ–साथ उनके समय पर कार्यान्वयन पर बड़ा असर पड़ता है। परियोजना सूत्रीकरण और मूल्यांकन चरण में दिये गए अतिरिक्त समय और प्रयास के परिणामस्वरूप अंतिम परियोजना प्रभाव के मामले में गुणात्मक सुधार होगा।'

विनियोग लेखे 2021-22 की लेखापरीक्षा जाँच में प्रकाश में आया कि ऐसी योजनायें थीं जिनके लिए सरकार ने मूल प्रावधान किए लेकिन विनियोग लेखाओं में बिना कारण बताए कोई धनराशि व्यय नहीं की गई। इसी प्रकार, ऐसे कई उदाहरण हैं जहां मूल प्रावधानों को अन्य परियोजनाओं/योजनाओं में पुनर्विनियोजित किया गया था और उन योजनाओं पर कोई व्यय नहीं किया गया था जिनके लिए मूल रूप से विनियोग किया गया था। ऐसे प्रकरणों की चर्चा नीचे की गयी हैः

योजनायें (उप शीर्ष) जिनके बजट प्रावधान का उपभोग नहीं किया जा सका

विनियोग लेखे 2021-22 में देखा गया कि राज्य सरकार ने 50 अनुदानों के अंतर्गत 246 योजनाओं ***(परिशिष्ट–3.8)*** जिसके लिए एक करोड़ और उससे अधिक का बजट

प्रावधान किया गया था, पर कोई व्यय नहीं किया, जैसा कि **तालिका 3.14** में संक्षेपित है।

तालिका 3.14: उन योजनाओं का सारांश जिनमें मूल प्रावधानों का उपयोग नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

अनुदानों की संख्या	योजना की संख्या	मूल अनुदान	कुल व्यय	बचत
50	246	**28,813.13**	**0.00**	**28,813.13**

स्रोत: विनियोग लेखे 2021–22

विनियोग लेखे 2021–22 के अनुसार, राज्य सरकार ने 246 योजनाओं के अंतर्गत कुल प्रावधानों के बचतों के लिये कोई कारण नहीं बताया।

योजनायें (उप शीर्षों) जिनके मूल प्रावधानों का पुनर्विनियोग अन्य योजनाओं में किया गया

राज्य सरकार ने वर्ष 2021-22 ***(परिशिष्ट–3.9)*** के दौरान 14 अनुदानों के अन्तर्गत 40 योजनाओं के लिए ₹ 489.75 करोड़ का प्रावधान किया, लेकिन कोई व्यय नहीं किया गया और इन योजनाओं से प्रावधानों को पुनर्विनियोजित (₹ 489.75 करोड़) किया गया।

उपरोक्त 286 योजनाओं के अन्तर्गत निधियों का उपयोग न करना यह दर्शाता है कि या तो बजट बिना उचित विवेक के तैयार किया गया था या कार्यक्रम के कार्यान्वयन में गंभीर चूक हुई थी।

3.3.9 बचतों का विलम्बित अभ्यर्पण

यूपीबीएम का प्रस्तर 141 नियंत्रण अधिकारियों को निर्देशित करता है कि सभी अंतिम बचतें 25 मार्च तक वित्त विभाग को अवश्य समर्पित कर दी जाए। यदि वित्त विभाग ऐसे अभ्यर्पणों को स्वीकार करने में असमर्थ रहता है तो विलम्ब से अभ्यर्पण करने वाले अधिकारी को परिणामी वित्तीय अनियमितता के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा जब बचत का उचित अनुमान लगाया जा सकता था और अभ्यर्पण किया जा सकता था।

वर्ष 2021-22 के दौरान बचत और अभ्यर्पण का विवरण **चार्ट 3.4** में प्रदर्शित किया गया है।

चार्ट 3.4: वर्ष 2021-22 के दौरान कुल बचतें एवं अभ्यर्पण

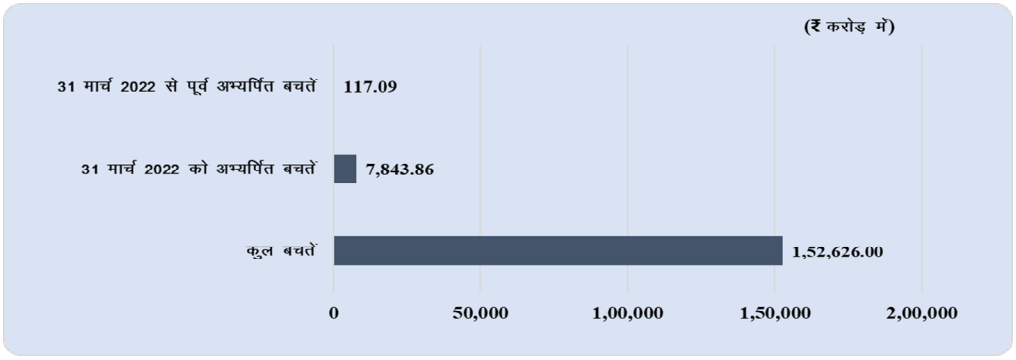

स्रोत : विनियोग लेखे 2021–22

चार्ट 3.4 में देखा जा सकता है कि ₹ 1,52,626.00 करोड़, की कुल बचत में से ₹ 7,960.95 करोड़ (5.22 प्रतिशत) अभ्यर्पित किया गया। कुल अभ्यर्पण में से, ₹ 117.09 करोड़ 25 मार्च से पूर्व अभ्यर्पित किया गया, शेष ₹ 7,843.86 करोड़ वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिन अभ्यर्पित किया गया था। शेष बचत की धनराशि ₹ 1,44,665.05 करोड़ (94.78 प्रतिशत) अभ्यर्पित नहीं की गयी थी। अग्रेतर, वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अभ्यर्पण किया जाना यूपीबीएम के निर्देशों का घोर उल्लंघन था।

वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण

चार अनुदानों से सम्बन्धित चार प्रकरणों में (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 1.00 करोड़ या अधिक) ₹ 737.63 करोड़ की बचत के सापेक्ष ₹ 789.43 करोड़ की धनराशि का अभ्यर्पण किया गया, परिणामस्वरूप वर्ष 2021–22 के दौरान ₹ 51.80 करोड़ अधिक अभ्यर्पण हुआ, जैसा कि विवरण **तालिका 3.15** में है।

तलिका 3.15: योजनाएं जिनमें बचत से अधिक अभ्यर्पण हुआ का सारांश

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	अनुदान एवं खण्ड का नाम	बचत	अभ्यर्पण	अधिक अभ्यर्पण
43	**परिवहन विभाग (राजस्व मतदेय)**	25.54	74.96	49.42
60	**वन विभाग (राजस्व मतदेय)**	347.56	349.21	1.65
68	**विधान सभा सचिवालय (राजस्व मतदेय)**	41.61	41.63	0.02
78	**सचिवालय प्रशासन विभाग (राजस्व मतदेय)**	322.92	323.63	0.71
	योग	**737.63**	**789.43**	**51.80**

स्रोत : विनियोग लेखे 2021–22

वास्तविक बचत से अधिक धनराशि के अभ्यर्पण से स्पष्ट है कि विभागों द्वारा व्यय के प्रवाह की निगरानी कर पर्याप्त बजटीय नियन्त्रण का प्रयोग नहीं किया गया था।

3.4 निष्कर्ष

- वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 6,01,691.47 करोड़ के कुल बजट प्रावधान में से ₹ 1,52,626.00 करोड़ की सकल बचत हुई। पिछले पाँच वर्षों (2017-22) के दौरान बजटीय प्रावधानों में लगातार वृद्धि हुई, लेकिन इस वृद्धि के परिणामस्वरूप व्यय में उच्च वृद्धि नहीं हुई जो कि उत्तरोत्तर वर्षो में उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति को बताता है। तथापि, वित्तीय वर्ष 2021–22 के वास्तविक व्यय में, पिछले वर्ष 2020–21 की तुलना में ₹ 53,041.77 करोड़ (13.39 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई।

- व्यय के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण, वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में व्यय का अतिरेक, बड़ी संख्या में योजनाओं के तहत अप्रयुक्त प्रावधान और बजट प्रावधानों के अनावश्यक पुनर्विनियोग के प्रकरण थे। इसके अतिरिक्त, विभागीय नियंत्रण अधिकारियों ने बचतों का अभ्यर्पण नहीं किया और 95 *प्रतिशत* बचतें व्यपगत हो गई।

- वर्ष 2005–06 से 2020–21 से संबंधित 104 अनुदानों और 48 विनियोजनों के अन्तर्गत ₹ 32,533.46 करोड़ के अधिक संवितरण को नियमितीकरण के लिए राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखा जाना बाकी है। अधिक व्यय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अन्तर्गत नियमितीकरण की आवश्यकता है।

3.5 *संस्तुतियाँ*

- *वित्त विभाग को उन कारणों की समीक्षा करनी चाहिए जिनके कारण विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत प्रावधान अप्रयुक्त रहे और भविष्य के वर्षों में अधिक विवेकपूर्ण बजट प्रावधान करने के लिए कदम उठाने चाहिए।*

- *पुनर्विनियोग निधि की आवश्यकताओं के सावधानीपूर्वक मूल्यांकन पर आधारित होना चाहिए। वित्त विभाग सम्बन्धित विभागों को निधियों के इष्टतम उपयोग के क्रम में संशोधित अनुमान प्रस्तुत करते समय योजनाओं/परियोजनाओं के लागत अनुमान की सटीकता में सुधार करने की सलाह दे सकता है।*

- *वित्त विभाग को विभागीय नियंत्रण अधिकारियों द्वारा व्यय की प्रवृत्ति की निगरानी करनी चाहिए, ताकि अंतिम समय के अभ्यर्पण और आवंटन के व्यपगत होने का सहारा लिए बिना, निधियों को अनावश्यक रूप से रखा नहीं जाय और शीघ्रातिशीघ्र अभ्यर्पित कर दिया जाय।*

- *कतिपय मानक मदों में शामिल पूंजीगत या राजस्व प्रकृति के कुछ व्यय मदों का वर्गीकरण, जैसा कि प्रस्तर 3.2.2 में इंगित किया गया है, को उत्तर प्रदेश बजट नियमावली (यूपीबीएम) के साथ संरेखित करने के लिये समीक्षा और निवारण की आवश्यकता है।*

- *सरकार व्यय की स्थिर गति बनाए रखने के लिए वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों विशेष रूप से मार्च के महीने में व्यय के अतिरेक को नियंत्रित करने के लिए दिशानिर्देश जारी करने पर विचार कर सकती है।*

- *राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिक व्यय के सभी मौजूदा मामले संविधान के अनुच्छेद 205 में निहित प्रावधानों के अनुसार नियमितीकरण के लिए राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे गए हैं।*

अध्याय - IV

लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग परम्परायें

अध्याय-IV

लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग परम्परायें

सुसंगत एवं विश्वसनीय सूचना सहित एक मजबूत आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली राज्य सरकार को दक्ष एवं प्रभावी शासकीय व्यवस्था प्रदान करती है। अतः वित्तीय नियमों, पद्धतियों एवं निर्देशों के अनुसार अनुपालन साथ ही साथ उन अनुपालनों के रिपोर्टिंग की समयबद्धता एवं गुणवत्ता अच्छे शासन के गुणों में से एक है। अनुपालनों एवं नियंत्रणों पर प्रतिवेदन, यदि यह प्रभावी एवं प्रचालन योग्य है, सरकार के सामरिक नियोजन एवं निर्णय निर्माण सहित मूलभूत प्रबंधकीय उत्तरदायित्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करता है। यह अध्याय सम्पूर्णता, पारदर्शिता, माप एवं प्रकटीकरण के सम्बन्ध में निर्धारित वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों सहित वित्तीय रिपोर्टिंग परम्पराओं में राज्य सरकार के लेखाओं की गुणवत्ता एवं अनुपालन पर एक विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।

लेखाओं की सम्पूर्णता सम्बन्धी मुद्दे

4.1 राज्य की संचित निधि या लोक लेखे से बाहर रखी गयी निधियाँ

अनुच्छेद 267 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए भारत के संविधान का अनुच्छेद 266(1) प्रावधान करता है कि राज्य की सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व, सरकार द्वारा राज हुंडियाँ निर्गमित करके, उधार द्वारा या अर्थोपाय अग्रिमों द्वारा लिए गए सभी उधार एवं उधारों के प्रति संदाय में सरकार को प्राप्त सभी धनराशियों से एक संचित निधि बनेगी जो "राज्य की संचित निधि" के नाम से ज्ञात होगी। अनुच्छेद 266(2) प्रावधान करता है कि राज्य की सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त अन्य लोक धनराशियाँ राज्य के लोक लेखा में जमा की जायेगी। तथापि, निम्नलिखित प्रकरणों में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त धन राज्य की संचित निधि/लोक लेखा का भाग नहीं बना जैसा कि नीचे चर्चा की गयी है:

4.1.1 भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर

भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक (बीओसीडब्ल्यू) कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 एवं बीओसीडब्ल्यू (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 ऐसे प्रतिष्ठान, जिनके द्वारा किसी भवन या अन्य निर्माण कार्य में विगत बारह महीने के किसी भी दिन दस या अधिक निर्माण श्रमिकों को नियोजित किया हो, को समाविष्ट करता है। अधिनियम में अन्य बातों के साथ, श्रमिकों के कार्य की दशाओं में सुधार एवं उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से कल्याण बोर्ड के गठन किये जाने तथा निर्माण की लागत पर उपकर के आरोपण एवं संग्रहण के माध्यम से कल्याण बोर्ड के संसाधनों में वृद्धि किये जाने का प्रावधान है। तद्नुसार, राज्य सरकार ने उ0प्र0 बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड का गठन (नवम्बर 2009) किया तथा उपकर अधिनियम के अनुसार एक प्रतिशत की दर से उपकर का आरोपण किया जाता है। समय–समय पर यथा संशोधित, उ0प्र0 बीओसीडब्ल्यू नियम, 2009 में पंजीकरण शुल्क ₹ 20 एवं पंजीकृत श्रमिकों से वार्षिक सदस्यता शुल्क ₹ 20 का संग्रहण करने का प्रावधान है जिसे बाद में (अक्टूबर 2020 एवं दिसम्बर 2021) कोविड महामारी को देखते हुए 31.03.2022 तक घटाकर शून्य कर दिया गया था। इस सम्बन्ध में, लेखापरीक्षा के निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

शासकीय लेखे से बाहर रखी गयी निधियाँ

उ0प्र0 बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड ने अपने गठन (नवम्बर 2009) से अपने लेखाओं को अन्तिम रूप नहीं दिया है। 2017–22 की अवधि में उपकर की प्राप्तियों एवं उपभोग का विवरण, जैसा कि बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराया गया, **तालिका 4.1** में दिया गया है।

तालिका 4.1: 2017–22 की अवधि के दौरान पंजीकरण शुल्क की प्राप्ति, उद्ग्रहीत उपकर एवं उपभोग की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्तियां				कुल उपलब्ध निधियां	व्यय	अंतिम अवशेष
		पंजीकरण शुल्क एवं वार्षिक सदस्यता शुल्क	श्रम उपकर		जमा धनराशि पर ब्याज			
			बोर्ड के खाते में प्राप्त	कोषागार (राज्य सरकार से प्राप्त)				
1	2	3	4	5	6	7 (स्तम्भ 2 से 6)	8	9 (स्तम्भ 7 – 8)
2017-18	3,194.96	10.54	789.79	36.96	214.36	4,246.61	324.14	3,922.47
2018-19	3,922.47	7.42	891.31	9.99	247.86	5,079.05	193.85	4,885.20
2019-20	4,885.20	13.15	916.45	8.73	323.18	6,146.71	362.67	5,784.04
2020-21	5,784.04	9.31	878.81	10.00	360.00	7,042.16	882.54	6,159.62
2021-22	6,159.62	3.72	1,008.37	9.78	343.08	7,524.57	3,547.04	3,977.53

स्रोत: उ0प्र0 बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड

राज्य सरकार ने उ0प्र0 बीओसीडब्ल्यू नियम, 2009 के अन्तर्गत सभी जिलाधिकारियों एवं 16 विभाग के अधिकारियों को उपकर निर्धारक अधिकारी एवं उपकर संग्राहक अधिकारी नियुक्त (नवम्बर 2009 एवं सितम्बर 2010) किया। आगे राज्य सरकार ने संग्रहीत उपकर को बोर्ड के राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित खाते में जमा करने का आदेश निर्गत (अगस्त 2013 एवं सितम्बर 2016) किया। उपर्युक्त **तालिका 4.1** से स्पष्ट है कि 31 मार्च 2022 को बोर्ड के पास ₹ 3,977.53 करोड़ उपलब्ध थे। आगे यह पाया गया कि:

(i) उपकर के लेखाकरण हेतु अपनायी गयी प्रणाली बीओसीडब्ल्यू उपकर नियम, 1,998[26] के अनुरूप नहीं है जिसमें यह प्रावधान है कि संग्रहीत उपकर को राज्य के लेखाकरण प्रक्रिया के अन्तर्गत बोर्ड के लेखाशीर्ष में बोर्ड को अन्तरित किया जायेगा। तद्नुसार, संग्रहीत उपकर लोक लेखा में दर्शाया जाना चाहिए एवं वहाँ से इसे बोर्ड के खाते में अन्तरित किया जा सकता है। उपकर को शासकीय लेखाओं में लिये बिना बोर्ड के बैंक खाते में सीधे हस्तान्तरित करने का आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 का उल्लंघन करता है।

(ii) सरकार के लेखे के माध्यम से उपकर का लेखाकरण नहीं अपनाये जाने के कारण राज्य सरकार के लेखाओं से यह भी निश्चित नहीं किया जा सकता है कि उपकर, फीस आदि के मद में कितनी धनराशि संग्रहीत की गयी और विभिन्न उपकर संग्राहकों द्वारा कितनी धनराशि बोर्ड को अन्तरित की गयी।

(iii) उ0प्र0 बीओसीडब्ल्यू बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के अनुसार, वर्ष 2021–22 के दौरान उपकर के रूप में बोर्ड को प्राप्त ₹ 1,018.15 करोड़ में से ₹ 9.78 करोड़ राज्य सरकार के कोषागारों से प्राप्त हुए थे। अग्रेतर, 2021–22 के वित्त लेखे के अनुसार, श्रम उपकर के रूप में मुख्य शीर्ष 0230 के अन्तर्गत ₹ 40.55 करोड़ जमा किए गए थे। इस प्रकार, मुख्य शीर्ष 0230 के अन्तर्गत श्रम उपकर के ₹ 30.77 करोड़ हस्तांतरित नहीं किए गए, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व अधिशेष में ₹ 30.77 करोड़ से वृद्धि हुई।

[26] भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 की धारा 14 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके केन्द्र सरकार ने बीओसीडब्ल्यू उपकर नियम, 1998 बनाया जिसे भारत के गजट में दिनांक 26 मार्च 1998 को प्रकाशित किया गया।

श्रमिक उपकर का उपभोग

राज्य सरकार ने बीओसीडब्ल्यू कल्याण निधि से निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाओं/गतिविधियों यथा पेंशन, आवासीय, विद्यालय, आवास के क्रय/निर्माण हेतु अग्रिम, अन्त्येष्टि सहायता, चिकित्सकीय सहायता, मेधावी छात्रों को नकद पुरस्कार, लाभार्थियों के बच्चों की शिक्षा/विवाह हेतु वित्तीय सहायता, गंभीर बीमारी, इत्यादि को अधिसूचित किया गया है। 2017–22 की अवधि के दौरान इन योजनाओं पर व्यय का विवरण **तालिका 4.2** में दिया गया है:

तालिका 4.2: 2017–22 की अवधि के दौरान बीओसीडब्ल्यू पंजीकरण, आच्छादित एवं उ0प्र0 बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड द्वारा योजनाओं पर व्यय

वर्ष	उपलब्ध निधि (₹ करोड़ में)	संचालित योजनायें		योजनाओं पर वास्तविक व्यय (₹ करोड़ में)	वर्ष में पंजीकृत श्रमिक	वर्ष के अन्त में पंजीकृत श्रमिक	आच्छादित श्रमिक	प्रतिशतता		
		संख्या	बीओसीडब्ल्यू द्वारा आवंटन (₹ करोड़ में)					आच्छादित श्रमिक	आवंटन के सापेक्ष निधि का उपभोग	उपलब्धता के सापेक्ष निधि का उपभोग
2017-18	3,194.96	18	397.06	282.56	7,81,640	42,08,744	3,48,664	8.28	71.16	8.84
2018-19	3,922.47	16	361.75	174.47	6,47,579	48,56,323	2,69,424	5.55	48.23	4.45
2019-20	4,885.20	17	696.94	347.04	5,14,406	53,70,729	11,64,381	21.68	49.79	7.10
2020-21	5,784.04	16	1,203.15	868.88	43,74,964	97,45,693	30,46,569	31.26	72.22	15.02
2021-22	6,159.62	16	2,461.03	1640.24	48,22,173	1,45,67,866	42,00,647	28.84	66.65	26.63

स्रोतः उ0प्र0 बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड (अनन्तिम आंकड़े)

तालिका 4.2 से स्पष्ट है कि बोर्ड द्वारा श्रमिकों के कल्याण पर उपलब्ध निधियों के सापेक्ष 4.45 प्रतिशत से 26.63 प्रतिशत व्यय किया गया और 5.55 प्रतिशत से 31.26 प्रतिशत पंजीकृत श्रमिकों को आच्छादित किया गया। आगे यह पाया गया कि गत वर्ष 2020–21 के सापेक्ष वर्ष 2021–22 में व्यय में वृद्धि मुख्यतः आपदा राहत सहायता योजना के अन्तर्गत ₹ 958.87 करोड़, बालिका विवाह सहायता योजना के अन्तर्गत ₹ 313.43 करोड़, मातृत्व, शिशु एवं बालिका सहायता योजना के अन्तर्गत ₹ 193.19 करोड़ और निर्माण कामगार गम्भीर बीमारी सहायता योजना के अन्तर्गत ₹ 67.15 करोड़ के व्यय के कारण थी। इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने प्रशासनिक व्यय पर ₹ 16.80 करोड़ का व्यय किया एवं और बोर्ड के साथ पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालयों के संचालन के लिए एक कार्पस फंड में ₹ 1,890 करोड़ हस्तांतरित किए गए थे।

4.1.2 राज्य विद्युत विनियामक आयोग निधि

विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 82 (1) में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य सरकार राज्य के लिए राज्य विद्युत विनियामक आयोग के नाम से ज्ञात एक आयोग का गठन करेगी। अधिनियम की धारा 103 में आगे प्रावधान है कि राज्य सरकार एक निधि का गठन करेगी जिसे राज्य विद्युत विनियामक आयोग निधि के रूप में जाना जायेगा एवं जिसमें राज्य सरकार द्वारा राज्य आयोग को दिये गये कोई भी अनुदान एवं ऋण, अधिनियम के अन्तर्गत राज्य आयोग को प्राप्त सभी फीस एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अन्य स्रोतों से आयोग को प्राप्त अन्य सभी निधियाँ जमा होंगी।

उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग का गठन 10 सितम्बर 1998 को हुआ। लेखापरीक्षा ने पाया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य विद्युत विनियामक आयोग निधि का गठन नहीं किया। परिणामस्वरूप, उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (यूपीईआरसी) द्वारा प्राप्त फीस आयोग द्वारा संचालित बैंक खाते में जमा की गयी। इस प्रकार, संविधान के अनुच्छेद 266 (2) का उल्लंघन करते हुए 31 मार्च 2022 तक

₹ 121.30 करोड़[27] की धनराशि राज्य के लोक लेखा से बाहर रखी गयी। यहाँ यह प्रासंगिक है कि समान मामले में, केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 99 के अन्तर्गत गठित (अक्टूबर 2007) केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग निधि को भारत के लोक लेखा के अन्तर्गत संचालित किया जा रहा था।

प्रकरण को 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के आर्थिक क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तर 6.1 में भी रेखांकित किया गया था। प्रकरण को 31 मार्च 2020 एवं 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य सरकार के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तर 4.1.2 में दोहराया गया।

अपने पूर्व के उत्तर (जून 2020) में, वित्त विभाग ने ऊर्जा विभाग से उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक निधि के लिये नियम बनाने एवं धनराशि को राज्य के लोक लेखा में अन्तरित करने हेतु अनुरोध किया। अग्रेतर, यूपीईआरसी ने अवगत कराया (जुलाई 2022) कि उसने उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक निधि के गठन के लिए सरकार को अनुस्मारक (अक्टूबर 2021) जारी किया था। तथापि, प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही प्रतीक्षित थी।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित (सितम्बर 2022) किया गया, सरकार का उत्तर प्रतीक्षित (जनवरी 2023) है।

4.2 राज्य के स्वामित्व वाले पीएसयू/प्राधिकरणों के माध्यम से प्राप्त गैर–बजट ऋण को संचित निधि में जमा नहीं किया जाना

राज्य सरकार ने राज्य के ऋण मापदंडों पर प्रभाव डालने वाले व्ययों की पूर्ति हेतु राज्य के स्वामित्व वाले पीएसयू/प्राधिकरणों के माध्यम से संचित निधि में जमा नहीं किए जा रहे गैर–बजट ऋण का सहारा लिया।

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (यूपीएफआरबीएम) अधिनियम, 2004 में रेखांकित किया गया है कि राज्य सरकार प्रतिभूतियों के कारण उत्पन्न हुई आकस्मिक देनदारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्पेशल पर्पज वेहिकल द्वारा लिये गये ऋण से उत्पन्न वास्तविक देनदारियों तथा अन्य समकक्ष प्रपत्र, जहाँ पुनर्भुगतान का दायित्व राज्य सरकार के आवंटन पर है, को प्रकट करते हुए लोक हित में अपने राजकोषीय संक्रियाओं में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपाय करेगी। अग्रेतर, उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियम, 2006 में प्रावधान किया गया है कि बजट अभिलेखों के साथ विधानमंडल के समक्ष रखे जाने वाले 'मध्यम अवधि राजकोषीय पुनर्गठन नीति (एमटीएफआरपी) विवरण' में राज्य सरकार के राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा एवं कुल बकाया ऋण[28] के सम्बन्ध में पांच साल का रोलिंग लक्ष्य शामिल होगा।

राज्य सरकार ने अपने बजट में गैर–बजट ऋण का विवरण उपलब्ध नहीं कराया। तथापि, लेखापरीक्षा ने यह पाया कि सरकार ने 2017–18 और 2020–21 के दौरान विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू)/प्राधिकरणों[29] के माध्यम से दिए गए

---

[27] वर्ष 2021–22 के यूपीईआरसी के असम्प्रेक्षित तुलन पत्र के अनुसार।

[28] राज्य का कुल बकाया ऋण राज्य के ऋण स्टॉक की स्थिति या कुल ऋणग्रस्तता जिसमें आंतरिक ऋण, भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम, लघु बचत, भविष्य निधि आदि, आरक्षित निधियां एवं जमा और अग्रिम शामिल हैं, को इंगित करता है।

[29] उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड (यूपीएसबीसीएल), उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम (यूपीआरएनएन), उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (यूपीएसएचए), उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) एवं उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रॉन्समिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीटीसीएल)।

ऋणों के लिए वर्ष 2021–22 के दौरान मूलधन एवं ब्याज के भुगतान के लिए सहायता प्रदान की है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत ऋण ₹ 29,496.40 करोड़ के सापेक्ष, इन राज्य पीएसयू/प्राधिकरणों द्वारा वित्तीय संस्थानों से ₹ 28,477.40 करोड़ की धनराशि के ऋण लिये गये जैसा कि **तालिका 4.3** में वर्णित है।

तालिका 4.3: गैर–बजट ऋणों का विवरण

(₹ करोड़ में)

गैर–बजट ऋण का वर्ष	सरकार की ओर से ऋण लेने वाली इकाइयाँ	ऋण का उद्देश्य	ऋण देने वाली वित्तीय संस्थान	स्वीकृत ऋण	संवितरित ऋण
2017-18	यूपीएसबीसीएल	सेतुओं का निर्माण	हुडको	1000.00	600.00
	यूपीआरएनएन	सड़को का निर्माण	हुडको	2600.00	2380.00
	यूपीएसएचए	राज्य राज्यमार्गों का उन्नयन एवं निर्माण	हुडको	2500.00	2335.00
	यूपीपीसीएल	अवसंरचना योजना	पीएफसी	1250.00	1250.00
	यूपीपीटीसीएल	पारेषण कार्य	पीएफसी	972.40	972.40
2020-21	यूपीपीसीएल	डिस्कॉम की सब्सिडी[30] के प्रति बकाया देनदारियां	पीएफसी एवं आरईसी	20,940.00	20,940.00
	योग			**29,496.40**	**28,477.40**

स्रोतः सम्बंधित इकाइयों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनायें एवं उ0प्र0 सरकार के स्वीकृत आदेश

इन ऋणों का भुगतान राज्य सरकार के बजट से किया गया। वर्ष 2021–22 के दौरान, राज्य सरकार ने राज्य के बजट से इन पीएसयू/प्राधिकरणों को ₹ 3,172.93 करोड़ (₹ 92.43 करोड़ ब्याज भुगतान हेतु एवं ₹ 3,080.50 करोड़ मूलधन भुगतान हेतु) प्रदान किये, जैसा कि **तालिका 4.4** में वर्णित है।

तालिका 4.4: ब्याज के भुगतान और मूलधन के पुनर्भुगतान के लिए सहायता का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	इकाइयों के नाम	ब्याज राशि के भुगतान के लिए सहायता	मूल राशि के पुनर्भुगतान के लिए सहायता
1	यूपीएसबीसीएल	0.49	21.45
2	यूपीआरएनएन	3.45	182.54
3	यूपीएसएचए	2.57	135.71
4	यूपीपीसीएल	49.10	2,416.67
5	यूपीपीटीसीएल	36.82	324.13
योग		**92.43**	**3,080.50**

स्रोतः सम्बंधित इकाइयों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनायें एवं उ0प्र0 सरकार के स्वीकृत आदेश

चूंकि ये गैर–बजट ऋण राज्य के ऋण–स्टॉक का भाग नहीं हैं, ऋण–स्टॉक की स्थिति वास्तविक ऋण भार को नहीं दर्शाती है जैसा कि **तालिका 4.5** में दिया गया है।

[30] टैरिफ सब्सिडी एवं अतिरिक्त सब्सिडी के प्रति राज्य की देनदारियों के संबंध में उदय योजना के अन्तर्गत डिस्कॉम की हानि के लिए राज्य सरकार ने (जुलाई 2020 एवं मार्च 2021) उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड और उसके डिस्कॉम के बकाया देय राशि के भुगतान के लिए ₹ 20,940 करोड़ स्वीकृत किया।

तालिका 4.5: गैर–बजट ऋणों सहित ऋण–स्टॉक की स्थिति

(₹ करोड़ में)

31.3.2022 को ऋण–स्टॉक (वित्त लेखे 2021–22 के अनुसार)	गैर–बजट ऋण जैसा की तालिका 1 में वर्णित है	गैर–बजट ऋण का पुनर्भुगतान		31.3.2022 को गैर–बजट ऋण सहित ऋण–स्टॉक
		2017–21 की अवधि के दौरान	वर्ष 2021–22 के दौरान	
1	2	3	4	5 = 1 + (2-3-4)
6,12,956.33	28,477.40	5,901.29	3,080.50	6,32,451.94

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे और सम्बन्धित इकाइयों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनायें

तालिका 4.5 इंगित करती है कि 31 मार्च 2022 को गैर–बजट ऋण को समाहित करने पर 2021–22 में ऋण–स्टॉक ₹ 19,495.61 करोड़ अधिक था। तदनुसार, 31 मार्च 2022 को जीएसडीपी से ऋण–स्टॉक का अनुपात गैर–बजट ऋण को बिना समाहित किये 32.14 प्रतिशत के सापेक्ष गैर–बजट ऋण सहित 33.18 प्रतिशत था।

प्रकरण सरकार के संज्ञान में लाया गया (सितम्बर 2022), सरकार का उत्तर प्रतीक्षित (जनवरी 2023) है।

4.3 परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना में अनुन्मोचित देनदारियां

राज्य सरकार ने परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के लिए अपनी देनदारियों का उन्मोचन नहीं किया जैसा कि नामित निधि प्रबन्धक को अग्रेतर निवेश हेतु अंशदान अन्तरित नहीं किया गया।

1 अप्रैल 2005 या उसके बाद भर्ती किए गए राज्य सरकार के कर्मचारी परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (डीसीपीएस) के अंतर्गत आच्छादित हैं। यह सरकार द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों और राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित स्वायत्त निकायों के नए प्रवेशकों पर भी लागू होता है। योजना के शर्तों के अनुसार, सरकारी कर्मचारी मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत योगदान करते हैं जबकि राज्य सरकार 14 प्रतिशत का योगदान करती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, प्रारम्भ में दोनों योगदान सरकारी कर्मचारियों के लिये सम्बन्धित लेखा शीर्ष 8342–अन्य जमा–117 डीसीपीएस तथा सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों और स्वायत्त निकायों के लिये 8342–120–विविध जमा के अन्तर्गत लोक लेखा में जमा किये जाने हैं। इसके बाद, डीसीपीएस में योगदान की गई सम्पूर्ण धनराशि (सरकार का योगदान और कर्मचारियों का योगदान) को राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल) /ट्रस्टी बैंक के माध्यम से नामित निधि प्रबंन्धक को हस्तांतरित किया जाना वांछनीय है। अग्रेतर, मुख्य शीर्ष 8342 ब्याज सहित जमा की श्रेणी में आता है, जिसका अर्थ है कि सरकार को अहस्तांतरित शेष पर ब्याज का भुगतान करना वांछनीय है।

वर्ष 2021–22 के दौरान, राज्य सरकार ने शीर्ष 2071–01–117–डीसीपीएस के लिए सरकार का योगदान के अन्तर्गत ₹ 5,275.90 करोड़ का व्यय पुस्तांकित किया। इसमें सरकार के योगदान के रूप में ₹ 4,906.90 करोड़ (सरकारी कर्मचारियों के लिए ₹ 3,162.86 करोड़, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों के लिए ₹ 1,743.29 करोड़ और स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के लिए ₹ 0.75 करोड़) तथा योजना से आच्छादित कर्मचारियों की ग्रेच्युटी, पारिवारिक पेंशन एव विलम्बित जमाओं पर ब्याज के भुगतान हेतु ₹ 369.00 करोड़ शामिल हैं। इसमें से, सरकार के योगदान की धनराशि ₹ 4,900.62 करोड़ लोक लेखे में डीसीपीएस हेतु नामित मुख्य शीर्ष 8342 में हस्तान्तरित की गयी। राजस्व व्यय के रूप में पुस्तांकित धनराशि (₹ 4,906.90 करोड़) एवं डीसीपीएस हेतु नामित शीर्ष में वास्तविक हस्तान्तरित धनराशि (₹ 4,900.62 करोड़) के मध्य अन्तर की धनराशि राज्य सरकार एवं महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के मध्य समाधान के अधीन है।

वर्ष 2021–22 के वित्त लेखे के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों के लिए 8342–117–डीसीपीएस शीर्ष के अंतर्गत ₹ 440.62 करोड़ अंतिम अवशेष था। इस प्रकार, राज्य सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के संबंध में एनएसडीएल/ट्रस्टी बैंक को ₹ 440.62 करोड़ (मार्च 2021 के अंत में शेष ₹ 385.08 करोड़ सहित) हस्तांतरित नहीं किए गये।

अग्रेतर, वर्ष के प्रारम्भ में सरकारी कर्मचारियों के संबंध में डीसीपीएस के प्रारम्भिक अवशेष (₹ 385.08 करोड़) पर सरकार को सामान्य भविष्य निधि पर देय ब्याज दर के अनुसार गणना की गयी धनराशि ₹ 27.34 करोड़ के ब्याज को जमा करना वांछनीय था। तथापि, सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में डीसीपीएस की शेष राशि पर ₹ 0.09 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया गया। इसका प्रभाव राज्य के राजस्व अधिशेष और राजकोषीय घाटे पर भी पड़ा, जो वर्ष 2021–22 के दौरान क्रमशः ₹ 27.25 करोड़ अधिक और कम बताया गया था।

सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों और स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के संबंध में, राज्य सरकार ने कर्मचारी योगदान एवं सरकारी योगदान के अंतरण से सम्बंधित सूचना उपलब्ध नहीं कराई। तथापि, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा अनुरक्षित आंकड़ों के अनुसार, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों और स्वायत्त निकायों के संबंध में, राज्य सरकार ने शीर्ष 8342–120 के अंतर्गत ₹ 3,249.08 करोड़ की प्राप्तियों के सापेक्ष ₹ 4,023.23 करोड़ एनएसडीएल/ट्रस्टी बैंक को हस्तांतरित किए और ₹ 774.15 करोड़ का अंतर राज्य सरकार और महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के बीच मिलान के अधीन था।

सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में, राज्य सरकार ने (नवम्बर 2022) बताया कि वर्ष के दौरान ट्रस्टी बैंक में मार्च महीने से संबंधित योगदान अगले वित्तीय वर्ष के महीनों में नामित फंड मैनेजर को स्थानांतरित कर दिया गया था इसलिए सरकार के योगदान के हस्तांतरण में ₹ 54.42 करोड़ की कमी थी। सरकार ने आगे बताया कि मार्च 2021 के अंत में ₹ 385.08 करोड़ की अहस्तांतरित प्रारंभिक अवशेष का मिलान किया जा रहा था।

तथ्य यह है कि राज्य सरकार को अभी तक एनएसडीएल/ट्रस्टी बैंक को ₹ 385.08 करोड़ के डीसीपीएस योगदान का मिलान और हस्तांतरण करना बाकी था। नामित निधि प्रबन्धक को डीसीपीएस के अंशदान के इस प्रकार के अल्प हस्तांतरण को 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2020 एवं 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में पूर्व में भी संज्ञान में लाया गया था। इस प्रकार, राज्य सरकार ने डीसीपीएस हेतु इस देयता का उन्मोचन नहीं किया और वर्तमान देयता भविष्य के वर्षों हेतु स्थगित है। परिणामस्वरूप, अप्रेषित निधि से कोई मूल्य वृद्धि नहीं हुई क्योंकि यह अभिदाताओं के निवेश के कोष का अंश नहीं बन सकी। अग्रेतर, राज्य सरकार ने कर्मचारियों को देय लाभों/भविष्य में सरकार की परिहार्य वित्तीय देयता के सम्बन्ध में अनिश्चितता का सृजन किया और इस प्रकार योजना संभावित विफलता की ओर अग्रसर हुई।

4.4 उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि

राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि (यूपीआरटीएआरएफ) की स्थापना नहीं की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 759.85 करोड़ की धनराशि यूपीआरटीएआरएफ में जमा नहीं गयी थी।

उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (यूपीएमवीटी) अधिनियम, 1997 (यथा संशोधित 2009) की धारा 8 (1) के प्रावधानों के अनुसार, किसी सार्वजनिक सेवायान के दुर्घटना में अन्तर्ग्रस्त होने से पीड़ित यात्रियों या ऐसे यात्रियों या अन्य व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों को राहत देने के प्रयोजनार्थ, राज्य सरकार उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत

निधि (यूपीआरटीएआरएफ) स्थापित करेगी। धारा 4 के अधीन उद्ग्रहीत कर के दो प्रतिशत और धारा 6 के अधीन उद्ग्रहीत अतिरिक्त कर के दो प्रतिशत के बराबर धनराशि निधि में जमा की जाएगी।

राज्य सरकार द्वारा यूपीआरटीएआरएफ की स्थापना नहीं किये जाने का प्रकरण, जिसमें यूपीएमवीटी अधिनियम के प्रावधान के महत्वपूर्ण उद्देश्य को नकार दिया गया था, का उल्लेख 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिये राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (उत्तर प्रदेश सरकार–वर्ष 2016 के प्रतिवेदन सं0 04 का प्रस्तर सं0 1.9.3.2) में किया गया था। उत्तर में, राज्य सरकार ने बताया था कि यूपीआरटीएआरएफ की स्थापना की प्रक्रिया प्रगति पर थी। प्रकरण को 31 मार्च 2020 एवं 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तर 4.4 में दोहराया गया। तथापि, यह पाया गया कि राज्य सरकार ने यूपीआरटीएआरएफ की स्थापना अभी तक नहीं किया था।

2015–22 की अवधि के दौरान, परिवहन विभाग ने यूपीएमवीटी अधिनियम की धारा 4 एवं 6 के अन्तर्गत ₹ 37,991.97 करोड़ का कर वसूल किया, जिसका विवरण **तालिका 4.6** में दिया गया है।

तालिका 4.6: 2015–22 की अवधि के दौरान यूपीआरटीएआरएफ में जमा किए जाने योग्य कर का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	धारा 4 के अधीन वसूल किया गया कर			धारा 6 के अधीन वसूल किया गया अतिरिक्त कर	धारा 4 और धारा 6 के अधीन वसूल किया गया कुल कर	यूपीआरटीएआरएफ में हस्तांतरित किये जाने हेतु 2 प्रतिशत
लेखा शीर्ष	0041-102-01	0041-102-03	योग	0041-102-01		
1	2	3	4 = 2 + 3	5	6 = 4 + 5	4 = स्तंभ 6 का 2 प्रतिशत
2015-16	3,710.60	159.40	3,870.00	213.00	4,083.00	81.66
2016-17	4,357.84	168.27	4,526.11	243.67	4,769.78	95.40
2017-18	5,186.72	186.02	5,372.74	270.73	5,643.47	112.87
2018-19	5,585.21	199.77	5,784.98	259.01	6,043.99	120.88
2019-20	5,843.87	203.25	6,047.12	231.25	6,278.37	125.57
2020-21	4,809.33	153.75	4,963.08	58.44	5,021.52	100.43
2021-22	5,816.77	176.97	5,993.74	158.10	6,151.84	123.04
योग	**35,310.34**	**1,247.43**	**36,557.77**	**1,434.20**	**37,991.97**	**759.85**

स्रोत: कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

तालिका 4.6 से स्पष्ट है कि 2015–22 की अवधि के लिए यूपीआरटीएआरएफ में ₹ 759.85 करोड़ की धनराशि जमा की जानी थी परन्तु निधि की स्थापना नहीं होने के कारण जमा नहीं की जा सकी। ₹ 759.85 करोड़ में से, ₹ 123.04 करोड़ वर्ष 2021–22 से सम्बन्धित है। इसका राज्य के राजस्व अधिशेष एवं राजकोषीय घाटे पर भी प्रभाव पड़ा जो वर्ष 2021–22 के दौरान ₹ 123.04 करोड़ क्रमशः अधिक एवं कम बताये गये।

परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश ने बताया (जुलाई 2022) कि यूपीआरटीएआरएफ की स्थापना सरकार के स्तर पर प्रक्रियाधीन है। आगे यह भी सूचित किया गया (दिसंबर 2022) कि 2015–22 की अवधि के दौरान, परिवहन विभाग के अनुदान संख्या 43 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2235–सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण से दुर्घटनाग्रस्त सम्बन्धित पात्र

व्यक्तियों को वित्तीय सहायता के रूप में ₹ 1.42 करोड़[31] की धनराशि प्रदान की गयी। इसमें आगे यह कहा गया कि यदि करों से प्राप्त राशि कोष में जमा कर दी जाती तो संभावना थी कि एक बड़ी राशि अप्रयुक्त रह जाती, इसलिए, यूपीएमवीटी अधिनियम, 1997 की धारा 4 और धारा 6 के तहत लगाए गए कर का केवल 0.2 प्रतिशत निधि में अंतरित करने के लिए राज्य सरकार को एक प्रस्ताव प्रेषित किया गया था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सरकार को राज्य के लोक लेखे में यूपीआरटीएआरएफ की स्थापना करके अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करने की आवश्यकता है।

प्रकरण को सरकार के संज्ञान (सितम्बर 2022) में लाया गया, सरकार का उत्तर प्रतीक्षित (जनवरी 2023) है।

4.5 राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियों को केन्द्रीय योजनाओं की निधियों का अन्तरण

वित्त लेखे के खंड II का परिशिष्ट VI राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियों में केन्द्रीय योजनाओं की निधियों के प्रत्यक्ष अन्तरण अर्थात् राज्य के बजट के बाहर से प्राप्त निधियों, जिसे भारत सरकार के पीएफएमएस पोर्टल से संकलित किया गया है, को दर्शाता है। वर्ष 2021–22 के दौरान, भारत सरकार ने राज्य के कार्यान्वयन एजेंसियों को ₹ 410.76 करोड़ (राज्य सरकार के पीएसयू: ₹ 25.20 करोड़, राज्य सरकार के संस्थानः ₹ 359.89 करोड़, स्थानीय निकायः ₹ 2.98 करोड़ और सांविधिक निकायः ₹ 22.69 करोड़) का प्रत्यक्ष अन्तरण किया। तथापि, राज्य सरकार की कार्यान्वयन एजेंसियों को केन्द्रीय योजनाओं की निधियों के प्रत्यक्ष अन्तरण में वर्ष 2020–21 की तुलना में वर्ष 2021–22 में 125.12 प्रतिशत की वृद्धि (वर्ष 2020–21 में ₹ 182.46 करोड़ से वर्ष 2021–22 में ₹ 410.76 करोड़) हुई।

पारदर्शिता से सम्बन्धित मुद्दे

4.6 उपभोग प्रमाणपत्रों के प्रेषण में विलम्ब

वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड–V भाग–I, प्रस्तर 369–एच में प्रावधान है कि जहां अनुदान विशिष्ट उद्देश्यों के लिए स्वीकृत किए गये हैं, सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को अनुदान प्राप्तकर्ता से उपभोग प्रमाणपत्र (यूसी) प्राप्त करना चाहिए, जिसे सत्यापन के बाद महालेखाकार (ले. एवं हक.) को अग्रेषित किया जाना चाहिए। अग्रेतर, उन अनुदानों के सम्बन्ध में, जिसे स्वीकृति की तारीख से अगले 12 महीनों के दौरान उपभोग किए जाने की उम्मीद है, सक्षम प्राधिकारी को अनुदान की स्वीकृति के दिनांक से 18 महीने से अनाधिक समय में अपेक्षित प्रमाण पत्र महालेखाकार को प्रेषित करना चाहिए।

जिस उद्देश्य के लिए सहायता अनुदान का उपयोग किया गया था, उसकी पुष्टि केवल यूसी प्राप्त होने पर ही की जा सकती है जो अन्य उद्देश्यों के लिए निधियों के अपयोजन से बचाव करेगा। इस प्रकार, लेखे में दर्शाए गए व्यय को यूसी के अप्राप्त रहने की सीमा तक अंतिम नहीं माना जा सकता है। 30 सितंबर 2020 तक दिए गए अनुदानों के लिए 31 मार्च 2022 को बकाया उपभोग प्रमाणपत्रों की स्थिति **तालिका 4.7** में दी गई है।

[31] वर्ष 2015–16–₹ 5.85 लाख (41 दुर्घटनायें), वर्ष 2016–17–₹ 19.35 लाख (77 दुर्घटनायें), वर्ष 2017–18–₹ 24.00 लाख (121 दुर्घटनायें), वर्ष 2018–19–₹19.15 लाख (143 दुर्घटनायें), वर्ष 2019–20–₹ 33.07 लाख (176 दुर्घटनायें), वर्ष 2020–21–₹ 21.60 लाख (164 दुर्घटनायें) एवं वर्ष 2021–22–₹ 18.85 लाख (135 दुर्घटनायें)।

तालिका 4.7: उपभोग प्रमाण पत्रों के प्रेषण में बकाया

वर्ष*	प्रतीक्षित उपभोग प्रमाणपत्रों की संख्या (31 मार्च को)	धनराशि (₹ करोड़ में)
2018-19 तक	33,215	10,790.03
2019-20	6,199	6,751.26
2020-21 (सितम्बर 2020 तक)	1,409	821.27
योग	**40,823**	**18,362.56**

स्रोत: वित्त लेखा 2021–22

** उपर्युक्त वर्ष "देय वर्ष" से सम्बन्धित है, अर्थात् वास्तविक आहरण के 18 महीने बाद।*

तालिका 4.7 दर्शाती है कि 2001–02 से 2020–21 (सितंबर 2020 तक) की अवधि के दौरान निर्गत अनुदानों के लिए कुल ₹ 18,362.56 करोड़ के 40,823 यूसी 31 मार्च 2022 को बकाया थे। यद्यपि, अवधि 2001–02 से 2020–21 के दौरान (30 सितम्बर 2020 तक) सहायता अनुदान के सापेक्ष ₹ 49,748.88 करोड़ धनराशि के निर्गत 18,850 यूसी वर्ष 2021–22 के दौरान जमा किये गये। लम्बित यूसी की वर्ष–वार स्थिति का सार **तालिका 4.8** में है।

तालिका 4.8: बकाया यूसी का वर्षवार ब्योरा

(₹ करोड़ में)

वर्ष	यूसी की संख्या	धनराशि
2001-02 to 2010-11	24,151	5,712.80
2011-12	553	315.69
2012-13	582	241.64
2013-14	1,537	848.50
2014-15	1,827	933.89
2015-16	1,001	232.83
2016-17	906	337.04
2017-18	829	688.86
2018-19	1,824	1,478.80
2019-20	6,204	6,751.25
2020-21 (सितम्बर 2020 तक)	1,409	821.26
योग	**40,823**	**18,362.56**

स्रोत: वित्त लेखा 2021–22 एवं महालेखाकार (ले. एवं हक.), उ.प्र. द्वारा अनुरक्षित सूचनायें

कुल बकाया यूसी में से, ₹ 10,696.91 करोड़ (58.25 प्रतिशत) धनराशि के 13,839 यूसी (33.90 प्रतिशत) पाँच विभागों; समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना), शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा), कृषि और अन्य संबद्ध विभाग (पंचायती राज), नगर विकास विभाग, और कृषि और अन्य संबद्ध विभाग (ग्रामीण विकास) से सम्बन्धित थे जैसा कि **चार्ट 4.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट 4.1: विभागवार बकाया यूसी

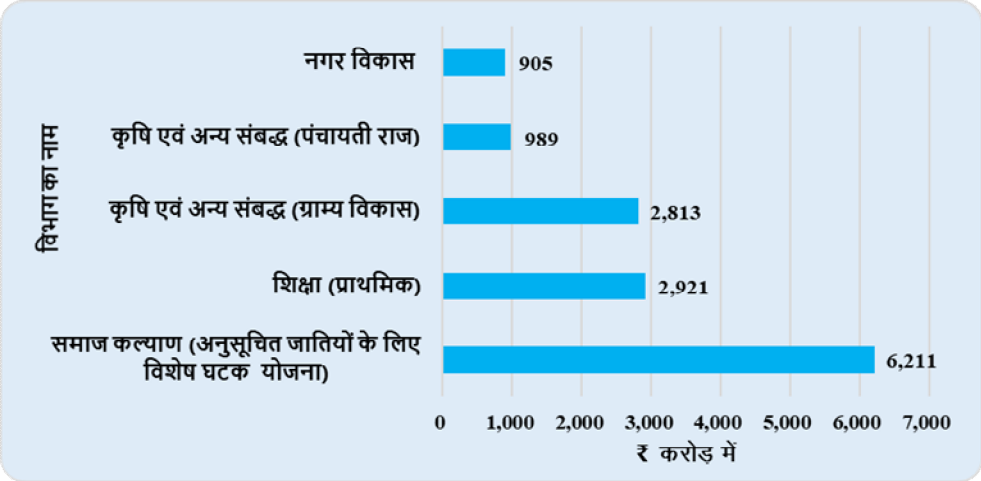

स्रोतः महालेखाकार (ले. एवं हक.), उ.प्र. द्वारा दी गयी सूचना

यूसी के अभाव में, इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि संवितरित सहायता अनुदान वास्तव में उसी उद्देश्य के लिए व्यय किया गया है जिसके लिए उन्हें विधानमंडल द्वारा स्वीकृत/अधिकृत किया गया था। इसके अतिरिक्त, यूसी के बड़ी संख्या में लम्बित होने की स्थिति निधियों के गबन, अपयोजन एवं दुर्विनियोजन के जोखिम से परिपूर्ण थी।

4.7 संक्षिप्त आकस्मिक बिल

राज्य सरकार द्वारा उन व्यय की मदों पर आकस्मिक प्रभारों का आहरण जिसके लिए आहरण के समय अंतिम वर्गीकरण और समर्थित वाउचर उपलब्ध नहीं हैं 'संक्षिप्त आकस्मिक' (एसी) बिलों पर किया जाता है। वित्तीय हस्त पुस्तिका (खण्ड–V) भाग–। के प्रस्तर 183 के अनुसार, भुगतान के बाद प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक प्रभारों के मामले में, विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक (डीसीसी) बिल अगले माह के अन्त तक कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नियंत्रण अधिकारी को या जहां कोई नियंत्रण अधिकारी नहीं है तो सीधे महालेखाकार को प्रस्तुत किया जाना वांछनीय है। समर्थित डीसीसी बिलों को देर से प्रस्तुत करने या लंबे समय तक प्रस्तुत न करने से एसी बिलों के अन्तर्गत किया गया व्यय अपारदर्शी हो जाता है। 31 मार्च 2022 को लम्बित डीसीसी बिलों का विवरण **तालिका 4.9** में दिया गया है।

तालिका 4.9: 31 मार्च 2022 को लंबित विस्तृत डीसीसी बिलों की वर्षवार स्थिति

वर्ष	लम्बित बिलों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
2019-20 तक	1,036	11.84
2020-21	5	0.13
2021-22	48	6.42
योग	**1,089**	**18.39**

स्रोतः वित्त लेखा 2021–22

जैसा कि **तालिका 4.9** से स्पष्ट है, ₹ 11.97 करोड़ की धनराशि के 1,041 डीसीसी बिल वर्ष 2001–02 से 2020–21 तक की लंबी अवधि से लम्बित थे और ₹ 6.42 करोड़ की धनराशि के 48 डीसीसी बिल वर्ष 2021–22 से सम्बन्धित हैं। कुल बकाया एसी बिलों में से, ₹ 10.67 करोड़ (58.02 प्रतिशत) की धनराशि के 493 बिल (45.27 प्रतिशत) पांच विभागों से सम्बंधित हैं: निर्वाचन विभाग (₹ 7.57 करोड़ धनराशि के 94 एसी बिल), सचिवालय प्रशासन विभाग (₹ 1.89 करोड़ धनराशि के 112 एसी बिल), कृषि और अन्य संबद्ध विभाग (पंचायती राज) (₹ 0.46 करोड़ धनराशि के 189 एसी बिल), राजस्व

विभाग (प्राकृतिक आपदायें एवं राहत) (₹ 0.38 करोड़ धनराशि के 9 एसी बिल) एवं सूचना विभाग (₹ 0.37 करोड़ के 89 एसी बिल) से सम्बन्धित थे जैसा कि **चार्ट 4.2** में दर्शाया गया है।

चार्ट 4.2: बड़े बकायेदार विभागों के लम्बित डीसीसी बिल

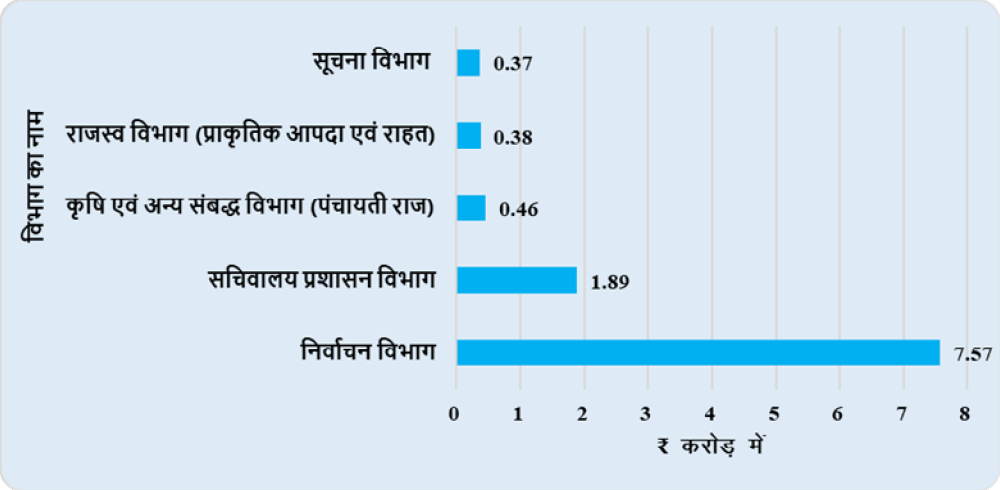

स्रोत: महालेखाकार (ले. एवं हक.), उ.प्र. द्वारा दी गयी सूचना

विस्तृत आकस्मिक बिल प्रस्तुत करने में विलम्ब इंगित करता है कि निधियां बिना तत्काल भुगतान की आवश्यकता के आहरित की गई थीं। एसी बिल के माध्यम से धनराशि का आहरण संचित निधि में कार्यात्मक मुख्य शीर्ष के सापेक्ष लेखाबद्ध किया जाता है। जब तक निर्धारित समय के अन्दर लेखे का समायोजन नहीं किया जाता है, व्यय उस सीमा तक बढ़ा रहता है। अग्रेतर, निर्धारित समय के अन्दर डीसी बिलों को प्रस्तुत न करने से न केवल वित्तीय अनुशासन का उल्लंघन होता है बल्कि अपव्यय/दुर्विनियोजन/कदाचार आदि की संभावना भी बढ़ जाती है।

4.8 वैयक्तिक जमा खाते

संघ और राज्यों के लेखे के मुख्य और लघु शीर्षों की सूची के अंन्तर्गत, वैयक्तिक जमा, 8443–सिविल जमा–106– वैयक्तिक जमा के अन्तर्गत खोले गए ब्याज रहित जमा की प्रकृति के होते हैं। उत्तर प्रदेश वैयक्तिक लेजर खाता (यूपीपीएलए) नियमावली 1998 के प्रस्तर 4 के अनुसार, राज्य सरकार महालेखाकार के परामर्श से विशिष्ट उद्देश्यों के लिए वैयक्तिक जमा (पीडी) खाते/पीएलए खोलने के लिए अधिकृत है। नामित प्रशासक राज्य की संचित निधि से निधियों के अंतरण द्वारा इन पीडी खातों को संचालित करने के लिए अधिकृत हैं।

वर्ष 2021–22 के दौरान, राज्य की संचित निधि से शीर्ष 8443–106 के अन्तर्गत पीडी खातों में ₹ 0.99 करोड़ की धनराशि का अन्तरण किया गया। इसमें मार्च 2022 में अन्तरित ₹ 0.02 करोड़ शामिल हैं जो राज्य की संचित निधि से पीडी खातों में कुल जमा का 1.78 प्रतिशत है, मार्च 2022 में पीडी खातों में अंतरण किया गया। 31 मार्च 2022 को पीडी खातों का विस्तृत विवरण **तालिका 4.10** में दिया गया है।

तालिका 4.10: वर्ष 2021–22 के दौरान पीडी खातों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

प्रारंभिक अवशेष (01-04-2021 को)		वर्ष के दौरान एडिशन		वर्ष के दौरान संवितरण	अंतिम अवशेष (31-03-2022 को)	
प्रशासकों की संख्या	धनराशि	प्रशासकों की संख्या	धनराशि	धनराशि	प्रशासकों की संख्या	धनराशि
12	11.04	1	0.99	0.98	13	11.05

स्रोत: वित्त लेखा 2021–22

वित्त लेखे 2021–22 के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा सूचित की गयी एवं राज्य लेखाओं के आंकड़ों के अनुसार प्रारंभिक अवशेष राशि में ₹ 0.04 करोड़ और संवितरण में ₹ 0.01 करोड़ का अंतर था, जो मिलान के अधीन था।

अग्रेतर, उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश (मार्च 1999) प्रावधानित करता है कि व्यक्तिगत जमा खाते के प्रशासकों को कोषागार के आंकड़ों के साथ अपनी शेष राशि का मिलान और सत्यापन करना आवश्यक था एवं महालेखाकार को वार्षिक सत्यापन प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। तथापि, वर्ष 2021–22 के दौरान, राज्य के पीडी खातों के 13 प्रशासकों में से केवल चार प्रशासकों ने कोषागार के आंकड़ों से अपनी शेष राशि का मिलान एवं सत्यापन किया है।

4.9 लघु शीर्ष 800 का अविवेकपूर्ण प्रयोग

बजट और लेखांकन की पारदर्शी प्रणाली के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में, लेखे के प्रारूपों, जिसमें सरकार की प्राप्तियों और व्यय को विधानमंडल में प्रतिवेदित किया जाता है, की निरन्तर समीक्षा की जानी चाहिए और उसे अद्यतन किया जाना चाहिए जिससे वे वास्तव में सभी महत्वपूर्ण हितधारकों की आधारभूत सूचना आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सरकार की सभी प्रमुख गतिविधियों पर प्राप्तियों और व्यय को पारदर्शी तरीके से प्रतिबिंबित कर सकें। इस प्रयोजन हेतु, अन्य प्राप्तियों और अन्य व्यय से सम्बन्धित लघु शीर्ष 800 का परिचालन केवल तभी किया जाना है जब लेखे में उपयुक्त लघु शीर्ष का प्रावधान नहीं किया गया हो। लघु शीर्ष 800 के नियमित परिचालन को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे लेखे अपारदर्शी हो जाते हैं।

वर्ष 2021–22 के दौरान, व्यय पक्ष में 79 मुख्य लेखा शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 46,410.25 करोड़, जो कि ₹ 4,09,023.99 करोड़ के कुल राजस्व और पूंजीगत व्यय का 11.35 प्रतिशत है, को लघु शीर्ष 800–अन्य व्यय के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया। 2017–22 की अवधि के दौरान लघु शीर्ष 800–अन्य व्यय के अन्तर्गत पुस्तांकित व्यय की प्रवृत्ति और कुल व्यय से इसका प्रतिशत **चार्ट 4.3** में दर्शाया गया है।

चार्ट 4.3: 2017–22 की अवधि के दौरान लघु शीर्ष 800–अन्य व्यय का परिचालन

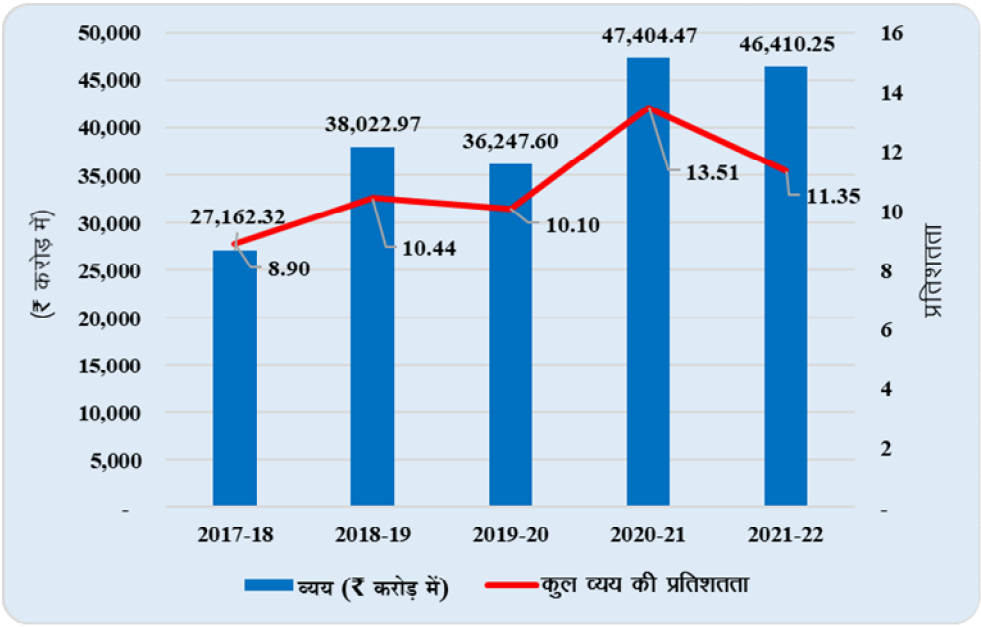

स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

ऐसे उदाहरण जहाँ व्यय के बहुत महत्वपूर्ण भाग (मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय का 50 प्रतिशत या अधिक) लघु शीर्ष 800–अन्य व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किये गये थे, **तालिका 4.11** में सूचीबद्ध हैं।

तालिका 4.11: वर्ष 2021–22 के दौरान लघु शीर्ष 800–अन्य व्यय के अन्तर्गत पुस्तांकित महत्वपूर्ण व्यय

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष का विवरण	लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत व्यय	कुल व्यय	प्रतिशतता
2040	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	834.97	834.97	100
4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	172.05	172.05	100
5053	नागरिक उड्डयन पर पूंजीगत परिव्यय	105.02	105.02	100
2885	उद्योगों और खनिजों पर अन्य परिव्यय	96.03	96.03	100
2705	कमान्ड क्षेत्र विकास	86.91	86.91	100
2407	वृक्षारोपण	5.08	5.08	100
4859	दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	3.85	3.85	100
4853	अलौह खनन और धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	1.91	1.91	100
2041	वाहनों पर कर	0.72	0.72	100
4047	अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.15	0.15	100
2575	अन्य विशेष क्षेत्र के कार्यक्रम	3.13	3.28	95.43
2801	ऊर्जा	18,474.09	20,474.09	90.23
3053	नागरिक उड्डयन	17.71	20.37	86.94
2216	आवास	504.37	641.01	78.68
4575	अन्य विशेष क्षेत्र के कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	453.43	637.05	71.18
2211	परिवार कल्याण	4,868.23	7,703.63	63.19
3452	पर्यटन	48.62	77.78	62.51
2700	वृहद सिंचाई	483.01	788.12	61.29
2075	विविध सामान्य सेवायें	20.83	34.83	59.80
4235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	208.06	353.5	58.86
2852	उद्योग	1,906.16	3,587.68	53.13
4250	अन्य सामाजिक सुरक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	334.63	634.02	52.78

स्रोत: वित्त लेखा 2021–22

अग्रेतर विगत तीन वर्ष 2019–20 से 2021–22 के दौरान व्यय की जाँच में देखा गया कि चार अनुदानों में जैसे, अनुदान सं0 12–कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन), अनुदान सं0 53–राष्ट्रीय एकीकरण विभाग, अनुदान सं0 56–लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम) एवं अनुदान सं0 85–लोक उद्यम विभाग, के 100 प्रतिशत व्यय लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत पुस्तांकित किये गये थे।

इसी प्रकार, वर्ष 2021–22 के दौरान, प्राप्ति पक्ष के 52 राजस्व मुख्य लेखाशीर्षों में लघुशीर्ष 800–अन्य प्राप्तियाँ के अन्तर्गत कुल ₹ 7,489.28 करोड़, जो कि राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 3,71,011.44 करोड़ का 2.02 प्रतिशत है, को पुस्तांकित किया गया। वर्ष 2021–22 के दौरान ऐसे उदाहरण जहाँ राजस्व प्राप्तियों के बहुत महत्वपूर्ण भाग (मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल प्राप्तियाँ का 50 प्रतिशत या अधिक) लघु शीर्ष 800–अन्य प्राप्तियाँ के अंतर्गत वर्गीकृत किये गये थे, **तालिका 4.12** में सूचीबद्ध हैं।

तालिका 4.12: वर्ष 2021–22 के दौरान लघु शीर्ष 800–अन्य प्राप्तियाँ के अन्तर्गत पुस्तांकित महत्वपूर्ण प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष का विवरण	लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत व्यय	कुल प्राप्तियां	प्रतिशतता
0700	वृहद सिंचाई	15.09	20.63	136.71*
0801	ऊर्जा	1,768.50	1,768.50	100.00
0810	ऊर्जा के गैर परम्परागत स्रोत	6.35	6.35	100.00
0217	नगर विकास	3.51	3.51	100.00
1456	नागरिक आपूर्ति	2.32	2.32	100.00
0415	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	2.20	2.20	100.00
0023	होटल प्राप्तियाँ कर	1.90	1.90	100.00
0875	अन्य उद्योग	0.77	0.77	100.00
0220	सूचना एवं प्रचार–प्रसार	0.38	0.38	100.00
0047	अन्य राजकोषीय सेवायें	0.07	0.07	100.00
0506	भूमि सुधार	0.01	0.01	100.00
0425	सहकारिता	53.28	53.29	99.98
1053	नागरिक उड्डयन	33.59	33.61	99.94
0235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	89.81	91.33	98.34
0211	परिवार कल्याण	3.42	3.50	97.71
1054	सड़कें एवं पुल	624.15	640.27	97.48
0056	जेल	4.81	5.03	95.63
0059	लोक निर्माण	59.17	63.60	93.03
0230	श्रम एवं रोजगार	82.58	95.29	86.66
0029	भू–राजस्व	156.77	192.79	81.32
1055	सड़क परिवहन	0.18	0.27	66.67
0070	अन्य प्रशासनिक सेवायें	241.98	376.61	64.25
0406	वानिकी एवं वन्य जीवन	201.78	316.32	63.79
0403	पशु पालन	14.27	25.53	55.90
0515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	48.54	90.04	53.91
0071	पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए योगदान और वसूली	269.48	510.71	52.77
0250	अन्य सामाजिक सेवायें	14.18	27.88	50.86

स्रोतः वित्त लेखा 2021–22

** मुख्य शीर्ष 700 के अन्तर्गत प्राप्त ₹ 22.03 करोड़ में से ₹ 6.94 करोड़ वापस हुए। इस प्रकार, इस शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 15.09 करोड़ की निवल प्राप्ति थी।*

बहुप्रयोजनीय लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत अत्यधिक धनराशि का वर्गीकरण वित्तीय रिर्पोटिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करता है और आवंटन प्राथमिकताओं एवं व्यय की गुणवत्ता के समुचित विश्लेषण को विकृत करता है।

4.10 बहुप्रयोजनीय मानक मद : '42–अन्य व्यय' के अन्तर्गत व्यय

राज्य सरकार के बजट में अधिक पारदर्शिता लाने तथा योजना एवं क्रियान्वयन में पर्याप्त सुरक्षा एवं नियंत्रण को प्रभावी बनाने की दृष्टि से बहुप्रयोजनीय मानक मद '42–अन्य व्यय' के बजाय उपयुक्त शीर्षों के अन्तर्गत बजट प्रावधान की आवश्यकता है। जैसा कि बजट दस्तावेजों में परिभाषित है 'अन्य व्यय' अवशिष्ट मदों से सम्बन्धित है और इसमें पारिश्रमिक तथा पुरस्कार संबंधी व्यय एवं विवेकाधीन निधियों से व्यय शामिल हैं।

लेखे की जांच में पाया गया कि मानक मद '42–अन्य व्यय' के अन्तर्गत ₹ 21,529.26 करोड़ का व्यय किया गया, जो 2021–22 के दौरान राज्य की संचित निधि से कुल संवितरण ₹ 4,39,963.23 करोड़ का 4.89 प्रतिशत है। अग्रेतर, यह देखा गया कि 21 अनुदानों में, मानक मद '42–अन्य व्यय' के अन्तर्गत व्यय इन अनुदानों के कुल व्यय के पांच प्रतिशत से अधिक था और इसने इन अनुदानों के कुल व्यय में 22.97 प्रतिशत का योगदान दिया जैसा कि **तालिका 4.13** में दिया गया है।

तालिका 4.13: विभिन्न अनुदानों में मानक मद '42–अन्य व्यय' के अन्तर्गत व्यय और कुल व्यय की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं.	अनुदान का विवरण	कुल व्यय	मानक मद 42 के अन्तर्गत व्यय	कुल व्यय के सापेक्ष मानक मद 42 के अन्तर्गत व्यय का प्रतिशत
1.	76	श्रम विभाग (श्रमिक कल्याण)	2,566.72	2,281.96	88.91
2.	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	6,484.70	4,896.05	75.50
3.	53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	0.35	0.25	70.15
4.	3	उद्योग विभाग (लघु उद्योग और निर्यात प्रोत्साहन)	627.96	367.61	58.54
5.	45	पर्यावरण विभाग	8.90	4.93	55.39
6.	91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प और निबन्धन)	290.87	160.69	55.24
7.	28	गृह विभाग (राजनीतिक पेंशन और अन्य व्यय)	278.69	140.12	50.28
8.	78	सचिवालय प्रशासन विभाग	1,020.90	400.66	39.25
9.	13	कृषि और अन्य संबद्ध विभाग (ग्रामीण विकास)	11,375.57	3,669.00	32.25
10.	69	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	789.81	248.75	31.49
11.	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण	838.72	205.28	24.48
12.	38	नागरिक उड्डयन विभाग	157.74	34.80	22.06
13.	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद एवं अन्य व्यय)	3,455.48	595.44	17.23
14.	7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	10,220.85	1,615.94	15.81
15.	92	संस्कृति विभाग	160.37	25.34	15.80
16.	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक और यूनानी)	1,008.48	154.32	15.30
17.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	19,253.92	1,897.95	9.86
18.	34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी)	428.41	41.98	9.80
19.	89	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)	847.85	75.43	8.90
20.	14	कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	11,692.51	928.39	7.94
21.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	7,667.95	442.66	5.77
		योग (5 प्रतिशत से ऊपर)	**79,176.75**	**18,187.55**	**22.97**

स्रोत: महालेखाकार (ले0 एवं ह0), उ.प्र. द्वारा अनुरक्षित सूचना

मानक मद '42–अन्य व्यय' के अन्तर्गत अत्यधिक व्यय का वर्गीकरण वित्तीय रिर्पोटिंग का सम्पूर्ण चित्र प्रस्तुत नहीं करता है।

माप से सम्बन्धित मुद्दे

4.11 प्रमुख उचन्त एवं प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत बकाया अवशेष

वित्त लेखे उचन्त और प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत निवल अवशेष को दर्शाते हैं। इन शीर्षों के अन्तर्गत बकाया अवशेष की गणना विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत अलग–अलग बकाया डेबिट और क्रेडिट शेष को समेकित करके की जाती है। उचन्त और प्रेषण मदों का समाशोधन राज्य कोषागारों/निर्माण, वन प्रभागों, आदि द्वारा प्रेषित विवरणों पर निर्भर करता है। कुछ मुख्य उचन्त लेखा शीर्षों के अर्न्तगत बकाया अवशेषों को **तालिका 4.14** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.14: उचन्त और प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत अवशेष

(₹ करोड़ में)

उचंन्त शीर्ष	2019-20		2020-21		2021-22	
	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
मुख्य शीर्ष 8658–उचन्त						
101 - पीएओ उचन्त	427.72	181.76	305.56	711.90	418.07	739.80
निवल		डे. 245.96		क्रे. 406.34		क्रे. 321.73
102 – उचन्त लेखा– सिविल	17,250.45	15,426.11	15,856.65	16,415.75	15,820.92	16,389.57
निवल		डे. 1,824.34		क्रे. 559.10		क्रे. 568.65
109 - रिजर्व बैंक उचन्त–मुख्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल		0.00[32]		0.00[33]		0.00[34]
110 - रिजर्व बैंक उचन्त–केन्द्रीय लेखा कार्यालय	(-)88.84	(-)83.08	(-)84.60	(-)827.29	(-)94.54	(-)1,138.62
निवल		क्रे. 5.76		डे. 742.69		डे. 1,044.08
मुख्य शीर्ष 8782-नकद प्रेषण एवं उसी लेखाधिकारी को लेखा प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों के मध्य समायोजन						
102 - लोक निर्माण प्रेषण	1,41,969.51	1,44,127.12	1,80,269.09	1,82,097.49	2,16,990.54	2,18,840.01
निवल		क्रे. 2,157.61		क्रे. 1,828.40		क्रे. 1,849.47
103 – वन प्रेषण	3,100.31	3,293.99	3,206.05	3,405.87	3391.12	3,594.69
निवल		क्रे. 193.68		क्रे. 199.82		क्रे. 203.57
8793- अन्तर्राज्यीय उचन्त लेखा	60.46	(-)0.09	62.96	0.01	66.72	0.05
निवल		डे. 60.55		डे. 62.95		डे. 66.67

स्रोतः वित्त लेखा 2021–22

इन शीर्षों के अन्तर्गत अवशेषों के निहितार्थों की चर्चा आगामी प्रस्तरों में की गई है।

वेतन और लेखा कार्यालय उचन्त

(i) यह लघु शीर्ष वेतन और लेखा कार्यालयों (पीएओ) और म0ले0 (ले0 एवं हक0) की बहियों में उत्पन्न होने वाले अंतर–विभागीय और अंतर–सरकारी संव्यवहारों के निपटान के लिए संचालित किया जाता है। लघु शीर्ष के अन्तर्गत बकाया डेबिट शेष का अर्थ यह होगा कि म0ले0 (ले0 एवं हक0) द्वारा अन्य लेखा अधिकारी की ओर से भुगतान किया गया है, जिसे अभी वसूला जाना है। बकाया क्रेडिट शेष का अर्थ यह होगा कि म0ले0 (ले0 एवं हक0) द्वारा अन्य लेखा अधिकारी की ओर से भुगतान प्राप्त किया गया है, जिसका अभी पुनर्भुगतान/समायोजन किया जाना है।

31 मार्च 2022 को इस शीर्ष के अन्तर्गत निवल क्रेडिट शेष ₹ 321.73 करोड़ था।

[32] क्रे. 0.02 लाख
[33] क्रे. 0.02 लाख
[34] क्रे. 0.01 लाख

उचन्त लेखे (सिविल)

(ii) यह अस्थायी लघु शीर्ष उन संव्यवहारों के लेखांकन के लिए संचालित किया जाता है, जिन्हें कुछ सूचना/दस्तावेजों यथा वाउचरों, चालानों, आदि के अभाव में व्यय या प्राप्ति के अंतिम शीर्ष में नहीं लिया जा सकता है। इस लघु शीर्ष को प्राप्तियों को दर्ज करने के लिए क्रेडिट और किए गए व्यय के लिए डेबिट किया जाता है। अपेक्षित सूचना/दस्तावेजों की प्राप्ति पर, लघु शीर्ष को संबंधित मुख्य/उप–मुख्य/लघु लेखाशीर्षों में कॉन्ट्रा डेबिट या क्रेडिट द्वारा माइनस डेबिट या माइनस क्रेडिट से समाशोधित किया जाता है।

31 मार्च, 2022 को, इस मद में ₹ 568.65 करोड़ का निवल क्रेडिट शेष था, जो यह दर्शाता है कि विवरण के अभाव में अंतिम प्राप्ति और व्यय का वर्गीकरण नहीं किया जा सका।

रिजर्व बैंक उचन्त–केन्द्रीय लेखा कार्यालय

(iii) यह शीर्ष उन अंतर–सरकारी संव्यवहारों को दर्ज करने के लिए संचालित किया जाता है, जहां दो सरकारों के नकद अवशेषों के बीच मौद्रिक निपटान भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के केंद्रीय लेखा अनुभाग को परामर्श भेजकर किया जाता है। आरबीआई द्वारा किए गए मौद्रिक निपटान की सूचना प्राप्त होने पर अन्तिम लेखा शीर्ष में धनराशि का अंतरण करके इस शीर्ष का समाशोधन किया जाता है। इस उचन्त शीर्ष के माध्यम से निपटान किये गये प्रमुख संव्यवहार भारत सरकार से प्राप्त अनुदान/ऋण और उनका पुनर्भुगतान तथा प्रतिभूतियों का उन्मोचन और आरबीआई के सार्वजनिक ऋण कार्यालयों द्वारा उस पर ब्याज भुगतान हैं।

31 मार्च 2022 को, इस शीर्ष के अन्तर्गत निवल डेबिट शेष ₹ 1,044.08 करोड़ था।

4.12 ऋण और अग्रिम के प्रतिकूल अवशेष

प्रतिकूल अवशेष (डेबिट शीर्षों में क्रेडिट शेष और क्रेडिट शीर्षों में डेबिट शेष) उन लेखाशीर्ष के अन्तर्गत दर्शाये गये ऋणात्मक अवशेष हैं, जहां ऋणात्मक अवशेष नहीं होने चाहिए। उदाहरण के लिए, किसी भी ऋण या अग्रिम के लेखाशीर्ष के सापेक्ष, ऋणात्मक अवशेष मूल अग्रिम धनराशि से अधिक पुनर्भुगतान का संकेत देगा।

31 मार्च 2022 को, वर्ष 2021–22 के वित्त लेखे में ऋण और अग्रिमों के निम्नलिखित प्रतिकूल अवशेष शामिल थेः अन्तर्राज्यीय पारेषण लाइनों के निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण (लेखा शीर्ष 6801–205 के अन्तर्गत ₹ 356.18 करोड़), मोटर वाहनों के क्रय हेतु अग्रिम (लेखा शीर्ष 7610–202 के अन्तर्गत ₹ 16.85 करोड़), अन्य वाहनों के क्रय हेतु अग्रिम (लेखा शीर्ष 7610–203 के अन्तर्गत ₹ 25.35 करोड़), अन्य अग्रिम (लेखा शीर्ष 7610–800 के अन्तर्गत ₹ 3.02 करोड़), रिफंड (लेखा शीर्ष 7610–900 के अन्तर्गत ₹ 0.02 करोड़) एवं सरकारी गैर वाणिज्यिक विभागों का मूल्यह्रास/नवीनीकरण आरक्षित निधि (लेखा शीर्ष 8226–102 के अन्तर्गत ₹ 6.11 करोड़)।

ये प्रतिकूल अवशेष कार्यालय महालेखाकार (ले.एवं ह.) उत्तर प्रदेश एवं राज्य सरकार के मध्य समाधान की प्रक्रिया में थे।

4.13 विभागीय आंकड़ों का मिलान न किया जाना

उत्तर प्रदेश बजट नियमावली के प्रस्तर 124 के अनुसार, राजस्व/व्यय पर प्रभावी बजटीय नियंत्रण को लागू करने और लेखे में परिशुद्धता सुनिश्चित करने हेतु, मुख्य नियंत्रण अधिकारियों (सीसीओ)/नियंत्रण अधिकारियों (सीओ) द्वारा प्रत्येक माह उनकी बहियों में दर्ज प्राप्तियों एवं व्यय का महालेखाकार (ले. एवं हक.) द्वारा लेखे में लिए गए

आंकड़ों के साथ मिलान वांछनीय है। नियंत्रण अधिकारियों द्वारा आंकड़ों के मिलान की स्थिति **तालिका 4.15** में नीचे दी गयी है।

तालिका 4.15: नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्राप्तियों और व्यय के मिलान की स्थिति

वर्ष	नियन्त्रण अधिकारियों की कुल संख्या	प्राप्तियों/व्यय का मिलान करने वाले नियंत्रण अधिकारियों की संख्या		
		पूर्व मिलान किया गया	आंशिक मिलान किया गया	मिलान नहीं किया गया
प्राप्तियां				
2019-20	48	43	--	05
2020-21	48	45	--	03
2021-22	48	43	--	05
व्यय				
2019-20	179	166	--	13
2020-21	179	173	--	06
2021-22	180	177	--	03

स्रोतः महालेखाकार (ले. एवं हक.) उ0प्र0 द्वारा अनुरक्षित सूचना

48 सीसीओ में से 43 द्वारा प्राप्तियों का मिलान पूर्ण किया गया, जैसा कि उन्होंने 2021–22 के दौरान ₹ 1,74,397.97 करोड़ (मिलान हेतु नियत ₹ 1,76,468.83 करोड़ की कुल प्राप्तियों का 98.83 प्रतिशत) की प्राप्तियों का मिलान किया। अग्रेतर, 180 सीसीओ में से, 177 सीसीओ ने ₹ 2,87,881.29 करोड़ (मिलान हेतु नियत ₹ 2,88,840.02 करोड़ के कुल व्यय का 99.67 प्रतिशत) के अपने व्यय के आंकड़ों का मिलान किया था, जैसा कि **चार्ट 4.4** में दर्शाया गया है।

चार्ट 4.4: वर्ष 2019–22 के दौरान प्राप्तियों और व्यय के मिलान की स्थिति

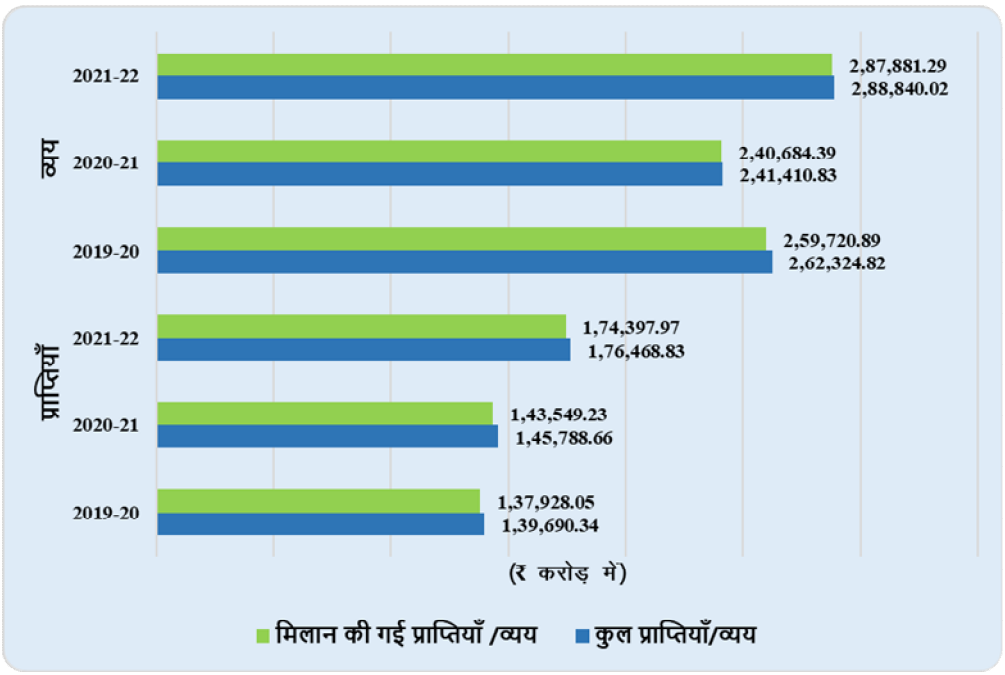

स्रोतः महालेखाकार (ले0 एवं ह0), उ0प्र0 द्वारा अनुरक्षित सूचना

सभी प्राप्तियों और व्यय के सम्बन्ध में मिलान के लिए आवश्यक कार्यवाही किया जाना वांछनीय है।

प्रकटीकरण से सम्बन्धित मुद्दे

4.14 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के लेखाओं/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तुत किया जाना

सीएजी के डीपीसी अधिनियम की धारा 19 (3) के अनुसार, राज्यपाल/प्रशासक लोकहित में, यथास्थिति, राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की विधायिका द्वारा बनाई गई विधि के अधीन स्थापित किसी निगम के लेखे की लेखापरीक्षा हेतु सीएजी से अनुरोध कर सकेगा और जब ऐसा अनुरोध किया गया हो, नियंत्रक–महालेखापरीक्षक ऐसे निगम के लेखे की लेखापरीक्षा करेगा और ऐसी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिये उसे निगम के बहियों एवं लेखाओं तक पहुँच का अधिकार होगा।

धारा 19 के अलावा, जहाँ किसी निकाय या प्राधिकरण के लेखे की लेखापरीक्षा सीएजी को किसी विधि द्वारा या उसके अधीन नहीं सौंपी गई है, वहां यदि, उनसे, यथास्थिति, राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी ऐसे संघ राज्यक्षेत्र के जिसमें विधान सभा है, के प्रशासक द्वारा ऐसा करने का अनुरोध किया गया तो वह ऐसे निकाय या प्राधिकरण के लेखाओं की लेखापरीक्षा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर करेगा जिस पर उसके और सम्बन्धित सरकार के बीच सहमति हो और ऐसी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिये, उस निकाय या प्राधिकरण की बहियों और लेखाओं तक पहुँच का अधिकार होगा (सीएजी के डीपीसी अधिनियम की धारा 20)।

उपर्युक्त स्वायत्त निकायों और प्राधिकरणों के प्रकरण में यदि सीएजी एकल लेखापरीक्षक हो तो लेखे के सत्य एवं उचित होने का लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। अतः इन निकायों और प्राधिकरणों द्वारा वार्षिक लेखे तैयार करना और इसे लेखापरीक्षा हेतु महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को प्रस्तुत करना वांछनीय है। लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र के अलावा, वित्तीय लेखापरीक्षा सम्पन्न होने पर लेखापरीक्षा कार्यालय एक पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएआर) निर्गत करता है, जो कि लेखे पर लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र का भाग होता है।

यह देखा गया कि 57 स्वायत्त निकायों और प्राधिकरणों के 379 वार्षिक लेखे (2021–22 तक बकाया) संबंधित संस्थाओं द्वारा 30 जून 2022 तक लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। स्वायत निकायों और प्राधिकरणों के बकाया लेखाओं का विभागवार विवरण ***परिशिष्ट 4.1*** में दिया गया है। इन 379 लेखाओं की अवधिवार लम्बित स्थिति **तालिका 4.16** में दी गई है।

तालिका 4.16: लेखापरीक्षा हेतु प्रतीक्षित परन्तु प्रस्तुत नहीं किये गये वार्षिक लेखाओं का अवधिवार विश्लेषण

विलंबित वर्षों की संख्या	निकायों/प्राधिकरणों की संख्या	लेखाओं की संख्या
1-2	04	07
3-4	09	29
5-10	36	188
10 से अधिक	08	155
योग	**57**	**379**

वार्षिक लेखे और उनकी लेखापरीक्षा के अभाव में, इन निकायों/प्राधिकरणों को संवितरित सहायता अनुदानों और ऋणों के समुचित उपभोग और उनके लेखांकन को संप्रमाणित नहीं किया जा सकता है। लेखापरीक्षा ने बकायेदार निकायों के लेखाओं को प्रस्तुत न करने का मुद्दा सम्बन्धित प्राधिकारियों के समक्ष समय–समय पर उठाया, लेकिन कोई सुधार परिलक्षित नहीं हुआ।

4.15 विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के प्रोफार्मा लेखे

विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों (डीएमयू) द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रोफार्मा वार्षिक लेखे को अंतिम रूप दिया जाना एवं लेखाबन्दी के तीन माह के अन्दर लेखापरीक्षा हेतु महालेखाकार को प्रस्तुत किया जाना वांछनीय है। तथापि, राज्य के नौ डीएमयू में से, केवल एक डीएमयू यथा सिंचाई कार्यशाला खण्ड, मेरठ ने वित्तीय वर्ष 2021–22 का वार्षिक लेखा अन्तिमीकरण किया है एवं पाँच डीएमयू (सिंचाई कार्यशाला खण्ड, कानपुर; सिंचाई कार्यशाला खण्ड, झांसी; सिंचाई कार्यशाला खण्ड, बरेली; सिंचाई कार्यशाला खण्ड, गोरखपुर एवं सिंचाई कार्यशाला खण्ड, प्रयागराज) ने वित्तीय वर्ष 2020–21 का वार्षिक लेखा अन्तिमिकृत किया है जबकि शेष तीन डीएमयू कई वर्षों से अपने वार्षिक लेखे अन्तिमीकृत नहीं किये हैं ***(परिशिष्ट 4.2)***।

4.16 दुर्विनियोजन, हानि, चोरी, आदि के लम्बित मामले

वित्तीय हस्तपुस्तिका, खंड–V भाग–I के प्रस्तर 82 में व्यक्तियों की धोखाधड़ी या लापरवाही से होने वाली हानि, सरकारी संपत्ति की हानि या विनाश के लिये जिम्मेदारी तय करने और उसे महालेखाकार को सूचित करने के बारे में विस्तृत निर्देश दिये गये हैं।

राज्य सरकार ने ₹ 9.31 करोड़ की शासकीय सामग्री/धनराशि के दुर्विनियोजन/हानि/चोरी आदि के 135 प्रकरण[35] सूचित किये, जिन पर 31 मार्च, 2022 तक अंतिम कार्यवाही लम्बित थी। दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि के लम्बित प्रकरणों का विभागवार ब्यौरा एवं अंतिम निस्तारण में विलम्ब के कारणों का विवरण **तालिका 4.17** में दिया गया है।

तालिका 4.17: दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि के लम्बित प्रकरण

(₹ लाख में)

विभाग का नाम	शासकीय सामग्री के दुर्विनियोजन/हानि/चोरी के प्रकरण		दुर्विनियोजन,हानि,चोरी आदि के लम्बित प्रकरणों के अंतिम निस्तारण में विलम्ब के कारण					
			विभागीय और आपराधिक जांच प्रतीक्षित		विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी परन्तु अन्तिम रूप नहीं दिया गया		आपराधिक कार्यवाही को अन्तिम रूप दिया गया परन्तु धनराशि की वसूली लम्बित	
	प्रकरणों की संख्या	धनराशि	प्रकरणों की संख्या	धनराशि	प्रकरणों की संख्या	धनराशि	प्रकरणों की संख्या	धनराशि
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	9	28.78	-	-	7	26.83	2	1.95
समाज कल्याण	3	0.95	-	-	2	0.70	1	0.25
उद्यान	1	3.59	-	-	1	3.59	-	-
ग्रामीण विकास	9	3.28	1	0.74	7	2.34	1	0.20
शिक्षा	8	171.16	2	101.08	4	55.55	2	14.53
प्राविधिक शिक्षा	1	11.59	-	-	-	-	1	11.59
पशुपालन	16	6.55	7	5.20	9	1.35	-	-
मत्स्य उद्योग	3	2.61	-	-	3	2.61	-	-
कृषि	3	7.62	2	2.17	1	5.45	-	-
सिंचाई	41	121.03	4	16.07	35	36.95	2	68.01
सहकारिता	2	1.45	-	-	1	0.17	1	1.28

[35] जनवरी 1967 से 2021–22 की अवधि से संबंधित

विभाग का नाम	शासकीय सामग्री के दुर्विनियोजन/हानि/चोरी के प्रकरण		दुर्विनियोजन,हानि,चोरी आदि के लम्बित प्रकरणों के अंतिम निस्तारण में विलम्ब के कारण					
			विभागीय और आपराधिक जांच प्रतीक्षित		विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी परन्तु अन्तिम रूप नहीं दिया गया		आपराधिक कार्यवाही को अन्तिम रूप दिया गया परन्तु धनराशि की वसूली लम्बित	
	प्रकरणों की संख्या	धनराशि	प्रकरणों की संख्या	धनराशि	प्रकरणों की संख्या	धनराशि	प्रकरणों की संख्या	धनराशि
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	11	15.89	1	0.30	9	14.22	1	1.37
गृह (पुलिस)	8	56.09	7	8.61	-	-	1	47.48
राजस्व	5	14.49	3	8.81	2	5.68	-	-
वित्त	1	0.67	1	0.67	-	-	-	-
बाट एवं माप	1	1.09	-	-	-	-	1	1.09
लोक निर्माण विभाग	9	147.80	4	27.26	1	0.12	4	120.42
राजस्व (भूमि अधिग्रहण)	3	331.78	-	-	3	331.78	-	-
न्याय	1	4.44	-	-	1	4.44	-	-
योग	**135**	**930.86**	**32**	**170.91**	**86**	**491.78**	**17**	**268.17**

स्रोत: सम्बन्धित विभागों से प्राप्त सूचनायें

इन लंबित मामलों का आयुवार विश्लेषण **तालिका 4.18** में दर्शाया गया है, जो इंगित करता है कि 31 मार्च 2022 को ₹ 4.80 करोड़ से सम्बन्धित 94 प्रकरण 20 वर्षों से अधिक समय से लम्बित थे।

तालिका 4.18: दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि के लम्बित प्रकरणों का आयुवार विश्लेषण

(₹ लाख में)

वर्ष परास	प्रकरणों की संख्या	सम्बद्ध धनराशि
0 – 5 वर्ष (2017–18 से 2021–22)	**शून्य**	**शून्य**
5 – 10 वर्ष (2012–13 से 2016–17)	02	53.22
10 – 15 वर्ष (2007–08 से 2011–12)	21	351.19
15 – 20 वर्ष (2002–03 से 2006–07)	18	46.87
20 – 25 वर्ष (1997–98 से 2001–02)	15	78.64
25 वर्षों से अधिक (1996–97 एवं पूर्व)	79	400.94
योग	**135**	**930.86**

₹9.31 करोड़ से सम्बन्धित कुल 135 लम्बित प्रकरणों में से, 32 प्रकरणों (31 मार्च 2022 को) में ₹ 170.91 लाख धनराशि के विभागीय और आपराधिक जांच प्रारम्भ नहीं की गई। 86 प्रकरणों (₹ 491.78 लाख से सम्बन्धित) में विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई जिन्हें अंतिम रूप नहीं दिया गया। 17 प्रकरणों (₹ 268.17 लाख से सम्बन्धित) में आपराधिक कार्यवाही को अंतिम रूप दिया गया, लेकिन धनराशि की वसूली लम्बित थी।

4.17 निष्कर्ष

- श्रम उपकर के सापेक्ष संग्रहीत धनराशि शासकीय लेखे में लिये बिना सीधे उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के बैंक खातों में जमा की जा रही है। शासकीय लेखों के माध्यम से उपकर के लेखांकन के अभाव में, राज्य सरकार

के लेखे से यह भी सुनिश्चित नहीं हो सका कि उपकर, शुल्क आदि के मद में कितनी धनराशि संग्रहीत की गयी एवं विभिन्न उपकर संग्राहकों द्वारा कितनी धनराशि बोर्ड को अन्तरित की गयी।

- राज्य सरकार ने विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत अपेक्षित राज्य विद्युत विनियामक आयोग निधि का गठन नहीं किया। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग को प्राप्त शुल्क राज्य के लोक लेखे के बजाय बैंक खातों में रखा जा रहा है।
- राज्य सरकार ने राज्य के ऋण मापदण्डों पर प्रभाव डालने वाले व्ययों की पूर्ति हेतु राज्य के स्वामित्व वाले पीएसयू/प्राधिकरणों के माध्यम से गैर बजट ऋण का सहारा लिया। चूँकि ये गैर बजट राज्य के ऋण स्टाक के भाग नहीं हैं, वित्त लेखे में दर्शायी गयी ऋण स्टॉक की स्थिति वास्तविक ऋण भार को नहीं दर्शाती है।
- राज्य सरकार ने परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के लिए कर्मचारियों और नियोक्ताओं के अंशदान की सम्पूर्ण धनराशि नामित निधि प्रबंधक को इसके अग्रेतर निवेश के लिए प्रेषित नहीं किया। परिणामस्वरूप, राज्य सरकार ने कर्मचारियों को देय लाभों/भविष्य में सरकार के लिए परिहार्य वित्तीय देयता के सम्बन्ध में अनिश्चितता का सृजन किया और इस प्रकार, योजना संभावित विफलता की ओर स्वयं अग्रसर है।
- राज्य सरकार ने यात्रियों या मृत यात्रियों के उत्तराधिकारियों या हताहत हुए अन्य व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1997 के अन्तर्गत वांछनीय उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि की स्थापना नहीं किया।
- वर्ष 2021–22 की समाप्ति पर कुल ₹ 18,362.56 करोड़ की बड़ी संख्या में (40,823) यूसी बकाया थी। यूसी के अभाव में, इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि संवितरित सहायता अनुदान वास्तव में उसी उद्देश्य के लिए व्यय किया गया है जिसके लिए उन्हें विधानमंडल द्वारा स्वीकृत/प्राधिकृत किया गया था।
- 31 मार्च 2022 को ₹ 18.39 करोड़ की धनराशि के 1,089 एसी बिल समायोजन हेतु प्रतीक्षित थे।
- लघु शीर्ष '800 अन्य प्राप्तियाँ/व्यय' के अन्तर्गत पुस्तांकित अत्यधिक धनराशि का का वर्गीकरण वित्तीय रिपोर्टिंग का सम्पूर्ण चित्रण नहीं करता है। इसी प्रकार, 21 अनुदानों के सम्बन्ध में, मानक मद '42 अन्य व्यय' के अन्तर्गत व्यय ने इन अनुदानों के कुल व्यय में 23 प्रतिशत योगदान दिया, जो वित्तीय प्रतिवेदनों में पारदर्शिता को प्रभावित करता है।
- 57 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के 379 वार्षिक लेखे (2021–22 तक बकाया) 30 जून 2022 तक सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। वार्षिक लेखे एवं उनकी लेखापरीक्षा के अभाव में, इन स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों को संवितरित अनुदानों और ऋणों के समुचित उपभोग को समप्रमाणित नहीं किया जा सकता है।
- दुर्विनियोजन, हानि और चोरी के ₹ 9.31 करोड़ की राशि के 135 मामले जनवरी 1967 से लम्बित थे, जिन पर 31 मार्च 2022 तक अंतिम कार्यवाही लम्बित थी।

4.18 *संस्तुतियाँ*

- *उ.प्र. भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा श्रम उपकर के सापेक्ष संग्रहीत धनराशि राज्य के लोक लेखे का भाग होनी चाहिये एवं वहाँ से यह बोर्ड के खाते में अन्तरित की जा सकती है। उ.प्र. भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक*

कल्याण बोर्ड को भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों की कार्य की दशाओं में सुधार करने एवं उन्हें पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के अपने अधिदेश को पूर्ण करना चाहिये।

- *राज्य सरकार को राज्य विद्युत विनियामक आयोग निधि का गठन करना चाहिए और निधि के अवशेष धनराशि को राज्य के लोक लेखे में जमा करना चाहिए।*
- *राज्य सरकार को गैर–बजट ऋण से बचना चाहिये एवं राज्य सरकार की ओर से पीएसयू/प्राधिकरणों द्वारा लिए गए किन्तु राज्य सरकार द्वारा सर्विस किये गये ऋणों को संचित निधि में जमा करना चाहिये।*
- *राज्य सरकार को परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना की सम्पूर्ण धनराशि राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल)/ट्रस्टी बैंक के माध्यम से नामित निधि प्रबन्धक को हस्तांतरित करना चाहिये जिससे अहस्तान्तरित धनराशि अभिदाताओं के निवेश के कोष का भाग बन सके और मूल्य वृद्धि प्राप्त कर सके।*
- *सांविधिक आवश्यकता होने के कारण, सरकार को 'उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि' की स्थापना करनी चाहिए जिससे प्रभावित व्यक्तियों के लाभ के लिए निधि का उपयोग किया जा सके।*
- *सरकार विशिष्ट प्रयोजनों के लिए निर्गत सहायता अनुदानों के सम्बन्ध में विभागों द्वारा उपभोग प्रमाण पत्र समय पर प्रेषित करना सुनिश्चित करे एवं बकायेदार अनुदान प्राप्तकर्ता को नया अनुदान निर्गत करने से पूर्व सभी बकाये की समीक्षा की जा सकती है।*
- *वित्त विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी नियंत्रण अधिकारी निर्धारित समय के अन्दर संक्षिप्त आकस्मिक बिलों का समायोजन करें जैसा कि नियमों में वांछनीय है।*
- *वित्त विभाग को, महालेखाकार (ले. एवं हक.) के परामर्श से, वर्तमान में लघुशीर्ष 800 के अन्तर्गत प्रदर्शित होने वाले सभी मदों की व्यापक समीक्षा करनी चाहिए। अग्रेतर, मानक मद के स्तर पर मानक मद 42–अन्य व्यय का अविवेकपूर्ण प्रयोग कम से कम किया जाना चाहिए।*
- *वित्त विभाग को निकायों/प्राधिकरणों/विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों की वित्तीय स्थिति का आकलन करने के लिए उनके द्वारा वार्षिक लेखे के संकलन और प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में तीव्रता लाने हेतु नियमित समीक्षा को समाहित करती एक प्रणाली विकसित करने पर विचार करना चाहिए।*
- *सरकार को दुर्विनियोजन, हानि, चोरी, आदि के मामलों में त्वरित कार्यवाही करने और ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने के लिए समयबद्ध ढांचा तैयार करने पर विचार करना चाहिये।*

अध्याय - V

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

अध्याय-V

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

5.1 परिचय

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की स्थापना जन–कल्याण को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक स्वरूप की गतिविधियों के संचालन के लिए तथा इनका राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाने के लिए की जाती है। पीएसयू में राज्य सरकार की कम्पनियाँ, सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ एवं सांविधिक निगम सम्मिलित हैं। यह अध्याय पीएसयू में राज्य सरकार के निवेश, पीएसयू को बजटीय सहायता, पीएसयू द्वारा लेखों के प्रस्तुतीकरण, पीएसयू के निवल मूल्य का क्षरण और विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम्स) के बकाया को प्रस्तुत करता है।

5.1.1 सरकारी कम्पनियों, सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों की परिभाषा

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में एक सरकारी कम्पनी को एक ऐसी कम्पनी के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें प्रदत्त शेयर पूंजी का कम से कम 51 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा, या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा या आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा तथा आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारित है और इसमें वह कम्पनी भी सम्मिलित है जो सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी है। इसके अलावा, केन्द्र सरकार द्वारा अथवा किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा, या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार द्वारा और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व या नियंत्रण वाली किसी अन्य कम्पनी[36] को इस अध्याय में सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनी के रूप में दर्शाया गया है। सांविधिक निगम वे निगम हैं जो विधानमंडल द्वारा अधिनियमित विधियों के तहत स्थापित किए गए थे।

5.1.2 लेखापरीक्षा के अधिदेश

सरकारी कम्पनियों एवं सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) से 143(7) के प्रावधानों के साथ पठित भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 एवं उसके अन्तर्गत बनाए गए विनियमों के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा की जाती है, कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत, सीएजी सरकारी कम्पनियों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में सनदी लेखाकारों की नियुक्ति करते हैं एवं उन तरीकों पर निर्देश देते हैं जिनसे लेखाओं की लेखापरीक्षा की जानी है। इसके अतिरिक्त, सीएजी अनुपूरक लेखापरीक्षा करते हैं। कुछ सांविधिक निगमों को शासित करने वाली संविधियों में उनके लेखाओं की लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

[36] कार्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की राजपत्रित अधिसूचना दिनांक 04 सितम्बर 2014 द्वारा निर्गत कम्पनियाँ (कठिनाइयों को दूर करना), सातवाँ आदेश 2014।

5.1.3 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का स्वरूप एवं अध्याय में इनकी व्याप्ति

31 मार्च 2022 को, उत्तर प्रदेश में भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन 114 पीएसयू (93 सरकारी कम्पनियाँ, 15 सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ एवं छः सांविधिक निगम[37]), 42 अकार्यरत पीएसयू[38] सहित थे। कोई भी राज्य पीएसयू स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध नहीं थे।

31 मार्च 2022 को, 42 अकार्यरत पीएसयू की स्थिति को **तालिका 5.1** में दिया गया है।

तलिका 5.1: अकार्यरत पीएसयू की स्थिति

क्रम संख्या	विवरण	पीएसयू
1	सरकार/निदेशक मंडल द्वारा संचालन को बंद करने के लिए निर्गत आदेश/निर्देश (परिसमापन प्रक्रिया अभी प्रारंभ नहीं हुई है)	29
2	न्यायालय द्वारा परिसमापन (परिसमापनकर्ता नियुक्त)	11
3	स्वैच्छिक समापन (सरकार द्वारा परिसमापनकर्ता नियुक्त)	2

इस प्रकार, 42 अकार्यरत पीएसयू में से, 13 पीएसयू (12 सरकारी कम्पनियाँ और एक सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनी) परिसमापन के अधीन है जबकि अवशेष 29 अकार्यरत पीएसयू जून 1990 से सितम्बर 2019 की अवधि के दौरान अपना संचालन बंद कर चुकी है।

5.2 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश एवं बजटीय सहायता

31 मार्च 2022 को 114 पीएसयू (93 सरकारी कम्पनियाँ, 15 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ और छः सांविधिक निगम) में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अन्य[39] द्वारा निवेशित पूंजी को **चार्ट 5.1** में दर्शाया गया है:

[37] उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्, उत्तर प्रदेश जल निगम, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम एवं उत्तर प्रदेश वन निगम।

[38] अकार्यरत पीएसयू वे हैं जिन्होंने अपना संचालन करना बन्द कर दिया है।

[39] 'अन्य' में स्वामित्व कम्पनी, वित्तीय संस्थान एवं बैंकों इत्यादि द्वारा किया गया निवेश सम्मिलित है।

चार्ट 5.1: सरकारी कम्पनियों, सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों और सांविधिक निगमों में निवेश की संरचना

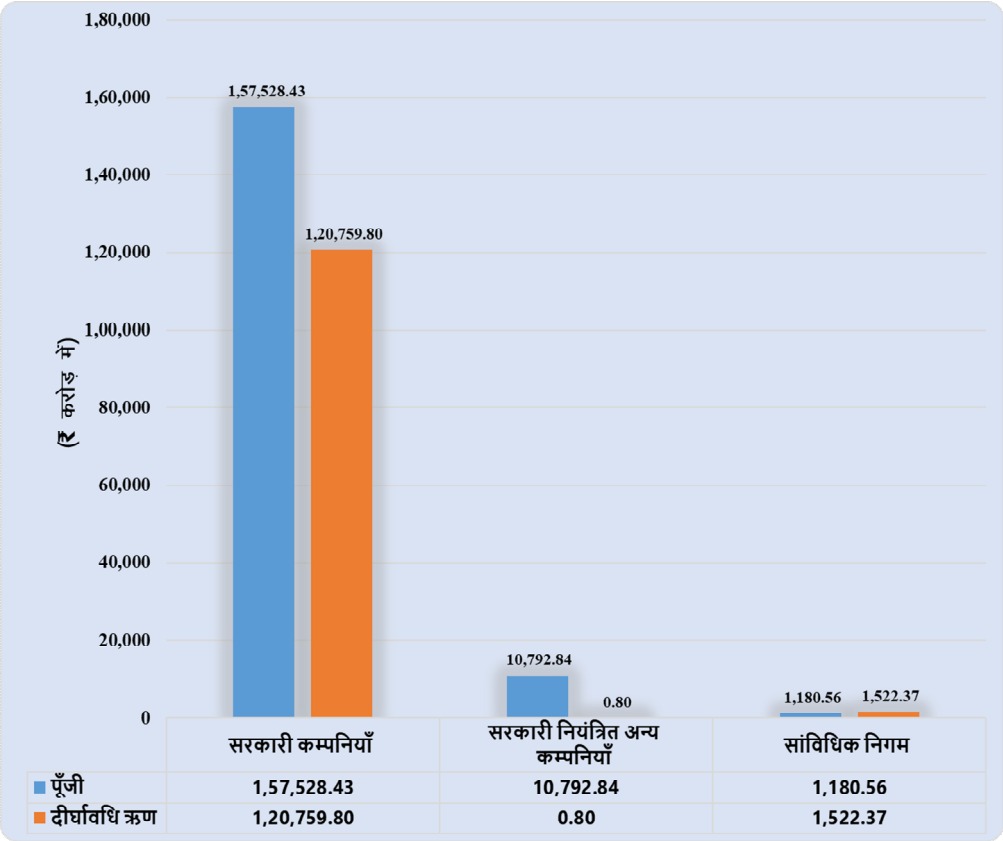

31 मार्च 2022, को 114 राज्य पीएसयू में क्षेत्र–वार निवेश (पूंजी और दीर्घावधि ऋण) का सारांश **तालिका 5.2** में दिया गया है।

तालिका 5.2: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में क्षेत्र–वार निवेश

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	पीएसयू की संख्या	निवेश								महायोग
		पूंजी				दीर्घावधि ऋण				
		जीओयूपी	जीओआई	अन्य	योग	जीओयूपी	जीओआई	अन्य	योग	
पीएसयू जिन्होंने अपने लेखे 2019–20 तक अथवा उसके पश्चात् प्रस्तुत किये (परिशिष्ट–5.1)										
ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू	11	1,45,389.99	0.00	2,213.43	1,47,603.42	433.92	0.00	1,04,361.55	1,04,795.47	2,52,398.89
ऊर्जा क्षेत्र के इतर पीएसयू	26	6,994.10	3,144.42	6,501.26	16,639.78	2,582.62	7,582.83	1,528.85	11,694.30	28,334.08
इस अध्याय में सम्मिलित कुल पीएसयू का योग	**37**	**1,52,384.09**	**3,144.42**	**8,714.69**	**1,64,243.20**	**3,016.54**	**7,582.83**	**1,05,890.40**	**1,16,489.77**	**2,80,732.97**
पीएसयू जिनके लेखे 31 मार्च 2022 को तीन वर्ष से बकाया अथवा अधिक अथवा निष्क्रिय/परिसमापन के अधीन अथवा प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए थे (परिशिष्ट–5.2)										
ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू	2	0.00	0.00	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27

क्षेत्र	पीएसयू की संख्या	निवेश								महायोग
		पूंजी				दीर्घावधि ऋण				
		जीओयूपी	जीओआई	अन्य	योग	जीओयूपी	जीओआई	अन्य	योग	
ऊर्जा क्षेत्र के इतर पीएसयू	75	3,970.81	605.99	679.56	5,256.36	2,582.20	12.27	3,198.73	5,793.20	11,049.56
इस अध्याय में सम्मिलित नहीं किये गये पीएसयू का योग	77	**3,970.81**	**605.99**	**681.83**	**5,258.63**	**2,582.20**	**12.27**	**3,198.73**	**5,793.20**	**11,051.83**
महायोग	**114**	**1,56,354.90**	**3,750.41**	**9,396.52**	**1,69,501.83**	**5,598.74**	**7595.10**	**1,09,089.13**	**1,22,282.97**	**2,91,784.80**

स्रोतः वार्षिक लेखों एवं पीएसयू से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर संकलित आंकड़े

31 मार्च 2022 को, 114 पीएसयू में कुल निवेश (पूंजी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 2,91,784.80 करोड़ था। इनमें से, राज्य सरकार का निवेश ₹ 1,61,953.64 करोड़ था जिसमें ₹ 1,56,354.90 करोड़ की पूंजी के रूप में और ₹ 5,598.74 करोड़ का दीर्घावधि ऋण के रूप में था। राज्य सरकार की पूंजी ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू एवं ऊर्जा क्षेत्र के इतर पीएसयू में क्रमशः ₹ 1,45,389.99 करोड़ एवं ₹ 10,964.91 करोड़ थी। राज्य सरकार द्वारा दीर्घावधि ऋण अग्रिम ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू एवं ऊर्जा क्षेत्र के इतर पीएसयू में क्रमशः ₹ 433.92 करोड़ एवं ₹ 5,164.82 करोड़ थी जिसका विवरण ***परिशिष्ट 5.1 और 5.2*** में दिया गया है।

5.2.1 अकार्यरत राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य सरकार का निवेश

31 मार्च 2022 को, 42 राज्य पीएसयू (40 सरकारी कम्पनियाँ और दो सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ) अकार्यरत थी जिसमें राज्य सरकार का पूंजी के रूप में (₹ 370.53 करोड़) और दीर्घावधि ऋण (₹ 383.44 करोड़) कुल निवेश ₹ 753.97 करोड़ था। इनमें से, महत्वपूर्ण निवेश उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल्स कार्पोरेशन लिमिटेड (₹ 289.15 करोड़), उत्तर प्रदेश सीमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (₹ 193.05 करोड़) और उ.प्र. राज्य यार्न कम्पनी लिमिटेड (₹ 120.03 करोड़) में था जिसका विवरण ***परिशिष्ट 5.2*** में दिया गया है।

5.2.2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता

उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूपों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मार्च 2022 को समाप्त विगत तीन वर्षो के लिए पीएसयू के सम्बन्ध में बजटीय सहायता (पूंजी, ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी) का संक्षिप्त विवरण **तालिका 5.3** में दिया गया है।

तालिका 5.3: वर्ष 2019–20 से 2021–22 के दौरान पीएसयू को बजटीय सहायता का विवरण

बजटीय सहायता का स्वरूप	2019-20		2020-21		2021-22	
	पीएसयू की संख्या	बजटीय सहायता (₹ करोड़ में)	पीएसयू की संख्या	बजटीय सहायता (₹ करोड़ में)	पीएसयू की संख्या	बजटीय सहायता (₹ करोड़ में)
(अ) ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू						
अंश पूंजी (i)	3[40]	8,248.83	3[40]	10,568.47	3[40]	10,874.05

[40] उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक कार्पोरेशन लिमिटेड को उत्तर प्रदेश सरकार उनकी सहायक कम्पनियों में निवेश हेतु पूंजी अवमुक्त करती है। अतः पूंजी के निवेश के उद्देश्य से, केवल स्वामित्व धारक कम्पनियों पर उनकी सहायक कम्पनियों की ओर से विचार किया गया है।

बजटीय सहायता का स्वरूप	2019-20		2020-21		2021-22	
	पीएसयू की संख्या	बजटीय सहायता (₹ करोड़ में)	पीएसयू की संख्या	बजटीय सहायता (₹ करोड़ में)	पीएसयू की संख्या	बजटीय सहायता (₹ करोड़ में)
ऋण (ii)	-	0.00	-	0.00	-	0.00
अनुदान/सब्सिडी (iii)	2	19,065.56	2	10,349.30	2	22,432.27
योग (i+ii+iii)	**3**[41]	**27,314.39**	**3**[41]	**20,917.77**	**3**[41]	**33,306.32**
(ब) ऊर्जा क्षेत्र के इतर पीएसयू						
अंश पूंजी (i)	4[40]	288.63	7[40]	529.13	8[40]	808.92
ऋण (ii)	8	403.32	6	1,673.16	5	330.01
अनुदान/सब्सिडी (iii)	17	712.21	18	1,462.46	19	2498.09
योग (i+ii+iii)	**27**[41]	**1,404.16**	**25**[41]	**3,664.75**	**26**[41]	**3,637.02**

स्रोत: वार्षिक लेखाओं, सरकारी आदेशों और पीएसयू से प्राप्त सूचनाओं पर आधारित संकलित आँकड़े

74 पीएसयू के सम्बन्ध में जिन्होंने सितम्बर 2022 तक उपयुक्त सूचनांए प्रदान की, मार्च 2022 को समाप्त वर्ष को विगत तीन वर्षो के लिए पूंजी, ऋण और अनुदान/सब्सिडी के सापेक्ष बजटीय सहायता से सम्बन्धित विवरण **चार्ट 5.2** में दिया गया है।

चार्ट 5.2: पूंजी, ऋण और अनुदान/सब्सिडी के सापेक्ष बजटीय सहायता

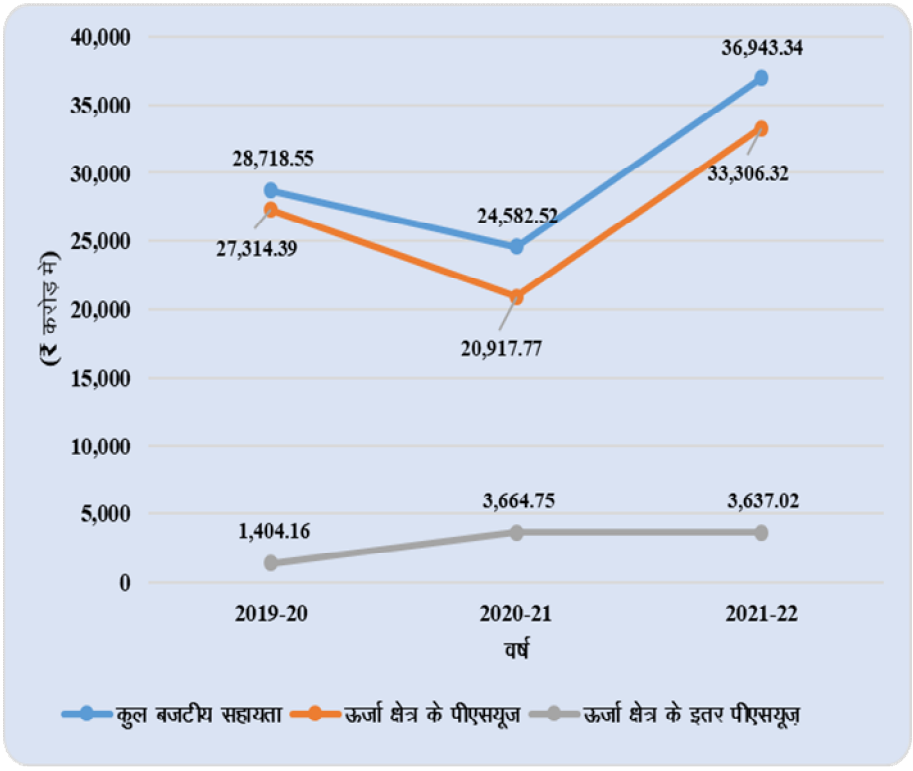

2020–21 की तुलना में 2021–22 के दौरान पीएसयू को बजटीय सहायता में ₹ 12,360.82 करोड़ की वृद्धि हुई थी जो कि मुख्यतः उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड की राजस्व सब्सिडी में 2020–21 में ₹ 9,657.17 करोड़ से 2021–22 में ₹ 21,888.16 करोड़ के कारण थी।

[41] यह आंकड़ा उन पीएसयू की संख्या को दर्शाते हैं, जिन्हें राज्य सरकार से बजटीय सहायता एक या अधिक मदों/शीर्षों से राशि प्राप्त की है अर्थात् पूंजी, ऋण, अनुदान/सब्सिडी।

तालिका 5.3 से स्पष्ट है कि बजटीय सहायता का मुख्य हिस्सा ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू को दिया गया था। ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू द्वारा प्राप्त वार्षिक बजटीय सहायता वर्ष 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 में क्रमशः ₹ 27,314.39 करोड़, ₹ 20,917.77 करोड़ और ₹ 33,306.32 करोड़ थी। 2021–22 के दौरान प्राप्त ₹ 33,306.32 करोड़ की बजटीय सहायता क्रमशः ₹ 10,874.05 करोड़ पूंजी के रूप में और ₹ 22,432.27 करोड़ अनुदान/सब्सिडी शामिल थी। राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू को दिए गए ₹ 22,432.27 करोड़ के कुल अनुदान/सब्सिडी में से ₹ 22,395.45 करोड़ उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड इसकी वितरण कम्पनियों सहित और ₹ 36.82 करोड़ उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड को दिया गया था।

2021–22 के दौरान राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के इतर पीएसयू को दिए गए ₹ 2,498.09 करोड़ के कुल अनुदान/सब्सिडी में से, अनुदान/सब्सिडी 2021–22 के दौरान मुख्य रूप के आगरा स्मार्ट सिटी लिमिटेड (₹ 782.50 करोड़), उत्तर प्रदेश जल निगम (₹ 322.84 करोड़) और नोएडा मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड (₹ 320.65 करोड़) को दिया गया था। अग्रेतर, राज्य सरकार ने ₹ 808.92 करोड़ पूंजी में निवेशित किया और ऊर्जा क्षेत्र के इतर पीएसयू को ऋण के सापेक्ष ₹ 330.01 करोड़ की बजटीय सहायता प्रदान की। इसमें उत्तर प्रदेश राज्य यार्न कम्पनी लिमिटेड की ₹ 31.91 करोड़ की पूंजी तथा ₹ 2.03 करोड़ के ऋण जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य यार्न कम्पनी लिमिटेड को (₹ 1.76 करोड़) और उत्तर प्रदेश स्टेट टैक्सटाइल कार्पोरेशन लिमिटेड (₹ 0.27 करोड़) शामिल था, जो कि अकार्यरत थे तथा अपना संचालन बन्द कर दिया था।

5.2.3 उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखों से मिलान

राज्य पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार पूंजी, ऋण एवं अदत्त प्रत्याभूतियों से सम्बन्धित आंकड़े उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं में दर्शाये गए आंकड़ों से मेल खाने चाहिए। यदि उक्त आंकड़े मेल नहीं खाते है तो सम्बन्धित पीएसयू एवं वित्त विभाग को अंतर का मिलान करना चाहिए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 31 मार्च 2022 को 74 पीएसयू (57 सरकारी कम्पनियाँ, 12 सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ और पाँच सांविधिक निगम) के सम्बन्ध में ऐसे अंतर विद्यमान थे जिसका विवरण ***परिशिष्ट 5.3*** में है एवं **तालिका 5.4** में संक्षेपित है।

तालिका 5.4: राज्य पीएसयू के अभिलेखों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखों के अनुसार पूंजी, ऋण एवं अदत्त प्रत्याभूतियाँ

(₹ करोड़ में)

अदत्त के सम्बन्ध में	क्षेत्र	वित्त लेखाओं के अनुसार धनराशि	राज्य पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार धनराशि	अंतर	
				धनराशि	प्रतिशत
पूंजी	ऊर्जा क्षेत्र	1,32,877.22	1,47,605.28	14,728.06	11.08
	ऊर्जा क्षेत्र के इतर	6,108.80	10,910.65	4,801.85	78.61
	योग	**1,38,986.02**	**1,58,515.93**	**19,529.91**	**14.05**
ऋण	ऊर्जा क्षेत्र	516.82	433.92	(-)82.90	(-) 16.04
	ऊर्जा क्षेत्र के इतर	3,474.41	5,164.81	1,690.40	48.65
	योग	**3,991.23**	**5,598.73**	**1,607.50**	**40.28**
प्रत्याभूतियाँ	ऊर्जा क्षेत्र	1,29,374.07	1,21,555.08	(-)7,818.99	(-) 6.04
	ऊर्जा क्षेत्र के इतर	634.47	389.84	(-)244.63	(-) 38.56
	योग	**1,30,008.54**	**1,21,944.92**	**(-)8,063.62**	**(-) 6.20**

स्रोतः पीएसयू से प्राप्त सूचनाएं, पीएसयू के वार्षिक लेखाओं और वित्त लेखे 2021–22

आंकड़ो के बीच अंतर सतत् विद्यमान है और विगत वर्ष राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में भी प्रतिवेदित किया गया था। तीन ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू[42] और पाँच ऊर्जा क्षेत्र के इतर पीएसयू[43] के मामलों में शेष राशियों में बड़ा अंतर देखा गया था।

5.3 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

5.3.1 समय पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अनुसार, एक सरकारी कम्पनी के कामकाज और मामलों पर वार्षिक प्रतिवेदन को इसकी वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) के तीन महीने के अन्दर तैयार किया जाना होता है। इसके तैयार होने के पश्चात् जितना शीघ्र संभव हो सके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और उक्त पर टिप्पणी अथवा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के पूरक के रूप में सीएजी की टिप्पणियों की प्रति को विधायिका के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना चाहिए। सांविधिक निगमों को विनियमित करने वाले सम्बन्धित अधिनियमों में लगभग समान प्रावधान विद्यमान हैं। यह प्रणाली राज्य की संचित निधि से कम्पनियों में निवेशित सार्वजनिक निधि के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण प्रदान करती है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 के अनुसार प्रत्येक कम्पनी को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार शेयर धारकों की एजीएम करने की आवश्यकता होती है। यह भी बताया गया है कि एक एजीएम और उसकी अगली तिथि के मध्य 15 महीने से अधिक का समय व्यतीत नहीं होगा। अग्रेतर, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 तय करती है कि वित्तीय वर्ष के लिए संपरीक्षित वित्तीय विवरणों को उक्त एजीएम में उनके विचार हेतु प्रस्तुत करना होता है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(7)में यह प्रावधान है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर कम्पनी के व्यक्तियों, उत्तरदायी निदेशकों सहित पर दण्ड के आरोपण जैसे अर्थदण्ड और कारावास जैसे दण्ड का प्रावधान करती है।

लेखाओं को तैयार करने में पीएसयू द्वारा अनुसरण की गई समयबद्धता की स्थिति इस प्रकार है :

5.3.2 पीएसयू द्वारा लेखों के तैयार करने में समयबद्धता

सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा वर्ष 2021–22 के लेखे 30 सितम्बर 2022 तक प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। राज्य पीएसयू द्वारा 30 सितम्बर 2022 तक लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में बकाया के विवरण ***परिशिष्ट 5.4*** में दिखाया गया है और **तालिका 5.5** में संक्षेपित है।

[42] उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड और उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड।

[43] उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, नोएडा मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कार्पोरेशन ऑफ यूपी लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड।

तालिका 5.5: पीएसयू द्वारा लेखाओं के प्रस्तुतीकरण से सम्बन्धित स्थिति

विवरण		लेखाओं के प्रस्तुतीकरण से सम्बन्धित स्थिति			
		सरकारी कम्पनियाँ	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	सांविधिक निगम	योग
31 मार्च 2022 को सीएजी के लेखा परीक्षा कार्यक्षेत्र के अंतर्गत पीएसयू की कुल संख्या (परिसमापन के अंतर्गत 13 पीएसयू शामिल करते हुए)		93	15	06	114
पीएसयू की संख्या जिन्होंने सीएजी के लेखापरीक्षा के लिए 30 सितम्बर 2022 तक 2021–22 के लेखे प्रस्तुत किये		10	01	-	11
पीएसयू की संख्या जिनके लेखे बकाया थे (परिसमापन के अंतर्गत 11 पीएसयू के बकाया लेखे को शामिल करते हुए)		81[44]	14	06	101
बकाया लेखों की संख्या		929	55	22	1006
बकाये का विवरण	(i) अकार्यरत पीएसयू (परिसमापन के अंतर्गत)	112	08	-	120
	(ii) अकार्यरत पीएसयू (परिसमापन के अंतर्गत को छोड़कर)	551	27	-	578
	(iii) कार्यरत पीएसयू	266	20	22	308

72 कार्यरत राज्य पीएसयू में से, केवल 11 पीएसयू ने वर्ष 2021–22 के लिए अपने वार्षिक लेखे प्रस्तुत किये तथा शेष 61 पीएसयू के 308 लेखे बकाया थे। 42 अकार्यरत पीएसयू में से, 40 पीएसयू के 698 लेखे बकाया थे।

5.3.2.1 कार्यरत राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में बकाया

- 53 कार्यरत सरकारी कम्पनियों में से केवल 10 पीएसयू[45] ने सीएजी से लेखापरीक्षा के लिए वर्ष 2021–22 के लिए 30 सितम्बर 2022 तक अपने लेखे प्रस्तुत किये। परिणामस्वरूप, 43 कार्यरत पीएसयू के 266 लेखे बकाया थे।
- 13 कार्यरत सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों में से केवल एक पीएसयू अर्थात् आगरा स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने सीएजी से लेखापरीक्षा के लिए वर्ष 2021–22 के लिए 30 सितम्बर 2022 तक अपने लेखे प्रस्तुत किये। परिणामस्वरूप 12 कार्यरत पीएसयू के 20 लेखे बकाया थे।
- किसी भी सांविधिक निगम ने सीएजी से लेखा परीक्षा के लिए वर्ष 2021–22 के लिए 30 सितम्बर 2022 तक अपने लेखे प्रस्तुत नहीं किये। छः सांविधिक निगमों (सभी कार्यरत पीएसयू) में से चार सांविधिक निगमों (उत्तर प्रदेश राज्य सड़क

[44] इसमें दो पीएसयू, जिनके नाम उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड और उत्तर प्रदेश (रूहेलखंड तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड को छोड़कर, जो परिसमापन के अधीन हैं, जिनके परिसमापन में जाने की तिथि तक कोई लेखे बकाया नहीं थे।

[45] दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, नोएडा मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन परिषद्, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड और उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड।

परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्, उत्तर प्रदेश जल निगम और उत्तर प्रदेश वन निगम) में सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक हैं। इन चार सांविधिक निगमों के 30 सितम्बर 2022 को नौ लेखे[46] बकाया थे। अन्य दो सांविधिक निगमों के मामले में 2013–14 से (उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम) और 2018–19 से (उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम) बकाया थे।

- पाँच[47] कार्यरत पीएसयू ने अपने निगमन के बाद लेखापरीक्षा के लिए अपने प्रथम लेखे प्रस्तुत नहीं किये थे। इन पीएसयू के 53 लेखे बकाया थे।

कार्यरत पीएसयू के बकाया लेखाओं का आयु–वार विश्लेषण **तालिका 5.6** में दिया गया है।

तालिका 5.6: कार्यरत पीएसयू के बकाया लेखाओं का आयु–वार विश्लेषण

		बकाया लेखों का आयु–वार विश्लेषण			योग
		1-3 वर्ष	4-6 वर्ष	7 वर्ष एवं उससे अधिक	
बकाया लेखाओं वाले कार्यरत पीएसयू की संख्या	सरकारी कम्पनियाँ	17	11	15	43
	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	11	1	-	12
	सांविधिक निगम	3	2	1	6
	योग	31	14	16	61
बकाया लेखाओं की संख्या	सरकारी कम्पनियाँ	31	51	184	266
	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	16	4	0	20
	सांविधिक निगम	4	9	9	22
	योग	51	64	193	308

5.3.2.2 अकार्यरत राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखों के प्रस्तुतीकरण में बकाया

42 अकार्यरत पीएसयू (13 पीएसयू परिसमापन के अंतर्गत को शामिल करते हुए) में से 40 अकार्यरत पीएसयू (38 सरकारी कम्पनियों और दो सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों) के 698 लेखे 30 सितम्बर 2022 को बकाया थे जिसका विवरण ***परिशिष्ट 5.4*** में दिया गया है। इन पीएसयू के बकाया लेखाओं का आयु–वार विश्लेषण **तालिका 5.7** में दिया गया है।

---

46 लेखे (i) उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम वर्ष 2020–21 एवं 2021– 22 के लिए (ii) उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् वर्ष 2021–22 के लिए, (iii) उत्तर प्रदेश जल निगम वर्ष 2017–18 से 2021–22 के लिए और (iv) उत्तर प्रदेश वन निगम वर्ष 2021– 22 के लिए।

47 लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, आगरा–मथुरा सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, कानपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, वाराणसी सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड और उत्तर प्रदेश राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास निगम लिमिटेड।

तालिका 5.7: अकार्यरत पीएसयू के बकाया लेखाओं का आयु–वार विश्लेषण

		बकाया लेखाओं का आयु–वार विश्लेषण				योग
		1-5 वर्ष	6-10 वर्ष	11-20 वर्ष	21 वर्ष एवं उससे अधिक	
बकाया लेखाओं वाले अकार्यरत पीएसयू की संख्या	परिसमापन के अंतर्गत	4	1	5	1	11
	अन्य	6	3	5	15	29
	योग	10	4	10	16	40
बकाया लेखाओं की संख्या	परिसमापन के अंतर्गत पीएसयू	9	8	74	29	120
	अन्य अकार्यरत पीएसयू	16	22	67	473	578
	योग	25	30	141	502	698

5.3.2.3 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं को अंतिम रूप न देने का प्रभाव

लेखाओं के अन्तिमीकरण में विलम्ब कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के उल्लंघन के साथ–साथ कपट एवं सार्वजनिक धन के रिसाव के जोखिम के रूप में भी परिणित हो सकता है। लेखाओं के बकाया की उपरोक्त स्थिति को देखते हुए, बकाया लेखाओं की अवधि के दौरान वहन हानि/अर्जित लाभ को सम्मिलित करते हुए, इन 101 पीएसयू[48] के वास्तविक निष्पादन एवं राज्य के जीडीपी में योगदान को आंकलित/राज्य विधानमंडल को प्रतिवेदित नहीं किया जा सका। इन पीएसयू द्वारा लेखाओं को अन्तिमीकरण किये जाने एवं उनकी अनुवर्ती लेखापरीक्षा के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि किये गये निवेश एवं व्यय सही रूप से लेखांकित किये गये हैं तथा निधियों का उपयोग राज्य सरकार द्वारा प्रावधानित प्रयोजन के लिए किया गया था। ऐसे सांविधिक निगमों के सम्बन्ध में जहाँ प्रमाणन का सम्पूर्ण दायित्व एकल अंकेक्षक के रूप में सीएजी पर है, यह प्रकरण बड़ी चिन्ता का विषय है।

5.3.2.4 लंबित लेखाओं के प्रस्तुतीकरण के दौरान राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य सरकार का निवेश

राज्य सरकार द्वारा किये गए निवेश का पीएसयू–वार विवरण जिनके लेखे वर्षों के दौरान बकाया थे ***परिशिष्ट 5.5*** में दिखाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) ने ऊर्जा क्षेत्र की छः पीएसयू में से केवल एक (अर्थात् उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड) को ₹ 2,035.05 करोड़ (अंश पूंजीः ₹ 2,035.05 करोड़, ऋणः शून्य अनुदानः शून्य और सब्सिडीः शून्य) प्रदान किये थे जिसके लेखे वर्ष 2021–22 तक के 30 सितम्बर 2022 तक अन्तिमीकृत नहीं किया गया था। जबकि ऊर्जा क्षेत्र के शेष पाँच पीएसयू के लेखाओं के बकाया होने की अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था। अग्रेतर, जीओयूपी ने 95 ऊर्जा क्षेत्र के इतर पीएसयू में से 37 को ₹ 6,575.47 करोड़ (अंश पूंजीः ₹ 1,432.02 करोड़, ऋण : ₹ 1,187.47, अनुदान : ₹ 3,542.47 करोड़ और सब्सिडीः ₹ 413.51 करोड़) भी प्रदान किये थे, जिसके लेखे वर्ष 2021–22 तक के 30 सितम्बर 2022 तक अन्तिमीकृत नहीं किये गए थे जबकि ऊर्जा क्षेत्र के इतर शेष 58 पीएसयू में लेखाओं के बकाया होने की अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था।

[48] छः ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू और 95 ऊर्जा क्षेत्र के इतर पीएसयू।

इन पीएसयू की गतिविधियों की निगरानी करने एवं इन पीएसयू द्वारा लेखाओं को निर्धारित समय में अंतिम रूप दिए जाने एवं अंगीकृत किये जाने को सुनिश्चित करने का दायित्व प्रशासनिक विभागों पर है। सम्बन्धित विभागों को बकाया लेखाओं के सम्बन्ध में नियमित रूप से सूचित किया गया था।

5.4 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निवल मूल्य का क्षरण

निवल मूल्य से तात्पर्य प्रदत्त पूंजी तथा मुक्त संचय एवं अधिशेष के योग में से संचित हानि एवं अस्थगित राजस्व व्यय को घटाने से है। अनिवार्य रूप से यह एक उपाय (माप) है कि स्वामियों के लिये एक इकाई (उपक्रम) का क्या मूल्य है। एक ऋणात्मक निवल मूल्य इंगित करता है कि स्वामियों के सम्पूर्ण निवेश संचित हानियों एवं अस्थगित राजस्व व्यय के कारण लुप्त हो गया है।

12 पीएसयू में सरकार की प्रदत्त पूंजी, संचित हानियों, निवल मूल्य और निवेश को **तालिका 5.8** इंगित करती है जिनका निवल मूल्य उनके अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार 30 सितम्बर 2022 तक क्षरण हो चुका है।

तालिका 5.8: पीएसयू जिनका निवल मूल्य क्षरण हो चुका है

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	अन्तिमीकृत लेखाओं का अद्यतन वर्ष	ब्याज, कर एवं लाभांश के बाद शुद्ध लाभ (+)/ हानि (-)	कुल प्रदत्त पूंजी अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के अनुसार	मुक्त संचय	संचित हानियां अस्थगित राजस्व व्यय[49] शामिल करते हुए	निवल मूल्य	31 मार्च 2022 को राज्य सरकार की अंश पूंजी	31 मार्च 2022 को राज्य सरकार का ऋण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (5+6-7)	(9)	(10)
अ	**ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू**								
1	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2021-22	(-) 2,957.52	22,436.61	1,953.42	24,956.84	(-)566.81	22,436.61	132.04
2	कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड	2021-22	(-) 215.45	2,249.31	0.00	4,179.46	(-)1,930.15	2,249.31	0.00
3	उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड	2021-22	(-)8,305.27	1,12,212.39	0.00	81,877.77	(-) 60,000.85[50]	112212.39	369.27
4	यूसीएम कोल कम्पनी लिमिटेड	2020-21	(-)0.21	0.16	(-)2.39	0.00	(-)2.23	0.16	0.00
5	यूपीएसआईडीसी पॉवर कम्पनी लिमिटेड	2013-14	(-)0.02	0.05	0.00	0.25	(-)0.20	0.00	0.00
	योग अ		**(-) 11,478.47**	**1,36,898.52**	**1,951.03**	**1,11,014.32**	**(-) 62,500.24**	**1,36,898.47**	**501.31**

[49] अस्थगित राजस्व व्यय का मूल्य सभी पीएसयू में शून्य है जिनका निवल मूल्य क्षरण हो चुका है।

[50] ₹ 1,12,212.39 करोड़ की प्रदत्त पूंजी में ₹ 90,335.47 करोड़ शामिल है जिसे सरकार द्वारा उनकी सहायक/एसोसिएट्स/संयुक्त उद्यम कम्पनियों के लिए दिया गया था। इसलिए, इस धनराशि को निवल मूल्य की गणना से बाहर रखा गया है।

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	अन्तिमीकृत लेखाओं का अद्यतन वर्ष	ब्याज, कर एवं लाभांश के बाद शुद्ध लाभ (+)/ हानि (-)	कुल प्रदत्त पूंजी अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के अनुसार	मुक्त संचय	संचित हानियां अस्थगित राजस्व व्यय[49] शामिल करते हुए	निवल मूल्य	31 मार्च 2022 को राज्य सरकार की अंश पूंजी	31 मार्च 2022 को राज्य सरकार का ऋण
ब	**ऊर्जा क्षेत्र के इतर पीएसयू**								
1	प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कार्पोरेशन ऑफ यूपी लिमिटेड	2019-20	(-) 1.56	135.58	0.00	381.05	(-) 245.47	110.58	1,134.43
2	प्रयागराज सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	2019-20	(-) 10.90	4.91	0.00	16.48	(-) 11.57	0.00	0.00
3	अलीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2019-20	(-) 11.35	2.00	0.00	13.66	(-)11.66	1.00	0.00
4	प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2020-21	(-) 0.26	0.50	0.00	0.62	(-) 0.12	245.00	0.00
5	मुरादाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2020-21	(-) 8.19	0.50	0.00	8.17	(-) 7.67	50.25	0.00
6	नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एनआईएएल)	2019-20	1.61	0.01	0.00	2.75	(-) 2.74	2,807.20	0.00
7	लखनऊ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2018-19	(-) 3.60	0.50	0.00	6.29	(-) 5.79	186.00	0.00
	योग ब		**(-) 34.25**	**144.00**	**0.00**	**429.02**	**(-) 285.02**	**3,400.03**	**1,134.43**
	महायोग (अ+ब)		**(-) 11,512.72**	**1,37,042.52**	**1,951.03**	**1,11,443.34**	**(-) 62,785.26**	**1,40,298.50**	**1,635.74**

पाँच ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू का निवल मूल्य संचित हानियों से पूर्णरूप से क्षरण हो चुका था और 31 मार्च 2022 को उनका निवल मूल्य ₹ 1,36,898.52 करोड़ के अंश पूंजी निवेश के सापेक्ष (-) ₹ 62,500.24 करोड़ था। 31 मार्च 2022 को इन पीएसयू में राज्य सरकार की अंश पूंजी और ऋण क्रमशः ₹ 1,36,898.47 करोड़ और ₹ 501.31 करोड़ थे। अपने अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार ये सभी पाँच पीएसयू हानियों में थे।

अग्रेतर, सात ऊर्जा क्षेत्र के इतर पीएसयू का निवल मूल्य संचित हानियों से पूर्णरूप से क्षरण हो चुका था और 31 मार्च 2022 को उनका निवल मूल्य ₹ 144.00 करोड़ के अंश पूंजी निवेश के सापेक्ष (-) ₹ 285.02 करोड़ था। 31 मार्च 2022 को इन पीएसयू में राज्य सरकार की अंश पूंजी और ऋण क्रमशः ₹ 3,400.03 करोड़ और ₹ 1,134.43 करोड़ थे। सात पीएसयू जिनका निवल मूल्य क्षरण हो चुका था, में से एक पीएसयू अर्थात् नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने अपने अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार ₹ 1.61 करोड़ का लाभ कमाया था जबकि शेष छः पीएसयू हानि में थे।

5.5 उर्जा वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम) के बकाया

राज्य में विद्युत आपूर्ति बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) अपने पाँच डिस्कॉम (मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड) की ओर से केंद्र/राज्य उर्जा उत्पादन कम्पनियों, विद्युत पारेषण कम्पनियों, स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों, कैपटिव उर्जा प्लांट (रिएक्टिव एनर्जी) और गैर–अनुसूचित आन्तरिक–परिवर्तन (यू आई) से विद्युत खरीद करता है।

यूपीपीसीएल और इसके डिस्कॉम द्वारा प्रदान किये गए लागत विश्लेषण के आधार पर उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित और निर्गत टैरिफ आदेश में निर्धारित दरों पर डिस्कॉम अपने उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति करते हैं। सरकार लागत और टैरिफ आदेश में निर्धारित दरों के मध्य अन्तरों को समाप्त करने के लिए डोमेस्टिक लाइफलाइन, ग्रामीण अनुसूची (अन–मीटर्ड), ग्रामीण अनुसूची (मीटर्ड) गरीबी रेखा से नीचे के इतर (बीपीएल), निजी नलकूपों/पम्पिंग सेट इत्यादि की श्रेणी में आने वाले उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग के सापेक्ष सब्सिडी प्रदान करती है। राज्य सरकार के आदेशानुसार (मार्च 2021) टैरिफ सब्सिडी के भुगतान हेतु राज्य सरकार के अदत्त दायित्व 31 मार्च 2020 को ₹ 14,661.54 करोड़ था।

डिस्कॉम वित्तीय संस्थानों से लिए गए उधार कोषों पर ब्याज के भुगतान और अशोध्य ऋण के कारण भारी हानियों में चल रहे थे। डिस्कॉम के वित्तीय बदलाव के लिए, उज्जवल डिस्काम एशोरेंस योजना (उदय योजना) के अंतर्गत डिस्कॉम की ओर से विद्युत मंत्रालय (जीओआई), उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड के मध्य एक एमओयू निष्पादित किया गया था (जनवरी 2016)। एमओयू के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार ने 2015–16 और 2016–17 के दौरान ₹ 44,403 करोड़ के डिस्काम के बकाया ऋण को ले लिया था। अग्रेतर राज्य सरकार ने 2017–18 से 2020–21 के दौरान श्रेणीबद्ध तरीके से डिस्कॉम की भावी हानियों का उत्तरदायित्व भी लिया था जैसा कि राज्य सरकार के आदेशानुसार (मार्च 2021), हानि की प्रतिपूर्ति सब्सिडी हेतु राज्य सरकार पर अदत्त दायित्व ₹ 6,278.47 करोड़[51] था।

राज्य सरकार ने यूपीपीसीएल को निर्देशित किया (जुलाई 2020) कि कोविड–19 लॉकडाउन अवधि के दौरान विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा विद्युत आपूर्ति बनाये रखने के लिए कोषों की उपलब्धता के लिए यूपीपीसीएल ₹ 20,940 करोड़ तक ऋण लेगा (अर्थात् राज्य सरकार द्वारा यूपीपीसीएल[52] को देय बकाया सब्सिडी) और राज्य सरकार इस ऋण का पुनर्भुगतान 2021–22 से प्रारम्भ करते हुए अगले 10 वर्षों में करेगी। वर्ष 2020–21 में यूपीपीसीएल ने विद्युत वित्त निगम (पीएफसी) और ग्रामीण विद्युतीकरण कम्पनी (आरईसी) प्रत्येक से ₹ 10,470 करोड़ का ऋण लिया। वर्ष 2021–22 के दौरान वित्तीय संस्थानों से यूपीपीसीएल द्वारा लिए गए ऋण के पुनर्भुगतान के लिए राज्य सरकार ने अपने बजट में से मूल धनराशि ₹ 2,000 करोड़ के भुगतान के लिए सहायता प्रदान की है।

डिस्कॉम में भारी हानियों और राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के भुगतान में देरी के कारण, यूपीपीसीएल विद्युत आपूर्तिकर्ताओं को अपने देयकों का भुगतान नहीं कर सका।

---

[51] उदय योजना (2016–17 से 2020–21) के अंतर्गत प्राप्य हानि प्रतिपूर्ति हेतु सब्सिडी ₹ 12,049.49 करोड़ थी जिसके सापेक्ष ₹ 3,571.20 करोड़ 2019–20 के दौरान राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत था और वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए बजट में ₹ 2,200 करोड़ का प्रावधान था।

[52] उदय योजना के अंतर्गत हानि प्रतिपूर्ति सब्सिडी (₹ 6,278.47 करोड़) प्लस टैरिफ सब्सिडी (₹ 14,661.54 करोड़)।

विगत तीन वर्षों के दौरान यूपीपीसीएल के विरूद्ध विद्युत आपूर्तिकर्ताओं की देय राशि का विस्तृत विवरण **तालिका 5.9** में दिया गया है।

तालिका 5.9: विद्युत की आपूर्ति के सम्बन्ध में यूपीपीसीएल के विरूद्ध बकाया देय

(₹ करोड़ में)

विद्युत आपूर्तिकर्ताओं के नाम	31 मार्च 2020 को बकाया देय	31 मार्च 2021 को बकाया देय	31 मार्च 2022 को बकाया देय
केंद्र/राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनियाँ	16,939.14	17,491.93	13,752.23
विद्युत पारेषण कम्पनियाँ	1584.62	525.83	249.39
स्वतंत्र विद्युत उत्पादनकर्ता	13,102.50	7,561.55	9,519.95
कैप्टिव पॉवर प्लांट (रिएक्टिव एनर्जी)	14.65	11.30	19.67
गैर–अनुसूचित आन्तरिक परिवर्तन (यू आई)	503.50	412.75	176.62
योग	**32,144.41**	**26,003.36**	**23,717.86**

इस प्रकार, 31 मार्च 2020 को, यूपीपीसीएल द्वारा विद्युत के क्रय के सापेक्ष विद्युत उत्पादन कम्पनियों का बकाया देय ₹ 32,144.41 करोड़ था जो कि 31 मार्च 2022 को घटकर ₹ 23,717.86 करोड़ था।

5.6 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्यवाही

राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2008–09 से लगातार तैयार की जा रही है और राज्य विधायिका को प्रस्तुत किया जा रहा है। लोक लेखा समिति द्वारा इन प्रतिवेदनों पर अभी चर्चा की जानी है।

5.7 निष्कर्ष

- 31 मार्च 2022 को, 114 पीएसयू में कुल निवेश (अंश पूंजी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 2,91,784.80 करोड़ था। इनमें से राज्य सरकार का निवेश ₹ 1,61,953.64 करोड़ था, अंश पूंजी के रूप में ₹ 1,56,354.90 करोड़ और ₹ 5,598.74 करोड़ दीर्घावधि ऋण के रूप में था। राज्य सरकार की अंश पूंजी ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू एवं ऊर्जा क्षेत्र के इतर पीएसयू में क्रमशः ₹ 1,45,389.99 करोड़ एवं ₹ 10,964.61 करोड़ थी। राज्य सरकार द्वारा दीर्घावधि ऋण अग्रिम ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू एवं ऊर्जा क्षेत्र के इतर पीएसयू में क्रमशः ₹ 433.92 करोड़ एवं ₹ 5,164.82 करोड़ थी।
- 31 मार्च 2022 को, 42 राज्य पीएसयू (40 सरकारी कम्पनियाँ और दो सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ) अकार्यरत थी जिसमें राज्य सरकार का पूंजी के रूप में (₹ 370.53 करोड़) और दीर्घावधि ऋण (₹ 383.44 करोड़) कुल निवेश ₹ 753.97 करोड़ था। इनमें से, महत्वपूर्ण निवेश उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल्स कार्पोरेशन लिमिटेड (₹ 289.15 करोड़), उत्तर प्रदेश सीमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (₹ 193.05 करोड़) और उ.प्र. राज्य यार्न कम्पनी लिमिटेड (₹ 120.03 करोड़) में था। अग्रेतर, राज्य सरकार ने दो अकार्यरत पीएसयू को ₹ 33.94 करोड़ की बजटीय सहायता दी जो अपना संचालन पहले ही बन्द कर चुके थे।
- 31 मार्च 2022, को राज्य पीएसयू के अभिलेखों और वित्त लेखाओं में उनके प्रकटन के अनुसार 74 पीएसयू के सम्बन्ध में अंश पूंजी, ऋण और प्रत्याभूतियों के आँकड़ों में अंतर विद्यमान थे। आंकड़ो के मध्य ये अंतर विगत कई वर्षों से निरंतर आ रहे हैं, यद्यपि मामले को विगत वर्ष एसएफएआर में प्रतिवेदित किया गया था।

- 72 कार्यरत पीएसयू में से, केवल 11 पीएसयू ने अपने लेखे वर्ष 2021–22 के लिए प्रस्तुत किये थे और शेष 61 पीएसयू के 308 लेखे बकाया थे। 42 अकार्यरत पीएसयू में से 40 पीएसयू के 698 लेखे बकाया थे और शेष दो पीएसयू के परिसमापन में जाने की तिथि तक कोई लेखे बकाया नहीं थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने ₹ 8,610.52 करोड़ (अंश पूंजी : ₹ 3,467.07 करोड़, ऋण : ₹ 1,187.47 करोड़, अनुदान : ₹ 3,542.47 करोड़ और सब्सिडी : ₹ 413.51 करोड़) 38 पीएसयू को प्रदान किये थे, जिस अवधि के दौरान उनके लेखे बकाया थे।
- 12 पीएसयू का निवल मूल्य संचित हानियों के कारण पूर्णरूप से क्षरण हो चुका था। इन पीएसयू का ₹ 1,37,042.52 करोड़ के अंश पूंजी निवेश के सापेक्ष निवल मूल्य (-) ₹ 62,785.26 करोड़ था।

5.8 *संस्तुतियाँ*

- *राज्य सरकार 29 अकार्यरत पीएसयू की स्थिति की समीक्षा कर सकती है जो अपना संचालन बन्द कर चुके हैं और इन पीएसयू में सावधनीपूर्वक निवेश करें।*
- *उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त विभाग एवं सम्बन्धित पीएसयू को पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे के अनुसार अंश पूंजी, ऋण एवं बकाया प्रत्याभूतियों के आँकड़ो में अंतर का समयबद्ध तरीके से मिलान करना चाहिए।*
- *प्रशासनिक विभागों को पीएसयू के बकाया लेखों को समाप्त करने हेतु सख्ती से अनुश्रवण एवं आवश्यक निर्देश निर्गत करने चाहिए और पीएसयू के लेखों को तैयार करने में बाधाओं के समाधान हेतु आवश्यक कदम उठाना चाहिए।*

तान्या सिंह

लखनऊ
दिनांक 16 जून 2023

(तान्या सिंह)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा–II),
उत्तर प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक 20 JUN 2023

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

परिशिष्टियाँ

परिशिष्ट 1.1

(प्रस्तर 1.1 में संदर्भित)

उत्तर प्रदेश राज्य के सामान्य आँकड़े

क्रम सं0	विवरण		आँकड़े
1	क्षेत्र		2,40,928 वर्ग किमी.
2	जनसंख्या		
	अ. जनगणना 2011 (1 मार्च 2011 को)		19.98 करोड़
	ब. वर्ष 2022 के लिए अनुमानित (1 मार्च 2022 को)		23.33 करोड़
3	दशकीय जनसंख्या वृद्धि[1] (2012–2022)	उत्तर प्रदेश	14.89 *प्रतिशत*
		अखिल भारतीय (संघ शासित प्रदेशों सहित)	12.12 *प्रतिशत*
4	साक्षरता (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 73 प्रतिशत)		67.7 *प्रतिशत*
5	शिशु मृत्यु दर[2] (प्रति 1000 जीवित जन्म) (अखिल भारतीय औसत = 28 प्रति 1000 जीवित जन्म)		38
6	जन्म पर जीवन प्रत्याशा[3] (अखिल भारतीय औसत = 70 वर्ष)		66 वर्ष
7	मौजूदा कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)।		₹ 18,63,221 करोड़
8	प्रति व्यक्ति जीएसडीपी चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) (2012–13 से 2021–22)	उत्तर प्रदेश	7.86
		अखिल भारतीय (संघ शासित प्रदेशों सहित)	8.86
9	जीएसडीपी सीएजीआर (2012–13 से 2021–22)	उत्तर प्रदेश	9.51
		अखिल भारतीय (संघ शासित प्रदेशों सहित)	10.11
10	गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या (बीपीएल)[4] [4] (2011–12) (अखिल भारतीय औसत = 21.92 प्रतिशत)		29.43 *प्रतिशत*

1 राज्य की अनुमानित जनसंख्या मार्च 2012 में 20.31 करोड़ से बढ़कर मार्च 2022 में 23.33 करोड़ हो गई; भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमान 2011–2036, जनसंख्या अनुमानों पर तकनीकी समूह का प्रतिवेदन की तालिका 8 (जुलाई 2020), राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग।

2 सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) बुलेटिन, मई 2022 (वर्ष 2020 के लिए), भारत के रजिस्ट्रार जनरल का कार्यालय।

3 भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त, के कार्यालय द्वारा प्रकाशित एसआरएस आधारित संक्षिप्त जीवन तालिका 2016–20 (अक्टूबर 2022)।

4 भारतीय रिजर्व बैंक की भारतीय अर्थव्यवस्था 2021–22 पर सांख्यिकी की पुस्तिका (तालिका 151)।

परिशिष्ट 2.1

(प्रस्तर 2.2 में सन्दर्भित)

राज्य सरकार के वित्त के समयबद्ध आँकड़े

(₹ करोड़ में)

(कोष्ठक में दर्शाये गये आंकड़े प्रत्येक उप–शीर्ष के योग का प्रतिशत दर्शाते हैं)

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
भाग अ –प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ जिसमें	**2,78,775**	**3,29,978**	**3,66,393**	**2,96,176**	**3,71,011**
(i) स्वयं के कर राजस्व जिसमें	97,393(35)	1,20,122(36)	1,22,826(34)	1,19,897(40)	1,47,368(40)
राज्य वस्तु एवं सेवाकर	25,374(26)	46,108(38)	47,232(38)	42,860(36)	54,594(37)
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	31,113(32)	23,798(20)	20,517(17)	22,127(18)	27,058(18)
राज्य आबकारी	17,320(18)	23,927(20)	27,325(22)	30,061(25)	36,320(25)
वाहनों पर कर	6,404(7)	6,929(6)	7,715(6)	6,483(5)	7,776(5)
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	13,398(14)	15,733(13)	16,070(13)	16,475(14)	20,048(14)
भू–राजस्व	1,336(1)	631(1)	504(0.41)	297(0.25)	193(0.13)
विद्युत पर कर और शुल्क	2,124 (2)	2,978 (2)	3,453(3)	1,587(1)	1,366(1)
अन्य कर	324(0.33)	18(0.01)	10(0.01)	7(0.01)	13(0.01)
(ii) करेतर राजस्व	19,795(7)	30,101(9)	81,705(22)	11,846(4)	11,436(3)
(iii) केन्द्रीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश	1,20,939(43)	1,36,766(42)	1,17,818(32)	1,06,687(36)	1,60,358(43)
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	40,648(15)	42,989(13)	44,044(12)	57,746(20)	51,849(14)
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियां	**0**	**0**	**0**	**0**	0
3. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	**236**	**5,313**	**5,641**	**1,135**	**939**
4. कुल राजस्व एवं गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियां (1+2+3)	**2,79,011**	**3,35,291**	**3,72,034**	**2,97,311**	**3,71,951**[5]
5. लोक ऋण प्राप्तियां जिसमें	**47,417**	**51,595**	**73,809**	**86,859**	**75,751**
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	43,381(92)	50,791(98)	72,554(98)	78,677(91)	65,003(86)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत लेन–देन	2,933(6)	0	0	0	0
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम[6]	1,103(2)	804(2)	1,255(2)	8,182(9)	10,748(14)
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (4+5)	**3,26,428**	**3,86,886**	**4,45,843**	**3,84,170**	**4,47,702**
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियां	**258**	**230**	**662**	**0**	**700**
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	**3,20,471**	**3,80,994**	**3,70,692**	**3,64,493**	**4,27,452**

[5] 2021–22 के दौरान, राजस्व प्राप्तियां ₹ 3,71,011.44 करोड़ तथा ऋण एवं अग्रिमों का वसूली ₹ 939.43 करोड़ था। इसलिये कुल राजस्व एवं गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियां ₹ 3,71,950.87 करोड़ थी।

[6] वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 में जी0एस0टी0 क्षतिपूर्ति निधि की कमी के लिये, बिना राज्य के पुनर्भुगतान के दायित्व के भारत सरकार से प्राप्त बैक–टू–बैक ऋण क्रमशः ₹ 6,007 करोड़ एवं ₹ 8,140 करोड़ इसमें सम्मिलित है।

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
9. राज्य की कुल प्राप्तियां (6+7+8)	**6,47,157**	**7,68,110**	**8,17,197**	**7,48,663**	**8,75,853**
भाग ब–व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय जिसमें	**2,66,224(87)**	**3,01,728(81)**	**2,98,833(83)**	**2,98,543(85)**	**3,37,581(82)**
सामान्य सेवाएं (ब्याज भुगतान सहित)	1,05,782(40)	1,31,057(44)	1,17,675(39)	1,19,057(40)	1,33,521(39)
सामाजिक सेवाएं	84,252(32)	91,312(30)	1,03,849(35)	1,09,727(37)	1,20,987(36)
आर्थिक सेवाएं	64,635(24)	67,259(22)	62,809(21)	55,551(19)	66,573(20)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	11,555(4)	12,100(4)	14,500(5)	14,208(5)	16,500(5)
11. पूँजीगत व्यय जिसमें	**39,088(13)**	**62,463(17)**	**59,998(16)**	**52,237(15)**	**71,443(17)**
सामान्य सेवाएं	2,776(7)	3,419(5)	2,495(4)	1,523(3)	2,357(3)
सामाजिक सेवाएं	11,625(30)	10,589(17)	10,515(18)	12,386(24)	18,569(26)
आर्थिक सेवाएं	24,687(63)	48,455(78)	46,988(78)	38,328(73)	50,517(71)
12. ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण	**1,509(0)**	**6,303(2)**	**2,120(1)**	**1,153(0.32)**	**1,613(0.39)**
13. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**0**	**0**	**0**	**0**	**600(0.15)**
14. कुल व्यय (10+11+12+13)s	**3,06,821**	**3,70,494**	**3,60,951**	**3,51,933**	**4,11,237**
15. लोक ऋण से पुनर्भुगतान	**15,002**	**20,717**	**22,401**	**26,778**	**28,726**
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	10,528(70)	19,080(92)	20,695(92)	25,174(94)	27,132(94)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत लेनदेन	2,933(20)	0	0	0	0
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	1,541(10)	1,637(8)	1,706(8)	1,604(6)	1,594(6)
16. समेकित निधि से कुल संवितरण (14+15)	**3,21,823**	**3,91,211**	**3,83,352**	**3,78,711**	**4,39,963**
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	**413**	**396**	**32**	**100**	**0**
18. लोक लेखे संवितरण	**3,14,384**	**3,61,072**	**4,39,282**	**3,59,643**	**4,23,011**
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	**6,36,620**	**7,52,679**	**8,27,666**	**7,38,454**	**8,62,974**
भाग स–घाटा/ अधिशेष					
20. राजस्व घाटा (–)/ राजस्व अधिशेष (+) (1-10)	**(+)12,552**	**(+)28,250**	**(+)67,560**	**(-)2,367**	**(+)33,430**
21. राजकोषीय घाटा (–)/ राजकोषीय अधिशेष (+) (4-14)	**(-)27,810**	**(-)35,203**	**(+)11,083**	**(-)54,622**	**(-)39,286**
22. प्राथमिक घाटा (–)/ राजकोषीय अधिशेष (+) (21+23)	**(+)1,326**	**(-)3,161**	**(+)45,896**	**(-)17,194**	**(+)3,589**
23. ब्याज भुगतान (मुख्य शीर्ष 2049 के अन्तर्गत राजस्व व्यय में सम्मिलित)	**29,136**	**32,042**	**34,813**	**37,428**	**42,876**

परिशिष्ट 2.2

(प्रस्तर 2.4.2 में सन्दर्भित)

वर्ष 2017–22 की अवधि में स्वयं का कर/करेतर राजस्व का संग्रह

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22 बजट अनुमान	वास्तविक 2021–22
(अ) वर्ष 2017–22 की अवधि में स्वयं का कर राजस्व						
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	25,374	46,108	47,232	42,860	73,285	54,594
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	31,113	23,798	20,517	22,127	31,100	27,058
राज्य आबकारी	17,320	23,927	27,325	30,061	41,500	36,320
वाहनों पर कर	6,404	6,929	7,715	6,483	9,350	7,776
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	13,398	15,733	16,070	16,475	25,500	20,048
भू–राजस्व	1,336	631	504	297	860	193
विद्युत पर कर एवं शुल्क	2,124	2,978	3,453	1,587	4,750	1,366
अन्य कर	324	18	10	7	0	13
योग (अ)	**97,393**	**1,20,122**	**1,22,826**	**1,19,897**	**1,86,345**	**1,47,368**
(ब) वर्ष 2017-22 की अवधि में करेतर राजस्व						
ब्याज प्राप्तियां, लाभांश एवं लाभ	1,124	1,888	1,508	1,220	2,200	1,462
सामान्य सेवायें	6,806	15,366	73,484	2,239	3,012	1,959
सामाजिक सेवायें	1,571	872	978	1,046	1,733	1,107
आर्थिक सेवायें	10,294	11,975	5,735	7,341	18,477	6,908
योग (ब)	**19,795**	**30,101**	**81,705**	**11,846**	**25,422**	**11,436**
महायोग (अ+ब)	**1,17,188**	**1,50,223**	**2,04,531**	**1,31,743**	**2,11,767**	**1,58,804**

परिशिष्ट 2.3

(प्रस्तर 2.7.8.3 में सन्दर्भित)

31 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक निजी सहभागिता(पी0पी0पी0) पर आधारित पूर्ण/क्रियान्वयनाधीन परियोजनाओं का विवरण

क्रम सं0	विभाग का नाम/परियोजना का नाम	परियोजना की अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)
	औद्योगिक विकास विभाग	
1	यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण –यमुना एक्सप्रेसवे	13,782.00
	लोक निर्माण विभाग	
2	उ.प्र. राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (यूपीएसएचए)–बरेली–अल्मोड़ा–बागेश्वर मार्ग (एस.एच.–37)	355.00
3	उ.प्र. राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (यूपीएसएचए)–वाराणसी–शक्तिनगर मार्ग (एस.एच.–5ए)	1,211.96
4	उ.प्र. राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (यूपीएसएचए)–मुजफ्फरनगर–सहारनपुर वाया देवबन्द मार्ग (एस.एच.–59)	752.88
	पर्यटन विभाग	
5	पर्यटक आवास गृहों/इकाईयों को लीज कम डेवलपमेंट मैनेजमेंट तथा मैनेजमेंट कान्ट्रैक्ट के माध्यम से संचालित एवं विकसित करना–राही पर्यटक आवास गृह–रामगढ़ ताल, देवरिया, महोबा, मथुरा एवं पलिया	88.80
6	उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण स्थानों–राधारानी मंदिर, बरसाना मथुरा, देवांगना, चित्रकूट, विन्ध्यवासिनी अष्टभुजा से कालीखोह, मिर्जापुर पर रोपवे की स्थापना	34.56
	परिवहन विभाग	
7	विकास एवं प्रबन्धन व्यवस्था परियोजना के अन्तर्गत आलमबाग बस टर्मिनल, लखनऊ का विकास एवं प्रबन्धन	204.00
8	विकास एवं प्रबन्धन व्यवस्था परियोजना के अन्तर्गत उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के 23 बस स्टेशनों का विकास एवं प्रबन्धन	3,665.00
	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग	
9	आवास बन्धु–लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ में अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट अकादमी की स्थापना	360.00
	सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग	
10	उ. प्र. इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड–आई0टी0सिटी, लखनऊ	1,500.00
	ऊर्जा विभाग	
11.	उ. प्र. पावर कारपोरेशन लिमिटेड–बारा तापीय परियोजना, प्रयागराज	11,500.00
12.	उ. प्र. पावर कारपोरेशन लिमिटेड–करछना तापीय परियोजना, प्रयागराज	10,605.31
13.	उ. प्र. पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड–765/400के0वी0ए0आइ0एस0 उपकेंद्र मैनपुरी के साथ 765 के0वी0 एकल पथ बारा–मैनपुरी लाइन के निर्माण तथा तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण स्कीम	5,158.91
14.	उ. प्र. पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड–765/400के0वी0ए0आइ0एस0 उपकेंद्र हापुड़ एवं ग्रेटर नोयडा के साथ 765 के0वी0 एकल पथ मैनपुरी–हापुड़ एवं मैनपुरी–ग्रेटर नोयडा लाइन के निर्माण तथा तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण स्कीम	4,706.49
15	उ. प्र. पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड–3×660 मेगावाट घाटमपुर विद्युत तापीय परियोजना से ऊर्जा निकासी हेतु टी.बी.सी.बी आधार पर पारेषण तंत्र का निर्माण	2,570.60
16.	उ. प्र. पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड–2×660 मेगावाट ओबरा सी विद्युत तापीय परियोजना से ऊर्जा निकासी हेतु पारेषण तंत्र तथा 400 के0 वी0 जी0आई0एस0 उपकेंद्र, बदायूं एवं सम्बन्धित पारेषण लाइनों का निर्माण	843.21

क्रम सं0	विभाग का नाम/परियोजना का नाम	परियोजना की अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)
17.	उ. प्र. पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड–2×660 मेगावाट जवाहरपुर विद्युत तापीय परियोजना से ऊर्जा निकासी हेतु पारेषण तंत्र तथा 400 के0 वी0 जी0आई0एस0 उपकेंद्र, फिरोजाबाद एवं सम्बन्धित पारेषण लाइनों का निर्माण	608.12
18.	उ. प्र. पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0–765के0 वी0 जी0आई0एस0 उपकेंद्र, रामपुर तथा 400 के0 वी0 जी0आई0एस0 उपकेंद्र, सम्भल (सम्बन्धित लाइन सहित) का निर्माण	1035.25
19.	उ. प्र. पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0–765के0 वी0 जी0आई0एस0 उपकेंद्र, मेरठ तथा 400 के0 वी0 जी0आई0एस0 उपकेंद्र, सिम्भौली (सम्बन्धित लाइन सहित) का निर्माण	1223.25
20	उ. प्र. पावर कारपोरेशन लि0–आगरा शहर इनपुट बेस्ड पारेषण फ्रेन्चाइजी	360.00
21.	उ. प्र. पावर कारपोरेशन लि0–विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना	1,715.78
22.	उ. प्र. पावर कारपोरेशन लि0–रोजा तापीय परियोजना	3,112.51
23.	उ. प्र. पावर कारपोरेशन लि0–रोजा विस्तार तापीय परियोजना	3,098.60
24	उ. प्र. पावर कारपोरेशन लि0–अनपरा–सी तापीय परियोजना	4,845.00
25.	उ. प्र. पावर कारपोरेशन लि0–बजाज तापीय परियोजना	2,448.02
26.	उ. प्र. पावर कारपोरेशन लि0–ललितपुर तापीय परियोजना	14,916.00
27.	उ. प्र. जल विद्युत निगम लि0–निरगाजनी लघु जल विद्युत परियोजना, मुजफ्फरनगर	108.43
28.	उ. प्र. जल विद्युत निगम लि0–सलावा लघु जल विद्युत परियोजना, मेरठ	54.55
	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	
29.	एस0पी0एम0यू0–एन0आर0एच0एम0–100 बेड मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विंग(25 जिलों में)	49.00
30.	एस0पी0एम0यू0–एन0आर0एच0एम0–108 सेवा	1,000.00
31.	एस0पी0एम0यू0–एन0आर0एच0एम0–102 सेवा	1,200.00
32.	परिवार नियोजन अनुभाग–हौसला साझेदारी	13.49
33.	एस0पी0एम0यू0–एन0आर0एच0एम0–डायलिसिस (फेस 1,2 एवं 3)	73.30
34	एस0पी0एम0यू0–एन0आर0एच0एम0–सी0टी0 स्कैन (केटेगरी–1)	66.06
35	एस0पी0एम0यू0–एन0आर0एच0एम0– सी0टी0 स्कैन (केटेगरी–2)	45.00
36	एस0पी0एम0यू0–एन0आर0एच0एम0–टेलीमेडिसीन (वीडियो कन्सल्टेशन)	3.00
37	एस0पी0एम0यू0–एन0आर0एच0एम0–टेलीरेडियोलॉजी	19.14
38	एस0पी0एम0यू0–एन0आर0एच0एम0–-बॉयोमेडिकल इक्यूपमेंट मेंटीनेन्स	72.29
	नगर विकास विभाग	
39	म्यूनिसिपल सॉलेड वेस्ट मैनेजमेंट योजना, कानपुर	56.24
40	म्यूनिसिपल सॉलेड वेस्ट मैनेजमेंट योजना, लखनऊ	52.83
41	म्यूनिसिपल सॉलेड वेस्ट मैनेजमेंट योजना, आगरा	30.84
42	म्यूनिसिपल सॉलेड वेस्ट मैनेजमेंट योजना, प्रयागराज	30.41
43	म्यूनिसिपल सॉलेड वेस्ट मैनेजमेंट योजना, वाराणसी	48.58
44	म्यूनिसिपल सॉलेड वेस्ट मैनेजमेंट योजना, मथुरा	9.51
45	म्यूनिसिपल सॉलेड वेस्ट मैनेजमेंट योजना, मुरादाबाद	13.16
46	म्यूनिसिपल सॉलेड वेस्ट मैनेजमेंट योजना, अलीगढ़	16.07

क्रम सं0	विभाग का नाम/परियोजना का नाम	परियोजना की अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)
47	म्यूनिसिपल सॉलेड वेस्ट मैनेजमेंट योजना, मुजफ्फरनगर	6.58
48	म्यूनिसिपल सॉलेड वेस्ट मैनेजमेंट योजना, मिर्जापुर	11.01
49	म्यूनिसिपल सॉलेड वेस्ट मैनेजमेंट योजना, जौनपुर	12.20
50	म्यूनिसिपल सॉलेड वेस्ट मैनेजमेंट योजना, सम्भल	6.55
51	म्यूनिसिपल सॉलेड वेस्ट मैनेजमेंट योजना, इटावा	5.82
52	म्यूनिसिपल सॉलेड वेस्ट मैनेजमेंट योजना, रायबरेली	8.78
53	म्यूनिसिपल सॉलेड वेस्ट मैनेजमेंट योजना, बदायूं	5.78
54	म्यूनिसिपल सॉलेड वेस्ट मैनेजमेंट योजना, फतेहपुर	9.38
55	म्यूनिसिपल सॉलेड वेस्ट मैनेजमेंट योजना, बलिया	6.82
56	म्यूनिसिपल सॉलेड वेस्ट मैनेजमेंट योजना, मैनपुरी	4.28
57	म्यूनिसिपल सॉलेड वेस्ट मैनेजमेंट योजना, कन्नौज	4.62
58	म्यूनिसिपल सॉलेड वेस्ट मैनेजमेंट योजना, बाराबंकी	5.25
59	म्यूनिसिपल सॉलेड वेस्ट मैनेजमेंट योजना, पिलखुवा	8.98
60	म्यूनिसिपल सॉलेड वेस्ट मैनेजमेंट योजना, बरेली	13.86
	नागरिक उड्डयन विभाग	
61	नोएडा इण्टरनेश्नल एयरपोर्ट, जेवर	29,561.00
	योग	**1,23,334.06**

परिशिष्ट 2.4

(प्रस्तर 2.8.2 में सन्दर्भित)

वर्ष 2021–22 में आरक्षित निधियों का विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	प्रारम्भिक शेष	प्राप्ति	संवितरण	अन्तिम शेष
ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ				
8115-मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	**(-) 4,441.57**	**0.00**	**0.00**	**(-) 4,441.57**
105- मूल्यह्रास आरक्षित निधि–निवेश खाता	(-) 4,441.57	0.00	0.00	(-) 4,441.57
8121- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ	**1,50,525.55**	**4,71,180.93**	**2,01,861.35**	**4,19,845.13**
101- सरकारी वाणिज्यिक विभागों/उपक्रमों की सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ	0.00	9.68	0.00	9.68
122- राज्य आपदा अनुक्रिया निधि	0.00	4,67,525.50	1,65,966.07	3,01,559.43
129- राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि (एससीएएफ)	1,50,525.55	3,645.75	35,895.28	1,18,276.02
योग–ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ	**1,50,525.55**	**4,71,180.93**	**2,01,861.35**	**4,19,845.13**
निवेश	**(-) 4,441.57**	**0.00**	**0.00**	**(-) 4,441.57**
ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ				
8222-निक्षेप (सिंकिंग) निधि	**0.00**	**2,00,000.00**	**2,00,000.00**	**0.00**
01-ऋण 01 – ऋण घटाने या उसके परिहार के लिये विनियोजन **101-निक्षेप निधि**	1,00,000.00	2,00,000.00	0.00	3,00,000.00
02-निक्षेप निधि–निवेश लेखा **101-निक्षेप निधि–निवेश लेखा**	(-)1,00,000.00	0.00	2,00,000.00	(-) 3,00,000.00
8223-अकाल राहत निधि	**(-) 78.01**	**0.00**	**0.00**	**(-) 78.01**
102- अकाल राहत निधि–निवेश लेखा	(-) 78.01	0.00	0.00	(-) 78.01
8225-सड़कें एवं सेतु निधि	**25,815.81**	**3,30,000.00**	**3,00,000.00**	**55,815.81**
101- राज्य सड़क तथा सेतु निधि	25,815.81	3,30,000.00	3,00,000.00	55,815.81
8226-मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	**(-) 1,719.53**	**2,000.00**	**891.20**	**(-) 610.73**
102- सरकारी अवाणिज्यिक विभागों की मूल्यह्रास आरक्षित निधि	(-) 1,719.53	2,000.00	891.20	(-) 610.73
8229-विकास एवं कल्याण निधि	**76,114.50**	**0.00**	**11.09**	**76,103.41**
101- शिक्षा प्रयोजनों के लिए विकास निधि	4,249.32	0.00	11.09	4,238.23
106- औद्योगिक विकास निधि	100.00	0.00	0.00	100.00
109- सहकारी विकास निधि	0.01	0.00	0.00	0.01
200- अन्य विकास तथा कल्याण निधि	71,765.17	0.00	0.00	71,765.17
8235-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ	**1,51,982.56**	**(-)1,08,214.72**	**2,901.43**	**40,866.41**

विवरण		प्रारम्भिक शेष	प्राप्ति	संवितरण	अन्तिम शेष
101- सरकारी वाणिज्यिक विभागों/उपक्रमों की सामान्य आरक्षित निधियाँ		8,240.03	5,768.97	0.00	14,009.00
111- राज्य आपदा अनुक्रिया निधि (राज्य न्यूनीकरण निधि में अवशेष ₹ 1,000 लाख को सम्मिलित करते हुए)		1,24,101.03	(-)1,24,101.03	0.00	0.00
200- अन्य निधियाँ		19,641.50	10,117.34	2,901.43	26,857.41
योग–ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ		**3,52,193.34**	**4,23,785.28**	**3,03,803.72**	**4,72,174.90**
निवेश		**(-)1,00,078.01**	**0.00**	**2,00,000.00**	**(-)3,00,078.01**
महायोग	**आरक्षित निधियाँ**	**5,02,718.89**	**8,94,966.21**	**5,05,665.07**	**8,92,020.03**
	निवेश	**(-)1,04,519.58**	**0.00**	**2,00,000.00**	**(-)3,04,519.58**

टिप्पणी: इस परिशिष्ट में उल्लिखित ऋणात्मक आँकड़े डेबिट अवशेष को इंगित करते हैं।

परिशिष्ट–3.1

(प्रस्तर 3.2.3 में संदर्भित)

वर्ष 2021-22 के दौरान एकमुश्त बजटीय प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	अनुदान सं0	लेखा शीर्ष	मतदेय/ भारित	विवरण	प्रावधान	व्यय	प्रतिशत
1	1	4059-01 - 051-03	मतदेय	आबकारी विभाग के कार्यालय एवं गोदामों के निर्माण हेतु एकमुश्त प्रावधान	0.61	0.36	59.02
2	9	2045-103-04	मतदेय	उत्तर प्रदेश विधुत नियामक आयोग के गठन हेतु एकमुश्त प्रावधान	14.61	14.61	100.00
3	11	2071-01 - 117-07	मतदेय	एन.पी.एस. के अंतर्गत आने वाले कृषि विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों का दिनांक 31.03.2019 तक शेष नियोक्ता अंशदान का एकमुश्त भुगतान	14.00	6.46	46.14
4	25	4070-800-09	मतदेय	नव निर्मित जिलों में जेलों के निर्माण हेतु भूमि कय हेतु एकमुश्त प्रावधान	50.00	0.00	0.00
5	40	2575-06 - 101-03	मतदेय	सोलर लाइट/सोलर पंप/सोलर पावर फेंसिंग के लिए एकमुश्त प्रावधान	1.00	0.15	15.00
6	40	2575-06 - 102-03	मतदेय	समितियों के गठन /उपकरणों/ मशीनों/ सज्जा के लिए एकमुश्त प्रावधान	0.10	0.00	0.00
7	40	2575-06 - 105-04	मतदेय	कौशल विकास मिशन के लिए एकमुश्त प्रावधान	0.05	0.00	0.00
8	40	2575-06 - 105-05	मतदेय	फलों और सब्जियों/मसालों के विकास के लिए एकमुश्त प्रावधान	0.05	0.00	0.00
9	40	2575-06 - 800-04	मतदेय	समीक्षा, प्रशिक्षण और मूल्यांकन के लिए एकमुश्त प्रावधान	0.50	0.00	0.00
10	40	4575-06 - 101-03	मतदेय	पशु चिकित्सालय/पशु सेवा केन्द्रों के निर्माण/विस्तार हेतु एकमुश्त प्रावधान	0.30	0.07	23.33
11	40	4575-06 - 102-03	मतदेय	जलापूर्ति कार्यक्रम के लिए एकमुश्त प्रावधान	20.00	8.98	44.90
12	40	4575-06 - 106-03	मतदेय	ग्रामीण विधुतीकरण के लिए एकमुश्त प्रावधान	0.03	0.00	0.00
13	40	4575-06 - 201-03	मतदेय	विद्यालय भवन की चहारदीवारी के निर्माण/विस्तार हेतु एकमुश्त प्रावधान	3.50	2.74	78.29
14	40	4575-06-337-03	मतदेय	सड़कों के लिए एकमुश्त प्रावधान	25.00	18.88	75.52
15	40	4575-06 - 800-03	मतदेय	सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उपकेन्द्र भवनों के निर्माण/ विस्तार हेतु एकमुश्त प्रावधान	4.00	2.72	68.00

क्र0 सं0	अनुदान सं0	लेखा शीर्ष	मतदेय/ भारित	विवरण	प्रावधान	व्यय	प्रतिशत
16	40	4575-06 - 800-04	मतदेय	होम्योपैथी चिकित्सालयों के भवन निर्माण/विस्तार हेतु एकमुश्त प्रावधान	0.01	0.00	0.00
17	40	4575-06 - 800-06	मतदेय	आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु एकमुश्त प्रावधान	0.75	0.73	97.33
18	40	4575-06 - 800-09	मतदेय	सी.सी. सड़कों और के.सी. नालों के निर्माण के लिए एकमुश्त प्रावधान	18.00	16.01	88.94
19	40	4575-06 - 800-10	मतदेय	बाढ़ शरणालय के निर्माण हेतु एकमुश्त प्रावधान	0.05	0.37	740.00
20	40	4575-06 - 800-11	मतदेय	मिनी स्टेडियम के निर्माण के लिए एकमुश्त प्रावधान	1.00	0.97	97.00
21	40	4575-06 - 800-12	मतदेय	अनुसूचित जनजाति आश्रम पद्धति विद्यालय परिसर के चहारदीवारी एवं परिसर में सड़क के निर्माण हेतु एकमुश्त प्रावधान	0.05	0.00	0.00
22	40	4575-06 - 800-13	मतदेय	शौचालय निर्माण के लिए एकमुश्त प्रावधान	2.00	0.30	15.00
23	40	4575-06 - 800-14	मतदेय	हेरीटेज कार्य निर्माण के लिये एकमुश्त प्रावधान	0.75	0.00	0.00
24	40	4575-06 - 800-15	मतदेय	पर्यटन स्थल विकास हेतु निर्माण/ विस्तार/जीर्णोद्धार आदि के लिये एकमुश्त प्रावधान	1.30	0.17	13.08
25	40	4575-06 - 800-16	मतदेय	किसान/शेड/गौशाला का निर्माण /विस्तार आदि के लिए एकमुश्त प्रावधान	0.50	0.11	22.00
26	48	2071-01 - 117-07	मतदेय	सहायता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों के एनपीएस से आच्छादित कर्मचारियों के दिनांक 31.03.2019 तक के अवशेष नियोक्ता अंशदान का एकमुश्त भुगतान	1.00	0.00	0.00
27	50	4059-01 - 051-02	मतदेय	प्रदेश के मण्डल/जनपद/तहसीलों के अनावासीय भवनों के नवनिर्माण/ विस्तार/पुनर्निर्माण/सुदृढ़ीकरण एवं भूमि क्रय हेतु एकमुश्त प्रावधान	21.01	2.95	14.04
28	58	5054-03 - 337-13	मतदेय	एकमुश्त प्रावधान	784.00	266.34	33.97
29	58	5054-04 - 337-13	मतदेय	एकमुश्त प्रावधान	2,476.01	2,617.75	105.72
30	58	5054-04 - 337-66	मतदेय	कृषि विपणन सुविधाओ हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गो/लघु सेतुओं के नये कार्यो हेतु एकमुश्त प्रावधान (नाबार्ड पोषित) (जिला योजना)	100.00	21.28	21.28

क्र0 सं0	अनुदान सं0	लेखा शीर्ष	मतदेय/ भारित	विवरण	प्रावधान	व्यय	प्रतिशत
31	58	5054-04 - 337-83	मतदेय	नाबार्ड वित्त पोषित आर.आई.डी.एफ. योजना के अर्न्तगत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख/अन्य जिला मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण के चालू कार्यों हेतु एकमुश्त प्रावधान	700.00	537.76	76.82
32	58	5054-04 - 337-86	मतदेय	नाबार्ड वित्त पोषित आर.आई.डी.एफ. योजना के अर्न्तगत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख/अन्य जिला मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण के नये कार्यों हेतु एकमुश्त प्रावधान	200.00	90.37	45.19
33	58	5054-80 - 800-05	मतदेय	सूचना प्रौद्योगिकी के प्रबंधन और नियोजन के कार्यों हेतु एकमुश्त प्रावधान	11.00	6.97	63.36
34	59	4059-80 - 051-03	मतदेय	अनावासीय भवनों के जीर्णोद्धार एवं जल वितरण कार्य हेतु एकमुश्त प्रावधान	0.50	0.00	0.00
35	61	2049-04 - 101-03	भारित	ऋण हेतु एकमुश्त प्रावधान	128.64	128.64	100.00
36	61	6004-09 - 101-03	भारित	ऋण हेतु एकमुश्त प्रावधान	276.09	276.09	100.00
37	62	2071-01 - 117-07	मतदेय	एनपीएस से आच्छादित सरकारी कर्मचारियों के दिनांक 31.03.2019 तक के अवशेष नियोक्ता अंशदान का एकमुश्त भुगतान	2,400.00	0.06	0.00
38	75	2071-01 - 117-07	मतदेय	एनपीएस से आच्छादित सरकारी कर्मचारियों के दिनांक 31.03.2019 तक के अवशेष नियोक्ता अंशदान का एकमुश्त भुगतान	0.10	0.00	0.00
39	83	5054-03 - 789-05	मतदेय	राज्य के प्रमुख/अन्य जिला मार्गों के कार्यों हेतु एकमुश्त प्रावधान	150.00	55.81	37.21
40	83	5054-04 - 789-19	मतदेय	रेलवे उपरिगामी/अधोगामी सेतुओ के निर्माण के नये कार्यो के लिए एकमुश्त प्रावधान	84.84	32.11	37.85
41	83	5054-04 - 789-27	मतदेय	कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण संपर्क मार्गों/लघु सेतुओ के चालू कार्यों हेतु एकमुश्त प्रावधान (नाबार्ड पोषित) (जिला योजना)	20.00	19.30	96.50
42	84	2075-800-03	मतदेय	अशोक चक्र श्रृंखला के अन्तर्गत उल्लिखित पुरस्कारों से विभूषित किये जाने वाले उ0 प्र0 के नागरिकों को नकद पुरस्कार के रूप में एकमुश्त धनराशि	3.00	1.86	62.00

क्र0 सं0	अनुदान सं0	लेखा शीर्ष	मतदेय/ भारित	विवरण	प्रावधान	व्यय	प्रतिशत
43	87	2075-104-04	मतदेय	वीर चक्र श्रृंखला के विजेताओं को राज्य सरकार का एकमुश्त नकद पुरस्कार/ अनुदान	1.00	0.60	60.00
44	87	2075-104-05	मतदेय	वार सेना मेडल के पुरस्कार प्राप्त उ0 प्र0 के एवं सीमा सुरक्षा बल के सैनिकों को एकमुश्त सैनिक नकद पुरस्कार	1.38	1.38	100.00
45	87	2075-104-07	मतदेय	विशिष्ट सेवा मेडल श्रृंखला के पदक विजेताओं को एकमुश्त अनुदान	0.96	0.96	100.00
46	91	4059-01 - 800-03	मतदेय	स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग के कार्यालय भवनों के निर्माण हेतु एकमुश्त प्रावधान	1.00	1.00	100.00
47	94	4701-97 - 051-10	मतदेय	नहरों पर क्षतिग्रस्त स्थायी निर्माण जैसे पूल आदि के रखरखाव के लिये एकमुश्त व्यवस्था	100.00	66.23	66.23
48	94	4711-01 - 103-03	मतदेय	सीमान्त बांधों के लिये एकमुश्त प्रावधान (राज्य सेक्टर)	3.18	0.25	7.86
49	95	2701-02-001-05	मतदेय	कार्यकारी अधिष्ठान (सिंचाई विभाग के कार्यप्रभारितों/दैनिक वेतन भोगियों के कार्मिको हेतु एकमुश्त प्रावधान)	25.00	25.67	102.68
50	95	2701-02 - 001-07	मतदेय	कार्यकारी अधिष्ठान (सिंचाई विभाग के कार्यशालाओं के कार्मिकों हेतु एकमुश्त प्रावधान)	49.76	34.45	69.23
		योग			**7,696.63**	**4,261.46**	**55.37**

परिशिष्ट–3.2

(प्रस्तर 3.2.6 में संदर्भित)

2021-22 के बजट अभिलेख में केन्द्रीय योजनाओं/केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के वित्त पोषण पद्धति विवरण में (केन्द्रांश/राज्यांश/वित्तीय संस्थायें) उल्लेख नहीं किया जाना

(₹ करोड़ में)

अनुदान सं0 और नाम	लेखा शीर्ष	कार्यक्रम का नाम	धनराशि
003–उद्योग विभाग (लघु उद्योग और निर्यात प्रोत्साहन)	2851-102-01-0103	लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना	32.00
017–कृषि और अन्य संबद्ध विभाग (मत्स्य)	2405-101-01-0102	नीली क्रांति समेकित विकास एवं मत्स्य योजना का प्रबंधन	3.00
021–खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	4059-60-051-01-0102	द्वितीय मानक प्रयोगशाला/ कैलिब्रेशन टावर्स का निर्माण	12.00
037–नगरीय विकास विभाग	2217-05-191-01-0102	जे.एन.एन.यू.आर.एम. की योजनाओं हेतु सहायता	15.00
	2230-02-101-01-0101	राज्य स्तर पर एक प्रकोष्ठ का गठन	0.12
	4216-02-800-01-0101	राजीव आवास योजना	25.00
042–न्यायिक विभाग	4059-01-051-01-0110	माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ पीठ के लिए नए भवनों का निर्माण	150.00
044–पर्यटन विभाग	5452-80-104-01-0109	प्रासाद योजनान्तर्गत चिन्हित स्थलों में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का सृजन	20.64
047–प्राविधिक शिक्षा विभाग	4202-02-105-01-0105	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) के अन्तर्गत प्राविधिक संस्थानों की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण	6.00
049–महिला एवं बाल कल्याण विभाग	4235-02-102-01-0127	आँगनबाड़ी केंद्रों का उन्नयन	100.00
075–शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	4202-01-201-01-0104	03 जनपदों (गाजियाबाद, अमेठी और कासगंज) में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	5.00
081–समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	4202-01-796-01-0108	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	0.12
083–समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना)	4202-01-789-01-0108	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	3.00
092–संस्कृति विभाग	2205-800-01-0101	कला एवं संस्कृति की शिक्षा, लोक परंपराओं का वीडियो अभिलेखीकरण मेधावी छात्रों एवं वृद्ध कलाकारों के लिये आर्थिक सहायता योजना	0.25
		योग	**372.13**

परिशिष्ट–3.3

(प्रस्तर 3.2.6 में संदर्भित)

उन प्रकरणों का विवरण जहाँ केन्द्रीय योजनाओं/केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में वित्त पोषण प्रतिरूप में कुल केन्द्रांश और राज्यांश 100 प्रतिशत से अधिक/कम या अन्य वित्तीय संस्थान/अनुदानकर्ता के वित्त पोषण अंश का उल्लेख नहीं है।

(₹ करोड़ में)

अनुदान सं0 और नाम	लेखा शीर्ष	कार्यक्रम का नाम	धनराशि
011–कृषि और अन्य संबद्ध विभाग (कृषि)	2401-114-01-0101	नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन (ओ.एस./टी.बी.ओ.) (सी 60%/एस 60%)	21.40
037–नगरीय विकास विभाग	2217-03-191-01-0102	लघु एवं मध्यम शहरों के लिये शहरी अवसंरचना विकास योजना (सी 80% + एस 10%)	25.00
045–पर्यावरण विभाग	3435-04-103-01-0101	अपशिष्ट निस्तारण सुविधाओं की स्थापना और अनाधिकृत अपशिष्ट जल निस्तारण स्थलों का उपचार (सी 0%/एस 50%)	2.00
047–प्राविधिक शिक्षा विभाग	4202-02-105-01-0102	पी.पी.पी. प्रारूप पर आई.आई.आई.टी. की स्थापना (सी.50%/एस .35%)	10.00
049–महिला एवं बाल कल्याण विभाग	2235-02-103-01-0104	उज्वला योजना (सी.60%/एस.30%)	1.50
083–समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना)	2401-789-01-0110	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (ओ.एस./टी.बी.ओ.) (सी 60%/एस .60%)	3.40
योग			**63.30**

परिशिष्ट–3.4

(प्रस्तर 3.3.3 में संदर्भित)

वर्ष 2021-22 के दौरान प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड़ से अधिक बचत वाली अनुदानें

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	प्रावधान	व्यय	बचत	अभ्यर्पण को छोड़कर बचत
		राजस्व मतदेय				
1	2	आवास विभाग	494.42	246.93	247.49	247.49
2	3	उद्योग विभाग (लघु उद्योग और निर्यात प्रोत्साहन)	855.63	608.10	247.53	247.53
3	7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	6,254.52	3,631.14	2,623.38	987.55
4	9	ऊर्जा विभाग	24,018.64	20,531.11	3,487.53	3,487.53
5	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	5,779.57	4,254.25	1,525.32	1,525.32
6	12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	740.86	86.91	653.95	653.95
7	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	3,475.58	3,072.40	403.18	368.72
8	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	13,123.15	11,511.52	1,611.63	1,611.63
9	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुपालन)	2,166.02	1,776.35	389.67	389.67
10	17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	360.94	149.13	211.81	211.81
11	26	गृह विभाग (पुलिस)	27,282.01	23,251.35	4,030.66	4,030.66
12	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	4,304.94	3,957.04	347.90	347.90
13	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	8,076.76	6,139.20	1,937.56	1,937.56
14	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	1,235.25	892.22	343.03	343.03
15	34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी)	546.66	421.84	124.82	124.82
16	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	7,923.68	6,349.69	1,573.99	1,573.99
17	36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	956.64	577.11	379.53	379.53
18	37	नगर विकास विभाग	19,666.21	12,827.61	6,838.60	6,838.60
19	40	नियोजन विभाग	287.23	163.69	123.54	123.54
20	41	निर्वाचन विभाग	792.94	585.32	207.62	207.62
21	42	न्याय विभाग	3,046.64	2,032.56	1,014.08	1,014.08

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	प्रावधान	व्यय	बचत	अभ्यर्पण को छोड़कर बचत
22	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	2,393.48	1,255.78	1,137.70	1,137.70
23	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	9,791.35	7,596.05	2,195.30	2,195.30
24	50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	1,222.07	885.79	336.28	336.28
25	51	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	3,591.86	3,362.48	229.38	229.38
26	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	4,644.84	3,454.89	1,189.95	1,189.95
27	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	2,871.78	900.23	1,971.55	1,971.55
28	59	लोक निर्माण विभाग (राज्य संपदा निदेशालय)	353.08	232.58	120.50	120.50
29	61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	17,809.23	17,202.13	607.10	607.10
30	62	वित्त विभाग (अधिवर्षता भत्ते तथा पेंशन)	63,194.52	48,649.63	14,544.89	14,544.89
31	69	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	956.11	645.91	310.20	310.20
32	70	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	522.07	312.25	209.82	180.17
33	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	57,634.97	43,665.37	13,969.60	13,969.60
34	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	13,378.05	10,363.85	3,014.20	3,014.20
35	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	3,316.62	2,556.62	760.00	760.00
36	76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	4,497.20	2,296.39	2,200.81	2,200.81
37	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	997.60	688.44	309.16	308.39
38	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	17,378.71	10,326.49	7,052.22	7,052.09
39	89	संस्थागत वित्त विभाग	1,122.75	835.89	286.86	286.86
40	91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं निबंधन)	419.47	289.88	129.59	129.59
41	93	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति	625.96	391.58	234.38	234.38
42	94	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	5,405.56	4,890.60	514.96	514.96
43	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	5,329.15	3,811.42	1,517.73	1,517.73
		योग (राजस्व मतदेय)	**3,48,844.72**	**2,67,679.72**	**81,165.00**	**79,464.16**
पूँजीगत मतदेय						
1	2	आवास विभाग	2,856.12	1,710.90	1,145.22	1,145.22
2	7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	12,146.14	6,591.70	5,554.44	5,534.92
3	9	ऊर्जा विभाग	10,503.84	10,214.05	289.79	289.79

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	प्रावधान	व्यय	बचत	अभ्यर्पण को छोड़कर बचत
4	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	536.14	313.00	223.14	223.14
5	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	13,936.32	8,330.44	5,605.88	5,605.38
6	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	405.95	180.99	224.96	224.96
7	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुपालन)	194.81	58.34	136.47	136.47
8	21	खाद्य तथा रसद विभाग	17,602.05	11,202.59	6,399.46	6,384.21
9	25	गृह विभाग (कारागार)	333.73	77.97	255.76	255.76
10	26	गृह विभाग (पुलिस)	2,968.74	1,707.39	1,261.35	1,261.35
11	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	4,405.79	2,503.40	1,902.39	1,902.39
12	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	2,355.50	418.84	1,936.66	1,936.66
13	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	946.96	134.91	812.05	812.05
14	36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	190.65	59.88	130.77	130.77
15	37	नगर विकास विभाग	400.77	142.34	258.43	258.43
16	40	नियोजन विभाग	3,898.51	1,623.77	2,274.74	1,151.37
17	42	न्याय विभाग	2,281.66	462.09	1,819.57	1,819.57
18	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	196.90	66.57	130.33	130.33
19	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	614.41	105.84	508.57	508.57
20	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	255.66	71.90	183.76	183.76
21	57	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सेतु)	2,462.43	2,092.63	369.80	369.80
22	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)	15,278.83	12,259.73	3,019.10	3,019.10
23	61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	755.09	637.04	118.05	118.05
24	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	487.32	204.38	282.94	282.94
25	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	338.14	150.27	187.87	183.60
26	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	12,984.20	8,928.94	4,055.26	4,053.30
27	84	सामान्य प्रशासन विभाग	651.41	334.55	316.86	316.86

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	प्रावधान	व्यय	बचत	अभ्यर्पण को छोड़कर बचत
28	93	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति	12,056.55	2,430.03	9,626.52	9,626.52
29	94	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	8,159.75	3,721.48	4,438.27	4,438.27
		योग	**1,30,204.37**	**76,735.96**	**53,468.41**	**52,303.54**
योग (राजस्व मतदेय + पूँजीगत मतदेय)			**4,79,049.09**	**3,44,415.68**	**1,34,633.41**	**1,31,767.70**
राजस्व भारित						
1	42	न्याय विभाग	681.53	514.62	166.91	166.91
2	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)	150.10	5.05	145.05	145.05
3	61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	41,599.14	40,177.81	1,421.33	1,421.33
योग			**42,430.77**	**40,697.48**	**1,733.29**	**1,733.29**
पूँजीगत भारित						
1	61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	34,438.53	24,285.36	10,153.17	10,153.17
योग			**34,438.53**	**24,285.36**	**10,153.17**	**10,153.17**
योग (राजस्व भारित + पूँजीगत भारित)			**76,869.30**	**64,982.84**	**11,886.46**	**11,886.46**
महायोग			**5,55,918.39**	**4,09,398.52**	**1,46,519.87**	**1,43,654.16**

परिशिष्ट–3.5

(प्रस्तर 3.3.4 में संदर्भित)

अनुदान जिसमें विगत पांच वर्षों (2017-2022) के दौरान लगातार बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक थी

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	अनुदान सं0	अनुदान का नाम	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
राजस्व मतदेय							
1	11	कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (कृषि)	14,633.26	888.77	1,078.24	1,655.00	1,525.32
2	13	कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (ग्रामीण विकास)	573.19	575.80	648.55	903.83	403.18
3	15	कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (पशुपालन)	214.55	310.75	223.83	412.87	389.67
4	26	गृह विभाग (पुलिस)	1,215.29	374.07	1,809.86	5,594.62	4,030.66
5	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	867.16	1,282.19	1,935.09	2,514.99	1,937.56
6	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	228.86	336.93	331.55	330.70	343.03
7	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	858.14	719.19	988.46	592.63	1,573.99
8	36	चिकित्सा विभाग (लोक स्वास्थ्य)	100.12	184.56	261.71	333.35	379.53
9	37	नगर विकास विभाग	5,574.84	3,451.60	8,753.97	3,890.80	6,838.60
10	42	न्याय विभाग	482.06	473.88	813.17	967.23	1,014.07
11	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	1,088.19	1,034.01	1,081.21	1,086.58	1,137.70
12	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	2,247.92	2,464.72	3,554.23	4,417.62	2,195.30
13	51	राजस्व विभाग (दैवीय विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	816.86	1,370.92	532.44	2,289.91	229.38
14	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	416.46	468.34	1,547.59	1,134.72	1,189.95
15	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	996.61	1,769.10	1,878.77	2,497.34	1,971.55
16	60	वन विभाग	156.45	188.34	245.90	334.84	347.56
17	69	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	185.31	101.54	124.91	303.76	310.20
18	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	17,493.77	14,921.22	14,407.71	13,745.25	13,969.60
19	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	620.44	379.82	1,502.17	3,151.50	3,014.20
20	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	451.39	761.39	342.64	813.80	760.00
21	80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	702.81	776.69	139.51	214.52	384.92
22	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	5,573.74	4,085.46	4,255.67	4,486.13	7,052.22
23	95	सिंचाई विभाग (स्थापना)	701.41	906.14	1,344.21	1,618.46	1,517.73
योग			**56,198.83**	**37,825.43**	**47,801.39**	**53,290.45**	**52,515.92**

क्र0 सं0	अनुदान सं0	अनुदान का नाम	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
पूँजीगत (मतदेय)							
1	13	कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (ग्रामीण विकास)	5,179.06	9,278.13	9,371.66	7,380.90	5,605.88
2	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	225.40	204.87	344.64	267.39	1,936.66
3	40	नियोजन विभाग	354.32	251.01	1,021.53	897.57	2,274.74
4	42	न्याय विभाग	855.26	983.23	1,377.26	1,687.20	1,819.57
5	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	106.53	314.54	368.09	691.54	508.57
योग			**6,720.57**	**11,031.78**	**12,483.18**	**10,924.60**	**12,145.42**
महायोग (राजस्व मतदेय + पूँजीगत मतदेय)			**62,919.40**	**48,857.21**	**60,284.57**	**64,215.05**	**64,661.34**

परिशिष्ट–3.6

(प्रस्तर 3.3.5 में संदर्भित)

जिन योजनाओं में अनुपूरक प्रावधान का उपयोग नहीं किया जा सका

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	अनुदान संख्या	विभाग का नाम	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	व्यय	बचत
				2021–22					
				राजस्व मतदेय					
1.	14	कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (पंचायती राज)	2515-101-01	केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	1,816.72	120.00	1,936.72	493.70	1,443.02
2.			2515-101-89	केन्द्र प्रायोजित योजनाओं हेतु राज्य का उचित अंश	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00
3.	22	खेल विभाग	2204-001-03	खेलकूद निदेशालय	52.11	1.25	53.36	39.57	13.79
4.			2204-104-06	क्रीड़ा छात्रावास के आवासीय खिलाड़ियों पर व्यय (बालकों हेतु)	5.60	2.45	8.05	0.07	7.98
5.			2204-104-23	स्पोर्ट्स कालेज को अनुदान	18.68	4.12	22.80	9.86	12.94
6.	26	गृह विभाग (पुलिस)	2055-110-03	ग्रामीण पुलिस अधिष्ठापन	348.43	47.88	396.31	186.97	209.34
7.	67	विधान परिषद सचिवालय	2011-02-103-03	विधान परिषद सचिवालय	40.88	2.53	43.41	32.64	10.77
8.	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	2202-01-102-23	शिक्षा मित्रों को मानदेय का भुगतान (जिला योजना)	163.00	123.55	286.55	149.02	137.53
9.			2202-01-111-89	केन्द्र प्रायोजित योजनाओं हेतु राज्य का उचित अंश	0.00	30.55	30.55	0.00	30.55
कुल राजस्व मतदेय					**2,445.42**	**412.33**	**2,857.75**	**911.83**	**1,945.92**
				पूँजीगत मतदेय					
1.	7	उद्योग विभाग (भारी और मध्यम उद्योग)	5054-03-337-10	बलिया लिंक एक्सप्रेस वे परियोजना	50.00	50.00	100.00	0.00	100.00
2.	9	ऊर्जा विभाग	4801-06-190-06	दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत विद्युत वितरण कार्यों हेतु अंशपूँजी	395.00	300.00	695.00	121.97	573.03

क्र0 सं0	अनुदान संख्या	विभाग का नाम	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	व्यय	बचत
3.	13	कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	4515-102-02	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना	3,827.84	40.62	3,868.46	2,177.74	1,690.72
4.	41	निर्वाचन विभाग	4059-01-051-04	ई.वी.एम./वी.वी. पैट के संग्रहण हेतु गोदाम का निर्माण	12.50	3.00	15.50	9.61	5.89
5.	67	विधान परिषद सचिवालय	4070-800-01	केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	0.00	4.94	4.94	0.00	4.94
6.			4070-800-89	केन्द्र प्रायोजित योजनाओं हेतु सम्बंधित राज्य का अंश	0.00	3.29	3.29	0.00	3.29
योग (पूँजीगत मतदेय)					**4,285.34**	**401.85**	**4,687.19**	**2,309.32**	**2,377.87**
योग (राजस्व मतदेय + पूँजीगत मतदेय)					**6,730.76**	**814.18**	**7,544.94**	**3,221.15**	**4,323.79**

परिशिष्ट–3.7
(प्रस्तर 3.3.6 में संदर्भित)
अनावश्यक पुनर्विनियोजन

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	अनुदान सं0	लेखा शीर्ष	मूल प्रावधान	पुनर्विनियोजन	योग	व्यय	बचत
1	1	2039-राज्य उत्पाद शुल्क 001-निदेशन तथा प्रशासन 05- डिस्टिलरीज़	219.80	3.00	222.80	202.84	19.96
2	2	2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें 800-अन्य व्यय 03-विहित अधिकारियों का अधिष्ठान	10.43	0.02	10.45	7.30	3.15
3	6	2851-ग्राम तथा लघु उद्योग 108-बिजली करघा उद्योग 04-पावरलूम बुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति	250.00	51.36	301.36	250.00	51.36
4	8	2058- लेखन सामग्री एवं मुद्रण 001- निदेशन तथा प्रशासन 03- अधिष्ठान (मुख्यालय)	56.42	3.00	59.42	56.06	3.36
5	8	2058-लेखन सामग्री एवं मुद्रण 103- प्रशासन एवं निदेशन 06-सरकारी मुद्रणालय, रामपुर	8.76	0.04	8.80	7.56	1.24
6	10	2406-वानिकी तथा वन्य जीवन 02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन 112-सार्वजनिक उद्यान 03-उद्यान	44.72	0.56	45.28	38.05	7.23
7	10	2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा 80-सामान्य 004-अनुसंधान 06-अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र	17.64	0.11	17.75	12.62	5.13
8	11	2401-फसल कृषि कर्म 111-कृषि अर्थव्यवस्था तथा सांख्यिकी 04-कृषि विभाग में कृषि सांख्यिकी तथा प्रबन्ध व्यवस्था के संबंध में कम्प्यूटराइजेशन का अध्ययन एवं डिजाइन तैयार करना	0.33	0.01	0.34	0.29	0.05
9	11	2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा 01-फसल कृषि कर्म 004-अनुसंधान 03-उर्वरक नियंत्रण आदेश, बीज एवं कीटनाशक अधिनियमों के अन्तर्गत लिये गये नमूनों के विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला	0.64	0.01	0.65	0.62	0.03

क्र0 सं0	अनुदान सं0	लेखा शीर्ष	मूल प्रावधान	पुनर्विनियोजन	योग	व्यय	बचत
10	11	2435-अन्य कृषि कार्यक्रम 01-विपणन तथा गुणवत्ता नियंत्रण 101-विपणन सुविधायें 04-बाजार विनियमन एवं प्रशिक्षण केन्द्र	3.91	0.02	3.93	3.68	0.25
11	13	2515-अन्य ग्राम विकास क्रार्यक्रम 102-सामुदायिक विकास 03-मुख्य अधिष्ठान	890.30	3.04	893.34	750.88	142.46
12	15	2403-पशु पालन 101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य 09-बहुउद्देश्यीय सचल पशु चिकित्सा सेवायें (राज्य योजना)	28.32	0.19	28.51	28.10	0.41
13	15	2403-पशु पालन 106-अन्य पशुधन विकास 03-राज्य पशुधन एवं कृषि सम्बन्धी प्रक्षेत्र	61.17	2.79	63.96	58.55	5.41
14	23	2401-फसल कृषि कर्म 001-निदेशन तथा प्रशासन 03-गन्ना आयुक्त का अधिष्ठान	14.88	0.05	14.93	11.12	3.81
15	23	2401- फसल कृषि कर्म -001-निदेशन तथा प्रशासन -04- क्षेत्रीय कार्यालय	8.64	0.14	8.78	8.34	0.44
16	25	4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय- 800- अन्य व्यय-16- प्रदेश के कारागारों एवं जनपद न्यायलयों में वीडियो कान्फ्रेन्सिंग प्रणाली की स्थापना	0.00	0.98	0.98	0.00	0.98
17	26	2055- पुलिस -001- निदेशन और प्रशासन-03-मुख्य	48.48	0.90	49.38	30.49	18.89
18	26	2055- पुलिस- 003- शिक्षा और प्रशिक्षण- 04- शिक्षा और प्रशिक्षण मुख्य	291.85	1.90	293.75	168.40	125.35
19	26	2055-पुलिस -101- आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता -03- अभिसूचना विभाग मुख्य	349.13	27.57	376.70	304.74	71.96
20	26	2055-पुलिस 101- आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता-04- अनुसंधान अनुभाग	419.79	18.88	438.67	349.74	88.93
21	26	2055-पुलिस -104- विशेष पुलिस - 03- राज्य शस्त्र कान्सटेबुलरी– मुख्य	3,114.63	167.97	3,282.60	2,926.68	355.92

क्र0 सं0	अनुदान सं0	लेखा शीर्ष	मूल प्रावधान	पुनर्विनियोजन	योग	व्यय	बचत
22	26	2055-पुलिस -104- विशेष पुलिस -06- इन्डिया रिजर्व वाहिनी का गठन	76.16	0.23	76.39	68.81	7.58
23	26	2055-पुलिस -104- विशेष पुलिस -07- उत्तर प्रदेश विशेष परिक्षेत्र सुरक्षा वाहिनी	49.81	0.14	49.95	48.55	1.40
24	26	2055-पुलिस 108-राज्य मुख्यालय पुलिस- 03-राज्य पुलिस मुख्यालय	110.76	0.15	110.91	89.83	21.08
25	26	2055-पुलिस 109- जिला पुलिस -04- राज्य रेडियो अनुभाग–मुख्य	505.99	6.25	512.24	331.24	181.00
26	26	2055-पुलिस 109- जिला पुलिस -15- वूमेन पावर लाइन -1090	6.92	0.23	7.15	4.79	2.36
27	26	2055-पुलिस 111- रेलवे पुलिस -03- मुख्य	504.59	3.65	508.24	385.41	122.82
28	26	2055-पुलिस 113- पुलिस कार्मिकों का कल्याण -04- चिकित्सालय व्यय	69.08	0.40	69.48	47.26	22.22
29	26	2055-पुलिस 114- बेतार और कम्प्यूटर - 03- पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र	179.54	1.35	180.89	142.63	38.26
30	26	2055-पुलिस 115- पुलिस बल का आधुनिकीकरण - 03- राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने वाला व्यय	93.06	0.15	93.21	62.88	30.33
31	26	2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें -108- अग्नि से बचाव तथा नियंत्रण - 03- प्रशासन	519.36	50.45	569.81	471.85	97.96
32	26	2251-सचिवालय–सामाजिक सेवायें -090- सचिवालय-03- नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु मशीनरी का सुदृढ़ीकरण	8.98	0.23	9.21	8.01	1.20
33	26	4055- पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय -207- राज्य पुलिस - 01- केंद्र प्रायोजित योजनायें	647.45	1.24	648.69	63.02	585.67
34	26	4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय -800- अन्य व्यय -09- जिला पुलिस (मुख्य)	57.00	50.00	107.00	42.56	64.44
35	28	2251- सचिवालय सामाजिक सेवायें -200-सचिवालय सामाजिक सेवाएं-03- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन	1.01	0.22	1.23	0.64	0.59
36	31	4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय -	25.00	4.99	29.99	13.10	16.89

क्र0 सं0	अनुदान सं0	लेखा शीर्ष	मूल प्रावधान	पुनर्विनियोजन	योग	व्यय	बचत
		03- चिकित्सीय शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान -105- एलोपैथी -39- गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर					
37	32	2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य -03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं एलोपैथी - 110- अस्पताल तथा औषधालय -10- एलोपैथिक चिकित्सालय और औषधालय	4,157.77	38.00	4,195.77	3,553.77	642.00
38	33	2210- चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य -02-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं–अन्य चिकित्सा पद्धतियॉ -101- आर्युवेद -04- विभागीय औषधि विनिर्माण	16.42	1.50	17.92	14.12	3.81
39	39	2202- सामान्य शिक्षा -05- भाषा विकास -102- आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा साहित्य का संवर्धन -08- उ0 प्र0 पंजाबी अकादमी को अनुदान	1.21	0.03	1.24	1.18	0.06
40	40	3454- जनगणना सर्वेक्षण तथा सांखिकी -02- सर्वेक्षण तथा सांखिकी -001- निदेशन तथा प्रशासन -04- स्टेट स्ट्रेटेजिक स्टेटिस्टिकल प्लान	0.00	0.35	0.35	0.00	0.35
41	40	4575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय -02-पिछड़े क्षेत्र -800- अन्य व्यय -04-बुंन्देलखण्ड की विशेष योजनायें	176.81	48.19	225.00	87.81	137.19
42	41	2015- निर्वाचन -103- निर्वाचक नामावली तैयार करना और मुद्रण -05- निर्वाचन अधिष्ठान व्यय	69.24	0.54	69.78	47.74	22.04
43	42	2014- न्याय प्रशासन-105- सिविल और सेशन न्यायालय -01- केंद्र प्रायोजित योजनाएं	81.80	8.98	90.78	62.07	28.71
44	42	2014- न्याय प्रशासन -105- सिविल और सेशन न्यायालय -09- परिवार न्यायालय	86.89	13.47	100.36	75.31	25.05
45	42	2014- न्याय प्रशासन -105- सिविल और सेशन न्यायालय -15- महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित मामलों का जल्द निपटारा करने के लिये न्यायालयों की स्थापना	28.48	6.25	34.73	23.11	11.62

क्र0 सं0	अनुदान सं0	लेखा शीर्ष	मूल प्रावधान	पुनर्विनियोजन	योग	व्यय	बचत
46	42	2014- न्याय प्रशासन -105- सिविल और सेशन न्यायालय- 16- कामर्शियल कोर्ट	11.15	3.06	14.21	5.31	8.90
47	42	2014- न्याय प्रशासन -114- विधि सलाहकार और परामर्शदाता परिषद -03- महाधिवक्ता	9.21	1.34	10.55	8.26	2.29
48	42	2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण - 60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम - 200- अन्य कार्यक्रम -04- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण	24.40	2.57	26.97	19.53	7.44
49	44	5452- पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय -80-सामान्य- 104- संवर्धन एवं प्रचार -06- वाराणसी में पर्यटन सुविधा का विकास एवं सौन्दर्यीकरण	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00
50	48	2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें -001- निदेशन तथा प्रशासन - 06 -रजिस्ट्रार/निरीक्षक अरबी फारसी मदरसा, उ0 प्र0, प्रयागराज	1.03	0.10	1.13	0.75	0.38
51	49	2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण -02-सामाजिक कल्याण -102- बाल कल्याण - 14- समन्वित बाल विकास योजना	542.00	80.00	622.00	537.94	84.06
52	49	4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय - 02- समाज कल्याण -102- बाल कल्याण -01- केंद्र प्रायोजित योजनाएं	108.00	4.01	112.01	66.90	45.11
53	54	2059- लोक निर्माण कार्य -80- सामान्य - 001- निदेशन तथा प्रशासन - 03- निदेशन	171.02	10.17	181.19	148.72	32.47
54	70	2810-नई नवीकरणीय उर्जा -02- सौर - 101- सौर ताप उर्जा कार्यक्रम- 03-विज्ञान एवं अतिरिक्त उर्जा श्रोत	334.66	5.00	339.66	275.99	63.67
55	72	2071- पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ -01- सिविल -117- निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम के लिये सरकारी अंशदान 03- राज्य सरकार द्वारा अनुदानित माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों/ शिक्षणेत्तर कार्मिकों	373.00	15.00	388.00	346.43	41.57

क्र0 सं0	अनुदान सं0	लेखा शीर्ष	मूल प्रावधान	पुनर्विनियोजन	योग	व्यय	बचत
		के लिये टियर–1 खाते में अंशदान					
56	76	2210- चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य -01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं– एलोपैथी - 102- कर्मचारी राज्य बीमा योजना - 04- क्षेत्रीय कार्यालय	1.23	0.01	1.24	0.88	0.36
57	76	2210- चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य -01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं– एलोपैथी - 102- कर्मचारी राज्य बीमा योजना - 06- औषधालय	85.54	0.11	85.65	79.28	6.37
58	76	2230- श्रम, रोजगार और कौशल विकास -01- श्रम -001- निदेशन तथा प्रशासन -03- श्रमायुक्त का अधिष्ठान	9.59	0.14	9.73	8.50	1.23
59	76	2230- श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास -01-श्रम -101- औद्योगिक संबंध -04- विवादों का निपटारा	66.17	1.45	67.62	60.95	6.67
60	77	2230- श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास -02- रोजगार सेवायें - 001- निदेशन तथा प्रशासन -03- रोजगार निदेशालय	18.07	3.95	22.02	16.61	5.41
61	79	2235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण -02- समाज कल्याण - 101- विकलांग व्यक्तियों का कल्याण -03- मुख्यालय / मंडलीय / जिला कार्यालयों का अधिष्ठान	28.55	0.17	28.72	24.09	4.63
62	81	2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों एवं अल्प संख्यकों का कल्याण -02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण -796- जनजाति क्षेत्र उपयोजना -01- केंद्र प्रायोजित योजनाएं	56.22	0.50	56.72	4.77	51.95
63	81	2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों और अल्प संख्यकों का कल्याण -02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण -796- जनजाति क्षेत्र उपयोजना -17- जनजाति उपयोजना	3.92	0.01	3.93	1.89	2.04

क्र0 सं0	अनुदान सं0	लेखा शीर्ष	मूल प्रावधान	पुनर्विनियोजन	योग	व्यय	बचत
64	83	2211- परिवार कल्याण -789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना -01- केंद्र प्रायोजित योजनाएं	1,298.04	146.30	1,444.34	1,198.62	245.72
65	94	2701- मध्यम सिंचाई -07- केन नहर (वाणिज्यिक) -101- रखरखाव और मरम्मत - 03- अन्य रखरखाव व्यय	5.00	0.35	5.35	4.95	0.40
66	94	2701- मध्यम सिंचाई -19- धसान नहर (वाणिज्यिक) - 101- रखरखाव और मरम्मत - 03- अन्य रखरखाव व्यय	4.00	1.46	5.46	4.00	1.46
67	94	2701- मध्यम सिंचाई 41- चिल्लीमल पंप नहर (वाणिज्यिक) - 101- रखरखाव और मरम्मत - 03- अन्य रखरखाव व्यय	0.50	0.02	0.52	0.50	0.02
68	94	2701- मध्यम सिंचाई 58- क्योलारी बांध/नहरें (व्यावसायिक)- 101- रखरखाव और मरम्मत - 03- अन्य रखरखाव व्यय	0.05	0.17	0.22	0.05	0.17
69	94	4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय -03- जल निकास - 103- सिविल निर्माण कार्य - 03- जल निकास योजनायें (राज्य सेक्टर)	42.40	11.90	54.30	37.16	17.14
70	95	2701- मध्यम सिंचाई -02- प्रमुख सिंचाई (वाणिज्यिक) - 001- निदेशन तथा प्रशासन - 04- कार्यकारी अधिष्ठान	4,191.11	10.50	4,201.61	2,679.40	1,522.21
		योग	**20,698.03**	**818.32**	**21,516.35**	**16,393.73**	**5,122.62**

परिशिष्ट -3.8

(प्रस्तर 3.3.8 में संदर्भित)

योजनायें जिनके लिए मूल प्रावधानों का उपयोग नहीं किया जा सका

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	अनुदान सं0	विभाग का नाम	मुख्य शीर्ष	योजना का नाम	मूल प्रावधान	व्यय	बचत
1.	1	आबकारी विभाग	4047-800-03	राज्य आबकारी शुल्क–पर्यवेक्षण	1.00	0.00	1.00
2.	2	आवास विभाग	4202-04-800-04	गोमती नगर, लखनऊ में जय प्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना	40.00	0.00	40.00
3.			4202-04-800-05	संस्कृति स्कूल, लखनऊ	20.00	0.00	20.00
4.			4216-01-106-03	सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट के टावर्स का निर्माण	25.00	0.00	25.00
5.			4217-60-190-09	वाराणसी, गोरखपुर एवं अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजना	100.00	0.00	100.00
6.	**3**	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	2851-102-17	औधोगिक स्थानन (एम.एस.एम. ई. क्लस्टर पार्क) योजना का क्रियान्वयन	100.00	0.00	100.00
7.			2851-102-29	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति, 2017	10.00	0.00	10.00
8.			2851-800-05	मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना	100.00	0.00	100.00
9.			4851-102-03	उद्यमता विकास संस्थान को इस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेन्स के रूप में विकसित करने के लिए अवस्थापना सुविधाओं का विकास	3.88	0.00	3.88
10.			4851-104-03	संत रविदास नगर (भदोही) में कारपेट बाजार	2.00	0.00	2.00
11.	7	उद्योग विभाग (भारी और मध्यम उद्योग)	2885-60-800-20	नई औद्योगिक नीति	290.86	0.00	290.86
12.			2885-60-800-21	विशेष निवेश बोर्ड	1.00	0.00	1.00
13.			5054-03-337-11	गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस–वे के दोनो तरफ जनपद गोरखपुर में औद्योगिक गलियारा विकसित किये जाने हेतु	200.00	0.00	200.00
14.			5054-03-337-12	आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस–वे की टोल प्राप्तियों के मौद्रीकरण के सापेक्ष गंगा एक्सप्रेस–वे हेतु भूमि क्रय	5,000.00	0.00	5,000.00

क्र0 सं0	अनुदान सं0	विभाग का नाम	मुख्य शीर्ष	योजना का नाम	मूल प्रावधान	व्यय	बचत
15.	11	कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (कृषि)	2071-01-117-09	कृषि विश्वविद्यालयों के एन.पी.एस से आच्छादित कर्मचारियों का अभिदाता अंशदान विलम्ब से जमा कराये जाने पर ब्याज का भुगतान	2.00	0.00	2.00
16.			2401-109-12	कृषक उत्पादक संगठन एंव व्यावसायिक गतिविधियों को प्रोत्साहन की योजना	2.00	0.00	2.00
17.			2401-113-01	केंद्र प्रायोजित योजनाएं	100.00	0.00	100.00
18.			2402-101-06	वर्मी कम्पोस्ट युनिट	10.00	0.00	10.00
19.			4435-01-101-06	उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति का क्रियान्वयन	5.01	0.00	5.01
20.	13	कृषि और अन्य संबद्ध विभाग (ग्राम्य विभाग)	4515-103-06	सामुदायिक विकास–मुख्य अधिष्ठान	3.00	0.00	3.00
21.	14	कृषि और अन्य संबद्ध विभाग (पंचायती राज)	2070-800-07	युवक एवं महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन	20.00	0.00	20.00
22.			2070-800-10	प्रांतीय रक्षक दल के प्रशिक्षण आदि से सम्बंधित व्यय	6.00	0.00	6.00
23.			4515-101-09	प्रत्येक न्याय पंचायत में दो चंद्रशेखर आजाद ग्रामीण विकास सचिवालय की स्थापना	10.00	0.00	10.00
24.	15	कृषि और अन्य संबद्ध विभाग (पशुपालन)	4403-101-01	केंद्र प्रायोजित योजनाएं	3.40	0.00	3.40
25.			4403-101-18	जनपद गोरखपुर एवं भदोही में पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना	50.00	0.00	50.00
26.	16	कृषि और अन्य संबद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	6404-190-08	मथुरा में नवीन डेरी की स्थापना	55.00	0.00	55.00
27.	17	कृषि और अन्य संबद्ध विभाग (मत्स्य)	2405-800-12	मत्स्य पालक कल्याण फण्ड	25.00	0.00	25.00
28.	19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण एवं अन्य व्यय)	4070-003-03	उत्तर प्रदेश प्रशासन तथा प्रबंधन अकादमी	40.00	0.00	40.00
29.	22	खेल विभाग	2204-104-07	उत्तर प्रदेश खेल विकास एवं प्रोत्साहन योजना	8.55	0.00	8.55

क्र0 सं0	अनुदान सं0	विभाग का नाम	मुख्य शीर्ष	योजना का नाम	मूल प्रावधान	व्यय	बचत
30.			2204-104-30	पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन	2.09	0.00	2.09
31.			2204-104-36	एकलव्य क्रीड़ा कोष	25.00	0.00	25.00
32.			4202-03-102-03	जनपद वाराणसी स्थित स्पोर्टस स्टेडियम	3.00	0.00	3.00
33.			4202-03-102-04	वीर बहादुर सिंह स्पोर्टस कालेज, गोरखपुर	5.00	0.00	5.00
34.			4202-03-102-05	जनपद चित्रकूट में स्पोर्टस स्टेडियम	4.00	0.00	4.00
35.			4202-03-102-08	स्पोर्टस स्टेडियम देवरिया में विभिन्न कार्य	1.00	0.00	1.00
36.			4202-03-102-09	डा. भीम राव अम्बेडकर, लालपुर क्रीड़ा संकुल में बालक/बालिकाओ हेतु 100-100 बेडेड छात्रावास भवन	5.00	0.00	5.00
37.			4202-03-800-26	जनपद फैजाबाद में अर्न्तराष्ट्रीय क्रीड़ा संकुल का निर्माण	2.00	0.00	2.00
38.			4202-03-800-48	जनपद कन्नौज में क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण	1.00	0.00	1.00
39.			4202-03-800-60	जनपद चन्दौली में स्टेडियम एवं भूमि क्रय के लिये कार्य	1.00	0.00	1.00
40.			4202-03-800-71	ग्रीन पार्क, कानपुर में छात्रावास का निर्माण	1.00	0.00	1.00
41.			4202-03-800-81	जनपद बलिया में स्पोर्टस कालेज	2.00	0.00	2.00
42.			4202-03-800-86	सैफई में स्टेडियम का निर्माण	1.00	0.00	1.00
43.			4202-03-800-91	सैफई स्पोर्ट्स कालेज, इटावा में अन्तराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण	1.00	0.00	1.00
44.	24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	2852-08-201-08	चीनी उद्योग को जनरेशन एवं आसवनी प्रोत्साहन नीति 2013 के अंतर्गत छूट/ रियायतें	25.00	0.00	25.00
45.			6860-04-190-13	उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शॉहजहॉपुर के कार्मिको की पेंशन निधि हेतु ऋण	4.00	0.00	4.00

क्र0 सं0	अनुदान सं0	विभाग का नाम	मुख्य शीर्ष	योजना का नाम	मूल प्रावधान	व्यय	बचत
46.	25	गृह विभाग (कारागार)	4070-800-09	नवसृजित जनपदों में कारागार के निर्माण हेतु भूमि क्रय के लिये एकमुश्त प्रावधान	50.00	0.00	50.00
47.			4070-800-22	कारागारों में सोलर एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट, हाईमास्ट तथा स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था	10.00	0.00	10.00
48.			4070-800-26	समस्त कारागार	2.00	0.00	2.00
49.	26	गृह विभाग (पुलिस)	2055-109-11	केंद्रीय/वाह्य प्रदेशों के बलों के प्रतिस्थापन हेतु प्रावधान	10.00	0.00	10.00
50.			2055-109-12	स्मार्ट सिटी सर्विलांस सिस्टम	1.00	0.00	1.00
51.			2055-109-19	विटनेस प्रोटेक्शन फंड	4.65	0.00	4.65
52.			2055-116-04	यू.पी. स्टेट इन्स्टीट्यूट आफ फारेन्सिक साइंस, लखनऊ	10.00	0.00	10.00
53.			2235-60-800-03	लोक व्यवस्था प्रभावित करने वाली आतंकवादी घटनायें, अग्निकाण्ड आदि	1.00	0.00	1.00
54.			4055-207-12	जनपदों के यातायात प्रबंधन हेतु सी.सी.टी.वी. एवं सहवर्ती उपकरणों का क्रय	9.00	0.00	9.00
55.			4055-207-21	उत्तर प्रदेश सड़क संरक्षा कोष से व्यय	25.00	0.00	25.00
56.			4055-210-03	यू.पी. पुलिस फारेंसिक विश्वविद्यालय	20.00	0.00	20.00
57.			4055-211-04	लखनऊ में सुरक्षा लाइन की स्थापना	19.45	0.00	19.45
58.			4055-211-13	नव सृजित जनपदों में पुलिस लाइन के निर्माण हेतु भूमि क्रय	100.00	0.00	100.00
59.			4055-800-01	केन्द्र प्रायोजित योजनायें	15.87	0.00	15.87
60.			4070-800-08	राज्य शस्त्र कान्स्टेबुलरी–मुख्य	20.00	0.00	20.00
61.			4070-800-11	अग्नि से बचाव तथा नियंत्रण–प्रशासन	50.00	0.00	50.00
62.			4070-800-24	अग्निशमन केन्द्रों पर सोलर पावर प्लांट का अधिष्ठापन	25.00	0.00	25.00

क्र0 सं0	अनुदान सं0	विभाग का नाम	मुख्य शीर्ष	योजना का नाम	मूल प्रावधान	व्यय	बचत
63.	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	4210-03-105-08	रूरल इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज एन्ड रिसर्च, सैफई, इटावा में पैरा मेडिकल इंस्टीट्ट की स्थापना	7.00	0.00	7.00
64.			4210-03-105-09	किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय	23.00	0.00	23.00
65.			4210-03-105-15	राजकीय मेडिकल कालेजों में हास्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम की स्थापना	5.00	0.00	5.00
66.			4210-03-105-22	जे.के. इन्स्टीट्यूट ऑफ रेडियोलॉजी एण्ड कैंसर रिसर्च, कानपुर	11.00	0.00	11.00
67.			4210-03-105-25	पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर प्रदेश के असेवित जनपदों में मेडिकल कालेज की स्थापना	48.00	0.00	48.00
68.			4210-03-105-26	जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर स्थापित मेडिकल कालेजों से सम्बद्ध चिकित्सालयों का अनुरक्षण/जीर्णोद्धार/सुदढ़ीकरण	20.00	0.00	20.00
69.			4210-03-105-27	राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (एन.डी.एच.एम.)	20.00	0.00	20.00
70.			4210-03-105-76	के.जी.एम.यू. लखनऊ में नेशनल प्रोग्राम फार हेल्थ केयर फार दी एल्डरली	2.50	0.00	2.50
71.			4210-03-105-87	जनपद बलरामपुर में मेडिकल कालेज की स्थापना	25.00	0.00	25.00
72.			6075-800-03	एस.जी.पी.जी.आई, लखनऊ में राज्य कर्मचारियों की चिकित्सा के लिए रिवाल्विंग फण्ड	1.00	0.00	1.00
73.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	2210-01-110-08	जनपद लखनऊ के चिकित्सालयों में ई–हॉस्पिटल पायलट परियोजना	5.00	0.00	5.00
74.			2210-03-110-03	108 ई.एम.टी.एस. स्वास्थ्य सेवा का संचालन	10.00	0.00	10.00
75.			2210-80-800-11	बॉयोमैट्रिक अटेन्डेंस सिस्टम	2.00	0.00	2.00
76.			4210-01-110-04	क्षय रोग रूजालय (क्लीनिक) भवन का निर्माण	1.00	0.00	1.00

क्र0 सं0	अनुदान सं0	विभाग का नाम	मुख्य शीर्ष	योजना का नाम	मूल प्रावधान	व्यय	बचत
77.			4210-01-110-13	जिला पुरूष/महिला चिकित्सालयों में रोगी आश्रय स्थल का निर्माण	1.50	0.00	1.50
78.			4210-01-110-16	अलीगढ़ में 300 शैय्यायुक्त चिकित्सालय भवन का निर्माण	1.00	0.00	1.00
79.			4210-01-110-19	प्लास्टिक सर्जरी एवं बर्न युनिट भवन का निर्माण (जिला योजना)	3.00	0.00	3.00
80.			4210-01-110-24	विधूना औरैया में डा. राम मनोहर लोहिया 50 शैय्यायुक्त नेत्र चिकित्सालय की स्थापना	1.00	0.00	1.00
81.			4210-01-110-55	जनपद लखनऊ में कानपुर रोड पर 300 शैय्यायुक्त संयुक्त चिकित्सालय का निर्माण	1.73	0.00	1.73
82.			4210-01-110-79	डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल चिकित्सालय, लखनऊ परिसर का विस्तर	1.50	0.00	1.50
83.			4210-02-110-07	मिल्कीपुर जनपद अयोध्या में 100 शैय्या चिकित्सालय भवन का निर्माण	1.04	0.00	1.04
84.			4210-80-800-03	15 वां वित्त आयोग	1,497.48	0.00	1,497.48
85.	**34**	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	4210-02-800-03	होम्योपैथिक चिकित्सालय भवनों का निर्माण (जिला योजना)	4.00	0.00	4.00
86.	**35**	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	4210-80-800-03	15 वां वित आयोग	255.54	0.00	255.54
87.			4211-103-800-01	केंद्र प्रायोजित योजनाएं	480.00	0.00	480.00
88.			4211-103-800-03	राज्य, मंडल, जिला एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर के कार्यात्मक वाहन	8.60	0.00	8.60
89.	**36**	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	2210-06-104-01	केंद्र प्रायोजित योजनाएं	11.85	0.00	11.85
90.			2210-06-800-03	नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन (एन.डी.एच.एम.)	2.00	0.00	2.00
91.			4210-80-800-03	15 वां वित्त आयोग	76.53	0.00	76.53

क्र0 सं0	अनुदान सं0	विभाग का नाम	मुख्य शीर्ष	योजना का नाम	मूल प्रावधान	व्यय	बचत
92.	**37**	नगर विकास विभाग	2215-01-101-05	नगरीय पेयजल कार्यक्रमों के निर्माण कार्य हेतु अनुदान	10.00	0.00	10.00
93.			2215-01-101-07	फिरोजाबाद में पेयजल हेतु व्यवस्था	10.00	0.00	10.00
94.			2215-01-190-03	उ.प्र. जल निगम द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम से लिये गये ऋण के प्रतिदान एवं ब्याज के भुगतान हेतु अनुदान	40.00	0.00	40.00
95.			2215-02-106-01	केन्द्रीय आयोजनागत/केंद्र द्वारा पुरोधानित योजनाएं	20.22	0.00	20.22
96.			2217-03-191-01	केंद्र प्रायोजित योजनाएं	25.00	0.00	25.00
97.			2217-03-192-01	केंद्र प्रायोजित योजनाएं	10.00	0.00	10.00
98.			2217-03-193-01	केंद्र प्रायोजित योजनाएं	10.00	0.00	10.00
99.			2217-80-192-08	पार्कों का निर्माण एवं विकास	10.00	0.00	10.00
100.			2217-80-800-03	पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर क्रियान्वित योजनाओं के अन्तर्गत परामर्शी सेवायें	2.00	0.00	2.00
101.			4215-02-800-01	केन्द्रीय आयोजनागत/केंद्र द्वारा पुरोधानित योजनाएं	5.77	0.00	5.77
102.			4217-60-800-03	जनपद गाजियाबाद में प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना	10.00	0.00	10.00
103.	**40**	नियोजन विभाग	2575-02-800-03	बुंन्देल खण्ड विशेष योजनायें	9.51	0.00	9.51
104.			5475-800-05	मुख्यमंत्री समग्र सम्पदा विकास योजना	1,000.00	0.00	1,000.00
105.	**41**	निर्वाचन विभाग	2015-105-04	उप निर्वाचन	5.98	0.00	5.98
106.	**42**	न्याय विभाग	2014-105-20	अधीनस्थ न्यायालयों के वाद अभिलेखों की स्कैनिग एवं डिजिटाइजेशन	17.40	0.00	17.40
107.			2014-105-22	लोक अभियोजकों का प्रशिक्षण	2.97	0.00	2.97
108.			2235-60-200-12	उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति को अनुदान	20.00	0.00	20.00

क्र0 सं0	अनुदान सं0	विभाग का नाम	मुख्य शीर्ष	योजना का नाम	मूल प्रावधान	व्यय	बचत
109.			2235-60-200-13	युवा अधिवक्ताओं के लिए कॉर्पस निधि	5.00	0.00	5.00
110.			4059-01-051-04	माननीय उच्च न्यायालय में निर्माण	6.50	0.00	6.50
111.			4059-01-051-10	उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय भवन का निर्माण	20.00	0.00	20.00
112.			4059-01-051-12	राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों में सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण	20.00	0.00	20.00
113.			4059-01-051-14	दण्ड न्यायालय	1.61	0.00	1.61
114.			4059-01-052-05	माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में 500 के.वी.ए. जेनरेटर का क्रय	20.00	0.00	20.00
115.			4070-800-03	न्यायालय भवनो के निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि का प्रतिकर भुगतान	200.00	0.00	200.00
116.			4070-800-04	जनपद न्यायालय, वाराणसी के नवीन परिसर हेतु भूमि अर्जन	200.00	0.00	200.00
117.			4216-01-700-10	माननीय उच्च न्यायालय के कर्मचारियों के लिए भवनों का निर्माण	100.00	0.00	100.00
118.	**47**	प्राविधिक शिक्षा विभाग	2203-103-01	केंद्र प्रायोजित योजनाएं	3.37	0.00	3.37
119.			2203-104-01	केंद्र प्रायोजित योजनाएं	1.36	0.00	1.36
120.			4202-02-104-01	केंद्र प्रायोजित योजनाएं	41.32	0.00	41.32
121.			4202-104-50	राजकीय पालिटेक्निकों में विभिन्न निर्माण कार्य (जिला योजना)	8.00	0.00	8.00
122.			4202-105-12	जनपद मैनपुरी में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना	4.00	0.00	4.00
123.			4202-105-16	हरकोर्ट बटलर प्रोद्योगिकी संस्थान, कानपुर	2.00	0.00	2.00
124.			4202-105-19	इंजीनियरिंग कॉलेजों में सोलर पावर/लैब उच्चीकरण	2.80	0.00	2.80

क्र0 सं0	अनुदान सं0	विभाग का नाम	मुख्य शीर्ष	योजना का नाम	मूल प्रावधान	व्यय	बचत
125.	**48**	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	2071-01-117-07	सहायता प्राप्त अरबी फारसी मदरसो के एन.पी.एस. से आच्छादित कर्मचारियों के दिनांक 31.03..2019 तक के शेष नियोक्ता अंशदान का एकमुश्त भुगतान	1.00	0.00	1.00
126.			2225-80-800-01	केंद्र प्रायोजित योजनाएं	608.86	0.00	608.86
127.			4235-60-800-03	अल्पसंख्यक समुदाय के कब्रिस्तान/अन्त्येष्टि स्थल की चहारदीवारी का निर्माण	100.00	0.00	100.00
128.	**49**	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	2235-02-102-05	किशोर न्याय निधि	7.00	0.00	7.00
129.			2235-02-103-03	स्टेट रिसोर्स सेन्टर फार वूमेन एण्ड चाइल्ड	1.00	0.00	1.00
130.			2235-02-103-04	परित्यक्त महिलाओ हेतु सहायक अनुदान योजना	10.05	0.00	10.05
131.			2235-02-103-23	स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की मानसिक मंदित महिलाओं हेतु महिला गृहों का संचालन	4.77	0.00	4.77
132.			2235-02-103-24	स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से वृद्ध महिला आश्रमों की स्थापना	6.50	0.00	6.50
133.			2235-02-103-26	निराश्रित महिलाओं के लिए राजकीय आश्रय सदन	3.80	0.00	3.80
134.			4235-02-102-03	परियोजना कार्यालय के सहगोदामों का निर्माण	50.00	0.00	50.00
135.			4235-02-103-04	वृद्धाश्रमों की स्थापना	5.00	0.00	5.00
136.	**50**	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	4070-800-03	कलेक्ट्रेट की स्थापना	8.00	0.00	8.00
137.			4070-800-04	मुख्य कार्यालय	1.00	0.00	1.00
138.	**51**	राजस्व विभाग (दैवीय विपत्तियों के संबंध में राहत)	2245-05-101-04	नेशनल डिजास्टर रेस्पान्स फन्ड से प्राप्त धनराशि का स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फन्ड में अन्तरण	1,000.00	0.00	1,000.00
139.			2245-05-800-05	नेशनल डिजास्टर रेस्पान्स फन्ड से व्यय	1,000.00	0.00	1,000.00

क्र0 सं0	अनुदान सं0	विभाग का नाम	मुख्य शीर्ष	योजना का नाम	मूल प्रावधान	व्यय	बचत
140.			4250-101-05	स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फन्ड से व्यय	2.50	0.00	2.50
141.			4250-101-06	डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मिटिगेशन फन्ड से व्यय	2.50	0.00	2.50
142.			4250-101-07	उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंध प्राधिकरण	25.00	0.00	25.00
143.	**52**	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	2029-103-07	लेखपालों को स्मार्टफोन/लैपटाप दिये जाने हेतु	6.77	0.00	6.77
144.			4059-01-800-04	राजस्व परिषद, लखनऊ/इलाहाबाद के अनावासीय भवनों में विभिन्न निर्माण कार्य	5.00	0.00	5.00
145.			4059-60-051-05	लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालय एवं छात्रावास, गोण्डा का अवशेष कार्य	2.81	0.00	2.81
146.			4059-60-051-06	लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालय, चिनहट का उच्चीकरण	1.00	0.00	1.00
147.			4070-800-01	केंद्र प्रायोजित योजनाएं	61.33	0.00	61.33
148.			4070-800-04	प्रदेश के भू–अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण हेतु राज्यांश	4.55	0.00	4.55
149.			4216-01-700-03	राजस्व परिषद के आवासीय भवन	1.83	0.00	1.83
150.	**55**	लोक निर्माण विभाग (भवन)	4059-80-051-22	प्रदेश के विभिन्न जनपदों में नये अधिकारी हास्टल/ट्राजिट हास्टल का निर्माण	1.07	0.00	1.07
151.	**58**	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन– सड़कें)	3054-80-800-04	न्यायालय की आज्ञाप्तियों का भुगतान	50.05	0.00	50.05
152.			5054-03-800-03	उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण	50.00	0.00	50.00
153.			5054-04-337-07	इण्डो नेपाल बार्डर पर पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव सम्बंधी अनापत्ति प्राप्ति, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं युटिलिटी शिफ्टिंग आदि से सम्बंधित कार्य	10.00	0.00	10.00
154.			5054-80-004-04	अनुसंधान संस्थान तथा क्वालिटी प्रमोशन सेल की प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण/उच्चीकरण	1.00	0.00	1.00

क्र0 सं0	अनुदान सं0	विभाग का नाम	मुख्य शीर्ष	योजना का नाम	मूल प्रावधान	व्यय	बचत
155.	**59**	लोक निर्माण विभाग (राज्य सत्पत्ति निदेशालय)	4059-80-051-04	जवाहर भवन तथा इंदिरा भवन में वातानुकूलन संयंत्र तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपकरणों का उन्नयन/जीर्णोद्धार कार्य	2.00	0.00	2.00
156.			4059-80-051-20	जवाहर भवन तथा इंदिरा भवन में भूमिगत पार्किंग का निर्माण	1.38	0.00	1.38
157.	**61**	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	2049-01-200-03	भारतीय रिजर्व बैंक से लिए गए अल्पकालिक ऋणों पर ब्याज	5.00	0.00	5.00
158.			2075-797-03	गारण्टी रिडम्शन फण्ड	600.00	0.00	600.00
159.			4070-800-03	परियोजनाओं के डी.पी.आर. पर होने वाला व्यय	5.00	0.00	5.00
160.			6003-110-03	अर्थोपाय अग्रिम का प्रतिदान	10,000.00	0.00	10,000.00
161.	**62**	वित्त विभाग (अधिवार्षिकी भत्ते तथा पेंशनें)	2071-01-115-05	अखिल भारतीय सेवा के सेवानिवृत अधिकारियों के अवकाश का नगदीकरण	2.45	0.00	2.45
162.			2071-01-117-08	दिनांक 31.03.2019 तक देय अवशेष नियोक्ता अंशदान/देरी से जमा किये गये नियोक्ता अंशदान पर ब्याज	580.00	0.00	580.00
163.			2071-01-117-09	अभिदाता अंशदान बिलम्ब से जमा कराये जाने पर ब्याज का भुगतान	20.00	0.00	20.00
164.			2071-01-800-03	उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा/उच्चतर न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों को घरेलू नौकर भत्ता	1.91	0.00	1.91
165.			2071-01-800-09	सेवानिवृत्ति लाभों के बिलम्ब से अदायगी पर देय ब्याज	1.00	0.00	1.00
166.			2071-01-800-10	उ0 प्र0 राज्य पुर्नगठन अधिनियम 2000 के अर्न्तगत पेंशन दायित्वों के प्रभाजन के फलस्वरूप उत्तराखण्ड राज्य को देय राशि	2,000.00	0.00	2,000.00
167.			6075-800-03	रूग्ण निगमों आदि को स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना हेतु ऋण	96.00	0.00	96.00
168.	**69**	व्यवसायिक शिक्षा विभाग	2230-03-003-04	राजकीय शिल्पकार अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान	2.63	0.00	2.63

क्र0 सं0	अनुदान सं0	विभाग का नाम	मुख्य शीर्ष	योजना का नाम	मूल प्रावधान	व्यय	बचत
169.			2230-03-800-03	मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता विकास अभियान	50.00	0.00	50.00
170.			4250-203-04	शिल्पकार अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान	4.00	0.00	4.00
171.			4250-203-13	प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय भवन का सुदृणीकरण एवं जीर्णोद्धार	1.40	0.00	1.40
172.	**70**	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	2810-60-800-06	पी0 एम0 कुसुम योजना पार्ट सी से सम्बंधित ग्रिड संयोजित निजी पम्पों के सोलराइजेशन हेतु राज्यांश	85.00	0.00	85.00
173.	**71**	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	4202-01-201-03	जिलों में बेसिक शिक्षा अधिकारियों के कार्यालय भवनो का निर्माण (जिला योजना)	3.00	0.00	3.00
174.			4202-01-201-04	बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास	100.00	0.00	100.00
175.	**72**	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	2202-02-105-03	गुणवत्तापूर्णा शिक्षा प्रदान करने हेतु सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण एवं थर्ड पार्टी मूल्यांकन	1.50	0.00	1.50
176.			2202-02-110-04	सहायता प्राप्त अशासकीय अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधा	200.00	0.00	200.00
177.			2202-02-800-10	राजा राम मोहन राय पुस्तकालय संस्थान कलकत्ता को सहायक अनुदान	2.00	0.00	2.00
178.			2202-02-800-13	सैनिक स्कूल का संचालन	7.95	0.00	7.95
179.			2202-02-800-28	ई–बुक्स का क्रय/ई–लाइब्रेरी की स्थापना	5.16	0.00	5.16
180.			2204-104-04	बाह्य स्कूल प्रबंधन एवं अन्य शैक्षिक कार्यक्रम एवं युवा कल्याण	1.25	0.00	1.25
181.	**73**	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	2202-03-102-29	लखनऊ विश्व विद्यालय, लखनऊ	2.00	0.00	2.00
182.			2202-03-102-33	अन्तर्विश्वविद्यालयी खेल प्रतियोगिता के आयोजन हेतु अनुदान	2.00	0.00	2.00

क्र0 सं0	अनुदान सं0	विभाग का नाम	मुख्य शीर्ष	योजना का नाम	मूल प्रावधान	व्यय	बचत
183.			2202-03-104-07	प्रदेश में निजी प्रबंध तंत्रों/संस्थाओं द्वारा असैवित क्षेत्रों में महाविद्यालय खोलने हेतु अनुदान	10.00	0.00	10.00
184.			2202-03-800-02	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	6.73	0.00	6.73
185.			2202-03-800-17	अहिल्याबाई कन्या निःशुल्क शिक्षा योजना	21.12	0.00	21.12
186.			4202-01-203-11	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	3.67	0.00	3.67
187.			4202-01-203-12	बलिया में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना	40.00	0.00	40.00
188.	**74**	गृह विभाग (होमगार्डस)	4070-800-01	केंद्र प्रायोजित योजनाएं	1.58	0.00	1.58
189.	**76**	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	2230-01-103-01	केंद्र प्रायोजित योजनाएं	25.00	0.00	25.00
190.			2230-01-111-03	असंगठित कर्मकारों हेतु दीनदयाल सुरक्षा बीमा योजना	1.25	0.00	1.25
191.			2230-01-111-08	असंगठित कर्मकारों हेतु "मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना"	12.00	0.00	12.00
192.			2230-01-111-09	असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों हेतु "मुख्यमंत्री जन अरोग्य योजना"	100.00	0.00	100.00
193.	**79**	समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तिकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	4235-02-101-04	"सुगम्य भारत अभियान" योजनान्तर्गत सरकारी कार्यालयों एवं जन उपयोगी भवनों को चिन्हित कर बाधा रहित बनाया जाना	60.00	0.00	60.00
194.	**81**	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	2401-796-02	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	7.45	0.00	7.45
195.			4225-02-796-06	अनुसूचित जनजातियों के लिये राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	2.05	0.00	2.05
196.			4401-796-02	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	10.00	0.00	10.00
197.			4515-796-01	केंद्र प्रायोजित योजनाएं	4.34	0.00	4.34
198.	**83**	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित	2202-03-789-01	केंद्र प्रायोजित योजनाएं	1.51	0.00	1.51

क्र0 सं0	अनुदान सं0	विभाग का नाम	मुख्य शीर्ष	योजना का नाम	मूल प्रावधान	व्यय	बचत
199.		जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	2402-01-789-02	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	9.63	0.00	9.63
200.			4202-02-789-08	जनपद मैनपुरी में इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना	1.50	0.00	1.50
201.			4210-02-789-06	समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण (जिला योजना)	6.00	0.00	6.00
202.			4210-02-789-09	समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये उपकरणों का क्रय	6.68	0.00	6.68
203.			4210-03-789-09	राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा	4.24	0.00	4.24
204.			4210-03-789-10	राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर	4.24	0.00	4.24
205.			4210-03-789-11	राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज	4.24	0.00	4.24
206.			4210-03-789-12	राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ	4.24	0.00	4.24
207.			4210-03-789-13	राजकीय मेडिकल कालेज, झाँसी	4.24	0.00	4.24
208.			4210-03-789-14	राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर	4.24	0.00	4.24
209.			4210-03-789-15	राजकीय मेडिकल कालेज, जौनपुर	12.73	0.00	12.73
210.			4210-03-789-21	मेडिकल कालेज, कन्नौज में हृदय रोग अस्पताल	3.18	0.00	3.18
211.			4210-03-789-22	मेडिकल कालेज, कन्नौज में कैंसर अस्पताल	3.18	0.00	3.18
212.			4210-03-789-25	गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर में स्थापित कार्डियोलाजिकल इंस्टीट्यूट	3.18	0.00	3.18
213.			4210-03-789-30	पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, सैफई, इटावा	1.06	0.00	1.06
214.			4215-01-789-03	अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में हैण्ड पम्पों का अधिष्ठापन	5.00	0.00	5.00
215.			4215-01-789-06	मुख्यमंत्री आर0 ओ0 पेय जल योजना	4.50	0.00	4.50
216.			4216-02-789-03	आसरा योजना (आवासीय भवन)	5.00	0.00	5.00
217.			4702-789-	लघु सिंचाई योजनान्तर्गत ग्राउण्ड वाटर चार्जिग चेक	6.00	0.00	6.00

क्र0 सं0	अनुदान सं0	विभाग का नाम	मुख्य शीर्ष	योजना का नाम	मूल प्रावधान	व्यय	बचत
			06	डेमों का निर्माण (जिला योजना)			
218.			6225-01-789-03	धोबी समाज के व्यक्तियों को ब्याज रहित ऋण	4.00	0.00	4.00
219.	**84**	सामान्य प्रशासन विभाग	2250-101-05	कैलाश मानसरोवर भवन गाजियाबाद के संचालन हेतु	4.10	0.00	4.10
220.			2250-101-09	काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी में वैदिक विज्ञान केन्द्र	6.09	0.00	6.09
221.			4250-800-06	काशी में वेद साइंस सेन्टर की स्थापना	1.71	0.00	1.71
222.	**89**	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)	2049-60-701-03	प्रवेश कर के जमा खाते पर ब्याज का भुगतान–भारित	65.35	0.00	65.35
223.			4070-800-03	वणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान	5.00	0.00	5.00
224.	**91**	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं निबन्धन)	2030-03-001-05	स्कैनिंग एण्ड इंडेक्सिंग आफ ओल्ड डाक्यूमेन्ट	40.00	0.00	40.00
225.			2030-03-001-06	उप निबंधक कार्यालयों में किराया आधारित 10 एमबीपीएस की लीज लाइन लगाया जाना	5.00	0.00	5.00
226.	**93**	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग	2702-80-800-09	समूहिक मिनी ग्रीन ट्यूबवेल योजना	6.00	0.00	6.00
227.			4215-01-102-04	मुख्यमंत्री आर0 ओ0 पेय जल योजना	17.00	0.00	17.00
228.			4702-800-04	लघु सिंचाई योजनान्तर्गत ग्राउण्ड वाटर चार्जिग चेक डेमों का निर्माण (जिला योजना)	40.00	0.00	40.00
229.			4702-800-05	लघु सिंचाई एवं जल प्रयोग प्रशिक्षण संस्थान भवन का सुदृढ़ीकरण/निर्माण	1.00	0.00	1.00
230.			4702-800-06	क्षेत्रीय लघु सिंचाई प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	1.00	0.00	1.00
231.	**94**	सिंचाई विभाग	2700-80-800-01	केंद्र प्रायोजित योजनाएं	1.00	0.00	1.00
232.			4700-05-050-10	नहरें	1.00	0.00	1.00

क्र0 सं0	अनुदान सं0	विभाग का नाम	मुख्य शीर्ष	योजना का नाम	मूल प्रावधान	व्यय	बचत
233.			4700-06-051-15	जनपद मथुरा वृन्दावन स्थित नदी के घाटों का विस्तार, नवीनीकरण एवं सौन्दर्यीकरण	50.00	0.00	50.00
234.			4700-08-050-10	नहरें	1.00	0.00	1.00
235.			4700-09-051-15	लखनऊ मे गोमती नदी का चैनेलाइजेशन	1.00	0.00	1.00
236.			4700-14-050-10	नहरें	40.00	0.00	40.00
237.			4700-23-051-10	नहरें	80.00	0.00	80.00
238.			4700-26-051-10	नहरें	5.00	0.00	5.00
239.			4700-36-050-10	नहरें	10.00	0.00	10.00
240.			4701-13-051-10	नहरें	25.00	0.00	25.00
241.			4701-17-051-10	नहरें	7.47	0.00	7.47
242.			4701-21-051-10	नहरें	1.00	0.00	1.00
243.			4701-60-051-05	बांध	1.95	0.00	1.95
244.			4701-87-051-10	नहरें	6.29	0.00	6.29
245.			4701-93-051-16	विभिन्न बैराजों/बांधों के जल यांत्रिक प्रणालियों के स्वचालित किये जाने सम्बंधी कार्य	9.53	0.00	9.53
246.			4701-94-051-07	बैराज	100.00	0.00	100.00
		योग			**28,813.13**	**0.00**	**28,813.13**

परिशिष्ट -3.9

(प्रस्तर 3.3.8 में संदर्भित)

योजनायें जिनके मूल प्रावधानों को अन्य योजनाओं में पुर्नविनियोजित किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	अनुदान सं0	विभाग का नाम	मुख्य शीर्ष	योजना का नाम	प्रावधान	पुर्नविनियोजन	योग	व्यय	बचत
1.	**6**	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	2851-108-06	टीजर्स को विद्युत कर में छूट की प्रतिपूर्ति	1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00
2.	**7**	उद्योग विभाग (भारी और मध्यम उद्योग)	2852-07-202-05	इन्क्यबेटर्स को बढ़ावा देने तथा स्टार्ट अप के लिए प्रारम्भिक निधि (सीड फण्ड)	5.00	-5.00	0.00	0.00	0.00
3.			2852-07-202-14	यू पी स्टार्ट–अप नीति 2020 का कार्यान्वयन	5.00	-5.00	0.00	0.00	0.00
4.			2852-07-202-31	ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल	2.00	-2.00	0.00	0.00	0.00
5.			2852-800-08	पब्लिक प्राईवेट पार्टरनरिशिप परियोजनाओं तथा सार्वजनिक व सहकारी क्षेत्र की इकाईयों का विनिवेश व निजीकरण	2.05	-2.05	0.00	0.00	0.00
6.			2852-800-11	उत्तर प्रदेश ई गवर्नेस एक्शन प्लान	4.00	-4.00	0.00	0.00	0.00
7.			2852-800-23	उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति 2020 कार्यान्वयन	5.00	-5.00	0.00	0.00	0.00
8.			4859-02-800-14	लखनऊ में इन्क्यूबेटर की स्थापना	3.00	-3.00	0.00	0.00	0.00
9.			4859-02-800-16	शासकीय कार्यालयों में ई–आफिस व्यवस्था	5.00	-5.00	0.00	0.00	0.00
10.	**15**	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुपालन)	2403-107-06	अतिरिक्त चारा विकास कार्यक्रम	2.00	-2.00	0.00	0.00	0.00
11.	**21**	खाद्य तथा रसद विभाग	2408-01-001-02	एफ0 पी0 एस0 आटोमेशन एव डी0 बी0 टी0 योजना	1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00
12.	**24**	गन्ना विकास विभाग, (चीनी उघोग)	6860-04-101-21	सहकारी चीनी मिलों के क्षमता विस्तारीकरण/ आधुनिकीकरण /सह–उत्पादन संयंत्र/आसवानी की स्थापना एवं जीर्णोद्वार आदि कार्यों के लिए ऋण	25.00	-25.00	0.00	0.00	0.00
13.			6860-04-190-12	निगम की चीनी मिलों के क्षमता विस्तारीकरण/ आधुनिकीकरण/सह–उत्पादन संयंत्र/ आसवानी की स्थापना	25.00	-25.00	0.00	0.00	0.00

क्र0 सं0	अनुदान सं0	विभाग का नाम	मुख्य शीर्ष	योजना का नाम	प्रावधान	पुर्नविनियोजन	योग	व्यय	बचत
				एवं जीर्णोद्वार आदि कार्यों के लिए ऋण					
14.	**40**	नियोजन विभाग	4215-01-101-03	त्वरित आर्थिक विकास योजना	50.00	-50.00	0.00	0.00	0.00
15.			4215-01-102-03	त्वरित आर्थिक विकास योजना	50.00	-50.00	0.00	0.00	0.00
16.			4215-02-106-03	त्वरित आर्थिक विकास योजना	50.00	-50.00	0.00	0.00	0.00
17.			4515-800-05	पूँजीगत विकास कार्यो के लिये व्यवस्था	76.00	-76.00	0.00	0.00	0.00
18.			4575-02-800-03	बुन्देलखण्ड विशेष योजनायें	48.19	-48.19	0.00	0.00	0.00
19.			4801-05-800-03	त्वरित आर्थिक विकास योजना	10.00	-10.00	0.00	0.00	0.00
20.			4801-06-800-03	त्वरित आर्थिक विकास योजना	10.00	-10.00	0.00	0.00	0.00
21.	**43**	परिवहन विभाग	3055-800-97	वाह्य सहायता प्राप्त योजनायें	2.00	-2.00	0.00	0.00	0.00
22.			4047-800-01	केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	3.53	-3.53	0.00	0.00	0.00
23.			5055-800-06	वाहन लोकेशन ट्रैकिंग योजना के संचालन हेतु "निर्भया फण्ड" से प्राप्त केंद्रांश	6.00	-6.00	0.00	0.00	0.00
24.			5055-800-97	वाह्य सहायता प्राप्त योजनायें	2.50	-2.50	0.00	0.00	0.00
25.	**44**	पर्यटन विभाग	5452-80-104-29	आगरा में मुगल म्यूजियम की स्थापना	5.00	-5.00	0.00	0.00	0.00
26.	**45**	पर्यावरण विभाग	3435-04-103-01	केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजिनायें	2.00	-2.00	0.00	0.00	0.00
27.	**60**	वन विभाग	2406-01-800-01	केन्द्र प्रायोजित योजनायें	2.91	-2.91	0.00	0.00	0.00
28.			2406-02-110-04	बर्ड फेस्टिवल का आयोजन	1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00
29.			4406-02-110-06	जनपद इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केन्द्र व लायन सफारी पार्क का विकास	10.00	-10.00	0.00	0.00	0.00
30.			4406-02-110-08	कुकरैल वन क्षेत्र के अंतर्गत ईको पर्यटन एवं जैव विविधता केन्द्र की स्थापना	10.00	-10.00	0.00	0.00	0.00
31.			4406-02-110-12	दुधवा टाइगर रिजर्व का विकास	2.00	-2.00	0.00	0.00	0.00

क्र0 सं0	अनुदान सं0	विभाग का नाम	मुख्य शीर्ष	योजना का नाम	प्रावधान	पुर्नविनियोजन	योग	व्यय	बचत
32.	**70**	विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी विभाग	5425-800-04	नक्षत्रशालाओं का आधुनिकीकरण	10.00	-10.00	0.00	0.00	0.00
33.	**79**	समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तीकरण और पिछड़ा वर्ग कल्याण)	2235-02-101-21	पालनहार योजना	25.00	-25.00	0.00	0.00	0.00
34.			2235-02-101-38	जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र (डी.डी.आर.सी.) की स्थापना/संचालन	4.00	-4.00	0.00	0.00	0.00
35.	**86**	सूचना विभाग	4059-01-051-03	सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश के मुख्यालय भवन का निर्माण	6.00	-6.00	0.00	0.00	0.00
36.	**92**	संस्कृति विभाग	4202-04-800-01	केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	7.07	-7.07	0.00	0.00	0.00
37.			4202-04-800-06	भातखंडे संगीत संस्थान सह विश्वविद्यालय के नये परिसर हेतु भूमि व्यवस्था एवं निर्माण	1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00
38.			4202-04-800-16	अयोध्या, फैजाबाद में अंतर्राष्ट्रीय रामलीला संकुल की स्थापना	5.00	-5.00	0.00	0.00	0.00
39.			4202-04-800-33	उ0 प्र0 राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ परिसर में आर्काइवल गैलरी निर्माण	1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00
40.			4202-04-800-51	अयोध्या में विभिन्न कार्य	4.50	-4.50	0.00	0.00	0.00
		योग			**489.75**	**-489.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

परिशिष्ट-4.1

(प्रस्तर 4.14 में सन्दर्भित)

विभिन्न निकायों और प्राधिकरणों के लेखे के अन्तिमीकरण के लम्बित होने का विवरण

क्र.सं.	विभाग का नाम	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिसके लेखे प्राप्त नहीं हुये	लम्बित वार्षिक लेखाओं की कुल संख्या
1.	वन विभाग	प्रतिपूरक वनारोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए)	2014-15 से 2021-22	08
2.	अवस्थापना और औद्योगिक विकास विभाग	न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2018-19 से 2021-22	04
3.	–तदैव–	ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण	2020-21 से 2021-22	02
4.	–तदैव–	यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2005-06 से 2021-22	17
5.	–तदैव–	उ0प्र0 एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2021-22	05
6.	–तदैव–	सथारिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2005-06 से 2021-22	17
7.	–तदैव–	गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2005-06 से 2021-22	17
8.	–तदैव–	उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2018-19 से 2021-22	04
9.	–तदैव–	लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2005-06 से 2021-22	17
10.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विभाग	उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड	2019-20 से 2021-22	03
11.	ग्रामीण विकास विभाग	उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास संस्था (यूपीआरआरडीए)	2003-04 से 2021-22	19
12.	श्रम विभाग	सचिव, यूपी भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, लखनऊ	1996-97 से 2021-22	26
13.	कृषि शिक्षा एवं अनुसंन्धान विभाग,	नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या	2019-20 से 2021-22	03
14.	–तदैव–	चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर	2019-20 से 2021-22	03
15.	–तदैव–	सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोदीपुरम, मेरठ	2019-20 से 2021-22	03
16.	–तदैव–	बाँदा पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बाँदा	2019-20 से 2021-22	03
17.	पशुपालन विभाग,	पं. दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसन्धान संस्थान, मथुरा	2019-20 से 2021-22	03

18.	खाद्य एवं रसद आपूर्ति विभाग	उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम	2012-13 से 2021-22	10
19.	बाल कल्याण विभाग	यू. पी. राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग	2006-07 से 2021-22	16
20.	दिव्यांगजन कल्याण विभाग	डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय	2019-20 से 2021-22	03
21.	आवास एवं शहरी योजना विभाग	यूपी रियल स्टेट नियामक प्राधिकरण	2020-21 से 2021-22	02
22.	–तदैव–	लखनऊ विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2021-22	05
23.	–तदैव–	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2021-22	05
24.	–तदैव–	आगरा विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2021-22	05
25.	–तदैव–	मेरठ विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2021-22	05
26.	–तदैव–	प्रयागराज विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2021-22	05
27.	–तदैव–	हापुड़/पिलखुआ विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2021-22	05
28.	–तदैव–	वाराणसी विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2021-22	05
29.	–तदैव–	मुरादाबाद विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2021-22	05
30.	–तदैव–	गोरखपुर विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2021-22	05
31.	–तदैव–	मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2021-22	05
32.	–तदैव–	अलीगढ़ विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2021-22	05
33.	–तदैव–	बरेली विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2021-22	05
34.	–तदैव–	रायबरेली विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2021-22	05
35.	–तदैव–	सहारनपुर विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2021-22	05
36.	–तदैव–	अयोध्या/ फैजाबाद विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2021-22	05
37.	–तदैव–	फिरोजाबाद/शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2021-22	05
38.	–तदैव–	कानपुर विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2021-22	05
39.	–तदैव–	रामपुर विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2021-22	05
40.	–तदैव–	उन्नाव शुक्लागंज विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2021-22	05
41.	–तदैव–	झांसी विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2021-22	05
42.	–तदैव–	मुज्ज़फरनगर विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2021-22	05
43.	–तदैव–	बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2021-22	05
44.	–तदैव–	खुर्जा विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2021-22	05
45.	–तदैव–	उरई विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2021-22	05
46.	–तदैव–	बाँदा विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2021-22	05
47.	–तदैव–	बागपत बड़ौत खेड़ा विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2021-22	05
48.	–तदैव–	आजमगढ़ विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2021-22	05

49.	–तदैव–	बस्ती विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2021-22	05
50.	–तदैव–	विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, शक्ति नगर	2017-18 से 2021-22	05
51.	–तदैव–	विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, चित्रकूट	2017-18 से 2021-22	05
52.	–तदैव–	विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, कपिलवस्तु	2017-18 से 2021-22	05
53.	–तदैव–	विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, विन्ध्याचल–मीरजापुर	2017-18 से 2021-22	05
54.	–तदैव–	विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, कुशीनगर	2017-18 से 2021-22	05
55.	विधि विभाग	उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकारण	2021-22	01
56.	–तदैव–	उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग	1996-97 से 2021-22	26
57.	ऊर्जा विभाग	उत्तर प्रदेश विद्युत् विनियामक आयोग	2020-21 से 2021-22	02
योग				**379**

परिशिष्ट-4.2

(प्रस्तर 4.15 में सन्दर्भित)

विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के लेखाओं के अन्तिमीकरण की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	उपक्रम का नाम	वर्ष जब तक के लेखे अन्तिमीकृत किये गए	अन्तिम अन्तिमीकृत लेखे के अनुसार निवेश
सिंचाई विभाग			
1.	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, कानपुर	2020-21	2.04
2.	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, झांसी	2020-21	12.50
3.	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, बरेली	2020-21	13.44
4.	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, मेरठ	2021-22	2.26
5.	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, गोरखपुर	2020-21	0.64
6.	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, प्रयागराज	2020-21	4.08
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग			
7.	खाद्य आयुक्त एवं सीएओ	2015-16	4,136.01
पशुपालन विभाग			
8.	उप निदेशक, पशुधन फार्म निगम	2018-19	74.03
स्वास्थ्य विभाग			
9.	उप निदेशक, राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि विभाग	1987-88	उपलब्ध नहीं
योग			**4,245.00**

परिशिष्ट-5.1
(प्रस्तर 5.2 में संदर्भित)
पीएसयू (2019–20 तक अथवा उसके पश्चात् प्रस्तुत किए गए उनके लेखों) की 31 मार्च 2022 को अंश पूंजी एवं बकाया ऋणों की स्थिति को दर्शाती हुई विवरणी।

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	पीएसयू का नाम	विभाग का नाम	पीएसयू की संख्या	अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं की अवधि	वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर अंश पूंजी				वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर दीर्घावधि बकाया ऋण				कुल निवेश (अंश पूंजी एवं दीर्घावधि ऋण)
					राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार के ऋण	केन्द्र सरकार के ऋण	स्वामित्व कम्पनी / अन्य वित्तीय संस्थानों के ऋण	योग	
1	2	3	4	5	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)	7 (क)	7 (ख)	7 (ग)	7 (घ)	8
	पीएसयू ने 2019–20 तक और उसके पश्चात् अपने लेखे प्रस्तुत किए												
अ	सरकारी कम्पनियाँ												
क	ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू												
1	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (सहायक कम्पनी जेवीयूएनएल सहित)	ऊर्जा	2	2020-21	18,580.82	0.00	0.00	18,580.82	0.00	0.00	21,093.90	21,093.90	39,674.72
2	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	ऊर्जा	1	2020-21	435.33	0.00	0.00	435.33	64.65	0.00	0.00	64.65	499.98
3	उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड	ऊर्जा	1	2020-21	16,376.74[7]	0.00	2,213.27	18,590.01	0.00	0.00	12,531.65	12,531.65	31,121.66

[7] इसमें यूपीपीसीएल के माध्यम से प्राप्त ₹ 2,213.27 करोड़ के जीओयूपी के निवेश को सम्मिलित किया गया है।

क्रम संख्या	पीएसयू का नाम	विभाग का नाम	पीएसयू की संख्या	अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं की अवधि	वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर अंश पूंजी				वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर दीर्घावधि बकाया ऋण				कुल निवेश (अंश पूंजी एवं दीर्घावधि ऋण)
					राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार के ऋण	केन्द्र सरकार के ऋण	स्वामित्व कम्पनी / अन्य वित्तीय संस्थानों के ऋण	योग	
4	उ0प्र0 पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड (पूर्वीवीएनएल, पीवीवीएनएल, डीवीवीएनएल, एमवीवीएनएल एवं केस्को सहित)	ऊर्जा	6	2021-22	1,09,997.10[8]	0.00	0.00	1,09,997.10	369.27	0.00	70,733.50	71,102.77	1,81,099.87
5	यूसीएम कोल कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या 1 का संयुक्त उद्यम)	ऊर्जा	1	2020-21	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00	0.00	2.50	2.50	2.66
	उप योग–अ(क)		**11**		**1,45,389.99**	**0.00**	**2,213.43**	**1,47,603.42**	**433.92**	**0.00**	**1,04,361.55**	**1,04,795.47**	**2,52,398.89**
ख	**ऊर्जा क्षेत्र के इतर पीएसयू**												
6	उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती लखनऊ मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड)	आवास और शहरी नियोजन	1	2021-22	2,146.80	1,999.94	0.00	4,146.74	1,305.20	7295.73	0.00	8,600.93	12,747.67
7	नोएडा मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास	1	2021-22	387.57	687.62	325.05	1,400.24	0.00	283.00	1,521.80	1,804.80	3,205.04
8	दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कार्पोरेशन ऑफ यूपी लिमिटेड	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास	1	2019-20	110.58	0.00	25.00	135.58	1,134.43	4.10	0.00	1,138.53	1,274.11

[8] इसमें यूपीपीसीएल के माध्यम से यूपीटीसीएल में जीओयूपी के निवेश का ₹ 2,213.27 करोड़ को सम्मिलित नहीं किया गया है, क्योकि उसे जीओयूपी द्वारा यूपीपीटीसीएल में निवेश में शामिल किया गया है। अग्रेतर, इसमें यूपीपीसीएल के माध्यम से एसयूपीपीटीसीएल में जीओयूपी के निवेश ₹ 2.22 करोड़ को सम्मिलित नहीं किया गया है क्योंकि एसयूपीपीटीसीएल को परिशिष्ट 5.2 (क्र.संख्या 36) में शामिल किया गया है। अग्रेतर, ₹ 1,09,997.10 करोड़ में ₹ 0.20 करोड़ डिस्कॉम द्वारा यूपीपीसीएल को आवंटित प्रवर्तक अंश से सम्बन्धित है अर्थात् 500 समता अंश मूल्य ₹ 0.05 करोड़ चार डिस्कॉम को (प्रत्येक ₹ 1,000 मूल्य की दर पर 500 अंश)।

क्रम संख्या	पीएसयू का नाम	विभाग का नाम	पीएसयू की संख्या	अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं की अवधि	वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर अंश पूंजी				वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर दीर्घावधि बकाया ऋण				कुल निवेश (अंश पूंजी एवं दीर्घावधि ऋण)
					राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार के ऋण	केन्द्र सरकार के ऋण	स्वामित्व कम्पनी / अन्य वित्तीय संस्थानों के ऋण	योग	
9	श्रीट्रॉन इण्डिया लिमिटेड (यू0पी0 इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स	1	2020-21	0.00	0.00	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77
10	अपट्रॉन पॉवरट्रॉनिक्स लिमिटेड (यू0पी0 इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन की सहायक)	सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स	1	2020-21	0.00	0.00	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47
11	यू0पी0 इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड	सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स	1	2019-20	91.54[9]	0.00	0.00	91.54	111.27[10]	0.00	0.00	111.27	202.81
12	उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	समाज कल्याण	1	2020-21	0.43	0.00	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
13	उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड	गृह	1	2019-20	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
14	उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन परिषद	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात संवर्धन	1	2021-22	0.05	0.00	0.00	0.05	5.00	0.00	0.00	5.00	5.05

[9] क्रम संख्या 11 पर बताई गई नियंत्रक कम्पनी में उत्तर प्रदेश सरकार की अंशपूंजी के रूप में निवेश ₹ 91.54 करोड़ में ₹ 8.95 करोड़ (₹ 6.35 करोड़ और ₹ 2.60 करोड़) जोकि क्रम संख्या 9 एवं 10 पर बताई गई इसकी सहायक कम्पनियों को दी गई थी। इस निवेश की दोहरी गणना से बचने के लिए इन सहायक कम्पनियों को अंशपूंजी से बाहर रखा गया है।

[10] क्रम संख्या 11 पर बताई गई नियंत्रक कम्पनी में उत्तर प्रदेश सरकार के दीर्घावधि ऋण के रूप में निवेशित ₹ 111.27 करोड़ में ₹ 4.13 करोड़ की धनराशि शामिल थी जो कि क्रम संख्या 9 (₹ 1.66 करोड़) एवं क्रम संख्या 10 (₹ 2.47 करोड़) पर बताई गई इसकी सहायक कम्पनियों को दी गई थी। इसे निवेश की दोहरी गणना से बचने के लिए इन सहायक कम्पनियों के दीर्घावधि ऋण से बाहर रखा गया है।

क्रम संख्या	पीएसयू का नाम	विभाग का नाम	पीएसयू की संख्या	अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं की अवधि	वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर अंश पूंजी				वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर दीर्घावधि बकाया ऋण				कुल निवेश (अंश पूंजी एवं दीर्घावधि ऋण)
					राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार के ऋण	केन्द्र सरकार के ऋण	स्वामित्व कम्पनी / अन्य वित्तीय संस्थानों के ऋण	योग	
15	उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1	2019-20	11.83	0.00	0.00	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	11.83
16	प्रयागराज सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	परिवहन	1	2019-20	0.00	0.00	4.91	4.91	0.00	0.00	6.57	6.57	11.48
17	उत्तर प्रदेश स्टेट कन्स्ट्रक्शन एण्ड इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड)	समाज कल्याण	1	2019-20	0.15	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
	उप योग–अ(ख)		**12**		2,751.95	2,687.56	357.20	5,796.71	2,555.90	7,582.83	1,528.37	11,667.10	17,463.81
	कुल योग–अ		**23**		**1,48,141.94**	**2,687.56**	**2,570.63**	**1,53,400.13**	**2,989.82**	**7,582.83**	**1,05,889.92**	**1,16,462.57**	**2,69,862.70**
ब	**सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ**												
क	**ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	उप योग–ब(क)				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ख	**ऊर्जा क्षेत्र के इतर पीएसयू**												
18	आगरा स्मार्ट सिटी लिमिटेड	शहरी विकास	1	2021-22	107.00	109.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00
19	अलीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	शहरी विकास	1	2019-20	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

क्रम संख्या	पीएसयू का नाम	विभाग का नाम	पीएसयू की संख्या	अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं की अवधि	वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर अंश पूंजी				वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर दीर्घावधि बकाया ऋण				कुल निवेश (अंश पूंजी एवं दीर्घावधि ऋण)
					राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार के ऋण	केन्द्र सरकार के ऋण	स्वामित्व कम्पनी / अन्य वित्तीय संस्थानों के ऋण	योग	
20	बरेली स्मार्ट सिटी लिमिटेड	शहरी विकास	1	2020-21	0.50	0.00	0.50	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21	प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड*	शहरी विकास	1	2020-21	245.00	245.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00
22	वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड	शहरी विकास	1	2020-21	100.00	100.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
23	झांसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड	शहरी विकास	1	2019-20	0.25	0.00	0.25	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
24	मुरादाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड	शहरी विकास	1	2020-21	50.25	0.00	50.25	100.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.50
25	सहारनपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	शहरी विकास	1	2020-21	0.50	1.86	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36
26	अलमोड़ा मेगनेसाईट लिमिटेड (139 (5) एवं (7) कम्पनी)	भूतत्व एवं खनिकर्म	1	2020-21	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.48	0.48	2.48
27	नोएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड	नागरिक उड्डयन	1	2019-20	2,807.19	0.00	3,090.55	5,897.74	0.00	0.00	0.00	0.00	5,897.74
28	डीएमआईसी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास	1	2020-21	0.00	0.00	2,940.50	2,940.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.50
	उप योग–ब(ख)		**11**		**3,311.69**	**456.86**	**6,084.05**	**9,852.60**	**0.00**	**0.00**	**0.48**	**0.48**	**9,853.08**
	कुल योग–ब		**11**		**3,311.69**	**456.86**	**6,084.05**	**9,852.60**	**0.00**	**0.00**	**0.48**	**0.48**	**9853.08**

क्रम संख्या	पीएसयू का नाम	विभाग का नाम	पीएसयू की संख्या	अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं की अवधि	वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर अंश पूंजी				वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर दीर्घावधि बकाया ऋण				कुल निवेश (अंश पूंजी एवं दीर्घावधि ऋण)
					राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार के ऋण	केन्द्र सरकार के ऋण	स्वामित्व कम्पनी / अन्य वित्तीय संस्थानों के ऋण	योग	
स	**सांविधिक निगम**												
क	**ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू**												
	उप योग–स (क)				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ख	**ऊर्जा क्षेत्र के इतर पीएसयू**												
29	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	परिवहन	1	2019-20	930.46	0.00	60.01	990.47	26.72	0.00	0.00	26.72	1,017.19
30	उत्तर प्रदेश वन निगम	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन	1	2020-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	आवास एवं शहरी नियोजन	1	2020-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	उप योग–स(ख)		**3**		**930.46**	**0.00**	**60.01**	**990.47**	**26.72**	**0.00**	**0.00**	**26.72**	**1,017.19**
	योग–स		**3**		**930.46**	**0.00**	**60.01**	**990.47**	**26.72**	**0.00**	**0.00**	**26.72**	**1,017.19**
	ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू का योग = अ(क)+ब(क)+स (क)		**11**		**1,45,389.99**	**0.00**	**2,213.43**	**1,47,603.42**	**433.92**	**0.00**	**1,04,361.55**	**1,04,795.47**	**2,52,398.89**
	ऊर्जा क्षेत्र के इतर पीएसयू का योग = अ(ख)+ब(ख)+स(ख)		**26**		**6,994.10**	**3,144.42**	**6,501.26**	**16,639.78**	**2,582.62**	**7,582.83**	**1,528.85**	**11,694.30**	**28,334.08**
	महायोग (अ+ब+स)		**37**		**1,52,384.09**	**3,144.42**	**8,714.69**	**1,64,243.20**	**3,016.54**	**7,582.83**	**1,05,890.40**	**1,16,489.77**	**2,80,732.97**

परिशिष्ट-5.2

(प्रस्तर 5.2 एवं 5.2.1 में संदर्भित)

पीएसयू (तीन वर्ष अथवा अधिक के बकाया लेखे अथवा निष्क्रिय/परिसमापन के अर्न्तगत थे अथवा प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए थे) की 31 मार्च 2022 को अंश पूंजी एवं बकाया ऋणों की स्थिति को दर्शाती हुई विवरणी।

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	पीएसयू का नाम	विभाग का नाम	अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं को अन्तिमीकृत किया गया	वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर अंश पूंजी				वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर दीर्घावधि बकाया ऋण				कुल निवेश (अंश पूंजी एवं दीर्घावधि ऋण)
					राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार के ऋण	केन्द्र सरकार के ऋण	स्वामित्व कम्पनी/अन्य वित्तीय संस्थानों के ऋण	योग	
1	2	3	4	5	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)	7 (क)	7 (ख)	7 (ग)	7 (घ)	8
I	**कार्यरत पीएसयू**												
अ	**सरकारी कम्पनियाँ**												
क	**ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू**												
1	यूपीएसआईडीसी पॉवर कम्पनी लिमिटेड	ऊर्जा	2013-14	2016-17	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
	उप योग –I अ(क)		**2013-14**	**2016-17**	**0.00**	**0.00**	**0.05**	**0.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.05**
ख	**ऊर्जा क्षेत्र के इतर पीएसयू**												
2	उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ	2005-06	2017-18	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	10.00	0.00	10.00	40.00
3	उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण	2016-17	2022-23	12.23	0.00	0.00	12.23	76.30	0.00	0.00	76.30	88.53
4	उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	समाज कल्याण	2016-17	2022-23	134.18	117.77	0.00	251.95	0.00	0.00	1,381.54	1,381.54	1,633.49
5	उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड	खाद्य एवं रसद आपूर्ति	2010-11	2018-19	12.34	0.00	0.00	12.34	0.73	0.00	0.00	0.73	13.07

क्रम संख्या	पीएसयू का नाम	विभाग का नाम	अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं को अन्तिमीकृत किया गया	वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर अंश पूंजी				वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर दीर्घावधि बकाया ऋण				कुल निवेश (अंश पूंजी एवं दीर्घावधि ऋण)
					राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार के ऋण	केन्द्र सरकार के ऋण	स्वामित्व कम्पनी/अन्य वित्तीय संस्थानों के ऋण	योग	
6	उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम	परती भूमि विकास	2016-17	2020-21	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
7	उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड	महिला कल्याण	2015-16	2020-21	4.71	0.48	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	5.19
8	उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड	अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ	2003-04	2016-17	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
9	उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड	कृषि	2010-11	2016-17	58.32	0.00	0.00	58.32	5.00	0.00	13.00	18.00	76.32
10	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	लोक निर्माण विभाग	2014-15	2020-21	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
11	उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड	लोक निर्माण विभाग	2017-18	2020-21	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
12	उत्तर प्रदेश स्मॉल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात संवर्धन	2011-12	2022-23	5.96	0.00	0.00	5.96	4.75	0.00	0.00	4.75	10.71
13	उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम लिमिटेड	कृषि	2018-19	2022-23	6.25	0.00	0.67	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	6.92
14	उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	मत्स्य	2016-17	2019-20	1.07	0.00	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07
15	उत्तर प्रदेश ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स कम्पनी लिमिटेड	स्वास्थ्य	2009-10	2012-13	1.10	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10

क्रम संख्या	पीएसयू का नाम	विभाग का नाम	अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं को अन्तिमीकृत किया गया	वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर अंश पूंजी				वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर दीर्घावधि बकाया ऋण				कुल निवेश (अंश पूंजी एवं दीर्घावधि ऋण)
					राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार के ऋण	केन्द्र सरकार के ऋण	स्वामित्व कम्पनी/अन्य वित्तीय संस्थानों के ऋण	योग	
16	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक)	चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास	2016-17	2020-21	880.13	0.00	0.00	880.13	0.00	0.00	899.00	899.00	1779.13
17	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड	चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास	2016-17	2022-23	1,648.31	0.00	0.00	1,648.31	909.00	0.00	46.17	955.17	2,603.48
18	उ0प्र0 हस्तशिल्प एवं विकास विपणन निगम लिमिटेड (पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड)	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात संवर्धन	2008-09	2022-23	6.34	0.90	0.00	7.24	12.44	0.00	0.00	12.44	19.68
19	उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	पर्यटन	2017-18	2022-23	32.60	0.00	0.00	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	32.60
20	लखनऊ सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (01 फरवरी 2010 को निगमित)	परिवहन	लेखे प्राप्त नही हुए		17.84	0.00	0.00	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	17.84
21	मेरठ सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	परिवहन	2013-14	2019-20	0.00	0.00	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	4.04
22	आगरा–मथुरा सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (08 जुलाई 2010 को निगमित)	परिवहन	लेखे प्राप्त नही हुए		0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	45.79	45.79	45.84

क्रम संख्या	पीएसयू का नाम	विभाग का नाम	अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं को अन्तिमीकृत किया गया	वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर अंश पूंजी				वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर दीर्घावधि बकाया ऋण				कुल निवेश (अंश पूंजी एवं दीर्घावधि ऋण)
					राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार के ऋण	केन्द्र सरकार के ऋण	स्वामित्व कम्पनी/अन्य वित्तीय संस्थानों के ऋण	योग	
23	कानपुर सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (28 अप्रैल 2010 को निगमित)	परिवहन	लेखे प्राप्त नही हुए		0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.53	0.53	0.63
24	वाराणसी सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (15 जून 2010 को निगमित)	परिवहन	लेखे प्राप्त नही हुए		0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	4.77	4.77	4.82
25	उत्तर प्रदेश राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास निगम लिमिटेड (04 अक्टूबर 2018 को निगमित)	सहकारिता विभाग	लेखे प्राप्त नही हुए		0.05	0.00	0.05	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
26	उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास	2017-18	2018-19	0.15	0.00	0.10	0.25	0.00	0.00	2.48	2.48	2.73
27	यू0पी0 स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड	हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग	2018-19	2020-21	93.24	0.00	0.00	93.24	149.62	0.00	0.00	149.62	242.86
28	उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड	हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग	2000-01	2020-21	36.45	10.63	0.00	47.08	157.02	0.00	2.70	159.72	206.80
29	उत्तर प्रदेश डेवलपमेण्ट सिस्टम्स कार्पोरेशन लिमिटेड	सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स	2018-19	2019-20	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

क्रम संख्या	पीएसयू का नाम	विभाग का नाम	अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं को अन्तिमीकृत किया गया	वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर अंश पूंजी				वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर दीर्घावधि बकाया ऋण				कुल निवेश (अंश पूंजी एवं दीर्घावधि ऋण)
					राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार के ऋण	केन्द्र सरकार के ऋण	स्वामित्व कम्पनी/अन्य वित्तीय संस्थानों के ऋण	योग	
30	यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लिमिटेड	सिंचाई	2018-19	2019-20	5.40	1.00	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40
	उप योग–I अ(ख)				**3,015.37**	**130.78**	**4.86**	**3,151.01**	**1,314.86**	**0.00**	**2,395.98**	**3,720.84**	**6,871.85**
	योग I अ=I अ(क)+I अ(ख)				**3,015.37**	**130.78**	**4.91**	**3,151.06**	**1,314.86**	**10.00**	**2,395.98**	**3,720.84**	**6,871.90**
ब	**सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ**												
क	**ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू**												
	उप योग–I ब(क)				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ख	**ऊर्जा क्षेत्र के इतर पीएसयू**												
31	कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	शहरी विकास	2017-18	2022-23	279.00	279.00	0.00	558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558.00
32	लखनऊ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	शहरी विकास	2018-19	2019-20	186.00	196.00	0.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.00
	उप योग–I ब(ख)				465.00	475.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00
	योग I ब=I ब(क)+I ब(ख)				465.00	475.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00
स	**सांविधिक निगम**												
क	**ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू**												
	उप योग–I स(क)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

क्रम संख्या	पीएसयू का नाम	विभाग का नाम	अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं को अन्तिमीकृत किया गया	वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर अंश पूंजी				वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर दीर्घावधि बकाया ऋण				कुल निवेश (अंश पूंजी एवं दीर्घावधि ऋण)
					राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार के ऋण	केन्द्र सरकार के ऋण	स्वामित्व कम्पनी/अन्य वित्तीय संस्थानों के ऋण	योग	
ख	**ऊर्जा क्षेत्र के इतर पीएसयू**												
33	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास	2012-13	2015-16	114.51	0.00	64.78	179.29	345.94	0.00	481.92	827.86	1007.15
34	उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम	सहकारिता	2017-18	2020-21	5.40	0.00	5.40	10.80	0.00	0.00	129.83	129.83	140.63
35	उत्तर प्रदेश जल निगम	शहरी विकास	2016-17	2018-19	0.00	0.00	0.00	0.00	537.96	0.00	0.00	537.96	537.96
	उप योग–I स(ख)				119.91	0.00	70.18	190.09	883.90	0.00	611.75	1,495.65	1,685.74
	योग I स=I स(क)+I स(ख)				119.91	0.00	70.18	190.09	883.90	0.00	611.75	1,495.65	1,685.74
	कार्यरत् पीएसयू का योग (कुल योग-I)				3,600.28	605.78	75.09	4,281.15	2,198.76	10.00	3,007.73	5,216.49	9,497.64
II	**अकार्यरत पीएसयू**												
अ	**सरकारी कम्पनियाँ**												
क	**ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू**												
36	सदर्न यू0पी0 पॉवर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड	ऊर्जा	2020-21	2021-22	0.00	0.00	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22
	उप योग–II अ(क)				**0.00**	**0.00**	**2.22**	**2.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2.22**
ख	**ऊर्जा क्षेत्र के इतर पीएसयू**												
37	अपलीज फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (यू0पी0 इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स	1997-98	1998-99	0.00	0.00	1.06	1.06	0.00	0.00	4.15	4.15	5.21

क्रम संख्या	पीएसयू का नाम	विभाग का नाम	अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं को अन्तिमीकृत किया गया	वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर अंश पूंजी				वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर दीर्घावधि बकाया ऋण				कुल निवेश (अंश पूंजी एवं दीर्घावधि ऋण)
					राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार के ऋण	केन्द्र सरकार के ऋण	स्वामित्व कम्पनी/अन्य वित्तीय संस्थानों के ऋण	योग	
38	छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक)	चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास	2017-18	2022-23	0.00	0.00	81.38	81.38	0.00	0.00	29.42	29.42	110.80
39	घाटमपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक)	चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास	2017-18	2022-23	0.00	0.00	147.72	147.72	0.00	0.00	4.45	4.45	152.17
40	नन्दगंज–सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक)	चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास	2017-18	2022-23	0.00	0.00	256.80	256.80	0.00	0.00	0.00	0.00	256.80
41	दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास	2010-11	2012-13	0.22	0.00	0.00	0.22	8.47	0.00	0.00	8.47	8.69
42	उत्तर प्रदेश इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलेपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास	2001-02	उपलब्ध नहीं	1.78	0.15	0.00	1.93	36.77	0.17	0.51	37.45	39.38
43	उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रासवेयर कार्पोरेशन लिमिटेड	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात संवर्धन	1997-98	उपलब्ध नहीं	5.38	0	0.00	5.38	5.91	0.00	0.00	5.91	11.29
44	उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड	हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग	2019-20		197.10	0.00	0.00	197.10	92.05	0.00	0.00	92.05	289.15

क्रम संख्या	पीएसयू का नाम	विभाग का नाम	अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं को अन्तिमीकृत किया गया	वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर अंश पूंजी				वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर दीर्घावधि बकाया ऋण				कुल निवेश (अंश पूंजी एवं दीर्घावधि ऋण)
					राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार के ऋण	केन्द्र सरकार के ऋण	स्वामित्व कम्पनी/अन्य वित्तीय संस्थानों के ऋण	योग	
45	उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेण्ट एण्ड मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात संवर्धन	2000-01		5.74	0.00	0.00	5.74	3.42	0.00	0.00	3.42	9.16
46	उ0प्र0 राज्य यार्न कम्पनी लिमिटेड	हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग	2020-21	2022-23	53.67	0.00	0.00	53.67	66.36	0.00	0.00	66.36	120.03
47	उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड	पशुधन और डेयरी	2015-16	2021-22	2.73	0.00	0.00	2.73	7.55	0.00	0.00	7.55	10.28
48	उत्तर प्रदेश पोल्ट्री एण्ड लाइव स्टॉक स्पेशैअलिटीज लिमिटेड	पशुधन और डेयरी	2013-14	2020-21	2.88	0.06	0.00	2.94	0.00	1.10	0.00	1.10	4.04
49	उत्तर प्रदेश स्टेट हॉर्टीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण	1984-85	1988-89	6.41	0.00	0.62	7.03	3.34	0.00	0.56	3.90	10.93
50	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास	2013-14	2014-15	0.51	0.00	0.15	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
51	उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	पंचायती राज	1995-96	2012-13	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
52	आगरा मण्डल विकास निगम लिमिटेड	भूमि विकास एवं जल संसाधन	1988-89	2007-08	1.00	0.00	0.00	1.00	0.18	0.00	0.00	0.18	1.18
53	इलाहाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	भूमि विकास एवं जल संसाधन	1983-84	1991-92	0.60	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.51	0.51	1.11

क्रम संख्या	पीएसयू का नाम	विभाग का नाम	अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं को अन्तिमीकृत किया गया	वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर अंश पूंजी				वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर दीर्घावधि बकाया ऋण				कुल निवेश (अंश पूंजी एवं दीर्घावधि ऋण)
					राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार के ऋण	केन्द्र सरकार के ऋण	स्वामित्व कम्पनी/अन्य वित्तीय संस्थानों के ऋण	योग	
54	बरेली मण्डल विकास निगम लिमिटेड	भूमि विकास एवं जल संसाधन	1988-89	2005-06	1.25	0.00	0.00	1.25	0.00	0.00	0.65	0.65	1.90
55	गोरखपुर मण्डल विकास निगम लिमिटेड	भूमि विकास एवं जल संसाधन	1989-90	2017-18	1.26	0.00	0.00	1.26	0.65	0.00	0.29	0.94	2.20
56	लखनऊ मण्डलीय विकास निगम लिमिटेड	भूमि विकास एवं जल संसाधन	1981-82	2010-11	0.70	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
57	मेरठ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	भूमि विकास एवं जल संसाधन	2008-09	2010-11	1.00	0.00	0.00	1.00	0.01	0.00	0.00	0.01	1.01
58	मुरादाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	भूमि विकास एवं जल संसाधन	1991-92	2011-12	0.25	0.00	0.00	0.25	0.65	0	0	0.65	0.90
59	तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	समाज कल्याण	1982-83	06-06-1996	0.45	0.00	0.00	0.45	1.25	1.00	0.00	2.25	2.70
60	उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड	भूमि विकास एवं जल संसाधन	2010-11	2016-17	1.23	0.00	0.00	1.23	0.05	0.00	0.00	0.05	1.28
61	उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड	वाणिज्य कर	2009-10	उपलब्ध नहीं	8.18	0.00	0.00	8.18	7.98	0.00	0.00	7.98	16.16
62	उत्तर प्रदेश पूर्वान्चल विकास निगम लिमिटेड	भूमि विकास एवं जल संसाधन	1987-88	1995-96	1.15	0.00	0.00	1.15	0.43	0.00	0.00	0.43	1.58
63	वाराणसी मण्डल विकास निगम लिमिटेड	भूमि विकास एवं जल संसाधन	1987-88	1993-94	0.70	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.75	0.75	1.45
64	उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास	2002-03 (1 सितम्बर 2006 से परिसमापन के अधीन)	2003-04	0.31	0.00	0.00	0.31	1.70	0.00	0.00	1.70	2.01

क्रम संख्या	पीएसयू का नाम	विभाग का नाम	अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं को अन्तिमीकृत किया गया	वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर अंश पूंजी				वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर दीर्घावधि बकाया ऋण				कुल निवेश (अंश पूंजी एवं दीर्घावधि ऋण)
					राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार के ऋण	केन्द्र सरकार के ऋण	स्वामित्व कम्पनी/अन्य वित्तीय संस्थानों के ऋण	योग	
65	उत्तर प्रदेश (रूहेलखण्ड तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास	2006-07 (1 सितम्बर 2006 से परिसमापन के अधीन)	2008-09	0.38	0.00	0.33	0.71	10.50	0.00	0.00	10.50	11.21
66	उत्तर प्रदेश सीमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास	1995-96 (8 दिसम्बर 1999 से परिसमापन के अधीन)	1996-97	68.28	0.00	0.00	68.28	124.77	0.00	0.00	124.77	193.05
67	विन्ध्याचल अब्रेसिव्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास	1987-88 (28 नवम्बर 2002 से परिसमापन के अधीन)	1995-96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.84	0.84
68	ऑटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास	1991-92 (14 फरवरी 2003 से परिसमापन के अधीन)	1995-96	5.63	0.00	1.87	7.50	0.38	0.00	0.00	0.38	7.88
69	भदोही वूलेन्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग	1994-95 (20 फरवरी 1996 से परिसमापन के अधीन)	उपलब्ध नहीं	0.00	0.00	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3.76
70	कॉन्टीनेंटल फ्लोट ग्लास लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास	1997-98 (1 अप्रैल 2002 से परिसमापन के अधीन)	2002-03	0.00	0.00	46.24	46.24	0.00	0.00	138.85	138.85	185.09

क्रम संख्या	पीएसयू का नाम	विभाग का नाम	अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं को अन्तिमीकृत किया गया	वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर अंश पूंजी				वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर दीर्घावधि बकाया ऋण				कुल निवेश (अंश पूंजी एवं दीर्घावधि ऋण)
					राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार के ऋण	केन्द्र सरकार के ऋण	स्वामित्व कम्पनी/अन्य वित्तीय संस्थानों के ऋण	योग	
71	कानपुर कम्पोनेन्ट्स लिमिटेड (यू0पी0 इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स	(10 जून 1996 से परिसमापन के अधीन)	उपलब्ध नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72	उत्तर प्रदेश एक्स्काट प्राइवेट लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्मॉल इण्डस्ट्रीज़ कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात संवर्धन	1975-76 (14 नवम्बर 2003 से परिसमापन के अधीन)	उपलब्ध नहीं	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
73	उत्तर प्रदेश कार्बाइड एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास	1992-93 (19 फरवरी 1994 से परिसमापन के अधीन)	उपलब्ध नहीं	0.00	0.00	6.59	6.59	11.02	0.00	0.00	11.02	17.61
74	उत्तर प्रदेश प्लाण्ट प्रोटेक्शन एप्लाएन्सेस (प्राइवेट) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज़ कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात संवर्धन	1974-75 (14 नवम्बर 2003 से परिसमापन के अधीन)	1984-85	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
75	अपट्रॉन इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स	1995-96 (26 मार्च 2014 से परिसमापन के अधीन)	1997-98	0.00	0.00	57.93	57.93	0.00	0.00	9.70	9.70	67.63

क्रम संख्या	पीएसयू का नाम	विभाग का नाम	अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं को अन्तिमीकृत किया गया	वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर अंश पूंजी				वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर दीर्घावधि बकाया ऋण				कुल निवेश (अंश पूंजी एवं दीर्घावधि ऋण)
					राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार के ऋण	केन्द्र सरकार के ऋण	स्वामित्व कम्पनी/अन्य वित्तीय संस्थानों के ऋण	योग	
	उप योग–II अ(ख)				**370.29**	**0.21**	**604.52**	**975.02**	**383.44**	**2.27**	**190.68**	**576.39**	**1,551.41**
	योग II अ= II अ(क) + II अ(ख)				**370.29**	**0.21**	**606.74**	**977.24**	**383.44**	**2.27**	**190.68**	**576.39**	**1,553.63**
ब	**सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ**												
क	**ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू**												
	उप योग–II ब(क)				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ख	**ऊर्जा क्षेत्र के इतर पीएसयू**												
76	कमाण्ड एरिया पोल्ट्री डेवलपमेण्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (139 (5) & (7) कम्पनी)	भूमि विकास एवं जल संसाधन	1998-99	उपलब्ध नहीं	0.24	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.32	0.32	0.56
77	इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्प्यूटर्स (इण्डिया) लिमिटेड (139 (5) एवं (7) कम्पनी)	सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स	(14 जुलाई 1981 से परिसमापन के अधीन)	उपलब्ध नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	उप योग–II ब(ख)				**0.24**	**0.00**	**0.00**	**0.24**	**0.00**	**0.00**	**0.32**	**0.32**	**0.56**
	योग II ब= II ब(क)+ II ब(ख)				**0.24**	**0.00**	**0.00**	**0.24**	**0.00**	**0.00**	**0.32**	**0.32**	**0.56**
स	**सांविधिक निगम**												
क	**ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू**												
	उप योग–II स(क)				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

क्रम संख्या	पीएसयू का नाम	विभाग का नाम	अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं को अन्तिमीकृत किया गया	वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर अंश पूंजी				वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर दीर्घावधि बकाया ऋण				कुल निवेश (अंश पूंजी एवं दीर्घावधि ऋण)
					राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार के ऋण	केन्द्र सरकार के ऋण	स्वामित्व कम्पनी/अन्य वित्तीय संस्थानों के ऋण	योग	
ख	ऊर्जा क्षेत्र के इतर पीएसयू												
	उप योग–II स(ख)				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	योग II स= II स(क)+II स(ख)				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	अकार्यरत पीएसयू का योग (कुल योग–II)				**370.53**	**0.21**	**606.74**	**977.48**	**383.44**	**2.27**	**191.00**	**576.71**	**1554.19**
	ऊर्जा क्षेत्र के पीसएसयू का योग				**0.00**	**0.00**	**2.27**	**2.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2.27**
	ऊर्जा क्षेत्र के इतर पीसएसयू का योग				**3,970.81**	**605.99**	**679.56**	**5,256.36**	**2,582.20**	**12.27**	**3,198.73**	**5,793.20**	**11,049.56**
	महायोग (कुल योग-I + कुल योग–II)				**3,970.81**	**605.99**	**681.83**	**5,258.63**	**2,582.20**	**12.27**	**3,198.73**	**5,793.20**	**11,051.83**

परिशिष्ट-5.3

(प्रस्तर 5.2.3 में संदर्भित)

उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं के मध्य 31 मार्च 2022 को पूंजी, ऋण एवं प्रत्याभूतियों के अवशेषों से सम्बन्धित अन्तर को दर्शाती हुई विवरणी।

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	पीएसयू का नाम	पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार			उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं के अनुसार			अन्तर		
		अंश पूंजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति	अंश पूंजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति	अंश पूंजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति
1	2	3	4	5	6	7	8	9 =3-6	10 = 4-7	11 = 5-8
I	**कार्यरत पीएसयू**									
अ	**सरकारी कम्पनियाँ**									
क	**ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू**									
1	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड सहित)	18,580.82	0.00	27,546.03	19,701.87	86.00	35,365.02	(-) 1,121.05	(-) 86.00	(-) 7,818.99
2	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	435.33	64.65	0.00	435.33	0.00	0.00	0.00	64.65	0.00
3	उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड	16,376.74	0.00	972.40	15,576.01	0.00	972.40	800.73	0.00	0.00
4	कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00[11]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	उ0प्र0 पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड	1,12,212.39	369.27	93,036.65	97,164.01	430.82	93,036.65	15,048.38	(-) 61.55	0.00
	उप योग–अ(क)	**1,47,605.28**	**433.92**	**1,21,555.08**	**1,32,877.22**	**516.82**	**1,29,374.07**	**14,728.06**	**(-) 82.90**	**(-) 7,818.99**

[11] ₹ 7,000

क्रम संख्या	पीएसयू का नाम	पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार			उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं के अनुसार			अन्तर		
		अंश पूंजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति	अंश पूंजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति	अंश पूंजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति
ख	**ऊर्जा क्षेत्र के इतर पीएसयू**									
6	उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती लखनऊ मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड)	2146.80	1,305.20	0.00	1,278.00	1,841.60	0.00	868.80	(-) 536.40	0.00
7	नोएडा मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड	387.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387.57	0.00	0.00
8	दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कार्पोरेशन ऑफ यूपी लिमिटेड	110.58	1,134.43	1.39	110.58	411.26	1.39	0.00	723.17	0.00
9	यू0पी0 इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड	91.54	111.27	0.00	91.54	31.23	0.00	0.00	80.04	0.00
10	उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन परिषद	0.05	5.00	0.00	0.00	0.95	0.00	0.05	4.05	0.00
11	उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कार्पोरेशन लिमिटेड	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.83	0.00	0.00
12	उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	30.00	0.00	0.00	30.00	15.18	0.00	0.00	(-) 15.18	0.00
13	उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	12.23	76.30	0.00	13.56	0.00	52.65	(-) 1.33	76.30	(-) 52.65
14	उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	134.18	0.00	0.00	126.99	0.00	0.00	7.19	0.00	0.00
15	उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड	12.34	0.73	0.00	12.34	0.78	0.00	0.00	(-) 0.05	0.00

क्रम संख्या	पीएसयू का नाम	पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार			उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं के अनुसार			अन्तर		
		अंश पूंजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति	अंश पूंजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति	अंश पूंजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति
16	उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड	58.32	5.00	0.00	58.32	4.69	0.00	0.00	0.31	0.00
17	उत्तर प्रदेश स्मॉल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड	5.96	4.75	0.00	5.96	0.41	0.00	0.00	4.34	0.00
18	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड	880.13	0.00	200.00	880.13	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
19	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड	1,648.31	909.00	183.96	1648.31	406.96	423.96	0.00	502.04	(-) 240.00
20	उ0प्र0 हस्तशिल्प एवं विकास विपणन निगम लिमिटेड (पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड)	6.34	12.44	0.00	6.34	5.00	0.00	0.00	7.44	0.00
21	उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	32.60	0.00	0.00	32.60	2.76	0.00	0.00	(-) 2.76	0.00
22	लखनऊ सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.84	0.00	0.00
23	आगरा–मथुरा सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00
24	कानपुर सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (दिनांक 28 अप्रैल 2010 को निगमित)	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
25	वाराणसी सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (दिनांक 15 जून 2010 को निगमित)	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00

क्रम संख्या	पीएसयू का नाम	पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार			उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं के अनुसार			अन्तर		
		अंश पूंजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति	अंश पूंजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति	अंश पूंजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति
26	उत्तर प्रदेश राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास निगम लिमिटेड	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00
27	यू0पी0 स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड	93.24	149.62	0.00	93.24	18.21	0.00	0.00	131.41	0.00
28	उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	0.15	0.00	0.00	0.15	0.00	1.80	0.00	0.00	(-) 1.80
29	उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड	36.45	157.02	0.00	36.45	12.53	2.34	0.00	144.49	(-)2.34
	उप योग–अ(ख)	**5,716.71**	**3,870.76**	**385.35**	**4,424.51**	**2,751.56**	**482.14**	**1,292.20**	**1,119.20**	**(-)96.79**
	उप योग–अ	**1,53,321.99**	**4,304.68**	**1,21,940.43**	**1,37,301.73**	**3,268.38**	**1,29,856.21**	**16,020.26**	**1,036.30**	**(-)7,915.78**
ब	**सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ**									
क	**ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू**									
	उप योग–ब(क)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ख	**ऊर्जा क्षेत्र के इतर पीएसयू**									
30	आगरा स्मार्ट सिटी लिमिटेड	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	0.00	0.00
31	अलीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
32	बरेली स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
33	प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00
34	वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
35	झांसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00
36	मुरादाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड	50.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.25	0.00	0.00
37	सहारनपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00

क्रम संख्या	पीएसयू का नाम	पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार			उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं के अनुसार			अन्तर		
		अंश पूंजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति	अंश पूंजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति	अंश पूंजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति
38	कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.00	0.00	0.00
39	लखनऊ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.00	0.00	0.00
40	नोएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड(एन0आई0ए0एल0)	2,807.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,807.19	0.00	0.00
	उप योग–ब(ख)	**3,776.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,776.69**	**0.00**	**0.00**
	उप योग–ब	**3,776.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,776.69**	**0.00**	**0.00**
स	**सांविधिक निगम**									
क	**ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू**									
	उप योग–स(क)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ख	**ऊर्जा क्षेत्र के इतर पीएसयू**									
41	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	930.46	26.72	0.00	766.18	34.65	0.00	164.28	-7.93	0.00
42	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00	-0.31	0.00
43	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	114.51	345.94	2.46	114.51	15.11	2.46	0.00	330.83	0.00
44	उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम	5.40	0.00	1.47	7.60	0.63	146.86	(-) 2.20	(-) 0.63	(-) 145.39
45	उत्तर प्रदेश जल निगम	0.00	537.96	0.00	0.00	388.77	0.00	0.00	149.19	0.00
	उप योग–स(ख)	**1,050.37**	**910.62**	**3.93**	**888.29**	**439.47**	**149.32**	**162.08**	**471.15**	**(-) 145.39**
	उप योग–स	**1,050.37**	**910.62**	**3.93**	**888.29**	**439.47**	**149.32**	**162.08**	**471.15**	**(-) 145.39**
	कार्यरत पीएसयू का योग (I)	**1,58,149.05**	**5,215.30**	**1,21,944.36**	**1,38,190.02**	**3,707.85**	**1,30,005.52**	**19,959.03**	**1,507.45**	**(-) 8,061.16**

क्रम संख्या	पीएसयू का नाम	पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार			उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं के अनुसार			अन्तर		
		अंश पूंजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति	अंश पूंजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति	अंश पूंजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति
II	**अकार्यरत पीएसयू**									
अ	**सरकारी कम्पनियाँ**									
क	**ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू**									
	उप योग–अ(क)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ख	**ऊर्जा क्षेत्र के इतर पीएसयू**									
46	छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक)	0.00	0.00	0.00	81.38	0.00	0.00	(-) 81.38	0.00	0.00
47	घाटमपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक)	0.00	0.00	0.00	147.72	0.00	0.00	(-) 147.72	0.00	0.00
48	नन्दगंज–सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक)	0.00	0.00	0.00	256.80	0.00	0.00	(-) 256.80	0.00	0.00
49	दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोज़िन कम्पनी लिमिटेड	0.22	8.47	0.00	0.30	1.99	1.76	(-) 0.08	6.48	(-) 1.76
50	उत्तर प्रदेश इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलेपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	1.78	36.77	0.00	0.09	0.00	0.00	1.69	36.77	0.00
51	उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रासवेयर कार्पोरेशन लिमिटेड	5.38	5.91	0.00	5.28	0.15	0.00	0.10	5.76	0.00
52	उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड	197.10	92.05	0.00	160.79	206.30	0.00	36.31	(-) 114.25	0.00

क्रम संख्या	पीएसयू का नाम	पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार			उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं के अनुसार			अन्तर		
		अंश पूंजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति	अंश पूंजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति	अंश पूंजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति
53	उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेण्ट एण्ड मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	5.74	3.42	0.00	5.74	1.40	0.00	0.00	2.02	0.00
54	उ0प्र0 राज्य यार्न कम्पनी लिमिटेड	53.67	66.36	0.00	31.91	13.21	0.00	21.76	53.15	0.00
55	उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड	2.73	7.55	0.00	2.73	1.10	0.00	0.00	6.45	0.00
56	उत्तर प्रदेश पोल्ट्री एण्ड लाइव स्टॉक स्पेशियलिटीज़ लिमिटेड	2.88	0.00	0.00	0.44	0.00	0.00	2.44	0.00	0.00
57	उत्तर प्रदेश स्टेट हॉर्टीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	6.41	3.34	0.56	6.41	0.00	0.56	0.00	3.34	0.000
58	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	0.51	0.00	0.00	0.51	0.00	0.70	0.00	0.00	-0.70
59	उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	1.50	0.00	0.00	0.78	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00
60	आगरा मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1.00	0.18	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00
61	इलाहाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	0.60	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00	(-) 0.07	0.00	0.00
62	गोरखपुर मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1.26	0.65	0.00	0.93	0.00	0.00	0.33	0.65	0.00
63	मुरादाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	0.25	0.65	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00
64	तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	0.45	1.25	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	1.25	0.00

क्रम संख्या	पीएसयू का नाम	पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार			उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं के अनुसार			अन्तर		
		अंश पूंजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति	अंश पूंजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति	अंश पूंजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति
65	उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड	1.23	0.05	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00
66	उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड	8.18	7.98	0.00	8.18	0.31	0.00	0.00	7.67	0.00
67	उत्तर प्रदेश पूर्वान्चल विकास निगम लिमिटेड	1.15	0.43	0.00	1.30	0.00	0.00	(-) 0.15	0.43	0.00
68	उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	0.31	1.70	0.00	0.23	1.63	0.00	0.08	0.07	0.00
69	उत्तर प्रदेश (रूहेलखण्ड तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	0.38	10.50	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	10.50	0.00
70	उत्तर प्रदेश सीमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	68.28	124.77	0.00	68.28	37.45	0.00	0.00	87.32	0.00
71	ऑटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड	5.63	0.38	0.00	5.63	14.89	0.00	0.00	(-) 14.51	0.00
72	उत्तर प्रदेश कार्बाइड एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	0.00	11.02	0.00	6.59	0.00	0.00	(-) 6.59	11.02	0.00
73	अपट्रॉन इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	0.00	(-) 2.85	0.00
	उप योग–अ(ख)	366.64	383.43	0.56	796.00	281.28	3.02	(-)429.36	102.15	(-)2.46

क्रम संख्या	पीएसयू का नाम	पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार			उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं के अनुसार			अन्तर		
		अंश पूंजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति	अंश पूंजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति	अंश पूंजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति
	उप योग–अ	366.64	383.43	0.56	796.00	281.28	3.02	(-)429.36	102.15	(-)2.46
ब	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ									
क	ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू									
	उप योग–ब(क)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ख	ऊर्जा क्षेत्र के इतर पीएसयू									
74	कमाण्ड एरिया पोल्ट्री डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड (139 (5) एवं (7) कम्पनी)	0.24	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	0.24	(-) 2.10	0.00
	उप योग–ब(ख)	**0.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2.10**	**0.00**	**0.24**	**(-) 2.10**	**0.00**
	उप योग–ब	**0.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2.10**	**0.00**	**0.24**	**(-) 2.10**	**0.00**
स	सांविधिक निगम									
क	ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू									
	उप योग–स(क)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ख	ऊर्जा क्षेत्र के इतर पीएसयू									
	उप योग–स (ख)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	उप योग स	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	अकार्यरत पीएसयू का योग (II)	**366.88**	**383.43**	**0.56**	**796.00**	**283.38**	**3.02**	**(-) 429.12**	**100.05**	**(-) 2.46**
	ऊर्जा क्षेत्र का योग	**1,47,605.28**	**433.92**	**1,21,555.08**	**1,32,877.22**	**516.82**	**1,29,374.07**	**14,728.06**	**(-) 82.90**	**(-) 7,818.99**
	ऊर्जा क्षेत्र के इतर पीएसयू का योग	**10,910.65**	**5,164.81**	**389.84**	**6,108.80**	**3,474.41**	**634.47**	**4,801.85**	**1,690.40**	**(-) 244.63**
	महायोग (योग–I + योग–II)	**1,58,515.93**	**5,598.73**	**1,21,944.92**	**1,38,986.02**	**3,991.23**	**1,30,008.54**	**19,529.91**	**1,607.50**	**(-) 8,063.62**

परिशिष्ट-5.4

(प्रस्तर 5.3.2, 5.3.2.1 एवं 5.3.2.2 में संदर्भित)

विभिन्न राज्य सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों द्वारा लेखों के अन्तिमीकृत में लंबित रहने का विवरण

क्रम संख्या.	पीएसयू का नाम	अद्यतन अन्तिमीकृत लेखे	वर्ष जिससे लेखे प्राप्त नही हुए थे	लम्बित वार्षिक लेखों की कुल संख्या
I	**कार्यरत पीएसयू**			
(अ)	**सरकारी कम्पनियाँ**			
1.	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2020-21	2021-22	1
2.	जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2020-21	2021-22	1
3.	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	2020-21	2021-22	1
4.	उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड	2021-22	0	0
5.	उ0प्र0 पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड	2021-22	0	0
6.	पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2021-22	0	0
7.	पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2021-22	0	0
8.	दक्षिणान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2021-22	0	0
9.	मध्यान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2021-22	0	0
10.	कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड	2021-22	0	0
11.	यूसीएम कोल कम्पनी लिमिटेड	2020-21	2021-22	1
12.	यूपीएसआईडीसी पॉवर कम्पनी लिमिटेड	2013-14	2014-15 से 2021-22	8
13.	उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2005-06	2006-07 से 2021-22	16
14.	उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18 से 2021-22	5
15.	उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18 से 2021-22	5
16.	उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड	2010-11	2011-12 से 2021-22	11
17.	उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम	2017-18	2018-19 से 2021-22	4
18.	उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड	2015-16	2016-17 से 2021-22	6
19.	उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड	2003-04	2004-05 से 2021-22	18
20.	उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड	2010-11	2011-12 से 2021-22	11
21.	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	2014-15	2015-16 से 2021-22	7
22.	उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड	2017-18	2018-19 से 2021-22	4
23.	उत्तर प्रदेश स्मॉल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड	2011-12	2012-13 से 2021-22	10
24.	उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम लिमिटेड	2018-19	2019-20 से 2021-22	3
25.	उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18 से 2021-22	5
26.	उत्तर प्रदेश ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	2009-10	2010-11 से 2021-22	12
27.	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक)	2016-17	2017-18 से 2021-22	5
28.	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18 से 2021-22	5
29.	उ0प्र0 हस्तशिल्प एवं विकास विपणन निगम लिमिटेड (पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड)	2008-09	2009-10 से 2021-22	13
30.	उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2017-18	2018-19 से 2021-22	4

क्रम संख्या.	पीएसयू का नाम	अद्यतन अन्तिमीकृत लेखे	वर्ष जिससे लेखे प्राप्त नही हुए थे	लम्बित वार्षिक लेखों की कुल संख्या
31.	लखनऊ सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए	2009-10 से 2021-22	13
32.	मेरठ सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	2013-14	2014-15 से 2021-22	8
33.	आगरा–मथुरा सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए	2010-11 से 2021-22	12
34.	कानपुर सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए	2010-11 से 2021-22	12
35.	वाराणसी सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए	2010-11 से 2021-22	12
36.	उत्तर प्रदेश राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास निगम लिमिटेड	प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए	2018-19 से 2021-22	4
37.	उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	2017-18	2018-19 से 2021-22	4
38.	यू0पी0 स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड	2018-19	2019-20 से 2021-22	3
39.	उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड	2000-01	2001-02 से 2021-22	21
40.	उत्तर प्रदेश डेवलपमेण्ट सिस्टम्स कार्पोरेशन लिमिटेड	2018-19	2019-20 से 2021-22	3
41.	यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लिमिटेड	2018-19	2019-20 से 2021-22	3
42.	उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती लखनऊ मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड)	2021-22	0	0
43.	नोएडा मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड	2021-22	0	0
44.	दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कार्पोरेशन ऑफ यूपी लिमिटेड	2019-20	2020-21 से 2021-22	2
45.	श्रीट्रॉन इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2020-21	2021-22	1
46.	अपट्रॉन पॉवरट्रॉनिक्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन की सहायक)	2020-21	2021-22	1
47.	यू0पी0 इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड	2019-20	2020-21 से 2021-22	2
48.	उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	2020-21	2021-22	1
49.	उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड	2019-20	2020-21 से 2021-22	2
50.	उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन परिषद	2021-22	0	0
51.	उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2019-20	2020-21 से 2021-22	2
52.	प्रयागराज सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	2019-20	2020-21 से 2021-22	2
53.	उत्तर प्रदेश स्टेट कन्स्ट्रक्शन एण्ड इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड)	2019-20	2020-21 से 2021-22	2
	योग I (अ)			266

क्रम संख्या.	पीएसयू का नाम	अद्यतन अन्तिमीकृत लेखे	वर्ष जिससे लेखे प्राप्त नही हुए थे	लम्बित वार्षिक लेखों की कुल संख्या
(ब)	**सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ**			
1.	आगरा स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2021-22	0	0
2.	अलीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2019-20	2020-21 से 2021-22	2
3.	बरेली स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2020-21	2021-22	1
4.	प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2020-21	2021-22	1
5.	वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2020-21	2021-22	1
6.	झांसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2019-20	2020-21 से 2021-22	2
7.	मुरादाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2020-21	2021-22	1
8.	सहारनपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2020-21	2021-22	1
9	कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2017-18	2018-19 से 2021-22	4
10	लखनऊ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2018-19	2019-20 से 2021-22	3
11	अलमोड़ा मेगनेसाईट लिमिटेड (139 (5) एवं (7) कम्पनी)	2020-21	2021-22	1
12.	नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड	2019-20	2020-21 से 2021-22	2
13.	डीएमआईसी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड	2020-21	2021-22	1
	योग I (ब)			**20**
(स)	**सांविधिक निगम**			
1.	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	2019-20	2020-21 से 2021-22	2
2.	उत्तर प्रदेश वन निगम	2020-21	2021-22	1
3.	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	2020-21	2021-22	1
4.	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	2012-13	2013-14 से 2021-22	9
5.	उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम	2017-18	2018-19 से 2021-22	4
6.	उत्तर प्रदेश जल निगम	2016-17	2017-18 से 2021-22	5
	योग I (स)			**22**
	कार्यरत पीएसयू का योग (योग I)			**308**
II	**अकार्यरत पीएसयू**			
(अ)	**सरकारी कम्पनियाँ**			
1.	सदर्न यू0पी0 पॉवर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड	2020-21	2021-22	1
2.	अपलीज फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	1997-98	1998-99 से 2021-22	24
3.	छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक)	2017-18	2018-19 से 2021-22	4
4.	घाटमपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक)	2017-18	2018-19 से 2021-22	4
5.	नन्दगंज–सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक)	2017-18	2018-19 से 2021-22	4
6.	दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड	2010-11	2011-12 से 2021-22	11
7.	उत्तर प्रदेश इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलेपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2001-02	2002-03 से 2021-22	20

क्रम संख्या.	पीएसयू का नाम	अद्यतन अन्तिमीकृत लेखे	वर्ष जिससे लेखे प्राप्त नही हुए थे	लम्बित वार्षिक लेखों की कुल संख्या
8.	उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रासवेयर कार्पोरेशन लिमिटेड	1997-98	1998-99 से 2021-22	24
9.	उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड	2019-20	2020-21 से 2021-22	2
10.	उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेण्ट एण्ड मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	2000-01	2001-02 से 2021-22	21
11.	उ0प्र0 राज्य यार्न कम्पनी लिमिटेड	2020-21	2021-22	1
12.	उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड	2015-16	2016-17 से 2021-22	6
13.	उत्तर प्रदेश पोल्ट्री एण्ड लाइव स्टॉक स्पेशियलिटीज़ लिमिटेड	2013-14	2014-15 से 2021-22	8
14.	उत्तर प्रदेश स्टेट हॉर्टीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	1984-85	1986-87 से 2021-22	37
15.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	2013-14	2014-15 से 2021-22	8
16.	उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	1995-96	1996-97 से 2021-22	26
17.	आगरा मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1988-89	1989-90 से 2021-22	33
18.	इलाहाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1983-84	1984-85 से 2021-22	38
19.	बरेली मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1988-89	1989-90 से 2021-22	33
20.	गोरखपुर मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1988-89	1989-90 से 2021-22	33
21.	लखनऊ मण्डलीय विकास निगम लिमिटेड	1981-82	1982-83 से 2021-22	40
22.	मेरठ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	2008-09	2009-10 से 2021-22	13
23.	मुरादाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1991-92	1992-93 से 2021-22	30
24.	तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	1982-83	1983-84 से 2021-22	39
25.	उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड	2010-11	2011-12 से 2021-22	11
26.	उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड	2009-10	2010-11 से 2021-22	12
27.	उत्तर प्रदेश पूर्वान्चल विकास निगम लिमिटेड	1987-88	1988-89 से 2021-22	34
28.	वाराणसी मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1987-88	1988-89 से 2021-22	34
29.	उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	2002-03	शून्य	0
30.	उत्तर प्रदेश (रूहेलखण्ड तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	2006-07	शून्य	0
31.	उत्तर प्रदेश सीमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	1995-96	1996-97 से 1998-99	3
32.	विन्ध्याचल अब्रेसिव्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	1987-88	1988-89 से 2002-03	15
33.	ऑटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड	1991-92	1992-93 से 2002-03	11
34.	भदोही वूलेन्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	1994-95	1995-96	1
35.	कॉन्टीनेंटल फ्लोट ग्लास लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	1997-98	1998-99 से 2001-02	4
36.	कानपुर कम्पोनेन्ट्स लिमिटेड (यू0पी0 इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	10 जून 1996 से परिसमापन के अधीन	1978-79 से 1996-97	19

क्रम संख्या.	पीएसयू का नाम	अद्यतन अन्तिमीकृत लेखे	वर्ष जिससे लेखे प्राप्त नही हुए थे	लम्बित वार्षिक लेखों की कुल संख्या
37.	उत्तर प्रदेश एब्स्काट प्राइवेट लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्मॉल इण्डस्ट्रीज़ कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	1975-76	1976-77 से 1986-87	11
38.	उत्तर प्रदेश कार्बाइड एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	1992-93	1993-94	1
39.	उत्तर प्रदेश प्लाण्ट प्रोटेक्शन एप्लाएन्सेस (प्राइवेट) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज़ कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	1974-75	1975-76 से 2003-04	29
40.	अपट्रॉन इण्डिया लिमिटेड (यू0पी0 इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	1995-96	1996-97 से 2013-14	18
	योग II (अ)			**663**
(ब)	**सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियां**			
41.	कमाण्ड एरिया पोल्ट्री डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड (139 (5) एवं (7) कम्पनी)	1994-95	1995-96 से 2021-22	27
42.	इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्प्यूटर्स (इण्डिया) लिमिटेड (139 (5) एवं (7) कम्पनी)	1973-74	1974-75 से 1981-82	8
	योग II (ब)			**35**
(स)	**सांविधिक निगम**			
	योग I (स)			**-**
	अकार्यरत पीएसयू का योग (योग II)			**698**
	महायोग (योग I + योग II)			**1006**

परिशिष्ट-5.5
(प्रस्तर 5.3.2.4 में संदर्भित)
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में जिनके लेखे बकाया थे, राज्य सरकार के निवेश की स्थिति दर्शाने वाली विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	पीएसयू की संख्या	अन्तिमीकृत लेखाओं की अवधि	बकाया लेखाओं की अवधि	अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार आवेदित अंश धनराशि सहित प्रदत्त पूंजी	बकाया लेखाओं के वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश				
						अंश पूंजी	ऋण	अनुदान	सब्सिडी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (7+8+9+10)
I	**कार्यरत पीएसयू**									
अ	**सरकारी कम्पनियाँ**									
क	**ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू**									
1	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	1	2020-21	2021-22	16,545.77	2,035.05	0.00	0.00	0.00	2,035.05
	उप योग–I अ(क)	**1**			16,545.77	2,035.05	0.00	0.00	0.00	2,035.05
ख	**ऊर्जा क्षेत्र के इतर पीएसयू**									
2	उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1	2019-20	2020-21 से 2021-22	10.16	0.83	0.00	0.00	0.00	0.83
3	यू0पी0 इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड	1	2019-20	2020-21 से 2021-22	91.54	0.00	0.00	90.87	0.00	90.87
4	उत्तर प्रदेश डेवलपमेण्ट सिस्टम्स कार्पोरेशन लिमिटेड	1	2018-19	2019-20 से 2021-22	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
5	यू0पी0 स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड	1	2018-19	2019-20 से 2021-22	93.24	0.00	8.43	0.00	0.00	8.43

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	पीएसयू की संख्या	अन्तिमीकृत लेखाओं की अवधि	बकाया लेखाओं की अवधि	अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार आवेदित अंश धनराशि सहित प्रदत्त पूंजी	बकाया लेखाओं के वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश				
						अंश पूंजी	ऋण	अनुदान	सब्सिडी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (7+8+9+10)
6	लखनऊ सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (दिनांक 01 फरवरी 2010 को निगमित)	1	शून्य	2009-10 से 2021-22	0.00	17.84	0.00	182.67	0.00	200.51
7	मेरठ सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	1	2013-14	2014-15 से 2021-22	4.04	0.00	0.00	29.88	0.00	29.88
8	प्रयागराज सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	1	2019-20	2020-21 से 2021-22	4.91	0.00	0.00	31.14	0.00	31.14
9	आगरा मथुरा सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (8 जुलाई 2010 से निगमित)	1	शून्य	2010-11 से 2021-22[12]	0.00	0.00	0.00	0.00	7.25	7.25
10	कानपुर सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (दिनांक 28 अप्रैल 2010 से निगमित)	1	शून्य	2010-11 से 2021-22	0.00	0.05	0.00	67.03	60.89	127.97
11	वाराणसी सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (15 जून 2010 से निगमित)	1	शून्य	2010-11 से 2021-22	0.00	0.05	0.00	35.85	0.00	35.90
12	उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	1	2005-06	2006-07 से 2021-22	30.00	0.00	0.00	64.22	0.00	64.22
13	उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	1	2016-17	2017-18 से 2021-22	12.23	0.00	57.43	0.00	0.00	57.43

[12] वर्ष 2021–22 के लिए राज्य सरकार के निवेश के लिए सूचना लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करायी गई है

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	पीएसयू की संख्या	अन्तिमीकृत लेखाओं की अवधि	बकाया लेखाओं की अवधि	अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार आवेदित अंश धनराशि सहित प्रदत्त पूंजी	बकाया लेखाओं के वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश				
						अंश पूंजी	ऋण	अनुदान	सब्सिडी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (7+8+9+10)
14	उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	1	2016-17	2017-18 से 2021-22	251.95	9.95	2.21	0.00	345.37	357.53
15	उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड	1	2010-11	2011-12 से 2021-22	5.50	6.83	0.00	0.00	0.00	6.83
16	उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड	1	2015-16	2016-17 से 2021-22[13]	5.19	0.00	0.00	12.83	0.00	12.83
17	उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड	1	2003-04	2004-05 से 2021-22	5.25	4.75	0.00	0.00	0.00	4.75
18	उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड	1	2010-11	2011-12 से 2021-22	46.30	10.41	0.00	0.00	0.00	10.41
19	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड	1	2016-17	2017-18 से 2021-22[14]	1,648.31	0.00	899.00	0.00	0.00	899.00
20	उ0प्र0 हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड	1	2008-09	2009-10 से 2021-22[15]	7.24	0.00	5.00	2.68	0.00	7.68
21	उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम लिमिटेड	1	2018-19	2019-20 से 2021-22	6.92	0.00	0.00	17.27	0.00	17.27
22	उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम	1	2017-18	2018-19 से 2021-22	1.50	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00

[13] वर्ष 2021–22 के लिए राज्य सरकार के निवेश के लिए सूचना लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करायी गई है
[14] वर्ष 2021–22 के लिए राज्य सरकार के निवेश के लिए सूचना लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करायी गई है
[15] वर्ष 2021–22 के लिए राज्य सरकार के निवेश के लिए सूचना लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करायी गई है

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	पीएसयू की संख्या	अन्तिमीकृत लेखाओं की अवधि	बकाया लेखाओं की अवधि	अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार आवेदित अंश धनराशि सहित प्रदत्त पूंजी	बकाया लेखाओं के वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश				
						अंश पूंजी	ऋण	अनुदान	सब्सिडी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (7+8+9+10)
23	उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	1	2016-17	2017-18 से 2021-22	1.07	0.00	0.00	52.78	0.00	52.78
24	उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड	1	2000-01	2001-02 से 2021-22[16]	47.07	0.00	109.51	0.00	0.00	109.51
	उप योग–I अ(ख)	**23**			**2,273.42**	**50.71**	**1,081.58**	**738.22**	**413.51**	**2,284.02**
	I अ का योग = I अ(क)+I अ(ख)	**24**			**18,819.19**	**2,085.76**	**1,081.58**	**738.22**	**413.51**	**4,319.07**
ब	**सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ**									
क	**ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू**									
	उप योग–I ब(क)	**0**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ख	**ऊर्जा क्षेत्र के इतर पीएसयू**									
25	अलीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	1	2019-20	2020-21 से 2021-22	2.00	0.00	0.00	176.50	0.00	176.50
26	लखनऊ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	1	2018-19	2019-20 से 2021-22	382.00	0.00	0.00	98.00	0.00	98.00
27	प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड	1	2020-21	2021-22	0.50	0.00	0.00	97.00	0.00	97.00
28	वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड	1	2020-21	2021-22	200.00	0.00	0.00	97.50	0.00	97.50
29	नोएडा इण्टरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एनआईएएल)	1	2019-20	2020-21 से 2021-22	0.01	1,273.35	0.00	0.00	0.00	1,273.35

[16] वर्ष 2021–22 के लिए राज्य सरकार के निवेश के लिए सूचना लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करायी गई है

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	पीएसयू की संख्या	अन्तिमीकृत लेखाओं की अवधि	बकाया लेखाओं की अवधि	अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार आवेदित अंश धनराशि सहित प्रदत्त पूंजी	बकाया लेखाओं के वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश				
						अंश पूंजी	ऋण	अनुदान	सब्सिडी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (7+8+9+10)
30	बरेली स्मार्ट सिटी लिमिटेड	1	2020-21	2021-22	0.50	0.00	0.00	136.00	0.00	136.00
31	कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	1	2017-18	2018-19 से 2021-22	558.00	46.50	0.00	2.00	0.00	48.50
32	झाँसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड	1	2019-20	2020-21 से 2021-22	0.50	0.50	0.00	159.50	0.00	160.00
	उप योग–I ब(ख)	**8**			**1,143.51**	**1,320.35**	**0.00**	**766.50**	**0.00**	**2,086.85**
	I ब का योग = I ब(क)+I ब(ख)	**8**			**1,143.51**	**1,320.35**	**0.00**	**766.50**	**0.00**	**2,086.85**
स	**सांविधिक निगम**									
क	**ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू**									
	उप योग–I स(क)	**0**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ख	**ऊर्जा क्षेत्र के इतर पीएसयू**									
33	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	1	2019-20	2020-21 से 2021-22	963.62	29.05	0.00	0.00	0.00	29.05
34	उत्तर प्रदेश जल निगम	1	2016-17	2017-18 से 2021-22	0.00	0.00	0.00	2,037.75	0.00	2,037.75
35	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	1	2012-13	2013-14 से 2021-22	179.28	0.00	102.60	0.00	0.00	102.60
	उप योग–I स(ख)	**3**			1,142.90	29.05	102.60	2,037.75	0.00	2,169.40
	I स का योग= I स(क)+I स(ख)	**3**			1,142.90	29.05	102.60	2,037.75	0.00	2,169.40
	कार्यरत पीएसयू का योग (योग–I)	**35**			**21,105.60**	**3,435.16**	**1,184.18**	**3,542.47**	**413.51**	**8,575.32**

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	पीएसयू की संख्या	अन्तिमीकृत लेखाओं की अवधि	बकाया लेखाओं की अवधि	अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार आवेदित अंश धनराशि सहित प्रदत्त पूंजी	बकाया लेखाओं के वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश				
						अंश पूंजी	ऋण	अनुदान	सब्सिडी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (7+8+9+10)
II	**अकार्यरत पीएसयू**									
अ	**सरकारी कम्पनियाँ**									
क	**ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू**									
	उप योग–II अ(क)	**0**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ख	**ऊर्जा क्षेत्र के इतर पीएसयू**									
36	उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड	1	2019-20	2020-21 से 2021-22	197.10	0.00	1.19	0.00	0.00	1.19
37	दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड	1	2010-11	2011-12 से 2021-22[17]	0.22	0.00	0.34	0.00	0.00	0.34
38	उ0प्र0 राज्य यार्न कम्पनी लिमिटेड	1	2020-21	2021-22	53.67	31.91	1.76	0.00	0.00	33.67
	उप योग–II अ(ख)	**3**			**250.99**	**31.91**	**3.29**	**0.00**	**0.00**	**35.20**
	IIअ का योग = II अ(क)+II अ(ख)	**3**			**250.99**	**31.91**	**3.29**	**0.00**	**0.00**	**35.20**
ब	**सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ**									
क	**ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू**									
	उप योग–II ब(क)	**0**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

[17] वर्ष 2021–22 के लिए राज्य सरकार के निवेश के लिए सूचना लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करायी गई है

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	पीएसयू की संख्या	अन्तिमीकृत लेखाओं की अवधि	बकाया लेखाओं की अवधि	अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार आवेदित अंश धनराशि सहित प्रदत्त पूंजी	बकाया लेखाओं के वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश				
						अंश पूंजी	ऋण	अनुदान	सब्सिडी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (7+8+9+10)
ख	ऊर्जा क्षेत्र के इतर पीएसयू									
	उप योग–II ब(ख)	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	IIब का योग = II ब(क)+II ब(ख)	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
स	सांविधिक निगम									
क	ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू									
	उप योग–II स(क)	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ख	ऊर्जा क्षेत्र के इतर पीएसयू									
	उप योग–II स(ख)	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II स का योग= II स(क)+II स(ख)	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	अकार्यरत पीएसयू का योग (योग–II)	3			250.99	31.91	3.29	0.00	0.00	35.20
	योग ऊर्जा क्षेत्र	1			16,545.77	2,035.05	0.00	0.00	0.00	2,035.05
	योग ऊर्जा क्षेत्र के इतर	37			4,810.82	1,432.02	1,187.47	3,542.47	413.51	6,575.47
	महायोग (योग–I + योग–II)	38			21,356.59	3,467.07	1,187.47	3,542.47	413.51	8,610.52

पदों की व्याख्या एवं प्रथमाक्षरी

पदों की व्याख्या

पद	व्याख्या
विनियोग लेखे	विधान सभा द्वारा प्रत्येक मतदेय अनुदानों एवं भारित विनियोगों के अन्तर्गत बजट अनुदान में प्राधिकृत कुल निधियों (मूल एवं अनुपूरक) की धनराशि की तुलना में प्रत्येक के विरूद्ध व्यय धनराशि एवं प्रत्येक अनुदान या विनियोग के अन्तर्गत बचत या आधिक्य का विवरण विनियोग लेखे में होता है। मतदेय अनुदान/भारित विनियोग से अधिक किसी भी व्यय का विधायिका द्वारा विनियमन अपेक्षित होता है।
स्वायत्त निकाय	जब कभी सरकारी व्यवस्था से अलग कुछ सीमा तक स्वतंत्रता एवं सरकारी कार्य प्रणाली के दिन–प्रतिदिन के हस्तक्षेप के बगैर, लचीलेपन के साथ कुछ क्रियाओं को संपादित करने की आवश्यकता महसूस होती है तब स्वायत्त निकायों (प्रायः पंजीकृत समितियां या सांविधिक निगमों) की स्थापना की जाती है।
उछाल अनुपात	उछाल अनुपात आधार चर में दिए गए परिवर्तन के सापेक्ष किसी राजकोषीय चर की प्रतिक्रिया के लोच या परिमाप को इंगित करता है।
वचनबद्ध व्यय	राजस्व लेखों पर राज्य सरकार के वचनबद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी पर व्यय, पेंशन एवं सब्सिडी, जिस पर वर्तमान कार्यपालिका का सीमित नियंत्रण होता है, शामिल होते हैं।
आकस्मिक देयतायें	आकस्मिक देयताओं पर व्यय, भविष्य में किसी घटना के घटित होने पर किया या नहीं किया जा सकता है जैसे न्यायालयी प्रकरण।
ऋण संवहनीयता	राज्य द्वारा ऋण–जीएसडीपी के अनुपात को स्थिर रखने की क्षमता को ऋण संवहनीयता के रूप में परिभाषित किया जाता है और यह ऋण के सर्विस की क्षमता को भी प्रदर्शित करता है। इस प्रकार ऋण संवहनीयता चालू या वचनबद्ध देयताओं की पूर्ति हेतु तरल परिसम्पत्तियों की पर्याप्तता तथा लागत एवं अतिरिक्त ऋण के साथ उस पर प्रतिफल के मध्य सन्तुलन बनाने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। इसका तात्पर्य यह है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि का ऋण के सर्विस की क्षमता से सुमेल होना चाहिए।
ऋण स्थिरता	स्थिरता के लिये आवश्यक शर्त है कि यदि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर ब्याज दर या सार्वजनिक ऋण की लागत से अधिक है तो ऋण–जीएसडीपी अनुपात संभवतः स्थिर होगा बशर्ते प्राथमिक अवशेष या तो शून्य या धनात्मक या मामूली ऋणात्मक हो।

पद	व्याख्या
आन्तरिक ऋण	आन्तरिक ऋण में भारत में लोगों से प्राप्त नियमित ऋण, जिसे 'भारत में उगाहा गया ऋण' भी कहा जाता है, शामिल है। यह संचित निधि में जमा किये जाने वाले ऋण तक सीमित होता है।
उधार निधियों की निवल उपलब्धता	इसे ऋण विमोचन (मूलधन और ब्याज का भुगतान) के कुल ऋण प्राप्तियों से अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है तथा यह उस सीमा को प्रदर्शित करता है जिसमें ऋण प्राप्तियों का उपयोग उधार निधियों की निवल उपलब्धता को दर्शाने वाले ऋणों के विमोचन में किया जाता है।
प्राथमिक घाटा/आधिक्य	राजकोषीय घाटे से ब्याज भुगतान को घटाने पर प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। इसे सरकार के राजस्व प्राप्तियों एवं गैर–ऋण पूंजीगत प्राप्तियों पर गैर–ब्याज व्यय के आधिक्य के रूप में व्याख्यायित किया जा सकता है।
लोक लेखा समिति	विधान सभा द्वारा गठित समिति जो भारत के नियंत्रक– महालेखापरीक्षक के राज्य के विनियोग लेखे, राज्य के वार्षिक वित्तीय लेखे या इस प्रकार के अन्य लेखे या वित्तीय मामलों से सम्बन्धित प्रतिवेदनों, जिसे इसके समक्ष रखा जाय या जिसकी जाँच करना समिति आवश्यक समझे, की जाँच करती है।
पुनर्विनियोग	विनियोग की एक प्राथमिक इकाई से अन्य उसी प्रकार की इकाई को निधियों का अन्तरण।
निक्षेप निधि	एक निधि जिसमें सरकार कुछ समय बाद अपने ऋणों से मुक्ति हेतु धन आरक्षित करती है।
अनुपूरक अनुदान	यदि संविधान के अनुच्छेद 204 के प्रावधानों के अनुरूप निर्मित विधि द्वारा प्राधिकृत धनराशि चालू वित्त वर्ष के किसी विशेष सेवा पर उसी उद्देश्य हेतु व्यय के लिये अपर्याप्त पायी जाती है या जब उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण में शामिल न की गयी किसी नयी सेवा के लिये अनुपूरक या अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता उत्पन्न हुई हो तब सरकार संविधान के अनुच्छेद 205 के प्रावधान के अनुरूप अनुपूरक अनुदान या विनियोग लाती है।

प्रथमाक्षरी

प्रथमाक्षरी	पूर्ण विस्तार
एसी बिल	संक्षिप्त आकस्मिक बिल
एजीएम	वार्षिक आम सभा
बोओसीडब्लू एक्ट	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम
सीएजी	भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
सीएजीआर	मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर
सीसीओ	मुख्य नियंत्रक अधिकारी
सीजीए	महालेखा नियंत्रक
सीएसएफ	समेकित निक्षेप निधि
डीसीसी बिल	विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिल
डीसीपीएस	परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना
ईबीआईटी	ब्याज एवं करों से पूर्व का लाभ
एफसी	वित्त आयोग
एफआरबीएम एक्ट	राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
जीओआई	भारत सरकार
जीओयूपी	उत्तर प्रदेश सरकार
जीएसडीपी	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
जीएसटी	वस्तु एवं सेवा कर
आईजीएसटी	एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर
इंड एएस	भारतीय लेखांकन मानक
एमएच	मुख्य शीर्ष
एमटीएफआरपी	मध्यकालिक राजकोषीय पुर्नसंरचना नीति
एनएसडीएल	राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड
पीएसी	लोक लेखा समिति
पीएओ	वेतन एवं लेखाधिकारी
पीडी एकाउण्ट	वैयक्तिक जमा खाता
पीएलए	वैयक्तिक लेजर खाता
पीपीपी	सार्वजनिक निजी भागीदारी
पीआरआई	पंचायती राज संस्थाएं
पीएसयूज़	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

प्रथमाक्षरी	पूर्ण विस्तार
आरओसीई	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल
आरओई	पूंजी पर प्रतिफल
एसडीआरएफ	राज्य आपदा अनुक्रिया निधि
एसजीएसटी	राज्य वस्तु एवं सेवा कर
यूसी	उपभोग प्रमाण–पत्र
उदय	उज्जवल डिस्कॉम्स एश्योरेंस योजना
यूपीबीएम	उत्तर प्रदेश बजट नियमावली

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/ag2/uttar-pradesh